

किताब-उत-तहाराह

(खंड 1 से 5, प्रश्न और उत्तर प्रारूप में)

MUKHTASAR

kitab-ut-Taharah

(Volume 1 to 5, In Q/A Format)

नोट: (तफ़्सील के लिए पांच जिल्दों पर मुश्तमिल मुफ़्स्सल नुस्खे की तरफ रुजू करें)



Authored

SHAIKH Dr. ARSHAD BASHEER UMARI MADANI waffaqahullah

Hafiz and Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean the ABM School, Hyderabad TS, INDIA

+9192906 21633 (WhatsApp only)

www.abmquraninotes.com | www.askislampedia.com | www.askmadani.com

TRANSLATED HINDI BY

Shaikh Mohammed Ajmal Ansari Umari

Shariah Advisor Halal India, Islamic Affairs Committee member SGS Dubai.

मुख्तसर

किताब-उत-तहारह

(खंड 1 से 5, प्रश्न और उत्तर प्रारूप में)

MUKHTASAR

kitab-ut-Taharah

(Volume 1 to 5, in Q/A Format)

नोट: (तफ़सील के लिए पांच जिल्दों पर मुश्तमिल मुफ़स्सल नुस्खे की तरफ रुजू करें)



Volume 6/6

مصنف
ڈاکٹر حفصہ اظہار
ارشاد بشیر عمری مدنی ورفقہ

Authored By

SHAIKH Dr. ARSHAD BASHEER UMARI MADANI waffaqahullah

Hafiz and Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean the ABM School, Hyderabad TS, INDIA

+9192906 21633 (WhatsApp only)

www.abmquraninotes.com | www.askislampedia.com | www.askmadani.com

TRANSLATED HINDI BY

Shaikh Mohammed Ajmal Ansari Umari

Shariah Advisor Halal India, Islamic Affairs Committee member SGS Dubai.

لا اله الا الله محمد رسول الله

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الطَّاهِرُ طَاهِرٌ
وَالْمَلَأَمُ لَمِيزٌ

15	प्रश्ना 11	पवित्रता से मुंह मोड़ने वालों (परहेज न करने वालों) का अंजाम क्या होगा?	
16	प्रश्ना 12	तहारत किसे कहते हैं?	
17	प्रश्ना 13	'नजासत' (गंदगी/अशुद्धियाँ) किसे कहते हैं?	
18	प्रश्ना 14	'हदस' (अशुद्धि की अवस्था) किसे कहते हैं?	
19	प्रश्ना 15	हदस की कितनी किस्में (प्रकार) हैं?	
20	प्रश्ना 16	'अनवा-उल-नजासात'—अशुद्ध (नापाक) चीजों के प्रकारों का वर्णन करें।	
21	प्रश्ना 17	मानव शरीर से निकलने वाले मासिक धर्म (हैज़) और प्रसव (निफास) के अलावा खून का क्या हुक्म है?	
22	प्रश्ना 18	वदी का क्या हुक्म है?	
23	प्रश्ना 19	मज़ी का क्या हुक्म है?	
24	फ़तवा शेख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह		
25	प्रश्ना 20	क्या मज़ी के लिए एक या ज़्यादा हथेली से छिड़काव काफ़ी है?	
26	प्रश्ना 21	वह हलाल जानवर जिसे शरीयत के तरीके से ज़बह न किया गया हो...	
27	प्रश्ना 22	जीवित हलाल जानवर के शरीर से उसकी जीवित अवस्था में काटी गई चीज़ का क्या हुक्म है?	
28	प्रश्ना 22b	मृत जानवर की खाल के अलावा बाकी अंगों का क्या हुक्म है?	
29	प्रश्ना 23	मरी हुई मछली और टिड्डी का क्या हुक्म है?	
30	प्रश्ना 24	क्या दबागत (चमड़ा पकाना) से हर जानवर की खाल पाक हो जाती है?	
31	प्रश्ना 25	यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाए (मैय्यत), तो उसके बारे में क्या हुक्म है?	
32	प्रश्ना 26	जानवरों के पेशाब और गोबर (लीद) का क्या हुक्म है?	
33	प्रश्ना 27	पाकीज़गी (पवित्रता) का सिद्धांत क्या है?	

34	प्रश्ना 28	ओझड़ी (पोट) का क्या हुक्म है?	
35	प्रश्ना 29	क्या कुत्ते का सिर्फ मांस और लार नापाक है या उसका पूरा शरीर?	
36	प्रश्ना 30	क्या गधे का मांस ही नापाक है या उसका पूरा शरीर?	
37	प्रश्ना 31	अल-जल्लाला (गंदगी खाने वाले जानवर) के बारे में क्या हुक्म है?	
38	प्रश्ना 32	बिना खून वाले कीड़े जैसे मक्खी, चींटी और मकड़ी, क्या नजिस हैं?	
39	प्रश्ना 33	क्या जंगली जानवरों का मांस नापाक है या उनका पूरा शरीर भी?	
40	प्रश्ना 34	ऊपर दिए गए विवरण का सारांश बताएं?	
41	प्रश्ना 35	छोड़ी हुई जूठी चीजों में कौन सी पाक हैं और कौन सी नापाक?	
42	प्रश्ना 36	क्या मनी (वीर्य) पाक है?	
43	प्रश्ना 37	क्या अल-खम्र (शराब) पाक है?	
44	प्रश्ना 38	क्या कै (उल्टी) नजिस है?	
45	प्रश्ना 39	क्या हयज वाली महिला और जुनूबी का पसीना पाक है?	
46	प्रश्ना 40	उन जानवरों या पक्षियों के बचे हुए जूठे का क्या हुक्म है?	
47	प्रश्ना 41	नजासतों को दूर करने के तरीके बयान कीजिए?	
48	प्रश्ना 42	इस्तंजा कैसे हासिल करें?	
49	प्रश्ना 43	पेशाब की सफाई का तरीका बयान करें?	
50	प्रश्ना 44	जूतों में लगी नजासत को कैसे साफ करें?	
51	प्रश्ना 45	हयज के खून की सफाई कैसे करें?	
52	प्रश्ना 46	महिलाओं के लटकते हुए कपड़ों की गंदगी कैसे दूर होगी?	
53	प्रश्ना 47	मनी को साफ करने का तरीका जिक्र करें?	
54	प्रश्ना 48	मृत हलाल जानवर के चमड़े की सफाई का तरीका बताएं?	
55	प्रश्ना 49	यदि चूहा किसी चीज में गिर जाए तो क्या हुक्म है?	
56	प्रश्ना 50	नजासत युक्त बदले हुए पानी का हुक्म बयान करें?	
57	प्रश्ना 51	पानी से सफाई करना कब जरूरी है?	

58	प्रश्ना 52	नजासतों को दूर करने का संक्षिप्त विवरण संदर्भों के साथ दें?	
59	प्रश्ना 53	शौच और इस्तंजा के आदाब का संक्षिप्त विवरण दें?	
60	प्रश्ना 54	शौच के लिए कितनी दूर जाना चाहिए?	
61	प्रश्ना 55	शौच करना कहाँ मना है?	
62	प्रश्ना 56	क्या बर्तन में पेशाब करना जायज़ है?	
63	प्रश्ना 57	शौच करते समय क़िबला की ओर रुख करने का क्या हुक्म है?	
64	प्रश्ना 58	पेशाब के छींटों से बचना क्यों ज़रूरी है?	
65	प्रश्ना 59	शौच के समय यदि जमात का वक्त हो जाए तो क्या करें?	
66	प्रश्ना 60	क्या खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है?	
67	प्रश्ना 61	क्या गुसलखाने में पेशाब कर सकते हैं?	
68	प्रश्ना 62	क्या घरों में शौच के लिए "अटैच्ड बाथरूम" हो सकते हैं?	
69	प्रश्ना 63	मा-ए-मुस्तअमल (इस्तेमाल किया पानी) क्या है?	
70	प्रश्ना 64	मा-ए-मखलूत ताहिर (मिश्रित पवित्र पानी) क्या है?	
71	प्रश्ना 65	पानी पर नापाकी का हुक्म कैसे लगता है?	
72	प्रश्ना 66	पाक पानी कौन सा है और नापाक कौन सा?	
73	प्रश्ना 67	यदि पानी की नजासत दूर हो जाए, तो उस पानी का क्या हुक्म है?	
		Part 2	
74		Kitab uttaharah	
75	प्रश्ना 68	फ़ितरत के शाब्दिक अर्थ क्या हैं?	
76	प्रश्ना 69	फ़ितरत के पारिभाषिक अर्थ क्या हैं?	
77	प्रश्ना 70	सुन्न अल-फ़ितरत की संख्या कितनी है?	
78	प्रश्ना 71	फ़ितरी सुन्नतों के संबंध में पाई जाने वाली हदीसें बताएं?	
79	प्रश्ना 72	सुन्न अल-फ़ितरत की क्या हिकमतें हैं?	
80	प्रश्ना 73	खतना फ़र्ज़ है या सुन्नत?	
81	प्रश्ना 74	खतना की क्या फ़ज़ीलत और अहमियत है?	
82	प्रश्ना 75	"क़स अल-शारिब" (मूँछें तराशना) का शाब्दिक अर्थ क्या है?	

83	प्रश्ना 76	मूँछें बढ़ाना किसकी निशानी है?	
84	प्रश्ना 77	मूँछें काटनी चाहिए या मूँडनी चाहिए?	
85	प्रश्ना 78	"ए'फ़ा अल-लिह्या" (दाढ़ी बढ़ाना) का अर्थ क्या है?	
86	प्रश्ना 79	दाढ़ी का क्या हुकम है?	
87	प्रश्ना 80	दाढ़ी की लंबाई और उसे काटने पर विद्वानों के विचार बताएं?	
88	प्रश्ना 81	दाढ़ी रखने का शरीयत का हुकम क्या है?	
89	प्रश्ना 82	नबी (स.) की दाढ़ी कैसी थी?	
90	प्रश्ना 83	दाढ़ी काटना "शेव" या मूँडने का क्या हुकम है?	
91	प्रश्ना 84	"मिस्वाक" का शाब्दिक और शरीयत का अर्थ क्या है?	
92	प्रश्ना 85	मिस्वाक का क्या हुकम है?	
93	प्रश्ना 86	मिस्वाक का उद्देश्य क्या है?	
94	प्रश्ना 87	मिस्वाक की क्या फ़ज़ीलत है?	
95	प्रश्ना 88	क्या रोज़ेदार मिस्वाक कर सकता है?	
96	प्रश्ना 89	कुछ लोग जिन्हें रोज़ा टूटने का डर है...	
97	प्रश्ना 90	"कुल्ली करना" और "नाक में पानी डालना" का अर्थ क्या है?	
98	प्रश्ना 91	नाक में पानी डालने और कुल्ली करने का क्या हुकम है?	
99	प्रश्ना 92	रोज़ेदार के लिए नाक में पानी चढ़ाने का क्या हुकम है?	
100	प्रश्ना 93	नाखून काटने की समय सीमा क्या है?	
101	प्रश्ना 94	क्या महिलाओं और बच्चों के लिए मेंहदी लगाना जायज़ है?	
102	प्रश्ना 95	क्या पुरुष या महिला दोनों के लिए नाखून बढ़ाना मना है?	
103	प्रश्ना 96	नाखून तराशने का क्या कारण है?	
104	प्रश्ना 97	नाखून किस क्रम में काटने चाहिए?	
105	प्रश्ना 98	नाखूनों को फेंकने या दफनाने का क्या हुकम है?	
106	प्रश्ना 99	रात के समय नाखून काटने का क्या हुकम है?	
107	प्रश्ना 100	बगल के बाल उखाड़ना बेहतर है या मूँडना?	
108	प्रश्ना 101	बगल के बाल साफ करने का क्या तरीका है?	

109	प्रश्ना 102	ज़ेर-ए-नाफ़ (गुप्तांग) के बालों को साफ करने का क्या तरीका है?	
110	प्रश्ना 103	क्या ज़ेर-ए-नाफ़ और बगल के बाल निकालने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग जायज़ है?	
111	प्रश्ना 104	ज़ेर-ए-नाफ़ बाल काटने की समय सीमा कितनी है?	
112	प्रश्ना 105	क्या पति-पत्नी का एक-दूसरे के ज़ेर-ए-नाफ़ बाल काटना जायज़ है?	
113	प्रश्ना 106	क्या बगल और ज़ेर-ए-नाफ़ बाल न काटने पर नमाज़ की वैधता पर असर होगा?	
114	प्रश्ना 107	पानी से इस्तंजा करने की फ़ज़ीलत और उसकी अहमियत बताएं?	
115	प्रश्ना 108	क्या आब-ए-जमज़म से इस्तंजा कर सकते हैं?	
116			
117	109	(मसला): नजासत (गंदगी) को दूर करना वाजिब है।	
118	110	(मसला): अक्सर कब्र का अज़ाब पेशाब के छींटों से न बचने के कारण होता है।	
119	111	(मसला): क्या हर प्रकार की नजासत का हुकम एक समान है?	
120	112	(मसला): शक की आदत डालना सही नहीं है, बल्कि यक्रीन (अस्त सहाब) पर अमल करें।	
121	113	(मसला): कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि सूरज या हवा से जगह सूख जाए...	
122	114	(मसला): पेशाब लगे हुए किसी बड़े बिछौने (गद्दे) को धोने का तरीका:	
123	115	(मसला): वाशिंग मशीन (गुसाला) में कपड़े धोने का हुकम।	
124	116	(मसला): यदि साबुन, शैम्पू और क्रीम आदि नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं।	
125	117	(मसला): नमाज़ के बाद पता चला कि शरीर या कपड़े के किसी हिस्से पर नजासत थी।	
126	118	(मसला): टिशू पेपर (मंदील) से इस्तंजा करना जायज़ है।	

127	119	(मसला): विद्वानों के अनुसार, सुई की नोक के बराबर नजासत का हुक्म।	
128	120	(मसला): मनी (वीर्य) के नजिस होने की कोई स्पष्ट दलील नहीं है।	
129	121	(मसला): यदि बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब किया और वह सूख गया।	
130	122	(मसला): इमाम इब्न तैमिया का नजासत वाली चीजों के निकलने पर रुखा।	
131	123	(मसला): इमाम इब्न तैमिया ने इमाम अबू हनीफ़ा के किस विचार को प्राथमिकता दी।	
132	124	(मसला): यदि हमाम (बाथरूम) का कीड़ा कपड़ों या बिस्तर पर दिखे तो क्या हुक्म है?	
133	125	(मसला): बुजुर्ग, बीमार या विकलांग व्यक्ति जिन्हें शौच में सहायता की आवश्यकता हो।	
134	126	(मसला): विद्वानों द्वारा किए गए इस अंतर (फ़र्क) के बारे में।	
135	127	(मसला): हाथों या मशीन से पाक और नापाक कपड़ों को एक साथ मिलाना।	
136	128	(मसला): हराम और नजिस चीजों से इलाज करना जायज़ नहीं है।	
137	129	(मसला): ऐसी नजासत का हुक्म जिससे इंसान सीधे तौर पर प्रदूषित (गंदा) न हो।	
138	130	(मसला): नींद से जागने के बाद अपना हाथ सीधे पानी में न डालें।	
139	131	(मसला): कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगी हो (उसकी सफाई)।	
140	132	(मसला): यदि नमाज़ के बाद शरीर, कपड़े या जगह पर अज्ञानता या भूलवश नजासत का पता चले।	
141			
142	133	(मसला): जम्हूर (बहुमत) के अनुसार, बहता हुआ खून (दम-ए-मस्फूह) नजिस और नापाक है।	
143	134	(मसला): खून की मामूली मात्रा वाला खून का हुक्म (माफी योग्य)।	

144	135	(मसला): इमाम इब्न अब्दुल बर ने इस मसले पर इजमा (सहमति) दर्ज की है।
145	136	(मसला): मवाद (पीप) में पाया जाने वाला खून भी उसी मामूली खून की श्रेणी में है।
146	137	(मसला): नोट: ज़बह करते समय कसाई को लगने वाला खून माफी योग्य है।
147	138	(मसला): नोट: रिसने वाला खून (दम-ए-सयाल) माफी योग्य है।
148	139	(मसला): खून के नजिस न होने की दलील पेश करते हुए।
149	140	(मसला): नोट: इब्न तैमिया ने 'अल-इख़्तियारात अल-फ़िक्हिया' में कहा कि प्राथमिकता यह है।
150	141	(मसला): नोट: मामूली खून (दम-ए-यसीर) का प्रयोग सामान्य मध्यम मात्रा के खून पर होगा।
151	142	(मसला): रक्त दान (ब्लड डोनेशन) करना जायज़ है लेकिन...
152	143	(मसला): इंजेक्शन से खून निकलने पर वज़ू नहीं टूटता क्योंकि वह माफी योग्य है।
153	144	(मसला): मृत जानवर की खाल नापाक है जब तक कि उसे पकाया (दबागत) न जाए।
154	145	(मसला): जीवित जानवर से काटा गया मांस, मुरदार के हुकम में है।
155	146	(मसला): गैर-हलाल जानवर का मांस नजिस (अपवित्र) है।
156	147	(मसला): संदिग्ध (मुशतबह) मामलों का ज्ञान होना ज़रूरी है।
157	148	(मसला): बिल्ली का जूठा पाक है।
158	149	(मसला): खाने योग्य और न खाने योग्य जानवरों के बाल पवित्र (ताहिर) हैं।
159	150	(मसला): गैर-मुस्लिम देशों में बाल, ऊन और पंखों से बनी वस्तुएं (बिस्तर, टोपी, कपड़े)।
160	151	(मसला): खाल, चमड़े और बालों से बनी वस्तुएं।
161	152	(मसला): जीवित हलाल जानवर के बाल या ऊन से अलग किए गए हिस्से।

162	153	(मसला): जीवित अवस्था में पवित्र जानवर के मृत होने पर उसके बालों का हुक्म।	
163	154	(मसला): "इन्फहा" (पनीर का जामन) का क्या हुक्म है? यह एक पीला-सफेद पदार्थ है।	
164	155	(मसला): मक्खी, टिड्डी और बिच्छू जैसे जीव जिनमें बहता खून नहीं होता।	
165	156	(मसला): हिरण की कस्तूरी (मुश्क) पाक है।	
166	157	(मसला): चीन और भारत जैसे देशों में बने जूते और अन्य वस्तुएं।	
167	158	(मसला): हलाल, गैर-हलाल और जंगली जानवरों की खालें।	
168	159	(मसला): हड्डियों से बने पदक (मेडल) और कंधियाँ आदि।	
169	160	(मसला): मृत मनुष्य (मोमिन) अपवित्र नहीं है।	
170	161	(मसला): शराब भौतिक रूप से पवित्र (ताहिर) है (पीना हराम है)।	
171	162	(मसला): गंदगी (नजासत) से पवित्रता कैसे प्राप्त करें?	
172	163	(मसला): यदि कुएं में कोई जानवर गिरकर मर जाए।	
173	164	(मसला): नबी (स.) ने रुके हुए पानी में शौच करने से मना फरमाया है।	
174	165	(मसला): कीचड़ अपने आप में नापाक नहीं है जब तक कि...	
175	166	(मसला): मजबूरी में केवल तीन पत्थरों से शौच साफ करने का हुक्म।	
176	167	(मसला): वाशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई का हुक्म।	
177			
178	168	महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सोने और चांदी के बर्तन वर्जित हैं।	
179	169	महिलाओं के लिए सोने और चांदी के आभूषण पहनना हलाल है।	

180	170	पुरुषों के लिए सोने और चांदी की घड़ी पहनना जायज़ नहीं है।	
181	171	पुरुषों के लिए सोने और चांदी के चश्मे और कलम आदि जायज़ नहीं हैं।	
182	172	मजबूरी की स्थिति में जब कोई वैकल्पिक समाधान उपलब्ध न हो (तो छूट है)।	
183	173	इब्न तैमिया (रह.) का रुख: आपातकालीन स्थिति के अलावा इनका उपयोग न करें।	
184	174	पीतल और तांबे का उपयोग करना जायज़ है।	
185	175	फिज़ूलखर्ची, घमंड और अहंकार जैसे बड़े गुनाहों से बचना चाहिए।	
186			
187	176	यदि पानी की मात्रा दो कुल्लाह से अधिक हो या बहती हुई नहर हो (तो वह नापाक नहीं होता)।	
188	177	पानी की मात्रा और लीटर का हिसाब।	
189	178	यदि पानी में लोहे के टुकड़े, पत्ते, सब्जियाँ या केसर गिर जाएं।	
190	179	यदि पानी में मिट्टी गिर जाए, तो वह अशुद्ध करने वाला नहीं होता।	
191	180	इस्तेमाल किया हुआ पानी (वज़ू/गुस्ल के बाद) पाक करने वाला है।	
192	181	नोट: हर चीज़ का बुनियादी नियम उसका पाक (शुद्ध) होना है।	
193	182	यदि किसी चीज़ के नापाक होने का संदेह हो, तो निर्णय निश्चितता के आधार पर होगा।	
194	183	गंदगी को दूर करने का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण साधन पानी ही है।	
195	184	भाप (steam) के माध्यम से भी गंदगी से सफाई प्राप्त होती है।	
196	185	जल शोधन की आधुनिक तकनीक का उपयोग करना सही है।	
197	186	पानी की गंदगी को दूर करने या उसकी अशुद्धि की मात्रा का हिसाब।	

198	187	यदि कपड़ों पर गंदगी लग जाए और यह पता न हो कि कहाँ और कितनी लगी है।	
199	188	पानी के मामले में केवल संदेह के आधार पर सावधानी बरतना।	
200	189	कुत्ते की लार के अलावा अन्य जानवरों की लार की अशुद्धि के नियम।	
201	190	किसी चीज़ को पाक बताने वाले से प्रमाण (दलील) नहीं माँगा जाएगा।	
202	191	सभी वस्तुएं पाक हैं जब तक कि उनके नापाक होने का प्रमाण न मिल जाए।	
203	192	मूल स्वच्छता का नियम कहता है कि हर चीज़ शुद्ध और पाक है।	
204	193	यदि नापाक और गंदा पानी अपने आप पाक हो जाए।	
205	194	'सूर' (जूठा) का अर्थ केवल पीने के बाद बचे पानी तक सीमित नहीं है।	
206	195	इंसान का जूठा पानी, चाहे वह मुसलमान हो या नहीं, वह पाक है।	
207	196	हलाल जानवरों (जिनका मांस खाया जा सकता है) का जूठा पानी पाक है।	
208	197	खच्चर और गधे का जूठा पानी, यदि अन्य पानी उपलब्ध न हो (तो उपयोग कर सकते हैं)।	
209			
210	198	शौचालय जाते समय की दुआओं में 'बिस्मिल्लाह' जोड़ा जा सकता है।	
211	199	शौचालय से बाहर निकलकर 'गुफ़रानका' पढ़ना।	
212	200	अल्लाह के ज़िक्र वाली कोई भी चीज़ शौचालय में न ले जाएं।	
213	201	शौच के दौरान सलाम का जवाब न दें।	
214	202	शौच या सफाई के समय लोगों की नज़रों से दूर या ओझल हो जाएं।	
215	203	ज़मीन के करीब पहुँचने तक कपड़े ऊपर न उठाएं।	
216	204	खुले मैदान में क़िबला की ओर मुँह या पीठ न करें।	
217	205	पेशाब के छींटों से बचना अनिवार्य है।	

218	206	आम रास्तों और छायादार जगहों पर शौच न करें।	
219	207	ठहरे हुए पानी में शौच न करें।	
220	208	स्नानघर (हमाम) में पेशाब न करें।	
221	209	मजबूरी की स्थिति में खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है।	
222			
223	210	पानी, पत्थर या ठोस चीज (हड्डी/गोबर के अलावा) से सफाई करना।	
224	211	पाखाने की सफाई 'इस्तिजमार' (पत्थर या मिट्टी के ढेले) से करना।	
225	212	पत्थर या ढेले से सफाई करें तो विषम संख्या (जैसे 3, 5) में करें।	
226	213	गोबर, हड्डी और भोजन का उपयोग सफाई के लिए न करें।	
227	214	शौच के बाद सफाई के लिए दाहिने हाथ का उपयोग न करें।	
228	215	शौच के बाद अशुद्धि से सफाई प्राप्त करने के बाद (हाथ धोना)।	
229	216	शौचालय में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर रखें।	
230	217	हवा निकलने से 'इस्तिन्जा' अनिवार्य नहीं होता, केवल वजू टूटता है।	
231	218	छेदों, दरारों और बिलों में पेशाब करने से मना किया गया है।	
232	219	सूरज या चाँद की ओर मुँह या पीठ करने के बारे में निर्देश।	
233	220	शौचालय (बेतुल-खला) के मसले: कमज़ोर (ज़ईफ़) रिवायत पर आधारित यह मसला बताया जाता है कि...	
234	221	इमाम सनआनी (रह.) और "तुहफ़त अल-अहवज़ी" के लेखक का कहना है	
235	222	शौचालय के समय दाहिने हाथ से निजी अंग को छूना	
236	223	शौचालय में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर अंदर रखें।	

237	224	शौच से निवृत्त होने के बाद सफाई के लिए तीन पत्थर...	
238	224	इस्तिजमार और इस्तिनजा, यानी पेशाब और शौच की सफाई के लिए खाद्य पदार्थों का उपयोग (निषेध)।	
239	225	मिसवाक के लिए पीलू के पेड़ की लकड़ी का उपयोग सुन्नत है।	
240	226	टूथपेस्ट, मंजन और पीलू की लकड़ी के नियम।	
241	227	अल्कोहल (नशा) से संबंधित आदेश।	
242	228	किस चीज से मिसवाक करना सबसे उत्तम है?	
243	229	अल-राफ़ई के अनुसार 'मिसवाक' शब्द 'सवक' से बना है।	
244			
245	230	लंबे बूट वाले जूतों का नियम भी मोज़ों (खफ) की तरह है।	
246	231	कपड़े के मोज़ों पर भी 'मसह' करना जायज़ है।	
247	232	मुकीम (निवासी) और मुसाफिर के लिए मसह की समय सीमा का प्रारंभ।	
248	127		
249	233	पगड़ी (इमामा) और रूमाल (गुतरा) पर मसह करना जायज़ नहीं है।	
250	234	ज़ख्म पर बँधी पट्टी और प्लास्टर पर मसह करना जायज़ है।	
251	235	वज़ू के अंगों पर प्लास्टर होने की स्थिति में क्या करें?	
252	236	यदि वज़ू के दौरान हाथ या कोई अंग टूट जाए।	
253	237	कृत्रिम (नक़ली) पैर या हाथ पर वज़ू या गुस्ल की आवश्यकता नहीं है।	
254	238	सुंदरता के उद्देश्य से नाक छिदवाना और बाली पहनना।	
255	239	खाने में गिरने वाले कीड़े-मकोड़ों के बारे में हुक्म।	
		दूसरी जिल्द (Volume) का संक्षिप्त संस्करण (Part-3)	
256		किताब-उत-तहारत - जिल्द 3 (संक्षिप्त संस्करण, प्रश्न और उत्तर के रूप में)	

257	प्रश्न 240	'हदस' (Hadath) का शाब्दिक अर्थ और पारिभाषिक अर्थ स्पष्ट करें	
258	प्रश्न 241	'हदस-ए-अकबर' (बड़ी अशुद्धता) क्या है?	
259	प्रश्न 242	'रफ़-उल-हदस' (अशुद्धता दूर करने) का तरीका क्या है?	
260	प्रश्न 243	'हदस' के कारण (अशुद्ध होने के कारण) क्या हैं?	
261		हदस-ए-अकबर (बड़ी अशुद्धता) के कारण: जनाबत, मासिक धर्म (हैज़) और प्रसव के बाद का रक्तस्राव (निफ़ास) आदि।	
262	प्रश्न 244	वज़ू के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें?	
263	प्रश्न 245	(अख़ता-उल-वज़ू) वज़ू में होने वाली सामान्य गलतियाँ क्या हैं?	
264	प्रश्न 246	वज़ू का शाब्दिक और पारिभाषिक अर्थ स्पष्ट करें?	
265	प्रश्न 247	वज़ू अनिवार्य होने की शर्तें क्या हैं?	
266	प्रश्न 248	वज़ू के सही होने (वैधता) की शर्तें क्या हैं?	
267	प्रश्न 249	वज़ू के फ़र्ज़ (अनिवार्य कार्य) क्या हैं?	
268	प्रश्न 250	वज़ू की सुन्नतें (पैगंबर की परंपराएं) क्या हैं?	
269	प्रश्न 251	वज़ू की मुबाहात (अनुमत कार्य) क्या हैं?	
270	प्रश्न 252	वज़ू के गैर-शरिया (अनुचित) कार्यों का उल्लेख करें?	
271	प्रश्न 253	वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों (नवाकिज़) का उल्लेख करें?	
272	प्रश्न 254	उन चीज़ों का उल्लेख करें जो वज़ू नहीं तोड़तीं?	
273	प्रश्न 255	किन कार्यों के लिए वज़ू करना अनिवार्य है?	
274	प्रश्न 256	वज़ू कब निर्धारित (लागू) किया गया है?	
275	प्रश्न 257	वज़ू का संक्षिप्त तरीका क्या है?	
276	प्रश्न 258	वज़ू किस क्रम (तरतीब) से करना चाहिए?	
277	प्रश्न 259	सिर का मसह (गीले हाथों से पोंछना) कैसे करना चाहिए?	
278	प्रश्न 260	कानों का मसह कैसे करें?	
279	प्रश्न 261	कानों का मसह करने का सही तरीका क्या है?	
280	प्रश्न 262	गीले हाथों से सिर और कानों का मसह करें या नए पानी से?	
281	प्रश्न 263	क्या गर्दन का मसह करना (इस्लाम में) प्रमाणित है?	

282	प्रश्न 264	क्या पगड़ी (इमामा) और मोज़ों पर मसह करने की अनुमति है?	
283	प्रश्न 265	क्या पगड़ी पर मसह के लिए उसे मोज़ों की तरह शुद्धता की स्थिति में पहनना ज़रूरी है?	
284	प्रश्न 266	मोज़ों पर मसह कैसे किया जाता है?	
285	प्रश्न 267	क्या जूतों पर मसह किया जा सकता है?	
286	प्रश्न 268	वज़ू से फारिग (पूरा) होने के बाद की दुआ क्या है?	
287	प्रश्न 269	वज़ू के बाद गुप्त अंग के स्थान पर पानी छिड़कने का क्या हुक्म है?	
288	प्रश्न 270	क्या खड़े होकर वज़ू का बचा हुआ पानी पीना प्रमाणित है?	
289	प्रश्न 271	क्या वज़ू के बाद आसमान की ओर देखना या शहादत की उंगली उठाकर दुआ करना सही है?	
290	प्रश्न 272	क्या वज़ू के बाद तौलिया, रुमाल या कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए?	
291	प्रश्न 273	क्या हर नमाज़ के लिए नया वज़ू करना चाहिए?	
292	प्रश्न 274	क्या स्वच्छ और शुद्ध पानी वज़ू की एक शर्त है या नहीं?	
293	प्रश्न 275	क्या नबीज़ (खज़ूर का पानी) से वज़ू करने में कोई हर्ज है?	
खंड 4			
294		किताब-उत-तहारत (संक्षिप्त संस्करण, प्रश्न-उत्तर के रूप में)	
295	प्रश्न 276	वज़ू को तोड़ने वाली और उसे खराब करने वाली चीज़ें क्या हैं?	
296	प्रश्न 277	क्या 'सबीलैन' के अलावा किसी और जगह से पेशाब या पाखाना निकलने से वज़ू...	
297	प्रश्न 278	क्या महिला द्वारा अपने निजी अंगों को छूने से वज़ू टूट जाता है?	
298	प्रश्न 279	क्या किसी पराये पुरुष या महिला (बड़े या छोटे) के निजी अंगों को छूने से...	
299	प्रश्न 280	क्या 'दुबुर' यानी पाखाने वाली जगह को छूने से वज़ू टूट जाता है?	

300	प्रश्न 281	क्या दोनों अंडकोष, नितंबों और जांघों के दोनों किनारों को...	
301	प्रश्न 282	क्या चौपाये (जानवर) के निजी अंगों को छूने से वजू टूट जाता है?	
302	प्रश्न 283	क्या धर्म त्यागने (मुरतद होने) से वजू टूट जाता है?	
303	प्रश्न 284	नवाक्रिज़-ए-वजू (वजू तोड़ने वाली चीज़ों) का संक्षिप्त विवरण पेश करें।	
304	प्रश्न 285	'मजी' और 'वदी' किसे कहते हैं?	
305	प्रश्न 286	क्या पेशाब की बूंदें निकलने से वजू टूट जाता है?	
306	प्रश्न 287	पेशाब की बूंदों से कैसे बचें?	
307	प्रश्न 288	हवा (गैस) खारिज होने की बीमारी और उसका नियम (हुक़म) बताएं।	
308	प्रश्न 289	बदबूदार हवा खारिज होने की बीमारी और उसका क्या नियम है?	
309	प्रश्न 290	क्या सोने (नींद) से वजू टूट जाता है?	
310	प्रश्न 291	नमाज़ के दौरान सोने वाले का वजू टूटता है या नहीं?	
311	प्रश्न 292	क्या 'गोठ' (एक विशेष मुद्रा में बैठना) मारकर सोने से वजू टूटता है?	
312	प्रश्न 293	क्या निजी अंगों पर हाथ लग जाने से वजू टूट जाता है?	
313	प्रश्न 294	क्या पुरुष और महिला दोनों इस हुक़म (नियम) में बराबर हैं?	
314	प्रश्न 295	क्या निजी अंगों को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता?	
315	प्रश्न 296	छोटे बच्चे और बच्चियों के निजी अंगों को छूने का क्या हुक़म है?	
316	प्रश्न 297	बच्चों को कपड़े पहनाते समय अगर उनके निजी अंगों को हाथ लग जाए तो...	
317	प्रश्न 298	क्या ऊंट का मांस खाने से वजू टूट जाता है?	
318	प्रश्न 299	किन चीज़ों से वजू नहीं टूटता?	
319	प्रश्न 301	क्या खून निकलने से वजू टूट जाता है?	
320	प्रश्न 302	पूरी चर्चा का संक्षिप्त सारांश (खुलासा-ए-कलाम) क्या है?	

321	प्रश्न 303	क्या 'कै' (उल्टी) और 'नकसीर' (नाक से खून बहना) से वजू टूट जाता है?	
322	प्रश्न 304	क्या 'कै' करने से वजू टूट जाता है?	
323	प्रश्न 305	क्या महिला (पत्नी) को छूने या चूमने (बोसा लेने) से वजू टूटता है?	
324	प्रश्न 306	क्या जनाजे को कंधा देने से वजू टूट जाता है?	
325	प्रश्न 307	क्या खिलखिलाकर हंसने (कहकहा लगाने) से वजू टूट जाता है?	
326	प्रश्न 308	किन कामों के लिए वजू करना वाजिब (ज़रूरी) है?	
327	प्रश्न 309	वजू के लिए शरीयत में पसंदीदा (मुस्तहब) स्थान कौन से हैं?	
328	प्रश्न 310	हर नमाज़ के लिए नया वजू करना वाजिब है या मुस्तहब?	
329	प्रश्न 311	क्या दोबारा संभोग (जिमा) करने के लिए वजू करना मुस्तहब है?	
330	प्रश्न 312	क्या संभोग के बाद सोने से पहले वजू करना मुस्तहब है?	
331	प्रश्न 313	क्या 'जनाबत' (अशुद्धि) की स्थिति में खाने-पीने से पहले वजू करना मुस्तहब है?	
332	प्रश्न 314	क्या गुस्ल (स्नान) से पहले वजू करना मुस्तहब है?	
333	प्रश्न 315	क्या सोने से पहले वजू करना मुस्तहब है?	
334	प्रश्न 316	क्या सोने के लिए वजू के बजाय सिर्फ हाथ-मुँह धोना काफी है?	
335	प्रश्न 317	कुरान की तिलावत के लिए वजू कब मुस्तहब है और कब वाजिब?	
336	मासिक धर्म (हयज़) से संबंधित अहकाम (अल-दुरर अल-सन्नियाह से)		
337	प्रश्न 318	क्या हयज़ वाली महिला के लिए कुरान की तिलावत करना जायज़ है?	

338	प्रश्न 319	हयज़ वाली महिला का कुरान पढ़ने का क्या हुक्म है? (समकालीन वेबसाइटों के अनुसार)	
339	प्रश्न 320	क्या हयज़ वाली महिला मुसहफ (कुरान) को छू सकती है?	
340	प्रश्न 321	क्या बिना वजू के कुरान मजीद की तिलावत करना जायज़ है?	
341	प्रश्न 322	बिना वजू के कुरान की तिलावत, ज़िक्र और सलाम करने का हुक्म क्या है?	
342	प्रश्न 323	क्या बिना वजू मुसहफ को छुए बिना उसकी तिलावत करना जायज़ है?	
343	प्रश्न 324	हिफ़ज़ करने वाले बच्चों का बिना वजू कुरान को हाथ लगाने का क्या हुक्म है?	
344	प्रश्न 325	क्या वजू होने के बावजूद (पवित्रता पर पवित्रता के लिए) दोबारा वजू करना मुस्तहब है?	
345	प्रश्न 326	क्या काबा के तवाफ़ के लिए वजू करना शर्त है?	
346	प्रश्न 327	'हदस-ए-अस्मार' (छोटी अशुद्धि) से संबंधित पवित्रता के कुछ मुद्दे।	
347	प्रश्न 328	किस चीज़ के ज़रिए मिसवाक करना सबसे अफ़ज़ल (बेहतर) है?	
348	प्रश्न 329	मिसवाक से संबंधित कुछ मुख्य बातें बयान करें।	
349	प्रश्न 330	मसह (गीले हाथ फेरना) के कुछ नियमों और मुद्दों का ज़िक्र करें।	
350	प्रश्न 331	अगर वजू वाले अंगों पर प्लास्टर लगा हो तो क्या करें?	
351	प्रश्न 332	कृत्रिम अंगों (Artificial limbs) पर वजू करने का क्या हुक्म है?	
352	प्रश्न 333	नाक या कान में सुंदरता के लिए छेद करवाने का हुक्म क्या है?	
353	प्रश्न 334	वजू के फ़राज़ (अनिवार्य कार्यों) से संबंधित कुछ मुद्दों का ज़िक्र करें।	
(PART-5) पाँचवीं जिल्द (खंड) का संक्षिप्त संस्करण			

संक्षिप्त किताब-उत-तहारत - जिल्द पाँच (5) (प्रश्न-उत्तर के रूप में)
नोट: विस्तार के लिए पाँच खंडों पर आधारित विस्तृत संस्करण (मुफ़्स्सल नुस्खा) देखें।

354		
355		परिचय (तारुफ़)
356		इस संक्षिप्त पुस्तक का उद्देश्य और महत्व
357		"हद्से अकबर" (बड़ी नापाकी) के शरी'ई अहकाम (नियम)
358		जनाबत और जुनबी (अपवित्रता की स्थिति), हैज़ (मासिक धर्म), इस्तिहाज़ा (अनियमित रक्तस्राव), निफ़ास (प्रसव के बाद का रक्तस्राव), गुस्ल (स्नान) से संबंधित नियम और मसले
		जनाबत के मसाइल
359	प्रश्ना 335	क्या गुसल-ए-जनाबत के लिए इंजाल (वीर्यपात) शर्त है?
360	प्रश्ना 336	क्या औरत को भी एहतिलाम (स्वप्नदोष) होता है?
361	प्रश्ना 337	एहतिलाम का निशान न हो तो गुसल का क्या हुक्म है?
362	प्रश्ना 338	औरत को गुसल में चोटियों (बालों की लटों) से मुताल्लिक क्या सहूलियत दी गई है?
363	प्रश्ना 339	क्या शरीयत में जुनबी (नापाक व्यक्ति) के साथ मिलना-जुलना, उठना-बैठना...
364	प्रश्ना 340	जनाबत की हालत में ममनू (वर्जित) काम क्या हैं?
365	प्रश्ना 341	क्या हाइज़ा और जुनबी का मस्जिद में कयाम करना (ठहरना) दुरुस्त है?
366	प्रश्ना 342	क्या जुनबी और हाइज़ा को कुरआन मजीद की तिलावत की इजाज़त है?
367	प्रश्ना 343	हाइज़ा का कुरआन मजीद की तिलावत करने का क्या हुक्म है?
368	प्रश्ना 344	हाइज़ा का मुसहफ़-ए-कुरआनी (कुरआन की किताब) को छूने का क्या हुक्म है?
369	प्रश्ना 345	हाइज़ा का अल्लाह तआला का जिक्र करने का क्या हुक्म है?

370	प्रश्ना 346	हाइजा का कुरआन की तिलावत करने का हुक्म?	
371	प्रश्ना 347	जिस मोबाइल फोन में कुरआन मजीद हो उसको बगैर वजू हाथ लगाना...	
372	प्रश्ना 348	जुनबी के लिए हालत-ए-जनाबत में और हाइजा के लिए हालत-ए-हैज में कुरआन मजीद...	
गुसल के अहकाम			
373	प्रश्ना 349	गुसल फ़र्ज होने की शर्तें क्या हैं?	
374	प्रश्ना 350	किन मौकों पर गुसल करना मुस्तहब (पसंदीदा) है?	
375	प्रश्ना 351	जुमा का गुसल और जनाबत का गुसल, क्या दोनों के लिए एक ही गुसल काफी है?	
376	प्रश्ना 352	गुसल की अहमियत और फ़ज़ीलत बयान कीजिए?	
377	प्रश्ना 353	क्या पाकी-सफाई इख्तियार न करने वालों के लिए अज़ाब की वईद (चेतावनी) आई है?	
378	प्रश्ना 354	गुसल की किस्में बयान कीजिए? (फ़रायज़ और सुन्न के एतबार से)	
379	प्रश्ना 355	गुसल से पहले वजू का क्या हुक्म है?	
380	प्रश्ना 356	क्या गुसल वजू के लिए काफी हो जाता है?	
381	प्रश्ना 357	क्या गुसल-ए-जनाबत, हैज-ओ-निफ़ास या गुसल-ए-ग़ैर जनाबत...	
382	प्रश्ना 358	गुसल के फ़रायज़ और अरकान (वाजिबात) बयान करें?	
383	प्रश्ना 359	गुसल-ए-कामिल के मसनून (सुन्नत) आमाल क्या हैं?	
384	प्रश्ना 360	गुसल के मकरूहात (नापसंद काम) क्या हैं?	
385	प्रश्ना 361	(आम) गुसल का मसनून तरीका तस्वीर के साथ बयान कीजिए?	
386	प्रश्ना 362	गुसल-ए-जनाबत / गुसल-ए-हैज-ओ-निफ़ास का मसनून तरीका बयान कीजिए	
387	प्रश्ना 363	गुसल-ए-जनाबत का मसनून तरीका ज़िक्र करें?	
हैज, इस्तिहाज़ा और निफ़ास के 66 मसाइल			
388	प्रश्ना 364	औरतों में हैज कैसे शुरू हुआ?	
389	प्रश्ना 365	हैज का सबब (कारण) और इसकी वजह क्या है?	
390	प्रश्ना 366	हैज के खून का रंग कैसा होता है?	
391	प्रश्ना 367	हैज और इस्तिहाज़ा में क्या फर्क है?	

392	प्रश्ना 368	मुद्दत-ए-हैज़ (अवधि) कितनी है?	
393	प्रश्ना 369	हैज़ की शुरुआत की कौन सी उम्र होती है?	
394	प्रश्ना 370	हैज़ खत्म होने की उम्र क्या है?	
395	प्रश्ना 371	तुह (पवित्रता) की मुद्दत कितनी होती है?	
396	प्रश्ना 372	हमल (गर्भावस्था) की हालत में जो खून आता है उसका क्या हुक्म है?	
397	प्रश्ना 373	तुह की पहचान (हैज़ खत्म होने की निशानी) क्या है?	
398	प्रश्ना 374	हैज़ में दिनों का एतबार होगा या खून का?	
399	प्रश्ना 375	अगर खातून (महिला) ने पीला रंग या मटमैला रंग या पीले और काले के बीच...	
400	प्रश्ना 376	हैज़ आने की उम्र न हो फिर हैज़ आना शुरू हो तो क्या हुक्म है?	
401	प्रश्ना 377	अगर सिर्फ खून का कतरा नज़र आए लेकिन तसल्लसुल (निरंतरता) के साथ न आए।	
402	प्रश्ना 378	हैज़ के खून की खासियत और सिफ़त और नमाज़ व रोज़ा का हुक्म?	
403	प्रश्ना 379	क्या हाइज़ा औरत पर नमाज़ और रोज़े की कज़ा फ़र्ज़ है?	
404	प्रश्ना 380	हैज़ में नमाज़ न पढ़ने के हुक्म का सबब (कारण) क्या है?	
405	प्रश्ना 381	हाइज़ा के लिए क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है?	
406	प्रश्ना 382	क्या हाइज़ा के लिए रोज़ा रखना जायज़ है?	
407	प्रश्ना 383	क्या हाइज़ा के साथ जिमा (संभोग) करना जायज़ है?	
408	प्रश्ना 384	क्या हाइज़ा खातून बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकती है?	
409	प्रश्ना 385	क्या हाइज़ा खातून मस्जिद में बैठ सकती है?	
410	प्रश्ना 386	हाइज़ा खातून को हालत-ए-हैज़ में तलाक़ दी जा सकती है या नहीं?	
411	प्रश्ना 387	हैज़ रोकने वाली दवाओं का क्या हुक्म है?	
412	प्रश्ना 388	हैज़ को दवाओं से जारी करने का क्या हुक्म है?	
413	प्रश्ना 389	मगरिब से पहले-पहले हैज़ हो जाए तो रोज़े का हुक्म?	

414	प्रश्ना 390	रमजान के महीने में फ़ज़्र से पहले पाक होने वाली खातून के रोज़े का हुक्म?	
415	प्रश्ना 391	हैज़-ओ-निफ़ास से पाक होने पर दो नमाज़ें जमा करने का हुक्म?	
416	प्रश्ना 392	नमाज़ का वक्त शुरू होने के बाद किसी औरत का हाइज़ा हो जाना...	
417	प्रश्ना 393	नमाज़ का वक्त खत्म होने से कुछ मिनट पहले अगर कोई औरत हाइज़ा हो जाए...	
418	प्रश्ना 394	रमजान में तुलू-ए-फ़ज़्र के बाद पाक होने वाली औरत के रोज़े का हुक्म?	
419	प्रश्ना 395	किसी खातून को रमजान के दिनों में दिन के इब्तिदाई (शुरुआती) हिस्से में...	
420	प्रश्ना 396	हाइज़ा के लिए कुरआन मजीद की तिलावत का हुक्म?	
421	प्रश्ना 397	क्या जुनबी और हाइज़ा कुरआन की तिलावत कर सकते हैं?	
422	प्रश्ना 398	हैज़-ओ-निफ़ास के मौके पर कुरआन मजीद को पकड़ने और छूने का तरीका...	
423	प्रश्ना 398	हैज़-ओ-निफ़ास के मौके पर कुरआन मजीद को पकड़ने और छूने का तरीका...	
424	प्रश्ना 399	हाइज़ा औरत के लिए मस्जिद में दाखिले का हुक्म?	
425	प्रश्ना 400	शौहर का अपनी हाइज़ा बीवी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने का हुक्म?	
426	प्रश्ना 401	हाइज़ा के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना और दीगर उमूर (अन्य मामलों) का हुक्म?	
427	प्रश्ना 402	हाइज़ा के लिए तवाफ़्र में अहकामात?	
428	प्रश्ना 403	हाइज़ा औरतों का दुआ में शामिल होना?	
429	प्रश्ना 404	क्या तवाफ़्र-ए-इफ़ाज़ा के बाद अगर कोई औरत हाइज़ा हो जाए...	
430	प्रश्ना 405	हाइज़ा को एहराम का गुसल करते वक्त चोटी खोल कर नहाने का हुक्म?	
431	प्रश्ना 406	पाकी के बाद ज़र्दी माइल (पीलापन) और मटमैले रंग के खून का हुक्म?	

432	प्रश्ना 407	हैज-ओ-निफ़ास में इंतकाल करने वाली औरतों की नमाज़-ए-जनाज़ा का तरीका?	
433	इस्तिहाज़ा के अहकाम व मसाइल		
434	प्रश्ना 408	हैज और इस्तिहाज़ा में फर्क बयान करें?	
435	प्रश्ना 409	इस्तिहाज़ा का मानी (अर्थ) बयान करें?	
436	प्रश्ना 410	इस्तिहाज़ा के खून की सिफ़त (विशेषता) बयान करें?	
437	प्रश्ना 411	इस्तिहाज़ा की हालत में इबादात के जवाज़ (अनुमति) बयान करें?	
438	प्रश्ना 412	इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं?	
	निफ़ास के अहकाम व मसाइल		
439	प्रश्ना 413	निफ़ास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत बयान करें?	
440	प्रश्ना 414	(40) दिन के अंदर निफ़ास का खून रुका फिर शुरू हो तो...	
441	प्रश्ना 415	हमल के सुकूत (गर्भपात) के बाद निकलने वाले खून के बारे में बयान करें?	
442			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، تَحْمَدُهُ، وَتُسْتَعِينُهُ، وَتَسْتَعْفِزُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَعْمَالِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَبِيرًا، أَمَا بَعْدُ:

प्रस्तावना

जिल्द छ: (6) की भूमिका

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَفْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَتَقُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَخْسَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَا بَعْدُ:

(अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान, अत्यन्त दयालु है)

सभी प्रशंसाएँ अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से सहायता चाहते हैं, उसी से क्षमा माँगते हैं और अपने नफ्स की बुराइयों तथा अपने कर्मों की बुराइयों से अल्लाह की शरण चाहते हैं। जिसे अल्लाह मार्ग दिखा दे, उसे कोई भटका नहीं सकता, और जिसे वह भटका दे, उसे कोई मार्ग नहीं दिखा सकता।

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और उनके सहाबा पर दया और सलामतियाँ नाज़िल फ़रमाए, क़यामत के दिन तक।

इस्लामी फ़िक्रह के अध्यायों में “किताब-उत्-तहारह (पवित्रता)” को बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि इसके बिना इबादतें सही रूप से अदा नहीं होतीं। इसी वजह से फ़िक्रही किताबों में नमाज़, रोज़ा और दूसरी इबादतों से पहले तहारत के उसूल और उसके फ़ुरू (शाखाएँ) बयान की जाती हैं।

विस्तृत शोध के बाद यह महसूस किया गया कि “मुख्तसर किताब-उत्-तहारह” (एक जिल्द) को सरल, संक्षिप्त और प्रश्न-उत्तर के रूप में तैयार किया जाए, ताकि इसे समझना और पढ़ना आसान हो।

किताब का उद्देश्य

यह किताब क़ुरआन और सुन्नत की रोशनी में फ़िक्रही उसूलों, फ़िक्रही परिभाषाओं और विभिन्न फ़िक्रही मतों के तुलनात्मक अध्ययन के साथ तैयार की गई है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा विस्तार से बचते हुए ज़रूरी मसाइल और अहकाम को सरल अंदाज़ में पेश किया गया है।

सामान्य तौर पर फ़िक्रह की किताबें 5 जिल्दों में होती हैं, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा और आसानी के लिए इस किताब को संक्षेप में पेश किया गया है। मूल सामग्री को बिना छोड़े, उसे सरल भाषा और क्रमबद्ध प्रश्न-उत्तर शैली में रखा गया है।

यह किताब छात्रों, शिक्षकों, मस्जिदों, मदरसों, अदालतों और आम पाठकों के लिए उपयोगी है, ताकि वे तहारत से संबंधित मसाइल को आसानी से समझ सकें।

इस किताब को लिखने का उद्देश्य यह है:

1. तहारत से संबंधित नए और समकालीन मसाइल को आम समझ के अनुसार स्पष्ट करना।

2. फ़िक्रही बहसों, मतभेदों और उनके प्रमाणों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना।
3. तहारत से जुड़े मसाइल को प्रश्न-उत्तर शैली में पेश करना, ताकि समझना आसान हो।
4. यह किताब केवल विद्वानों के लिए ही नहीं, बल्कि आम पाठकों के लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक बने।

तहारत के बुनियादी उसूलों को स्पष्ट करता है और इबादतों की सही अदा के लिए आवश्यक शरई अहकाम को आसान भाषा में बयान करता है।

किताब का उद्देश्य:

- ❖ तहारत के बुनियादी उसूलों और अहकाम को सरल और आम-फ़हम शैली में पेश करना, ताकि आज के दौर की ज़रूरतों के अनुसार आम लोग और अवाम-ए-मुस्लिमीन फ़िक्रही मसाइल को समझ सकें। मुसलमानों की सफ़ाई सिर्फ़ जाहिरी नहीं बल्कि ईमान का अहम हिस्सा है।
- ❖ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शरई मसाइल का हल प्रदान करना, जैसे: पेशाब, पाखाना, गुस्ल, वुजू, हैज़, निफ़ास, इस्तिहाज़ा, नजासत, तयम्मूम, क़ज़ा-ए-हाजत और इससे जुड़े अन्य मसाइल।

इस किताब की कुछ विशेषताएँ

मुअल्लिमीन (शिक्षकों) के लिए मार्गदर्शन:

- ❖ उस्तादों और मुअल्लिमीन के लिए यह एक संक्षिप्त मगर दरसनिज़ामी (पाठ्यक्रम) के अंदाज़ की किताब है, जिससे पढ़ाने में आसानी होती है।
- ❖ हर विषय के अंत में सवाल-जवाब दिए गए हैं।
- ❖ नक्शा-ए-ज़हन (Mind Map) के माध्यम से हैज़, निफ़ास, इस्तिहाज़ा, वुजू और गुस्ल जैसे विषयों को वाज़ेह किया गया है।
- ❖ अमली मुज़ाहरा (Demonstration): वुजू और गुस्ल के सही तरीक़े, मस्जिद, स्कूल या मदरसे में अभ्यास के साथ सिखाने की सुविधा।
- ❖ हर ख़ुत्बे के बाद “तहारत” से संबंधित कोई न कोई विषय चुनकर सिलसिलेवार इस्लाही मजलिसों की जा सकती हैं।
- ❖ मदरसों के निसाब में तहारत के यूनिट को अमली असाइनमेंट के साथ पढ़ाया जाए; वुजू और गुस्ल की वीडियो देखना और सवालात की फेहरिस्त तैयार करना।

खवातीन (महिलाओं) के लिए मार्गदर्शन:

- ❖ घर में, दीनी क्लासों, मदरसों और समाज में महिलाओं के लिए तबीयती/व्यवहारिक हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा से जुड़े अमली मसाइल की शरह।

नई महिलाओं के लिए मार्गदर्शन

❖ पाकीजगी की अहमियत:

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और मदरसों में वुजू के मानक तरीके, नमाज़ के सही उसूल और सफ़र में तहारत (पवित्रता) के मसाइल की समुचित व्यवस्था नहीं है।

निष्कर्ष

तहारत का उद्देश्य केवल साफ़-सफ़ाई नहीं, बल्कि दिल और दिमाग़ की खुशी भी है। यह नमाज़ की क़बूलियत की शर्त है। जब कोई बंदा वुजू करता है तो उसके हर अंग के धुलने से उसके ज़ाहिरी और असली (रूहानी) मैल-कुचैल भी धुल जाती है। नमाज़ के बाद इंसान के चेहरे पर जो सुकून और इत्मीनान नज़र आता है, वह इसी तहारत और इबादत का असर होता है। पाकीजगी की बुनियाद यहीं से शुरू होती है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि ऐ अल्लाह! हमें तमाम हालात में पाकीजगी अता फ़रमा।

हमारे दिलों में ईमान की रौशनी को मज़बूत कर, और हमारे आमाल व अख़लाक़ के ज़रिये हमें दूसरों के लिए नसीहत और हिदायत का ज़रिया बना।

हमें ज़ाहिरी और बातिनी नजासत से महफूज़ रख, और अपनी रहमत से हमारी इबादतों को शर्फ़-ए-क़बूलियत अता फ़रमा। हमें उन लोगों में शामिल न कर जिनके ज़ाहिर और बातिन पाक नहीं होते। आमीन।

वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह

डॉ. हाफ़िज़ अरशद बशीर उमरी मदनी

तारीख: 30 दिसंबर 2025

मुताबिक़: 10 रजब 1449 हिजरी

किताबुत्-तहारा

(सवाल-जवाब की शक़्ल में)

परिचय

यह किताब “किताबुत्-तहारा” एक संक्षिप्त और समग्र संग्रह है, जिसे सवाल-जवाब के आसान और सरल अंदाज़ में क्रमबद्ध किया गया है।

मूल किताब को अध्यायों और विषयों के अनुसार विभाजित किया गया है, और इसमें दलीलों की भरमार के बजाय संक्षेप को अपनाया गया है।

इस किताब में विभिन्न फ़िक्ही मतों के तुलनात्मक अध्ययन के बजाय, इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और हनफ़ी फ़िक्ह की प्रमाणिक पुस्तकों से चयन किया गया है।

किताब को संक्षिप्त रखने के लिए बहसों, तर्कों और विस्तृत प्रमाणों से परहेज़ किया गया है, ताकि फ़िक्ही बातें आम पाठकों के लिए भी आसानी से समझ में आ सकें।

विस्तार और व्याख्या को छोड़ने के कारण, मूल रूप से लगभग 1200 पृष्ठों की सामग्री को संक्षिप्त करके पाँच जिल्लों में समेटा गया है।

किताब की आवश्यकता और महत्व

आज के दौर में पाठकों के लिए विस्तृत किताबों का पूरा अध्ययन करना आसान नहीं है। इसी कारण यह किताब विशेष रूप से आम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

इसे संक्षिप्त, व्यवस्थित और सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है, ताकि थोड़े समय में आवश्यक मसाल समझे जा सकें।

हर जिल्ल में लगभग 25 अध्याय रखे गए हैं, ताकि तलबा (छात्र), आम लोग और नए सीखने वाले सभी इससे लाभ उठा सकें और अध्ययन में आसानी रहे।

जो लोग फ़िक्ह की गहराई में जाना चाहते हैं, वे इस संक्षिप्त किताब को मूल विस्तृत पुस्तकों (पाँच जिल्लों) की ओर मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसी तरह आम पाठक भी इसे पढ़कर अपने रोज़मर्रा के मसाल को आसानी से समझ सकते हैं।

यह संक्षिप्त किताब शुरुआत करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है और आगे चलकर गहराई से अध्ययन करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह इस प्रयास को स्वीकार करे और इसे इल्म नाफ़े (लाभदायक ज्ञान) का जरिया बनाए। आमीन!

भाग – 1
पहली जिल्द का संक्षिप्त संस्करण
مختصر كتاب الطهارة
किताबुत-तहारत (पवित्रता) का संक्षिप्त रूप

किताब-उत-तहारत (पवित्रता की पुस्तक) — भाग 1

(संक्षिप्त संस्करण, सवाल-जवाब के रूप में)

किताब-उत-तहारत "लेखक: अल-शेख डॉक्टर हाफिज अरशद बशीर उमरी मदनी (हफिजहुल्लाह)" में किन विषयों पर चर्चा की गई है?

इस किताब में नमाज़ की 9 शर्तों में से निम्नलिखित दो पर विस्तृत जानकारी दी गई है:

1. इज़ाला-ए-नजासत (गंदगी को दूर करना): जो नमाज़ के लिए एक शर्त है।
2. रफ़-ए-हदस (अशुद्धि को दूर करना/वजूव गुस्त): जो नमाज़ के लिए एक शर्त है।

प्रश्न 1	तहारत का शाब्दिक (Dictionary/Linguistic) अर्थ क्या है?
उत्तर 1	अत्-तहारा" (الطَهَارَةُ) शब्द अरबी व्याकरण के "बाब-ए-तहर-यत्हुरु" (نَصْر) से का स्रोत (Masdar) है। "तुह" (طُهُر) का अर्थ है: मासिक धर्म (Menses/Haiz), प्रसव के बाद का रक्तस्राव (Postnatal bleeding/Nifas) और अन्य अशुद्धियों से पवित्रता प्राप्त करना।

प्रश्न 2	तहारत की ज़िद्द (विपरीत) क्या है?
उत्तर 2	<ol style="list-style-type: none">1. तहारत (पवित्रता) का विलोम नजस और रिजस (अशुद्धता/गंदगी) है।2. नजस [नजासत], जनाबत की स्थिति, हदस [हदस-ए-अकबर और हदस-ए-असगर] का सीधा संबंध शारीरिक गंदगी से है; जबकि रिजस शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और व्यावहारिक, हर प्रकार की गंदगी के लिए बोला जाता है।

प्रश्न 3	तहारत का इस्तिलाही (शरीअत की परिभाषा के अनुसार) अर्थ क्या है?
उत्तर 3	तहारत (शुद्धता) का अर्थ: तहारत का अर्थ है सफाई, सुथरापन, यानी बाहरी और आंतरिक (मन की) गंदगी से पवित्र होना। आमतौर पर 'तहारत' शब्द का प्रयोग नजासत (गंदगी) को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि शरई (इस्लामी कानून की) शब्दावली में तहारत का अर्थ बहुत व्यापक है। यह अर्थपूर्ण, भौतिक, बाहरी और आंतरिक, हर प्रकार की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है।

इमाम नववी (रह.) का कथन:

"وَأَمَّا الطَّهَارَةُ فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَهِيَ رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةُ نَجَسٍ".....

फुक्रहा (इस्लामी न्यायविदों) की शब्दावली में तहारत का अर्थ 'रफ़-ए-हदस' (अशुद्धता को दूर करना, जैसे वजू या गुस्ल) और 'इज़ाला-ए-नजासत' (गंदगी को साफ करना) है।

(अल-मजमू' शरह अल-मुहज़ज़ब लिल-नववी, 1/79, किताबुत-तहारत, बाब: मा यजोज़ु बिहित-तहारतु मिनल मियाहि व मा ला यजोज़ु)

المجموع شرح المذهب للنووي

كتاب الطهارة، باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز
1/79

प्रश्न 4	तहारत (पवित्रता) की कितनी किस्में हैं?
उत्तर 4	उलमा-ए-किराम ने इसे दो हिस्सों में बाँटा है: 1. معنوی (मआनवी) तहारत 2. حسی (हिस्सी) तहारत

प्रश्न 5	मआनवी तहारत क्या है?
उत्तर 6	1. शिर्क से पाक होना। 2. गुनाहों से पाक होना। 3. दिल को बीमारियों और रूहानी रोगों से पाक होना।

प्रश्न 6	मआनवी तहारत हासिल करने के कौन-कौन से तरीके हैं?
उत्तर 6	ईमान, तक्रवा, ज़कात, सदक़ात, ख़ैरात, इस्तिग़फ़ार, तौबा और सुन्नत।

प्रश्न 7	हिस्सी तहारत क्या है?
उत्तर 7	1. हिस्सी तहारत हासिल होती है, हकीकी नजासतों से जिस्म, कपड़े और इबादत की जगह को पाक करने से।

	2. हुक्मी नजासत (यानी बे-वुजू या वुजू के बाद वुजू टूट जाना) के खत्म होने पर शरीअत के बताए हुए तमाम तरीकों से तहारत हासिल होती है, जैसे: जनाबत में गुस्ल करना और हैज के बाद गुस्ल करना, ताकि नमाज़ शुरू करने के लिए तहारत हासिल हो जाए।
--	--

प्रश्न 8	हिस्सी तहारत हासिल करने के तरीके और ज़राए क्या हैं?
उत्तर 8	पाक पानी, और अन्य नजासतों को दूर करने के ज़राए, जैसे: मिट्टी, पत्थर, आदि। बाक़ी की तफ़सील के लिए देखें: (अश-शरह अल-मुम्ते') — इब्न उथैमीन (1/26) (बिदायतुल मुज्ताहिद) — इब्न रश्द (1/7) (अल-फ़िक्हुल इस्लामी व अदिल्लतहु) — अज़-ज़ुहैली (1/238) (الشرح الممتع لابن عثيمين (1/26)، بداية المجتهد لابن رشد (1/7)، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي. (1/238))

प्रश्न 9	तहारत की अहमियत बयान करें?
उत्तर 9	1. “पवित्रता (तहारत) ईमान का आधा हिस्सा है।” الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (सहीह मुस्लिम: 223) 2. “पवित्रता के बिना नमाज़ स्वीकार नहीं होती।” لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ (सहीह मुस्लिम: 224) 3. “तहारत नमाज़ की कुंजी है।” مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ (सुनन इब्न माजा: 275 – शैख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इसे हसन कहा है) 4. “मुझे यह पसंद है कि अल्लाह अज़्ज व जल्ल का ज़िक्र केवल पवित्र अवस्था में ही करूँ।” إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهُورٍ नबी ﷺ ने इशारा फरमाया कि बिना पवित्रता के अल्लाह तआला का ज़िक्र न करो। (सुनन अबू दाऊद: 17 – शैख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इसे सहीह कहा है)

प्रश्न 10	रफ़अ-ए-हदस (अपवित्रता दूर करने) और नजासत का इल्म क्यों ज़रूरी है?
उत्तर 10	<p>इसलिए कियों की :</p> <ul style="list-style-type: none"> • सेहत-ए-तहारत, मिफ़ताह-उल-सलात है: (बिना शरई तहारत/शुद्धता के नमाज़ कुबूल नहीं होती)। • तहारत (पाकी) कब्र के अज़ाब से बचाव का ज़रिया है। • नमाज़ की सेहत (सही होने) के लिए रफ़-ए-हदस (आंतरिक अशुद्धि दूर करना) और इज़ाला-ए-नजासत (बाहरी गंदगी हटाना) ज़रूरी और शर्त है। • बिना तहारत के नमाज़ कुबूल नहीं होती। हर एक मर्द और औरत पर यह जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से 'गुस्ल-ए-शरई' और किन चीज़ों से 'वजू-ए-शरई' वाजिब (अनिवार्य) होता है। • हर मर्द और औरत पर यह जानना ज़रूरी है कि नजिस (अपवित्र) हो जाने के बाद तहारत कैसे हासिल की जाती है और बे-वजू हो जाने पर मुकम्मल पाकी कैसे हासिल की जाती है। • 'हदस' और 'नजासत' की समझ पहले हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर यह इल्म भी ज़रूरी है कि 'हदस' को कैसे खत्म करना है और 'नजासत' का इज़ाला (सफाई) कैसे करना है। • इन अहकामात का बुनियादी इल्म हासिल करना फर्ज-ए-ऐन है। <p>طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ</p> <p>"इल्म (ज्ञान) हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है।"</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا</p> <p>"ऐ ईमान वालों! जब तुम नमाज़ का इरादा करो तो अपना चेहरा और अपने हाथों को कोहनियों (elbows) समेत धो लो, अपने सरों का मसह करो और अपने पाँवों को टखनों (ankles) समेत धो लो। और अगर तुम जनावत (impurity) की हालत में हो तो गुस्ल (purification bath) कर लो।"</p> <p>(सूरह अल-मायदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 6)</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ</p> <p>अनुवाद: "ऐ ईमान वालों! बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, अतः वे इस साल के बाद मस्जिद-ए-हराम के पास न फटकने पाएँ।"</p> <p>(सूरह अत-तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 28)</p>

प्रश्न 11	स्वच्छता (पवित्रता) से बचने वालों का क्या अंजाम होगा?
उत्तर 11	<p>كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ</p> <p>अनुवाद : "उनमें से एक (अपनी कब्र में दंडित किया जा रहा था क्योंकि वह) अपने पेशाब (की छींटों) से खुद को नहीं बचाता था।"</p> <p>(सहीह बुखारी: 216)</p> <p>नोट (व्याख्या)</p> <p>कब्र के अज़ाब (दंड) के कारणों में से एक पेशाब की छींटों से न बचना [और स्वच्छता प्राप्त न करना] है।</p>

प्रश्न 12	तहारत किसे कहते हैं?
उत्तर 12	गंदगी और नापाकी से पाक होना ही तहारत है।

प्रश्न 13	नजासत किसे कहते हैं?
उत्तर 13	"नजस या नजासत की जमा (बहुवचन) है, ऐनी और मादी (इंद्रियग्राही और दृश्य) नजासत के लिए यह शब्द बोला जाता है, जबकि हदस हुक्मी नजासत है। हसी नजासत का वजूद (उपस्थिति) कपड़ों, शरीर, नमाज़ की जगह (मौज़-ए-सलात) पर नमाज़ के लिए रुकावट होता है (जब तक शरीयत के अनुसार उस नजासत को खत्म न किया जाए)।"

प्रश्न 14	हदस किसे कहते हैं?
उत्तर 14	"हदस (Hadath) बे-वजू हो जाने को कहते हैं। फ़िक्ही (इस्लामी न्यायशास्त्र) शब्दावली में इसे 'मान' (Maani - बाधा) भी कहते हैं। जिन कार्यों की शुद्धता के लिए पवित्रता शर्त है, उनकी सेहत (वैधता) के लिए 'रफ़-ए-हदस' (अशुद्धि को दूर करना) और 'मान' को ज़ायल (समाप्त) करना ज़रूरी है।"

प्रश्न 15	हदस (अशुद्धि) की कितनी किस्में (प्रकार) हैं?
उत्तर 15	1) हदस की दो किस्में हैं: हदस-ए-अकबर (बड़ी अशुद्धि) जैसे पुरुष का जुनुबी (अशुद्ध अवस्था) होना, और स्त्री का मासिक धर्म (Periods) या प्रसव के बाद (Nifas) की स्थिति में होना।

	2) हदस-ए-असगार (छोटी अशुद्धि): जिससे वजू टूट जाता है, जैसे पेशाब व पाखाना करना या वायु (गैस) का खारिज होना।
--	---

प्रश्न 16	नजासत के प्रकार—अशुद्ध वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन करें?
उत्तर 16	<p>नजासत के प्रकार (अशुद्ध वस्तुओं का वर्णन)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इंसान का पेशाब और मल (सहीह मुस्लिम: 284) 2. मासिक धर्म (حيض) और प्रसवोत्तर (نفاس) का खून (सहीह बुखारी: 228, सहीह मुस्लिम: 333) (मासिक धर्म का खून अशुद्ध है—इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस पर इज्मा (आम सहमति) नक़ल किया है) 3. सुअर नापाक है [सूरह अल-अनआम: 145]

प्रश्न 17	मानव शरीर से निकलने वाले रक्त (हैज़ और निफ़ास के अलावा) का क्या हुक्म है?
उत्तर 17	<p>अगर इंसान के शरीर से खून बह जाए या किसी हलाल जानवर के खून से इंसान लथपथ हो जाए, तो इन दोनों स्थितियों में न तो वजू (Wudu) टूटता है और न ही नमाज़ फासिद (खराब) या बातिल (अमान्य) होती है। क्योंकि इसके नजिस (अशुद्ध) होने की कोई स्पष्ट दलील नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इसके पाक होने की दलील मौजूद है। जैसा कि एक सहाबी ने नमाज़ जारी रखी जबकि उनके शरीर से खून बह रहा था। (संदर्भ: सहीह अबी दाऊद 1/193)</p> <p>फत्हुल बारी (1/281) में है:</p> <p>((وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ))</p> <p>"हसन बसरी (रह.) ने कहा कि मुसलमान हमेशा अपने ज़ख्मों की हालत में नमाज़ पढ़ा करते थे।"</p> <p>इमाम बुखारी (रह.), इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और इमाम इसहाक (रह.) इसी के कायल हैं और शेख अलबानी (रह.) ने 'तमामुल मिन्ना' (पृष्ठ 52) में, और शेख नवाब सिद्दीक हसन खान (रह.) और शेख अलबानी (रह.) ने 'अत-तालिक़ातुर रज़िया' (1/110) में यही रुख अपनाया है।</p>

प्रश्न 18	वदी (Wadi) का क्या हुक्म है?
उत्तर 18	वह हल्का, पतला और लिसलिसा तरल पदार्थ जो पेशाब से ठीक पहले या तुरंत बाद निकलता है। वदी के निकलने से गुसल (Ghusl) अनिवार्य नहीं होता, बल्कि वजू (Wudu) अनिवार्य हो जाता है।

प्रश्न 19	मजी (Madhy) का क्या हुकम है?
उत्तर 19	<p>गाढ़ा, सफेद, पतला और चिपचिपा पदार्थ जो संभोग (intercourse) से पहले, छेड़खानी (foreplay) के दौरान, संभोग के विचार या बिना किसी इरादे के कामोत्तेजना (sexual arousal) के साथ निकलता है। कभी-कभी इसके निकलने का अहसास भी नहीं होता। इसकी वजह से गुस्ल (स्नान) अनिवार्य नहीं होता, बल्कि वजू अनिवार्य होता है।</p> <p>ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी शर्मगाह (private part) को धोकर वजू कर लेना ही काफी है। यदि कोई व्यक्ति 'वसवसा' (भ्रम या शक की बीमारी) का शिकार हो, तो वसवसे को दूर करने के लिए थोड़ा पानी लेकर कपड़ों के ऊपर से शर्मगाह के हिस्से पर छिड़क ले।</p> <p>(सहीह: 269)</p>

शेख इब्न बाज़ (रहिसुल्ला) का फ़तवा

प्रश्न 20	क्या मजी (madhi) के लिए एक या अधिक हथेली पानी का छिड़काव करना काफी है?
उत्तर 20	<p>मजी वह चिपचिपा पानी है जो इंसान से कामोत्तेजना (شهوة) के प्रभाव से निकलता है लेकिन वह मनी (sperm) नहीं होता। इसका रंग सफेद होता है, इसे 'मजी' कहा जाता है। यह नापाक (अशुद्ध) है, लेकिन इसकी नापाकी हल्की होती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने निजी अंगों और अंडकोष (testicles) को धोए और नमाज़ के लिए वजू करे। और अगर यह जांघ या कपड़ों पर कुछ लग जाए, तो उस पर पानी छिड़क देना ही काफी है, यानी उसे पानी से 'नज़ह' (छिड़काव) कर दे।</p>

प्रश्न 21	वह हलाल जानवर जिसे शरई (इस्लामी) तरीके से ज़बह (Dhabihah) न किया गया हो, यानी वह हलाल जानवर जो ऊपर से गिरकर, या दीवार आदि से दबकर या किसी अन्य गैर-शरई तरीके से मर गया हो, उसके मांस और खाल का क्या हुकम है?
उत्तर 21	<p>उत्तर: ऐसा जानवर 'नजिस' (अशुद्ध/अपवित्र) है और उसकी खाल (चमड़ा) भी नजिस है। अलबत्ता, खाल (चमड़ा) 'दबागत' (Tanning/पकाने या साफ़ करने की प्रक्रिया) के बाद पाक (शुद्ध) हो जाता है।</p> <p>(मुस्लिम: 366)</p>

प्रश्न 22	ज़िन्दा हलाल जानवर से उसकी हालत-ए-ज़िन्दगी में काटी गई चीज़ का क्या हुकम है?
-----------	--

उत्तर 22	ज़िन्दा हलाल जानवर से उसकी ज़िन्दगी की हालत में काटी गई चीज़ नापाक है। "जीवित पशु के शरीर से काटा गया हिस्सा 'मुर्दार' (शव या मरा हुआ) है" (सुनन तिर्मिज़ी: 1480)
----------	--

प्रश्न 22	मरे हुए जानवर की खाल के अलावा अन्य अंगों का क्या हुक्म है?
उत्तर 22	मरे हुए जानवर की खाल के अलावा उसकी हड्डियाँ, बाल, सींग और नाखून उस पर लगी गंदगी को साफ करने के बाद पाक (शुद्ध) हैं, क्योंकि उनके नापाक होने की कोई दलील नहीं है। इमाम जुहरी (رحمة الله عليه) का रुख: "सल्फ़ (पूर्वज) हाथी की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे।" (संदर्भ: बुखारी तालीकन: 1/342, फतावा इब्न तैमिया: 21/100)

प्रश्न 23	मृत मछली और टिड्डी के बारे में क्या हुक्म है?
उत्तर 23	नजासत (अशुद्धता) के हुक्म से मृत मछली और टिड्डी अलग (अपवाद) हैं। क्योंकि हदीस में उनके अलग होने की दलील (प्रमाण) है: ((أَجَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ)) अनुवाद: "हमारे लिए दो मृत जानवर हलाल (वैध) किए गए।" (इब्न माजह - सहीह अल-अल्बानी द्वारा प्रमाणित)

प्रश्न 24	क्या दबागत (चमड़ा पकाने/रंगने) से हर जानवर की खाल पाक (शुद्ध) हो जाती है?
उत्तर 24	दबागत (Tanning) से संबंधित विद्वानों के कथन: 1. सूअर और इंसान की खाल के अलावा, हर चीज़ दबागत दिए जाने के बाद पाक हो जाती है। यह हनफी (Hanafi) संप्रदाय का रुख है, जिसका संदर्भ अल-कासानी की पुस्तक "बदाइ' अस-सनाइ'" (Bada'i al-Sana'i) है। 2. कुत्ते और सूअर के अलावा तमाम जानवरों की खाल दबागत के जरिए पाक हो जाती है। यह शाफई (Shafi'i) संप्रदाय का रुख है, जिसका संदर्भ "अल-मुहज्जब" (Al-Muhadhdhab) है। 3. सिर्फ 'माकुल अल-लहम' (जिनका मांस खाया जा सकता है) जानवरों की खाल ही दबागत के बाद पाक होती है। {इब्न तैमिया, इब्न बाज़, इब्न उथैमीन (رحمة الله عليهم)}

	<p>4. दबागत के जरिए हर जानवर की खाल पाक हो जाती है</p> <p>{(رحمة الله عليهم) جَاهِرِيَا، شَوَاكِنِي، سَنَانِي، اَل-اَلْبَانِي}</p> <p>5. कुछ विद्वानों ने यह रुख अपनाया है कि अगर हलाल विकल्प मौजूद हो, तो हARAM जानवरों की खाल से परहेज (सावधानी) बरता जाए।</p>
--	--

प्रश्न 25	यदि मनुष्य मृत हो, तो उसके बारे में क्या नियम है?
उत्तर 25	<p>यदि मनुष्य मृत हो, तो उसके शरीर के अपवित्र (नापाक) होने की कोई दलील नहीं है, बल्कि इसके विपरीत दलील मौजूद है:</p> <p>((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا))</p> <p>सैय्यदना इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है, उन्होंने फरमाया: "मुसलमान अपनी ज़िंदगी में और मौत के बाद, दोनों ही स्थितियों में नापाक नहीं होता।"</p> <p>(इमाम बुखारी (रह.) ने पूर्ण विश्वास के साथ हदीस नंबर 1253 से पहले इस हदीस को रिवायत किया है और हदीस के शब्द बुखारी के ही हैं। और इब्न अबी शैबा ने "अल-मुसन्नफ" (11246) में इसे निरंतरता के साथ रिवायत किया है और यह सैय्यदना इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) पर मौकूफ़ (उन्हीं का कथन) है। इमाम बैहकी (रह.) ने "अल-सुनन अल-कुबरा" (1/306) में इस हदीस को मरफूअ (पैगंबर की ओर से) जिक्र करने के बाद कहा कि प्रसिद्ध बात यह है कि यह मौकूफ़ ही है। और इब्न हजर (रह.) ने "तगलीक अल-तअलीक" (2/460) में इस हदीस की सनद को सही करार दिया और फरमाया: यह हदीस मौकूफ़ है और इसी माध्यम से यह हदीस मरफूअ भी रिवायत की गई है। देखें: इमाम नववी (रह.) की किताब "अल-मजमूअ" [2/561])</p>

प्रश्न 26	जानवरों के पेशाब और गोबर (लीद) का क्या हुक्म है?
उत्तर 26	<p>माकुल अल-लहम (हलाल जानवर): हलाल जानवरों का पेशाब, बीट और गोबर नापाक नहीं है। (जैसे हलाल जानवर, मछली और पंजों से शिकार न करने वाले हलाल परिंदे)।</p> <p>(संदर्भ: सहीह बुखारी: 233, सहीह मुस्लिम: 1671)</p> <p>गैर माकुल अल-लहम (हराम जानवर): जो परिंदे अपने पंजों से शिकार करते हैं और जानवरों में कुचली (नुकीले दांतों) वाले परिंदे हराम हैं। इसलिए उनके लीद और पेशाब से सफाई कर लें (यानी उन्हें नापाक समझें)।</p>

प्रश्न 27	पाकीजगी (शुद्धता) का नियम क्या है?
-----------	------------------------------------

उत्तर 27	असल बरात; असल में हर चीज़ पाक (शुद्ध) होती है जब तक कि उसके नापाक (अशुद्ध) होने की कोई स्पष्ट दलील (प्रमाण) न आ जाए।
----------	--

प्रश्न 28	ओझड़ी (ओजरी) के बारे में क्या हुकम है?
उत्तर 28	<p>हलाल जानवर की ओझड़ी अगर शरीर पर लग जाए, तो उससे नमाज़ की शुद्धता (सही होने) पर कोई असर नहीं पड़ता। (सहीह बुखारी: 240)</p> <p>सहीह मुस्लिम: 4649, सुनन अन-नसाई: 306</p> <p>उपरोक्त हदीस को इमाम नसाई (رحمة الله عليه) ने भी अपनी 'सुनन' में वर्णन किया है और आप इस प्रकार से बाब (अध्याय) स्थापित करते हैं: "(باب فَرْتِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ)" "अगर हलाल जानवरों का गोबर कपड़ों पर लग जाए।"</p> <p>(सुनन अन-नसाई, किताब अत-तहारा (पवित्रता की किताब), बाब नंबर: 192)</p>

प्रश्न 29	क्या कुत्ते का केवल मांस और लार नापाक (अशुद्ध) है या उसका पूरा शरीर?
उत्तर 29	नोट: नस (स्पष्ट धार्मिक प्रमाण) के आधार पर कुत्ते की लार नापाक है, और उसके शरीर के सभी अंग कयास (तर्क/अनुमान) के आधार पर नापाक हैं। (मजमूआ फतावा: इमाम इब्न तैमिय्या 21/ 216-220)

प्रश्न 30	क्या गधे का मांस ही नापाक (अशुद्ध) है या उसका पूरा शरीर?
उत्तर 30	<p>नोट: गधे की लीद (गोबर) के नजिस (अशुद्ध) होने के लिए स्पष्ट प्रमाण (नस्स) मौजूद है, इसलिए वह नजिस है। बहुमत (जम्हूर) ने इसी के आधार पर कयास (अनुमान) लगाते हुए तमाम 'गैर-माकूल अल-लहम' (जिन जानवरों का मांस हaram है) की लीद पर नजिस होने का हुकम लगाया है। इस मसले पर 13वें बिंदु में इत्तेफाक (इजमा) के हवाले के साथ विस्तृत चर्चा हो चुकी है।</p> <p>नोट: गधे का मांस नापाक है लेकिन उसका शरीर नजिस नहीं है।</p> <p>नोट: गधे और खच्चर का बचा हुआ (झूठा) पाक है और इसी तरह उनका पसीना नजिस नहीं है, क्योंकि नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ और आपके सहाबा-ए-किराम उनकी सवारी किया करते थे। अगर उनके शरीर नापाक होते तो इसकी स्पष्ट व्याख्या (वजाहत) की गई होती।</p>

प्रश्न 31	अल-जल्लालह (Al-Jallalah) यानी गंदगी खाने वाले जानवर का क्या हुकम है?
उत्तर 31	नोट: जब तक उसे बांधकर (अलग रखकर) पाक (शुद्ध) भोजन न खिलाया जाए, 'जल्लालह' नापाक जानवरों की श्रेणी में आता है।

जल्लालह उस जानवर को कहते हैं जो मेंगनियां और लीद (गंदगी/विष्ठा) खाता है। ऐसी स्थिति में वह नापाक जानवरों में शामिल होगा। यदि उसे बंद करके कुछ दिनों तक (साफ) भोजन खिलाया जाए, तो वह इस श्रेणी से बाहर हो जाएगा।

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا))

हजरत अब्दुल्ला बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने गंदगी खाने वाले जानवर का मांस खाने और उसका दूध पीने से मना फरमाया है।

(सुनन अबू दाऊद: 3785, सुनन अत-तिरमिज़ी: 1824)

"कुछ विद्वानों ने मुर्गी को इससे अलग (अपवाद) माना है। [बुखारी: 5518 - मुस्लिम: 1649]"

प्रश्न 32	बिना खून वाले कीड़े-मकोड़े और जानवर जैसे: मक्खी, चींटी और मकड़ी क्या नापाक (अशुद्ध) हैं?
उत्तर 32	जिस जानवर में बहता हुआ खून न हो, वह पाक (शुद्ध) है। इब्न उथैमीन (रहमतुल्लाहि अलैहि)

प्रश्न 33	क्या जंगली जानवरों का मांस नापाक (अशुद्ध) है या उनका पूरा शरीर भी?
उत्तर 33	असल बात यह है कि उनका शरीर तब तक पाक (शुद्ध) है जब तक कि उनकी नापाकी की कोई दलील (प्रमाण) साबित न हो जाए। इस संबंध में विद्वानों के दो मत हैं: <ul style="list-style-type: none"> • पहला मत: नापाक (अशुद्ध)। • दूसरा मत: पाक (शुद्ध)। और 'लजना अद-दायमा' (स्थायी समिति) ने दूसरे मत को ही प्राथमिकता दी है। (380/5)

प्रश्न 34	ऊपर के विवरण का सारांश बताएं?
उत्तर 34	उपरोक्त विवरणों का सारांश यह है कि तमाम (सभी) जीवित प्राणी पाक (शुद्ध) हैं, चाहे वे हलाल जानवर हों या दरिंदे (हिंसक शिकारी) हों या कीड़े-मकोड़े आदि हों, सिवाय कुत्ते और सूअर के; ये दोनों नापाक (अशुद्ध) हैं। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

प्रश्न 35	बची हुई (जूठी) चीजों में कौन सी पाक (शुद्ध) हैं और कौन सी नापाक (अशुद्ध) हैं?
उत्तर 35	1. कुत्ते का बचा हुआ नापाक है। (सहीह बुखारी: 172, सहीह मुस्लिम: 279)

2. गधे का बचा हुआ नापाक है?

इसके बारे में दो मत (राय) हैं:

- पहला मत: गधे का बचा हुआ अशुद्ध (नजस) है— "निश्चित रूप से वह गंदगी या अशुद्धता है।" [मुस्लिम: 1940]
- दूसरा मत: कुछ विद्वानों का कहना है कि गधे और खच्चर का बचा हुआ पाक (शुद्ध) है, क्योंकि 'उमूम-ए-बलवा' (किसी चीज का लोगों के बीच इस तरह आम होना कि उससे बचना और हिफाजत करना मुश्किल हो) की वजह से इससे बचना कठिन है। इस मत में तर्क अधिक प्रबल (मजबूत) है। और अल्लाह बेहतर जानता है।

3. सूअर का बचा हुआ नापाक है।

[सूरत अल-अनआम: 145]

प्रश्न	(4) जंगली जानवर का बचा हुआ (जूठा) पाक है या नापाक?
उत्तर	<ul style="list-style-type: none">• पहला मत: एक शोध (research) के अनुसार जंगली जानवरों का बचा हुआ नापाक है। – शेख अल्बानी (रह.)• दूसरा मत: इब्न बाज़ (रह.) का कहना है कि यह 'नजस' (अशुद्ध) नहीं है। <p>(5) माकूल अल-लहम (हलाल जानवर) का बचा हुआ पाक है।</p> <p>(जब हलाल जानवर का गोबर और लीद 'नजस' नहीं है और नमाज़ के लिए रुकावट नहीं है, तो उनका बचा हुआ तो और भी अधिक पाक होना चाहिए। एक सहाबी ने कहा कि</p> <p style="text-align: right;">إِنِّي لَنَحْتَتُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا</p> <p>मैं अल्लाह के रसूल ﷺ की ऊंटनी के नीचे था और उसकी लार मुझ पर गिर रही थी।) – इरवा अल-गलील (6/89), सहीह इब्न माजाह</p> <p>(6) इंसान का बचा हुआ पाक है, चाहे वह मुसलमान मर्द हो या औरत, या फिर गैर-मुस्लिम:</p> <p style="text-align: right;">إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ</p> <ul style="list-style-type: none">• प्रमाण (दलील): "बेशक मोमिन नापाक नहीं होता।" <p>(सहीह बुखारी: 283, सहीह मुस्लिम: 371 [824])</p> <ul style="list-style-type: none">• नोट: गैर-मुस्लिम का भोजन और पानी को छूना उन्हें नापाक नहीं बनाता। इब्न कसीर (रह.) ने कहा है कि 'अहले किताब' (ईसाई/यहूदी) का खाना हलाल होने का प्रमाण मौजूद है।

	<ul style="list-style-type: none"> • नोट: <p style="text-align: center;">تَوْضُحًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ</p> <p style="text-align: center;">अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक मुशरिक (मूर्तिपूजक) महिला के मटके से वजू किया।</p> <p style="text-align: center;">(सहीह बुखारी: 344)</p> <p>6. बिल्ली का जूठा पाक है।</p> <p>(सुनन अबू दाऊद: 76, शेख अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सहीह कहा है)</p>
--	---

प्रश्न 36	क्या मनी (वीर्य) पाक है?
उत्तर 36	मनी पाक है। इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा), इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाही अलैहि), इमाम अहमद (रहमतुल्लाही अलैहि), इसहाक इब्न राहवैह (रहमतुल्लाही अलैहि), दाऊद (रहमतुल्लाही अलैहि), इब्न हज़म (रहमतुल्लाही अलैहि), इब्न तैमिया (रहमतुल्लाही अलैहि), इब्न हजर (रहमतुल्लाही अलैहि), इब्न बाज़ (रहमतुल्लाही अलैहि), अल्बानी (रहमतुल्लाही अलैहि), वहब अल-जुहैली, अमीर सनआनी, सुब्ही हसन हल्लाक़ और सऊदी मजलिस-ए-इफ़ता का यही मौक़फ़ (विचार/स्टैंड) है।

प्रश्न 37	क्या अल-खम्र (शराब) पाक (शुद्ध) है?
उत्तर 37	शराब: असल में पाक है जब तक कि इसकी नजासत (अशुद्धता) की कोई दलील (प्रमाण) न आ जाए; हुर्मत (प्रतिबंधित/हराम होने) की वजह से हसी (शारीरिक/भौतिक) नजासत लाज़िम नहीं आती।
	(शेख अलबानी, इब्न उथैमीन रहिमहुल्लाह)

प्रश्न 38	क्या उल्टी (वमन) नजासत (अशुद्ध) है?
उत्तर 38	उल्टी के नजासत होने पर दलालत करने वाली (संकेत देने वाली) हदीस ज़ईफ़ (कमज़ोर) है। साथ ही कै (उल्टी), खटास, श्लेष्मा (नाक की गंदगी) और थूक के नापाक होने की कोई दलील (प्रमाण) नहीं है।

प्रश्न 39	क्या मासिक धर्म वाली महिला (हाइज़ा) और अशुद्ध पुरुष (जुन्बी) का पसीना पाक (शुद्ध) है?
उत्तर 39	मासिक धर्म वाली महिला और अशुद्ध पुरुष का पसीना पाक (शुद्ध) है।
	(सहीह बुखारी, किताब अल-गुसल,
	بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

	<p>"अध्याय: जुन्बी का पसीना और यह कि मुसलमान नापाक नहीं होता" इस वर्णन में कि जुन्बी का पसीना और बेशक मुसलमान नापाक नहीं होता, हदीस नंबर: 283, 285। और सहीह मुस्लिम: 371 [824] और सुनन अबू दारुद: 231 और सुनन अन-नसाई: 269 और सुनन इब्न माजाह: 534)</p> <p>विद्वानों का इस बात पर इत्तेफाक (सहमति) है कि जुन्बी का शरीर भी पाक है और उसका पसीना भी पाक है, और उसका पसीना यदि किसी कपड़े पर लग जाए तो वह कपड़ा भी पाक रहता है।</p>
--	---

प्रश्न 40	उन जानवरों या पक्षियों के बचे हुए (जूठन) का क्या हुकम है जो आमतौर पर गंदगी से नहीं बचते?
उत्तर 40	<p>जिनकी गंदगी (नजासत) से बचना मुश्किल हो, जो आमतौर पर हर जगह मौजूद हों या जिनकी गंदगी बहुत कम मात्रा में हो, तो वह माफ (क्षमायोग्य) है। उदाहरण के लिए, जैसे चूहा बिस्तर पर से भाग जाए या मुर्गी की चोंच में कुछ गंदगी लग जाए; क्योंकि मामूली शक, यकीन (निश्चितता) को खत्म नहीं करता।</p> <p>हनफिया, मालकिया और हनाबिला के नजदीक इनका जूठा 'मकरूह' (नापसंद) है, जैसे चूहा या चुहिया, और वह मुर्गी जो आजाद हो और बांधी न गई हो। इसकी वजह यह है कि वे गंदगी से नहीं बचतीं और सड़ी हुई हराम व गंदी चीजें तलाश करती रहती हैं, इसलिए उनकी चोंच गंदगी से खाली नहीं हो सकती।</p> <p>लेकिन इसके बावजूद, अगर कोई व्यक्ति उनके जूठे पानी से वजू करता है तो वह जायज है। इसका कारण यह है कि उसकी चोंच या मुंह के पाक (शुद्ध) होने का यकीन होता है और गंदगी का सिर्फ शक होता है। नियम और सिद्धांत यह है कि 'शक, यकीन का मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकता'।</p>

प्रश्न 41	नजासतों (अशुद्धियों) को दूर करने के तरीके बयान कीजिए?
उत्तर 41	<ol style="list-style-type: none"> 1. गुस्ल: यानी धोना। 2. मसह: यानी पोंछना या हाथ फेरना। 3. सब्ब (Sabb): यानी (पानी) उड़ेलना। 4. रश (Rash): यानी छिड़कना। 5. हत, हक (Hat, Hakk): यानी खुरचना। 6. अल-मशियु फिल अर्जित ताहिरा (Al-Mashyu fil Ardh-it-Tahira): यानी पाक मिट्टी और जमीन पर चलते हुए कपड़े की सफ़ाई। <p>नोट: (अल-सैलुल जरार: 1/42 के हवाले के मुताबिक) इमाम शौकानी (रह.) ने कहा है कि: नजासत (अशुद्धि) को दूर करने के लिए दलील (प्रमाण) का पालन करना वाजिब है। जहाँ 'गुस्ल' यानी धोने का जिक्र आया है,</p>

वहाँ पानी से इस कदर धोया जाए कि नजासत के रंग, बू (गंध) और मज्जे (स्वाद) का खात्मा हो जाए, और यही इसकी पाकी का तरीका है।

और जहाँ विशेष चीजों और स्थितियों के लिए "सब्ब" यानी पानी बड़ी मात्रा में उड़ेलने, "रश" यानी छिड़कने, "हक" यानी खुरचने, या ज़मीन पर रगड़ने और पाक ज़मीन पर चलने जैसे विभिन्न तरीके हदीसों में बताए गए हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है।

प्रश्न 42

इस्तिंजा (शौच के बाद सफाई) कैसे करें?

उत्तर 42

(1) पाखाना के बाद इस्तिंजा के समय पानी, पत्थर या इसी तरह की अन्य चीजों से पाकी (सफाई) हासिल करनी चाहिए।

(1) पानी से इस्तिंजा:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يُقُولُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَغْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ" (انس بن مالک)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है, वह कहते थे:

"जब अल्लाह के रसूल ﷺ शौच के लिए निकलते थे, तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब यह है कि उस पानी से अल्लाह के रसूल ﷺ तहारत (सफाई) किया करते थे।" (सहीह बुखारी: 150)

(2) पत्थर से इस्तिंजा (3) और कागज़/पेपर से इस्तिंजा:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَذَنُوتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بَعْظَمٍ وَلَا رَوْثٍ، فَاتَّيْتُهِ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى اتَّبَعَهُ بِهِنَّ)

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है, वह कहते हैं कि:

रसूल अल्लाह ﷺ (एक बार) शौच (Natural call) के लिए तशरीफ़ ले गए। आप ﷺ की आदत मुबारक थी कि आप (चलते समय) इधर-उधर नहीं देखते थे। तो मैं भी आप ﷺ के पीछे-पीछे चला और आप ﷺ के करीब पहुँच गया। (मुझे देखकर) आप ﷺ ने फरमाया: "मुझे (कुछ) पत्थर तलाश कर दो ताकि मैं उनसे पाकी (सफाई) हासिल करूँ," या इसी जैसा कोई शब्द कहा। और फरमाया: "हड्डी और गोबर मत लाना।"

चुनांचे, मैं अपने दामन में पत्थर (भर कर) आप ﷺ के पास ले गया और उन्हें आपके पहलू (पास) में रख दिया और आप ﷺ के पास से हट गया। जब आप ﷺ (शौच से) फारिग हुए, तो आपने उन पत्थरों से इस्तिनजा (सफाई) किया।

(स्रोत: सहीह बुखारी: 155, सहीह मुस्लिम: 262)

इस्तेदलाल (निष्कर्ष/व्याख्या)

इस्तेदलाल की वजह: उपर्युक्त हदीस के सामान्य अर्थ से यह साबित होता है कि हड्डी और गोबर के अलावा पानी, पत्थर और अन्य चीजों जैसे टिशू पेपर आदि से भी इस्तिनजा (सफाई) किया जा सकता है।

(संदर्भ: मजमूअ फतावा इब्न तैमिया: 21/205, अल-फतह: 1/256, अद-दरारी अल-मुदिय्या: 1/40-41)

(مجموع فتاوى ابن تيمية 205/21-206/1، الدراري المضية 40/1-41)

प्रश्न 43

पेशाब की सफाई का तरीका बयान करें?

उत्तर 43

अल-बौल यानी पेशाब की सफाई का सामान्य तरीका यह है कि पानी से धोकर सफाई हासिल की जाए।

नोट: अगर बच्चे ने माँ के दूध के अलावा दूसरी खुराक (खाना) शुरू न की हो, तो उसकी नजसत (गंदगी) को 'मुखफफा' (हल्की) माना गया है। इसलिए ऐसे बच्चे की नजसत पर सिर्फ पानी के छींटे मारना और छिड़कना काफी है, उसे धोने की ज़रूरत नहीं है।

बौल अल-गुलाम युनज़ह (लड़के के पेशाब पर छींटे मारना):

بَوْلُ الْعُلَامِ يُنْضَخُ: ((عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَخُ مِنْ بَوْلِ الْعُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ "))

((हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा: "लड़की के पेशाब को धोया जाएगा, और लड़के के पेशाब पर पानी छिड़का जाएगा जब तक कि वह खाना न खाने लगे।"))

(सुनन अबी दाऊद / किताब: तहारत के मसाइल / बाब: बच्चे का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करे? हदीस नंबर: 377, सुनन अत-तिर्मिज़ी / अल-सलात 313 (610), सुनन इब्न माजह / अत-तहारत 77 (525), तुहफतुल अशराफ: 10131, मुसनद अहमद (1/97), शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को 'सहीह मौकूफ' करार दिया।

"जबकि लड़की के पेशाब को धोकर साफ़ किया जाएगा। हालाँकि जहाँ तक ज़मीन पर गिरे पेशाब के कतरों (बूंदों) का मामला है, तो उन कतरों को मिट्टी या अन्य साफ़ करने वाली चीजों से पाक (शुद्ध) किया जाएगा।

प्रश्न 44	जूते में लगी गंदगी (नजासत) को कैसे साफ करें?
उत्तर 44	जूते में लगी नजासत को ज़मीन पर रगड़ कर साफ किया जा सकता है। (सहीह सुनन अबी दाऊद [371] 372) नोट: उस समय मस्जिदों के फर्श कच्चे होते थे और जूतों के तलवे भी आमतौर पर सपाट (plane) होते थे, जो ज़मीन पर रगड़ने से पाक (साफ) हो जाते थे। आज अधिकतर मस्जिदों में सफें, दरियां और कालीन बिछे होते हैं और जूतों के तलवों में अक्सर गंदगी फंस जाती है जो सिर्फ ज़मीन पर रगड़ने से नहीं निकलती। इसलिए, अगर आज कोई जूते पहनकर नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो उसे पूर्ण शुद्धता (तहारत) का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अलबत्ता, रेगिस्तान या खुले मैदान में साफ जूते पहनकर नमाज़ अदा की जा सकती है, बशर्ते कि जूते नरम हों और बैठने में कठिनाई न हो। (अब्दुल जब्बार, नमाज़-ए-नबवी, डॉ. शफीकुर्रहमान)

प्रश्न 45	मासिक धर्म (हैज़) के रक्त की सफाई कैसे करें?
उत्तर 45	कपड़ों से मासिक धर्म के रक्त को लकड़ी या ब्रश के जरिए खुरच कर हटाया जा सकता है, या पानी, बेर के पत्तों, या साबुन से धोया जा सकता है, या पूरे कपड़े पर पानी बहाया जा सकता है: (عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया: "हमें जब मासिक धर्म (हैज़) आता, तो कपड़े पाक करते समय हम रक्त को मल देते, फिर उस जगह को धो लेते और पूरे कपड़े पर पानी बहा देते और उसे पहन कर नमाज़ पढ़ते।" (सहीह बुखारी: 308, सिलसिला अस्सहीहा: 1/539) नोट: मासिक धर्म के रक्त को धोने के बाद जो निशान या धब्बे बाकी रह जाते हैं, उनमें कोई हर्ज (बुराई) नहीं है और वे क्षमा योग्य (माफ़) हैं। (नील अल-औतार: 1/50) इमाम शौकानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने धोने के बाद रह जाने वाले हैज़ के रक्त के निशानों के क्षमा योग्य होने के मसले में निम्नलिखित हदीस से दलील पेश की है: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتُ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: " إِذَا طَهَّرْتِ فَأَغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكَ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ)

हजरत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि खौला बिनत यसार (रज़ियल्लाहु अन्हा) नबी करीम ﷺ की सेवा में उपस्थित हुई और अर्ज किया: "हे अल्लाह के रसूल! मेरे पास केवल एक ही कपड़ा है और मुझे उसी में मासिक धर्म (हैज) आता है, तो मैं क्या करूँ?"

आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम पाक हो जाओ (मासिक धर्म समाप्त हो जाए), तो उस कपड़े को धो लो, फिर उसी में नमाज़ पढ़ो।" उन्होंने पूछा: "अगर (धोने के बाद भी) खून का निशान न जाए तो?" आप ﷺ ने फ़रमाया: "खून को धो लेना ही तुम्हारे लिए काफी है, उसका निशान (धब्बा) तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा (यानी कपड़ा पाक माना जाएगा)।"

यह हदीस सुनन अबू दाऊद (किताब: पवित्रता के नियम / अध्याय: मासिक धर्म के दौरान पहने गए कपड़े को धोने का हुक्म) की हदीस संख्या 365 है।

अतिरिक्त जानकारी:

इस हदीस को अन्य मुहदीसीन (हदीस के विद्वानों) ने भी रिवायत किया है, जैसे तुहफतुल अशराफ (14286) और मुसनद अहमद (2/364, 380)।

नोट में उल्लेख है कि यद्यपि इस विशिष्ट रिवायत की सनद (शृंखला) में 'इब्न लहिया' के कारण कुछ कमज़ोरी है, लेकिन अन्य सही हदीसों से इसकी पुष्टि होती है जो इसके अर्थ को सही साबित करती हैं।

शेख अल्बानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने भी अन्य साक्ष्यों (शवाहिद) के आधार पर इस हदीस को 'सही' करार दिया है।

प्रश्न 46	महिलाओं के लटकते हुए कपड़ों की गंदगी कैसे दूर होगी?
उत्तर 46	महिलाओं के कपड़े जो मिट्टी या रास्ते में लटकते हैं, उनकी सफाई उसके बाद वाली साफ ज़मीन और साफ मिट्टी से हो जाती है। [स-द: 370]

प्रश्न 47	मनी (वीर्य) को साफ़ करने का तरीका क्या है?
उत्तर 47	عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَنْزَرَ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ تَوْبَهُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" हुमाम बिन हारिस (रह.) कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा (रज़ि.) के पास था कि मुझे एहतलाम (स्वप्नदोष) हो गया।

	<p>तो आयशा (रज़ि.) की एक लौंडी (दासी) ने उन्हें देख लिया कि वह अपने कपड़े से जनाबत (वीर्य) के निशान को धो रहे हैं, या अपने कपड़े को धो रहे हैं। उस लौंडी ने सैयदा आयशा (रज़ि.) को बताया, तो उन्होंने कहा:</p> <p>"मैं रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के कपड़े से मनी (वीर्य) को खुरच दिया करती थी।"</p> <p>(सुनन अबू दाऊद: 288, सुनन अत-तिर्मिज़ी: 116)</p>
--	--

प्रश्न 48	मृत हलाल जानवर की खाल (चमड़े) को साफ करने का तरीका बताएं?
उत्तर 48	<p>मृत हलाल जानवर की खाल 'दबागत' (तैयार करने या सिझाने) से पाक (साफ) हो जाती है।</p> <p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهَّرَ"</p> <p>हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को यह फरमाते हुए सुना:</p> <p>"जब खाल को दबागत दी जाए (कमाया या शोधित किया जाए), तो वह पाक हो जाती है।"</p> <p>(सहीह मुस्लिम / हैज़ के अहकाम और मसाइल / अध्याय: मृत जानवर की खाल रंगने से पाक हो जाने का बयान - हदीस नंबर: 366)</p>

प्रश्न 49	चूहा किसी चीज़ में गिर जाए तो क्या हुक्म है?
उत्तर 49	<p>यदि चूहा घी में गिर जाए और गिरकर मर जाए, और घी जम गया हो, तो चूहे को और उसके आसपास के हिस्से को (निकालकर) फेंक दें। यदि बचे हुए घी में चूहे का रंग, स्वाद या गंध (बो) का असर बाकी न रहे, तो उस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं।</p> <p>और (तरल) घी या तेल का हुक्म उसमें मौजूद नजासत (अशुद्धि) की बुनियाद पर होगा।</p> <p>عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: "أَلْفُهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ"</p> <p>अनुवाद: सैय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्बास (रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन मय़मूना (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से उस चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। आपने फ़रमाया: "उस (चूहे) को निकाल दो और उसके आसपास (का घी) फेंक दो और अपना (बाकी) घी खाओ।"</p> <p>(सहीह बुखारी / किताब: वजू के बयान में / बाब: उन नजासतों के बारे में जो घी और पानी में गिर जाएँ - हदीस नंबर: 235, हदीस से संबंधित अध्याय: अगर घी में नजासत गिर जाए)</p>

प्रश्न 50	अशुद्धता (नजासत) मिलने से बदले हुए पानी का हुक्म क्या है?
उत्तर 50	यदि पानी की मात्रा अधिक हो और अशुद्धता (नजासत) का प्रभाव जैसे कि उसका रंग, गंध (बू) और स्वाद हावी न हो, तो ऐसे पानी का उपयोग किया जा सकता है; पानी से गंदगी को निकाल देना ही काफी है। लेकिन अगर पानी में अशुद्धता का प्रभाव बना रहे, तो जब तक अशुद्धता का प्रभाव पूरी तरह खत्म न हो जाए, पानी को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। (संदर्भ: अल-फ़तावा इब्न तैमिया: 21/38-39)

प्रश्न 51	पानी से सफाई कब ज़रूरी है?
उत्तर 51	पानी से सफाई केवल उन्हीं चीज़ों के लिए अनिवार्य होगी जहाँ विशेष रूप से पानी का उपयोग करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। अन्यथा, सफाई के लिए पानी के अलावा वे सभी 'मज़ीलात' [गंदगी दूर करने वाली चीज़ें] अपनाई जा सकती हैं जिनके उपयोग की मनाही पर कोई स्पष्ट प्रमाण (दलील) मौजूद न हो। (स्रोत: अल-इख़्तियारात लिल-अल्बानी, अल-सैलुल जररि लिल-शौकानी)

प्रश्न 52	अशुद्धियों (नजासत) को दूर करने का संक्षिप्त विवरण संदर्भ (हवाले) के साथ दें?
उत्तर 52	

अशुद्धि (नजासत)	दूर करने का तरीका	संदर्भ (हवाला)
इस्तिंजा (शौच के बाद सफाई)	पानी से धोना / गुसल करना।	बुखारी: 105
	पत्थर / मिट्टी के ढेले / ईंट का इस्तेमाल।	मुस्लिम: 262
	पेपर - [हदीस की व्यापकता से दलील (तर्क)]	बुखारी: 155
कपड़ों पर वीर्य (मनी) लग जाने पर	इसे खुरच कर साफ किया जा सकता है।	मुस्लिम: 288
	धोकर साफ किया जा सकता है।	बुखारी: 229
जिस बर्तन में शराब या सूअर का मांस पकाया गया हो	अगर आपको इनके अलावा अन्य बर्तन मिल जाएं तो उनमें खाएं-पिएं। और अगर इनके अलावा बर्तन न मिलें, तो उन्हें पानी से धो लें और फिर उनमें खाएं।	अबू दारूद: 3839
अगर कपड़ों पर मासिक धर्म (हैज) का खून लग जाए	आप ﷺ ने फरमाया: "पहले उसे खुरच डालें, फिर उस पर पानी डालकर मलें, फिर धो डालें, फिर उसी कपड़े में नमाज पढ़ें।"	मुस्लिम: 675

जब जूते पर गंदगी लग जाए	उसे जमीन या मिट्टी पर रगड़कर साफ कर लेना चाहिए।	अबू दाऊद: 285
कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे	सात बार धोना, पहली बार मिट्टी से धोना।	बुखारी: 172
दूध पीता बच्चा कपड़ों पर पेशाब कर दे	यदि बच्ची पेशाब करे तो कपड़ों को धोया जाए, और यदि लड़का करे तो उस जगह पर अच्छी तरह पानी के छींटे मार देना काफी है।	अबू दाऊद: 386
अगर जमीन नापाक हो	जमीन के उस हिस्से पर पानी बहा दें जो नापाक है।	मुस्लिम: 284
दूध या अन्य पीने की चीजों में अगर मक्खी गिर जाए	आप ﷺ ने फरमाया: "अगर तुम्हारी पीने की चीज में मक्खी गिर जाए, तो उसे उसमें पूरी तरह डुबो दें, फिर निकालकर फेंक दें, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी और दूसरे में शिफा (इलाज) है।"	बुखारी: 3320
एहतलाम (स्वप्नदोष) के कपड़े	आदमी गुसल (स्नान) करेगा और कपड़े के जिस स्थान पर वीर्य (मनी) का असर है उसे धो ले, और यदि सूख गया हो तो खुरच देना काफी है।	बुखारी: 229, मुस्लिम: 288
नजासतों को धोने की संख्या	कुत्ता अगर मुँह डाल दे तो उसे सात बार धोना चाहिए जिसमें एक बार मिट्टी से धोना जरूरी है। बाकी किसी भी नजासत के लिए संख्या की शर्त नहीं है, बल्कि पाकी (पवित्रता) का यकीन और नजासत के असर को खत्म करना जरूरी है। हर नजासत की कुत्ते पर तुलना करना 'कियास-मा-अल-फारीक' (गलत तुलना) है।	नजासतों के धोने की संख्या
जब घी में चूहा गिर जाए	आप ﷺ ने फरमाया: "उसे (चूहे को) निकाल दो और उसके आस-पास के घी को निकालकर फेंक दो और अपना बाकी घी इस्तेमाल करो।"	बुखारी: 235

<p>महिलाओं का बुर्का जिसका निचला हिस्सा जमीन पर घिसटता है</p>	<p>उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) से पूछा गया कि मैं अपना दामन लंबा रखती हूँ (जो जमीन पर घिसटता है) और मैं नापाक जगह पर भी चलती हूँ? तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया: "उसके बाद की (साफ) जमीन (जिस पर वह घिसटता है) उसे पाक कर देती है।"</p>	<p>अबू दाऊद: 383</p>
---	--	----------------------

<p>प्रश्न 53</p>	<p>शौच के शिष्टाचार और पवित्रता (इस्तंजा) के नियमों का संक्षेप में वर्णन करें?</p>
<p>उत्तर 53</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. यदि पक्के शौचालय न हों, तो शौच के लिए आबादी से इतनी दूर जाएँ जहाँ लोगों की नज़र न पड़े। 2. रास्तों, छायादार वृक्षों, लोगों के बैठने या आराम करने की जगहों और तालाब या नहर के किनारों पर शौच करने की मनाही है। 3. ठहरे हुए पानी में पेशाब न किया जाए। 4. बीमारी, सर्दी या किसी ज़रूरत की वजह से पेशाब के लिए विशेष बर्तन (Urinary Pot) का उपयोग करना जायज़ है। 5. जमीन के करीब पहुँचने तक कपड़े न उठाएँ ताकि 'सतर' (शरीर का निजी हिस्सा) ढका रहे। 6. शौचालय में बायाँ पैर पहले रखते हुए प्रवेश करें और यह दुआ पढ़ें: "अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुलि वल खबाइत" (ऐ अल्लाह! मैं अपवित्र जिन्नो और जिन्नियों से तेरी पनाह माँगता हूँ)। 7. शौचालय में शौच के दौरान किबला (काबा) की ओर न मुँह करें और न ही पीठ करें। 8. कपड़ों और शरीर को पेशाब की छींटों से बचाने की पूरी कोशिश करें। 9. दाएँ हाथ से इस्तंजा न करें। 10. यदि पानी उपलब्ध हो, तो उसी से इस्तंजा करें। 11. शौचालय से बाहर निकलने पर "गुफ़रानक" पढ़ें। 12. शौच के बाद हाथों को मिट्टी या साबुन से ज़रूर धोएँ। 13. मजबूरी की स्थिति में खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। 14. ज़रूरत के समय 'यूरिनरी पॉट' (Urinary Pot) में पेशाब करना सही है। 15. 'यूरिनरी पॉट' के पेशाब को जल्द से जल्द फेंक दें।

	<p>16. पेशाब करने के दौरान न सलाम करें और न ही सलाम का जवाब दें।</p> <p>17. पेशाब करने के लिए दीवार या किसी चीज़ की आड़ लेनी चाहिए।</p> <p>18. नमाज़ पढ़ने से पहले अगर पेशाब-पाखाने की ज़रूरत महसूस हो, तो पहले उससे फारिग हो (निपट लें, फिर नमाज़ पढ़ें।</p> <p>19. गुसलखानों (स्नानघर) में पेशाब करना मना है, अगर उस जगह पानी के निकलने का रास्ता (नाली) न हो।</p> <p>20. घरों में ज़रूरत पूरी करने के लिए "Attached Bathroom" बनाना दुरुस्त (सही) है।</p> <p>21. पेशाब या पाखाने से फारिग होने के बाद हाथ के साथ मुँह धोना अच्छा है।</p> <p>22. तहारत यानी गुसल और वजू वगैरह की शुरुआत सीधे हाथ से करनी चाहिए।</p> <p>23. तहारत (साफ-सफाई) में मुबालगा यानी "Extreme / Maximum Effort" करना चाहिए।</p> <p>24. पेशाब करते समय अपने अंग को अपने दाहिने (सीधे) हाथ से न पकड़ें, सिवाय इसके कि कोई मजबूरी या उज़र हो।</p>
--	--

प्रश्न 54	शौच (क़ज़ा-ए-हज़त) के लिए कितनी दूर जाना चाहिए?
उत्तर 54	<p>शौच के लिए आबादी से दूर या लोगों की नज़रों से ओझल हो जाना चाहिए:</p> <p style="text-align: center;">(عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ)</p> <p>((हज़रत मुगीरा बिन शोबा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि: "नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब शौच के लिए जाते, तो (आबादी से) बहुत दूर चले जाते थे।"))</p> <p>हज़रत मुगीरा बिन शोबा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब शौच (यानी पेशाब और पाखाना) के लिए जाते, तो दूर तशरीफ़ ले जाते थे।</p> <p>(सुनन अबी दाऊद / किताब: पवित्रता (तहारत) के मसले / बाब: शौच के लिए एकांत जगह जाने का वर्णन - हदीस नंबर: 1, सुनन अल-तिर्मिज़ी / तहारत (20), सुनन अल-नसाई / तहारत (17), सुनन इब्न माजाह / तहारत (331), (तुहफ़तुल अशराफ़: 11540), मुसनद अहमद (4/244), सुनन अल-दारमी / तहारत 4 (686), सिलसिला अल-सहीहा: 1159, शेख़ अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने इस हदीस को 'हसन' (सही) करार दिया है।)</p>

प्रश्न 55	क़ज़ा-ए-हज़त (शौच) करना कहाँ मना है?
उत्तर 55	<p>1. रास्तों, छायादार वृक्षों या लोगों के लाभ के स्थानों पर शौच की मनाही:</p> <p>रास्तों, छायादार वृक्षों या लोगों के काम आने वाली जगहों पर शौच करने से मना किया गया है।</p>

(عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

"اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ" (سنن أبي داود: 26)

हजरत मुआज्ज बिन जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"उन तीन चीज़ों से बचो जो लानत का कारण बनती हैं: घाटों (पानी लेने के रास्तों, नहर, तालाब के किनारे) पर, आम रास्तों में, और साये (छाया) में शौच करने से।"

(सुनन अबू दाऊद: 26)

2. ठहरे हुए पानी में पेशाब न किया जाए:

(عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

"أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ"

(صحيح مسلم: 281)

हजरत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया है।

(सहीह मुस्लिम: 281)

प्रश्न 56

क्या बर्तन में पेशाब करना जायज है?

उत्तर 56

बीमारी, सर्दी या किसी कठिनाई के कारण बर्तन में पेशाब करना जायज है।

(عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ "لَقَدْ دَعَا بِالطُّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَأَنْحَنَنْتُ نَفْسَهُ" - وَمَا أَشْعُرُ فِإِلَى مَنْ أَوْصَى)

((हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं: लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को (वसीयत) दी थी। हालांकि हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने के लिए एक बर्तन (तश्त) मंगवाया, फिर आप (पेशाब करते हुए) लुढ़क गए और आपकी रूह निकल गई। मुझे तो पता भी न चला, तो आपने किसे वसीयत की?))

उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (मर्ज़-उल-मौत/अंतिम बीमारी में) अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खास वसीयत फ़रमाई, जबकि हकीकत यह है कि आपने पेशाब करने वाला बर्तन मंगवाया ताकि उसमें पेशाब करें, मगर (उससे पहले

ही) आपका जिस्म ढीला पड़ गया—(आप वफ़ात पा गए)—मुझे पता भी न चला, तो आपने किसको वसीयत की?

(सुनन नसाई: 33, सही बुखारी/अल-वसाया 1 (2741), अल-मगाज़ी 83 (4459), सही मुस्लिम/अल-वसीयत 5 (1636), सुनन इब्न माजह/अल-जनाइज़ 64 (1626), तुहफ़तुल अशराफ़: 15970), मुसनद अहमद 6/32, शेख़ अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है।)

प्रश्न 57

शौच (क़ज़ा-ए-हाजत) के समय क़िब्ला की ओर मुख करने का क्या हुक़म है?

उत्तर 57

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا

(सही बुखारी: 144)

"जब तुममें से कोई शौच के लिए जाए, तो न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करे और न ही उसकी तरफ़ पीठ करे; बल्कि पूर्व (मशरिक़) या पश्चिम (मगरिब) की ओर मुँह कर लिया करो" (बुखारी: 144)

यह हुक़म मदीना वालों के लिए था, क्योंकि हमारे यहाँ (मदीना में) काबा पश्चिम में पड़ता है। यदि हम इस (पूर्व/पश्चिम वाले निर्देश) पर अमल करेंगे, तो यह रसूल अल्लाह ﷺ की नाफ़रमानी होगी।

शौच के दौरान क़िब्ला की ओर मुँह या पीठ न करना ही सही रुख़ है; यही शेख़ अल्बानी (रहि.) का भी मत है।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया:

"जब तुम शौच के लिए जाओ, तो उस वक्त न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करो और न पीठ करो, बल्कि पूर्व या पश्चिम की तरफ़ अपना मुँह कर लिया करो।" (सही बुखारी: 394, हदीस के शब्द बुखारी के हैं; सही मुस्लिम: 264)

महत्वपूर्ण नोट

तथ्य यह है कि इमाम सनआनी (रहि.) और 'तुहफ़तुल अहवज़ी' के लेखक जैसे कुछ विद्वानों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत के आधार पर आबादी (बस्तियों) और सहरा (रेगिस्तान/खुले मैदान) के बीच अंतर किया है। उनके अनुसार, क़िब्ला की ओर मुँह या पीठ करने की मनाही केवल खुली और खाली जगहों के लिए है, जबकि बंद घरों और इमारतों के अंदर इसकी अनुमति है।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ نَاسًا، يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَفَعْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ

(सही बुखारी: 145 | सही मुस्लिम: 266)

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है, वे कहते हैं कि लोग कहते हैं: "जब तुम शौच के लिए बैठो, तो न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करो और न बैतुल मुक़दस की तरफ़।" (यह सुनकर) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फरमाया:

"एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, तो मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को देखा कि आप दो ईंटों पर बैतुल मुक़दस की तरफ़ मुँह करके शौच के लिए बैठे थे।" (सही बुखारी: 145, सही मुस्लिम: 266)

प्रश्न 58

पेशाब की छींटों से बचना क्यों ज़रूरी है?

उत्तर 58

कपड़ों और शरीर को पेशाब की छींटों से सुरक्षित रखें, क्योंकि कपड़ों और शरीर पर पेशाब की छींटें कब्र के अज़ाब (यातना) का कारण बनती हैं, जिसके बारे में सख्त चेतावनी दी गई है:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ"

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है, उन्होंने कहा:

"नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मदीना या मक्का के बागों में से एक बाग से गुज़रे, तो आपने दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जा रहा था। नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: 'इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह (जिसे लोग बड़ा समझते हों) की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा।' फिर आपने फरमाया: 'क्यों नहीं! (असल में बात यह है कि) उनमें से एक शख्स पेशाब के छींटों से बचने का एहतिमाम (सावधानी) नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था।'"

(सही बुखारी: 216, सही मुस्लिम: 262)

प्रश्न 59

जब जमात (सामूहिक प्रार्थना) का समय हो और शौच की आवश्यकता हो, तो क्या करें?

उत्तर 59

यदि जमात के लिए इकामत (नमाज़ शुरू होने की पुकार) कह दी गई हो और किसी को पेशाब या पाखाना (शौच) महसूस हो, तो उसे पहले अपनी ज़रूरत से फारिग (निवृत्त) हो जाना चाहिए और फिर नमाज़ अदा करनी चाहिए।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ"

	<p>अब्दुल्लाह बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:</p> <p>"जब तुम में से किसी को पाखाने (शौच) की ज़रूरत हो और उस वक्त नमाज़ खड़ी हो चुकी हो, तो वह पहले कज़ा-ए-हाजत (पेशाब व पाखाना) के लिए जाए।"</p> <p>(सुनन अबी दाऊद: 88, सुनन अत-तिर्मिज़ी: 142)</p>
--	---

प्रश्न 60	क्या खड़े होकर पेशाब करना जायज है?
उत्तर 60	<p>मजबूरी की स्थिति में खड़े होकर पेशाब करना जायज है:</p> <p>عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ فَأَيْمًا</p> <p>((हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा: "मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, या (कहा कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़ेदान (कचरा फेंकने वाली जगह) पर तशरीफ लाए और वहां खड़े होकर पेशाब किया।")) (सहीह बुखारी: 2471)</p>

प्रश्न 61	क्या स्नानघर (गुसलखाने) में पेशाब कर सकते हैं?
उत्तर 61	<p>स्नानघरों में पेशाब करना मना है:</p> <p>(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَبِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"، قَالَ أَحْمَدُ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)</p> <p>अनुवाद: सैय्यदना अब्दुल्ला बिन मुग़ाफ़ल (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:</p> <p>"तुम में से कोई व्यक्ति हरगिज़ ऐसा न करे कि अपने स्नानघर (हम्माम) में पेशाब करे और फिर उसी में नहाए।"</p> <p>इमाम अहमद की रिवायत में है:</p> <p>"फिर उसी में वजू करे, क्योंकि अधिकांश 'वसवसे' (मानसिक संशय या वहम) इसी से पैदा होते हैं।"</p> <p>(संदर्भ: सुनन अबू दाऊद: 27, सुनन अत-तिर्मिज़ी: 21)</p>

प्रश्न 62	क्या घरों में शौच के लिए "अटैच्ड बाथरूम" बनाना जायज है?
उत्तर 62	घरों में शौच (क़ज़ा-ए-हजत) के लिए "अटैच्ड बाथरूम" बनाना साबित है:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

((हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा: "एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, तो मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को दो ईंटों पर (शौच के समय) बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह किए हुए बैठे देखा।")) (सहीह बुखारी: 149)

"अटैच्ड बाथरूम" के मसले पर शेख बिन बाज़ (रह.) का फ़तवा:

शेख बिन बाज़ (रह.) से हम्माम (बाथरूम) में वजू करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: "हम्माम में वजू करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो इसमें कोई हर्ज (बुराई) नहीं है।"

शेख इब्न उथैमीन (रह.) का फ़तवा:

शेख इब्न उथैमीन (रह.) से अटैच्ड बाथरूम में वजू करने पर 'नजासत' (नापाकी) लगने के शक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: "असल नियम यही है कि पाकीज़ा (साफ) रहना ही बुनियादी चीज़ है, जब तक कि शरीर या कपड़ों पर नजासत (गंदगी) लगने का पक्का यकीन न हो जाए।"

प्रश्न 63

मा-ए-मुस्तअमल (Ma-e-Mustamal) क्या है?

उत्तर 63

"वह पानी जिसका उपयोग किया जा चुका हो; जैसे वजू के अंगों से टपकने वाला पानी या गुस्ल (स्नान) के दौरान इस्तेमाल किया गया पानी।"

यह अपनी मूल प्रकृति यानी पवित्रता पर ही रहता है, अर्थात ताहिर (स्वयं शुद्ध) और मुतहिहर (शुद्ध करने वाला) है।

लेकिन शेख बिन बाज़ (रह.) ने कहा है कि यदि कोई ऐसे 'मा-ए-मुस्तअमल' से सावधानी बरते, जिसकी अधिक मात्रा साफ़ पानी में शामिल हो गई हो, तो ऐसी सावधानी बरतना जायज़ है। लेकिन मा-ए-मुस्तअमल के मुतहिहर (शुद्ध करने वाला) होने के बारे में मुहद्दीसीन (हदीस के विद्वान) का बहुमत इससे सहमत है, हालाँकि अहनाफ़ (हनफी विद्वान) इसके विरुद्ध हैं।

प्रश्न 64

मा-ए-मखलूत ताहिर (Ma-e-Makhloot Tahir) क्या है?

उत्तर 64

मा-ए-मखलूत ताहिर: (पाक/शुद्ध चीज़ों से मिला हुआ पानी), इसकी तीन किस्में (प्रकार) हैं:

1. यह वह पानी है जिसमें कोई पाक (शुद्ध) चीज़ मिल जाए।
2. लेकिन अगर पानी में ऐसी तब्दीली (बदलाव) हो जाए जिससे वह 'मा-ए-मुतलक' (साधारण पानी) न रह जाए, तो ऐसी स्थिति में वह ताहिर (स्वयं शुद्ध) तो होगा मगर मुतहिहर (दूसरे को शुद्ध करने वाला) नहीं होगा। जैसे: शरबत आदि। यह ताहिर तो है लेकिन मुतहिहर नहीं।

3. पानी में थोड़ा आटा गिरने से उस पानी की ताहिर और मुतहिर होने की विशेषता खत्म नहीं होती, इसलिए उससे वजू करना जायज़ है।

प्रश्न 65	पानी पर अशुद्धि (नापाकी) का नियम कैसे लागू होता है?
उत्तर 65	<p>इसकी दो किस्में हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि अशुद्धि (नजासत) की वजह से पानी के तीन गुणों—अर्थात् स्वाद, रंग और गंध—में से कोई एक भी बदल जाए, तो ऐसा पानी अशुद्ध (नजस) हो जाएगा। (इज्मा - सर्वसम्मति) 2. अगर किसी जगह भरा हुआ पानी मिले और हमें इस बारे में पता न हो कि वह शुद्ध (पाक) है या अशुद्ध (नापाक), तो उसकी तीन चीज़ें देखी जाएँगी: उसका स्वाद, रंग और गंध। अगर इनमें से कोई भी चीज़ बदली हुई न हो और पानी सामान्य पानी की तरह हो, तो उसे शुद्ध (पाक) माना जाएगा, और अगर कोई चीज़ बदल गई हो तो उसे अशुद्ध (नापाक) माना जाएगा। <p>प्रमाण (दलील): "हदीस-ए-बियर-ए-बुज़ा'आ"</p> <p>और हदीस:</p> <p style="text-align: center;">الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ</p> <p>"पानी शुद्ध है, उसे कोई चीज़ तब तक अशुद्ध नहीं करती जब तक कि उसका कोई गुण (वस्फ़) रंग, स्वाद या गंध न बदल जाए।"</p> <p>यह स्पष्ट होता है कि यदि पानी के गुणों में से कोई एक गुण यानी स्वाद, रंग या गंध न बदले, तो वह शुद्ध रहता है। जैसा कि "बीर-ए-बिज़ाआ" (बिज़ाआ के कुएं) के बारे में हदीस में प्रमाण मौजूद है:</p> <p>हदीस:</p> <p>(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بئرٍ بَضَاعَةٌ، وَهِيَ بئرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلُحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ")</p> <p>हजरत अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पूछा गया: "क्या हम बिज़ाआ के कुएं के पानी से वजू कर सकते हैं? जबकि वह ऐसा कुआं है जिसमें (इलाके की ढलान की वजह से) मासिक धर्म के कपड़े, कुत्तों के मांस और बदबूदार चीज़ें (बहकर) गिर जाती हैं?"</p> <p>रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "पानी पाक (शुद्ध) है, उसे कोई चीज़ नापाक (अशुद्ध) नहीं करती।" (सूनन अबी दाऊद: 66)</p>

पानी के गुणों (स्वाद, रंग और गंध) के बदल जाने पर उसके नापाक होने का हुक्म इज्मा (विद्वानों की सर्वसम्मति) के आधार पर लगाया गया है, क्योंकि इस संबंध में वर्णित हदीस दर्जे में 'ज़ईफ़' (कमजोर) है:

हदीस

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ

हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती, सिवाय उस चीज़ के जो उसकी गंध, स्वाद और रंग पर हावी हो जाए (यानी उन्हें बदल दे)।" (सूनन इब्न माजाह: 521):

- इस हदीस को 'कुतुब-ए-सित्ता' (हदीस की छह प्रमुख पुस्तकें) के मुहादिसीन में से केवल इब्न माजाह ने रिवायत किया है (तुहफतुल अशराफ: 4860, मिस्बाह उल जुजाजाह: 218)।
- इस हदीस की सनद (शृंखला) में रुशदीन और राशिद बिन साद दोनों 'ज़ईफ़' हैं, इसलिए यह हदीस (तकनीकी रूप से) सही नहीं है। लेकिन, विद्वानों का अमल इसी पर है और इस पर इज्मा (सहमति) है कि यदि नजसत (गंदगी) गिरने से पानी में बदलाव आ जाए तो वह पानी नापाक हो जाता है। शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) फरमाते हैं:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالذَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبِيثَ"

अनुवाद: मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को सुना, जबकि आपसे उस पानी के बारे में पूछा जा रहा था जो खुले मैदान में होता है और जिस पर दरिंदे और चौपाये (जानवर) पानी पीने आते हैं।

तो आपने (अल्लाह के रसूल ﷺ ने) फरमाया:

"जब पानी दो 'कुल्ला' की मात्रा में हो, तो वह गंदगी (नजासत) को स्वीकार नहीं करता (यानी वह गंदा नहीं होता)।"

(सन्दर्भ: सुनन तिरमिज़ी: किताबुत्तहारह, हदीस नंबर 67; सुनन अबू दाऊद: 63; सुनन नसाई: 52; सुनन इब्न माजाह: 517-518; मुसनद अहमद; और शेख अल्बानी ने इसे 'सहीह' करार दिया है।)

और हदीस

لَمَاءٌ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"पानी पाक करने वाला है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती" का अर्थ यह है कि जब तक उसका कोई एक गुण (स्वाद, रंग या गंध) न बदल जाए। (यह शर्त 'इज्मा' यानी विद्वानों की सर्वसम्मति पर आधारित है)।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

زَادَ ابْنُ مَاجَهٍ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ -: «إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ.

अबू सईद अल-खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया:

"पानी पाक (शुद्ध) है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।"

(इसे तीनों (अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई) ने रिवायत किया है और इमाम अहमद ने इसे सहीह कहा है।)

इब्न माजाह ने अबू उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में यह शब्द बढ़ाए हैं:

"सिवाय उस चीज़ के जो उसके स्वाद, रंग या गंध पर हावी हो जाए (उसे बदल दे)।"

(हालाँकि इसकी सनद कमज़ोर है, लेकिन इस बात पर विद्वानों का 'इज्मा' यानी आम सहमति है।)

- दो कुल्ला (कुलतैन): यदि पानी की मात्रा अधिक हो (लगभग 2 मटके या उससे ज़्यादा), तो उसमें थोड़ी-बहुत गंदगी गिरने से वह तब तक नापाक नहीं होता जब तक उसका रंग, स्वाद या महक न बदल जाए।
- बुनियादी नियम: पानी मूल रूप से शुद्ध होता है।

(1) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (11257، 11815، 11818)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (66، 67)، الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء (66)، قال الترمذي: حسن، النسائي: كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة (326)، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح.

(2) ضعيف: أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض (521)، قال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف.

(3)-3 صحيح: أخرجه أحمد في المسند (4803، 5855)، أبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (63)، الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء (67)، النسائي: كتاب

الطهارة، باب التوقيت في الماء (52)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (517، 518)، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح.

- (1) سहीह: अखर-जहा अहमद फ़िल मुस्नद (11257, 11815, 11818), व अबू दाऊद: किताबुत-तहारह, बाब मा जा-अ फ़ी बिअरि बिजाआ (66, 67), अत-तिर्मिज़ी: किताबु अबवाबित-तहारह, बाबुल मा-इ ला युनज्जिसुहू शै-उन (66), क़ाला-तिर्मिज़ी: हसन, अन-नसाई: किताबुल मियाह, बाब ज़िक्रि बिअरि बिजाआ (326), क़ालल अल्बानी फ़ी सहीह अबी दाऊद: सहीह अबू दाऊद: सहीह।
- (2) ज़ईफ़: अखर-जहू इब्न माजाह: किताबुत-तहारह व सु-ननिहा, बाबुल हियाज़ (521), क़ालल अल्बानी फ़ी ज़ईफ़ इब्न माजाह: ज़ईफ़।
- (3) -3 सहीह: अखर-जहा अहमद फ़िल मुस्नद (4803, 5855), अबू दाऊद: किताबुत-तहारह, बाब मा युनज्जिसुल मा-अ (63), अत-तिर्मिज़ी: किताबु अबवाबित-तहारह, बाबुल मा-इ ला युनज्जिसुहू शै-उन (67), अन-नसाई: किताबुत-तहारह, बाबुत-तौक्रीति फ़िल मा-इ (52), इब्न माजाह: किताबुत-तहारह व सु-ननिहा, बाब मिक्दारिल मा-इल्लज़ी ला युनज्जिस (517, 518), क़ालल अल्बानी फ़ी सहीह अबी दाऊद: सहीह।

प्रश्न 66

पाक (शुद्ध) पानी कौन सा है और नापाक (अशुद्ध) कौन सा?

उत्तर 66

1. दो मटकों से कम पानी भी तभी नजिस (अशुद्ध) होगा जब पानी के तीन गुणों में से कोई भी गुण बदल जाए; यानी दो मटकों से कम पानी का नियम भी वही है जो दो मटकों के पानी का है। क्योंकि नबी करीम ﷺ का फरमान है: "पानी पाक होता है, उसे कोई चीज़ नजिस नहीं करती।" तो आप ﷺ ने दो मटकों का ज़िक्र इसलिए किया है कि अगर पानी इससे कम होगा तो फिर गौर और विचार करना पड़ेगा कि क्या नजासत (अशुद्धि) गिरने से पानी का कोई गुण तो नहीं बदल गया? इसीलिए आपने यह ज़िक्र नहीं किया कि उनसे कम पानी में नजासत गिरते ही वह नजिस हो जाएगा। इस हदीस का यह भावार्थ (मफ़हूम) सैय्यदना अबू सईद खुदरी (रज़ि.) की ऊपर उल्लेखित हदीस की वजह से है।
2. साथ ही इससे यह भी मालूम हुआ कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी आमतौर पर नजासत गिरने से ही बदल जाता है, इसलिए थोड़े से पानी को बहा दिया जाए और ऐसे पानी को इस्तेमाल करने से बचें। (मजमूअ फतावा इब्न बाज़: 16/10)
3. दो कुल्लों (दो मटकों) से कम पानी के अहकाम (नियमों) में काफी मतभेद है, जिसे यह आम किताब सहन नहीं कर सकती। इसलिए विस्तृत 'फिक्ह मुकारन' (तुलनात्मक न्यायशास्त्र) की किताबों की ओर रुख किया जाए या विद्वानों से पूछ कर समाधान किया जा सकता है।

4. अगर पानी में हवाओं या पानी के बहाव से बहते हुए पत्ते, लकड़ियाँ और कचरा आदि जैसी कुछ चीजें गिर जाएँ और उसमें कोई बदलाव पैदा न हो, तो वह नजिस नहीं होगा बल्कि अपनी मूल स्थिति यानी ताहिर व मुतहिर (शुद्ध और शुद्ध करने वाला) ही रहेगा।
5. पानी में या हौज (कुंड) में उगने वाले पौधे या पानी की सफाई वाला कोई पदार्थ डाला जाए, तो पानी की असलियत और शुद्धता (तहूरियत) में कोई अंतर नहीं आएगा।
6. यदि पानी में मिट्टी गिरने से उसका रंग बदल जाए, तो पानी की पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी भी पानी की तरह पवित्रता का गुण अपने अंदर रखती है।
7. बदबूदार और सड़ा हुआ पानी, या बहुत दिनों से ठहरे हुए बदबूदार पानी को "मा-ए-आजन" कहा जाता है। यह पानी अपनी असलियत पर शेष रहता है जब तक कि इसकी शुद्धता और प्रकृति समाप्त न हो जाए। इब्न अल-मुन्ज़िर (रहमतुल्लाह अलैहि) ने इस मसले में 'इज्मा' (विद्वानों की सर्वसम्मति) को उद्धृत किया है और इब्न कुदामा (रहमतुल्लाह अलैहि) ने कहा है कि बहुमत की यही राय है, और इस सिलसिले में किसी के मतभेद से इस नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।¹
8. यदि शरीर के किसी अंग पर केसर या आटा जैसी कोई शुद्ध चीज लग जाए, तो ऐसी चीजें शरीर की पवित्रता को समाप्त नहीं करतीं।
9. उपरोक्त बिंदु से यह भी सिद्ध होता है कि साबुन के साथ स्नान (गुस्ल) करने की स्थिति में पवित्रता बनी रहती है, जैसा कि इब्न मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सहाबा के युग में सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले "खतमी" पौधे से स्नान करने की अनुमति दी थी।²
10. मा-ए-मुशाम्स (सूर्य की गर्मी से गर्म पानी) या सोलर सिस्टम या बिजली के गीजर (हीटर) आदि जैसी मशीन से गर्म किया गया पानी शुद्ध और पवित्र करने वाला है, जैसा कि हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत इब्न उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने गर्म किए गए पानी से स्नान किया था।³
11. ज़मज़म के पानी से वजू करना जायज़ है।
12. निम्नलिखित जल पवित्र हैं:
 1. समुद्र का पानी: (हुवल तहूरू मा-उहु: इसका पानी पवित्र है)।
 2. नदी और चर्मों का पानी: (अनफाल: 11)।
 3. कुओं का पानी: (बियर-ए-बुज़ाआ और बीर-ए-हा)।
 4. बारिश का पानी (सूरह फुरकान: 48)
 5. और बर्फ तथा ओलों से पिघला हुआ पानी।

13. असल बात यह है कि पानी पाक (शुद्ध) है और अगर उसकी पाकी (शुद्धता) के बारे में संदेह हो जाए, तो असल (मूल स्थिति) की तरफ लौटते हुए उसे पाक ही समझा जाएगा और संदेह को खारिज कर दिया जाएगा, जब तक कि नजासत (अशुद्धता) का यकीन न हो जाए।


(इब्न उथैमीन और शेख सादी - अल-कवाइद अल-फिक्रहिया)

الأصل في مياهنا الطهارة
والأرض والثياب والحجارة

असल नियम यह है कि पानी, धरती, कपड़े और पत्थर मूल रूप से शुद्ध (पवित्र) होते हैं।

1	المغنى، ١٤/١، الإجماع ص ٤	अल-मुगनी, 1/14, अल-इज्मा' सफ़ा 4
2	(ابن ابى شيبة: ١: ١٧)	(इब्न अबी शैबा: 17:1)
3	(دار قطنى: ٣٧/١) اسى طرح ابن عمر بهى (ارواء الغليل: (١٧	(दार कुतनी: 1/37) इसी तरह इब्न उमर भी (इरवा उल-गा- 17)

प्रश्न 67	यदि पानी की अशुद्धि (नजासत) दूर हो जाए, तो उस पानी का क्या हुक्म है?
उत्तर 67	उत्तर: यदि पानी में प्रचुर मात्रा में और पानी मिला दिया जाए, या वह स्वयं शुद्ध हो जाए, या आधुनिक उपकरणों और तकनीक के माध्यम से उसे इस हद तक साफ किया जाए कि उसमें अशुद्धि के प्रभाव जैसे स्वाद, रंग और गंध बाकी न रहें और पानी अपनी असलियत (मूल स्वरूप) पर वापस आ जाए, तो ऐसा पानी शुद्ध है। न्यायशास्त्र (फिक्रह) की किताबों में इस परिवर्तित पानी को "इस्तेहाला" कहा जाता है। ⁴ (15) विद्वानों (उलेमा) के निकट इस्तेहाला से शुद्ध होने की अवधारणा तर्कसंगत और स्वीकार्य है। ⁵
	4 شرح بلوغ المرام، الموسوعة الفقهية الميسرة، الفقه الشامل
	5 ابن حزم- المحلى: 166/1، ابن تيمية- الفتاوى المصرية: ص



PART-2

भाग-2

दूसरी जिल्द का मख्तसर नुसखे

Doosri jild ka mukhtasar nuskha

दूसरी जिल्द का संक्षिप्त संस्करण

प्रश्न 68	फ़ितरत (Fitrat) के भाषाई अर्थ क्या हैं?
उत्तर 68	"अल्-फ़ितरतु" (Al-Fitrah) के कई अर्थ पाए जाते हैं, जैसे: पीडाइश (जन्म/उत्पत्ति), खलकत (सृष्टि), शुरुआत, इब्तदा (आरंभ), इख़तरा (आविष्कार/नया निर्माण) यानी कि गढ़ना (बनाना)।

प्रश्न 69	फ़ितरत का पारिभाषिक अर्थ क्या है?
उत्तर 69	इमाम इब्न हजर (रहमतुल्लाह अलैहि) कहते हैं: इसका अर्थ और मतलब यह है कि "अल-फ़ितरत" से मुराद (तात्पर्य) नबियों की सुन्नतें हैं। विद्वानों के एक समूह का कहना है कि इससे मुराद (दीन) फ़ितरत है (यानी इस्लाम का दीन, जो कि दीन-ए-फ़ितरत है)। (फ़तहुल बारी, इब्न हजर: 10/337)

प्रश्न 70	सुन्नत अल-फ़ितरा (प्राकृतिक सुन्नतों) की संख्या कितनी है?
उत्तर 70	इमाम इब्न हजर असकलानी (رحمة الله عليه) ने इब्न अल-अरबी (رحمة الله عليه) द्वारा बताई गई संख्या का उल्लेख करते हुए कहा: "यानी इब्न अल-अरबी (رحمة الله عليه) कहते हैं कि सुन्नत अल-फ़ितरा की संख्या तीस (30) तक पहुँचती है। यदि इब्न अल-अरबी का तात्पर्य विशेष रूप से 'सुन्नत अल-फ़ितरा' से है जो इसी शब्द के साथ वर्णित की गई हैं, तो उनकी बात सही नहीं है; और यदि उनका तात्पर्य सामान्य प्राकृतिक आदतों (स्वभाव) से है, तो फिर यह संख्या तीस (30) से भी अधिक हो जाती है। और इनमें सबसे कम सुन्नत अल-फ़ितरा की संख्या तीन (3) तक बताई जाती है, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस में वर्णित किया गया है।" (फ़तह अल-बारी, इब्न हजर: 10/337, किताबुल लिबास, बाब क़स अल-शारिब)

प्रश्न 71	प्राकृतिक सुन्नतों (फ़ितरी सुन्नत) के संदर्भ में हदीस का वर्णन करें?
उत्तर 71	"अब्दुल्ला बिन जुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फरमाया: दस [10] चीज़ें फ़ितरत (स्वभाव) में से हैं: 1. 'क़स्सुल शारिब' (قص الشارب): मूँछें कतरना (छोटा करना)। 2. 'इफ़ाउल लिह्या' (إعفاء اللحية): दाढ़ी बढ़ाना। 3. 'अस्सिवाक' (السواك): मिसवाक करना।" 4. "استنشاق المائ": नाक में पानी डालना। 5. "قص الأظفار": नाखून तराशना (काटना)।

6. "غسل البراجم": अंगलियों के पोरों/जोड़ों को धोना।
7. "نتف الإبط": बगल के बाल साफ़ करना।
8. "حلق العانة": पेड़ू (नाभि के नीचे) के बाल साफ़ करना।
9. "انتقاص المائ": पानी से इस्तंजा करना (शौच के बाद सफाई करना)।
10. "المضمضة": कुल्ला करना।

हदीस की किताबों में हमें 'सुन्न-ए-फ़ितरत' (प्राकृतिक सुन्नतें) की संख्या के संबंध में तीन [3] महत्वपूर्ण हदीसों मिलती हैं।

उपरोक्त हदीसों से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक सुन्नतें कुल ग्यारह (11) हैं। इनकी संख्या के संबंध में विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के विभिन्न मत मिलते हैं। अधिकांश विद्वानों ने इनकी संख्या 10 बताई है, जबकि कुछ ने इससे अधिक और कुछ ने इससे कम का उल्लेख किया है।

चुनांचे, इमाम नववी (رحمة الله عليه) लिखते हैं:

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِطْرَةُ عَشْرَةٌ فَمَعْنَاهُ مُعْظَمُهَا عَشْرَةٌ، كَالْحَجِّ عَرَفَةَ، فَإِنَّهَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي الْعَشْرَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَأَمَّا ذِكْرُ الْخِتَانِ

"फ़रमान-ए-नबवी ﷺ 'फ़ितरी सुन्नतें दस हैं' का अर्थ यह है कि प्रमुख फ़ितरी सुन्नतें दस हैं। यह आप ﷺ के उस कथन की तरह है जैसे 'हज अरफ़ा (में ठहरने) का नाम है'। इसलिए फ़ितरी सुन्नतें केवल दस तक ही सीमित नहीं हैं। इसका प्रमाण यह है कि 'सहीह मुस्लिम' की रिवायत में फ़ितरी सुन्नतों की संख्या दस (10) बताई गई है, जबकि उसमें 'खतना' (Circumcision) का उल्लेख नहीं है।"

(अल-मजमूअ शरह अल-मुहज्जब: 1/184-185, किताबुत तहारह, बाब अस-सिवाक)

प्रश्न 72	सुन्न अल-फ़ितरा (प्राकृतिक सुन्नतें) की क्या हिकमतें (बुद्धिमत्ता/महत्व) हैं?
उत्तर 72	"इन प्राकृतिक आदतों (फ़ितरी आदतों) का अनुसरण करने और उनका पालन करने से कई धार्मिक और सांसारिक लाभ तथा फ़ायदे प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ लाभ ये हैं: रूप-रंग का सौंदर्य और शरीर की पूर्ण एवं विस्तृत स्वच्छता प्राप्त होती है; और शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की पवित्रता और शुद्धता की सुरक्षा होती है; और मेल-जोल रखने वाले लोगों तथा अपने करीबियों को अप्रिय गंध जैसी तकलीफ से बचाकर उनके साथ शिष्टाचार (अच्छा व्यवहार) व्यक्त किया जाता है और मजूस यानि अग्नि-पूजकों, यहूदियों, ईसाइयों और मूर्ति-पूजकों के तौर-तरीकों के विरुद्ध है और यह धर्मशास्त्र के आदेशों के पालन और आज्ञाकारिता के अंतर्गत आता है। ईश्वर के इस आदेश में: 'और उसने तुम्हारी सूरतें बनाई और उन्हें बहुत सुंदर बनाया' इन विशेषताओं का पालन करने का संकेत मिलता है।
	मानो यह कहा जा रहा है कि: चूँकि तुम्हारी सूरतें सुंदरता और आकर्षण से परिपूर्ण हैं, अतः उन्हें ऐसी चीजों से बदसूरत और भद्दा न बनाओ जिससे उनका आकर्षण कम हो जाए। बल्कि ऐसी बातों का पालन करो जिनसे

	<p>उनकी सुंदरता और आकर्षण हमेशा बना रहे और उनकी रक्षा से शराफ़त, उच्च दृष्टिकोण और वांछित प्रेम व अपनत्व की सुरक्षा की जा सके।</p> <p>क्योंकि यदि मनुष्य सुंदरता और निखार वाली छवि अपनाकर लोगों के सामने आए, तो ऐसा व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं में खुशी और प्रसन्नता का एक बड़ा कारण और प्रेरक बनता है। साथ ही उसकी बात मानी जाती है और उसकी राय व विचार प्रशंसनीय होते हैं। और यदि वह इन विशेषताओं का ख्याल न रखे, तो मामला इसके विपरीत (उल्टा) हो जाता है।"</p> <p>(फ़तह अल-बारी, इब्न हजर: 10/337)</p>
--	---

प्रश्न 73	खतना फर्ज़ है या सुन्नत?
उत्तर 73	<p>खतना (Circumcision) के हुक्म (आदेश) के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अ: खतना करना वाजिब (अनिवार्य) है - इमाम नववी (रहमतुल्लाह अलैहि) का कथन है: "हमारे नजदीक पुरुष और महिला दोनों का खतना करना वाजिब है और पूर्वजों (सलफ़ सालेहीन) में से अधिकांश का यही मत है।" (अल-मजमू' शरह अल-मुहज़ज़ब: 1/300, किताब अत-तहारा, बाब अस-सिवाक) • ब: खतना करना सुन्नत है - इमाम इब्न अब्दुल बर्र (रहमतुल्लाह अलैहि) का कथन है: "(फितरतुल इस्लाम की दस विशेषताएँ हैं, उनमें से एक खतना है, यह पुरुषों के लिए सुन्नत है और महिलाओं के लिए सम्मान और सत्कार की बात है)।" इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैहि) से भी यही वर्णित है कि खतना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुन्नत है। (अल-काफी फी फिक्ह अहल अल-मदीना अल-मालिकी, पृष्ठ: 612, किताब अल-जामी)

प्रश्न 74	खतना की क्या फज़ीलत (महत्व) और अहमियत है?
उत्तर 74	<p>पहली हदीस:</p> <p style="text-align: center;">﴿ تَمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾</p> <p style="text-align: right;">(سورة النحل، سورة نمبر: 16، آیت نمبر: 123)</p> <p>"फिर हमने आपकी ओर यह 'वही' (प्रकाशना) भेजी कि इब्राहीम के तरीके (मिल्लत) का अनुसरण करें, जो पूरी तरह एक अल्लाह के हो गए थे और वह मुशरिकों (मूर्तिपूजकों) में से नहीं थे।"</p> <p>(सूरह अन-नहल, सूरह नंबर: 16, आयत नंबर: 123)</p>

फिर हमने आपकी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ओर वही (ईश्वरीय संदेश) भेजी कि आप इब्राहीम हनीफ़ के दीन (मिलत) का अनुसरण करें, जो कि बहुदेववादियों (मुशरिकों) में से नहीं थे।"

इसलिए खतना करना मिलत-ए-इब्राहीमी का एक प्रमुख प्रतीक और पहचान है क्योंकि अबुल अबिया इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) वे पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अपना खतना किया, जैसा कि हदीस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अबू हुैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) वर्णन करते हैं कि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "नबी इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अस्सी [80] वर्ष की आयु में 'कदोम' (नामक स्थान) में स्वयं अपना खतना किया।" (सहीह मुस्लिम: [2370] [6141] - और सहीह बुखारी: 3356)

खतना, इस्लाम धर्म में धार्मिक प्रतीकों और सुन्नत-ए-इब्राहिमी में से है। इस्लाम धर्म के अलावा यहूदियों में भी खतना प्रचलित है। अलबत्ता, ईसाइयों (Christians) में कुछ "ऑर्थोडॉक्स चर्च" (Orthodox Church) भी खतना की अनुमति देते हैं, लेकिन उनके यहाँ खतना धर्म का हिस्सा नहीं है।

प्रश्न 75	क़स्स-उश-शारिब" (قَصُّ الشَّارِبِ) का भाषाई (शब्दकोश) अर्थ क्या है?
उत्तर 75	<ul style="list-style-type: none"> "क़स्स" (قَصَّ) का भाषाई अर्थ: काटना, छाँटना, खुरचना, तराशना। "अश-शारिब" (الشَّارِبِ) का अर्थ: मूँछ। <p>अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद बिन अली अल-फ़यूमी अल-हमवी (رحمة الله عليه) का कथन:</p> <p>((والشاربُ الشَّعْرُ الَّذِي يَسِيلُ عَلَى الْفَمِّ))</p> <p>शारिब (मूँछ) उन बालों को कहते हैं जो ऊपरी होंठ पर आकर मुँह पर लटकते हैं।"</p> <p>(अल-मिसबाह उल-मुनीर फी ग़रीब अश-शरह अल-कबीर लिल-फ़यूमी: 1/308, किताबुश-शीन, अश-शीन म'अर-रा वमा युसल्लिसुहुमा, [श-र-ब])</p> <p>(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومى 308/1، كتاب العين، الشين مع الراء، وما يُشبهها [ش رب])</p>

प्रश्न 76	मूँछें बढ़ाना किसकी निशानी है?
उत्तर 76	<p>मूँछें बढ़ाना मुशरिकों (बहुदेववादियों) की निशानी है:</p> <p>((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِرُوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشَّوَارِبِ))</p> <p>अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "मुशरिकों के खिलाफ़ करो (उनके विपरीत चलो), दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछें कटवाओ।" (सहीह बुखारी: 5892)</p>

	<p>मूँछें बढ़ाना मजूसी यानी अग्नि-पूजकों की निशानी है:</p> <p style="text-align: center;">(("جُزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَزْحُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ"))</p> <p>अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "मूँछें काटो और दाढ़ी बढ़ाओ, मजूसियों (अग्नि-पूजकों) के खिलाफ करो।</p> <p>मूँछों को तराशो (छोटा करो) और दाढ़ी को बढ़ाओ और मजूसियों (अग्नि पूजकों) के खिलाफ करो।"</p> <p>(सहीह मुस्लिम: 260 [603])</p>
--	---

प्रश्न 77	मूँछें काटनी चाहिए या मुंडवानी चाहिए?
उत्तर 77	<p>मूँछें काटने और मुंडवाने के संबंध में विद्वानों (उलेमा) के बीच मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान मूँछें काटने को और कुछ मुंडवाने को बेहतर (अफ़ज़ल) करार देते हैं। विवरण मेरी विस्तृत पुस्तक में देखें।</p> <p>नोट: शेख अल्बानी (रह.) ने सैयदना उमर (रज़ि.) के अमल के आधार पर, मुंडवाने (हलक़) के बजाय मूँछें काटने को प्राथमिकता दी है, क्योंकि सैयदना उमर (रज़ि.) युद्धों में अपनी मूँछों पर फूंक मारा करते थे। – (आदाब-उज़-ज़िफ़ाफ़)</p>

प्रश्न 78	إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ इफ़ा-उल-लिहया (I'fa-ul-Lihyah) का क्या अर्थ है?
उत्तर 78	<p>यहाँ 'إِعْفَاءُ' 'इफ़ा' (I'fa) का अर्थ छोड़ देना और प्रचुरता (बढ़ाना) है, यानी "अपनी हाल पर छोड़ देना और बहुतायत व अधिकता के साथ रखना" है।</p> <p>अतः, शब्दकोश (लुगत) में यह प्रमाणित है कि "अफू" (A'fu) इसी प्रचुरता और छोड़ देने के अर्थ में है। (स्रोत: मानी इफ़ा अल-लिही — इस्लाम सवाल-ओ-जवाब (islamqa.info))</p> <p>'लिहया' (Lihyah) यानी दाढ़ी का भाषाई अर्थ: गालों के दोनों ओर और ठुड्डी (Chin) पर उगने वाले बालों को "लिहया" यानी दाढ़ी कहा जाता है। "लिहया" का बहुवचन (Plural) 'लिही' (Liha) और 'लुही' (Luha) है, यानी 'लाम' अक्षर पर ज़ेर (कसरा) और पेश (ज़म्मा) दोनों के साथ है। (स्रोत: अल-क़ामूस अल-मुहीत: 4/377)</p>

प्रश्न 79	दाढ़ी का क्या हुक़म है?
उत्तर 79	दाढ़ी बढ़ाना अंबिया-ए-किराम (पैगंबरों) की सुन्नत है और इसका हुक़म वाजिब है। जैसा कि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जब हारून (अलैहिस्सलाम) की दाढ़ी पकड़ी, तो उन्होंने फरमाया:

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

(सूरह ता-हा, सूरह नंबर 20, आयत नंबर 94)

"हारून (अलैहिस्सलाम) ने कहा: ऐ मेरे माँ जाए भाई! मेरी दाढ़ी न पकड़ और न सिर के बाल (खींच), मुझे तो सिर्फ यह ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप यह (न) फरमाएँ कि तूने बनी इस्राइल में तफ़रका (फूट) डाल दिया और मेरी बात का इंतज़ार न किया।

अल्लामा शिनकीती (رحمته الله عليه) इस आयत की व्याख्या (तफसीर) में कहते हैं कि: यदि सूर ता-हा की इस आयत को सूर अल-अनाम की आयत नंबर 84 के साथ जोड़ दिया जाए, तो यह आयत इस बात का प्रमाण देती है कि दाढ़ी को भरपूर मात्रा में छोड़ना अनिवार्य (फर्ज) है। और यह इस बात की कुरानी दलील (सबूत) है कि दाढ़ी को भरपूर मात्रा में छोड़ना फर्ज है और इसे 'मुंडवाना' (Shave) नाजायज़ है। — (अज़वा-उल-बयान फी ईज़ाह अल-कुरान बिल-कुरान लिल-शिनकीती: 4/92)

कुछ हदीसों में शब्द "أَرْجُوا" (अरजू) के बजाय "أَرْخُوا" (अरखू) आया है; ज्ञान के कुछ विद्वानों (अहल-ए-इल्म) ने इसे 'तस्हीफ' (लेखन की त्रुटि) करार दिया है, जैसा कि इमाम कुर्तिबी (رحمته الله عليه) ने "अल-मुफहिम लिमा अशकला मिन तल्खीस किताब अल-मुस्लिम: 1/515" में स्पष्टता के साथ इसका उल्लेख किया है।

प्रश्न 80	दाढ़ी की मात्रा और उसे काटने के संबंध में विद्वानों (उलेमा) का दृष्टिकोण स्पष्ट करें?
उत्तर 80	<p>इमाम नववी (रहमतुल्लाहि अलैहि) फरमाते हैं कि: पाँच रिवायतों में (أَرْجُوا), (أَوْفُوا), (أَعْفُوا) और (وَفَّرُوا) के शब्द आए हैं, और इन तमाम शब्दों का अर्थ यही है कि दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। यही वह ज़ाहिरी अर्थ है जिसका हदीस के शब्द तक्राज़ा करते हैं और हमारे शाफ़ई (विद्वानों) का एक समूह और अन्य विद्वान इसी के कायल (पक्षधर) हैं।</p> <p>المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 141/3، كتاب الطهارة، باب الاستطابة) شرح مسلم 151/3، اقتباس مختصر</p> <p>(अल-मिनहाज शरह सहीह मुस्लिम बिन अल-हज्जाज लिल-नववी: 3/141, किताब-उत-तहारत, बाब-उल-इस्तिताबा) (सहीह मुस्लिम की शरह (3/151) से उद्धरण समाप्त हुआ)</p> <p>नोट: एक मुट्ठी से अधिक बालों को काटने या न काटने के बारे में एक स्वतंत्र (अलग) लेख आने वाला है। इस लेख में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी, इंशा अल्लाह।</p>

प्रश्न 81	दाढ़ी रखने का शरीयत (धार्मिक) हुकम क्या है?
-----------	---

उत्तर 81	<p>दाढ़ी रखना अंबिया-ए-किराम (पैगंबरों) की सुन्नत है और इसका हुक्म वाजिब है, जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं। यहाँ सबसे पहले यह बात स्पष्ट हो जाए कि आइम्मा-दीन और मुहद्दीसीन के नजदीक "फर्ज, वाजिब, लाज़िम" आदि—ये सभी चीज़ें शरीयत की शब्दावली में एक ही अर्थ में उपयोग की जाती हैं। इनके भाषाई और तकनीकी अर्थों या शरीयत की परिभाषाओं और उनमें पाए जाने वाले विवरणों में कोई अंतर मौजूद नहीं है।</p> <p>नोट: शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैह) ने कहा है कि जो लोग (दीन के मामलों को) "क़तई / ज़न्नी" (निश्चित / अनिश्चित) और इसी तरह की अन्य चीज़ों में विभाजित करते हैं, इसका कोई प्रमाण क़ुरान और सहीह हदीसों से साबित नहीं है।</p> <p>(इस मसले पर शेख अल्बानी ने "सिलसिला अहादीस अस-सहीहा: 1/222" में विस्तार से चर्चा की है। अधिक विवरण के लिए: "सिलसिला अहादीस अस-सहीहा" देखें। इसलिए अल्लाह तआला और अल्लाह के नबी ﷺ का हर हुक्म फ़र्ज / वाजिब / लाज़िम होता है, सिवाय इसके कि उसके मुक़ाबले में (उसे टालने की) कोई स्पष्ट दलील न मिल जाए।)</p>
----------	--

प्रश्न 82	नबी (ﷺ) की दाढ़ी कैसी थी?
उत्तर 82	<p>जाबिर बिन समुरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है:</p> <p>"रसूलुल्लाह ﷺ के सिर का अगला हिस्सा और दाढ़ी का कुछ हिस्सा सफेद हो गया था। जब आप ﷺ तेल लगाते थे तो सफेदी मालूम नहीं होती थी, और जब बाल बिखरे हुए होते तो सफेदी दिखाई देती थी। और आप (ﷺ) की दाढ़ी बहुत घनी थी।"</p> <p>एक व्यक्ति बोला: "क्या आप (ﷺ) का चेहरा तलवार की तरह (चमकदार) था?"</p> <p>सैय्यदना जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा: "नहीं, बल्कि आप (ﷺ) का चेहरा सूरज और चाँद की तरह (रोशन) और गोल था।"</p> <p>"मैंने आप (ﷺ) के कंधे पर 'नबूवत की मुहर' (Seal of Prophethood) देखी जो कबूतर के अंडे जैसी थी, उसका रंग शरीर के रंग जैसा था।"</p> <p>(सहीह मुस्लिम / अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के फज़ाइल / बाब: मुहरे नबूवत का बयान - हदीस नंबर: 6084)</p>

प्रश्न 83	दाढ़ी काटने या "Shave" (मुंडवाने) का क्या हुक्म है?
उत्तर 83	कुछ विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के अनुसार दाढ़ी काटना या "Shave" करना हराम (निषिद्ध) है। इस हुक्म पर विद्वान इत्तेफ़ाक (आम सहमति) व्यक्त करते हैं, जैसे:

	<ul style="list-style-type: none"> • इमाम इब्न हज्म (رحمة الله عليه) का कथन: "विद्वानों ने इस बात पर सहमति जताई है कि पूरी दाढ़ी का मुंडन करना 'मुसला' (चेहरे का रूप बिगाड़ना) है, जो जायज़ नहीं है।" (मरातिब अल-इज्मा, पृष्ठ: 157) • इमाम इब्न तैमिया (رحمة الله عليه) का कथन: उन्होंने इब्न अल-क़त्तान के हवाले से कहा: "विद्वानों ने सहमति व्यक्त की है कि पूरी दाढ़ी का मुंडन करना 'मुसला' है और यह जायज़ नहीं है।" • इब्न अल-क़त्तान (رحمة الله عليه) कहते हैं: "पूरी दाढ़ी मुंडवाना यानी 'shave' करना 'मुसला' है (यानी इंसान की शकल और सूरत बिगाड़ देना है), जो कि नाजायज़ है।" (अल-इक्रना' फ़ी मसाइल अल-इज्मा: 2/299) • शेख बिन बाज़ (رحمة الله عليه) का कथन: "चारों फ़िक़ही (न्यायशास्त्र) संप्रदायों का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि दाढ़ी को भरपूर (बढ़ने के लिए छोड़ना) रखना वाजिब (अनिवार्य) है और इसे मुंडवाना हराम है और इसे बहुत छोटा करना (खशखशी करना) भी इसी के समान है।" <p>मजमूअ फतावा इब्न बाज 25/351, किताबुल लिबास वज़ जीनत, हुक़म इफ़ाउल लिहया व ख़बरुल आहाद</p>
--	---

प्रश्न 84	अस्-सिवाक" का भाषाई और शरीई अर्थ क्या है?
उत्तर 84	<p>"अस्-सिवाक" का भाषाई (Linguistic) अर्थ: "सिवाक, सव्वक" (سواك، سَوَك) फ़ेअल सुलासी मुजर्रद के 'बाब-ए-नसरा' का मस्तर (Infinitive) है, जैसे कहा जाता है: "साका अस्नानहु" (سَاكَ اَسْنَانَهُ) यानी "उसने अपने दांतों को साफ़ और पाकीज़ा करने के उद्देश्य से रगड़ा।"</p> <p>साथ ही इसके अर्थ "मिसवाक की लकड़ी" और "धीरे चलना" भी हैं। इसकी जमा (Plural) "सुवुक" (سُوك) आती है, जैसे 'किताब' की जमा 'कुतुब' आती है। इसी तरह "मिसवाक" (مِسْوَاك) इस्म है और इसकी जमा "मसावीक" (مَسَاوِيك) है। (लुगातुल हदीस: 2/401-403)</p> <p>"अस्-सिवाक" का इस्तलाही (Technical) और शरीई अर्थ: अल्लामा अल-हत्ताब (रहमतुल्लाह अलैह) का कौल (कथन) है: "अस्-सिवाक" यानी पीलू या उसके जैसी लकड़ी को दांतों की सफ़ाई और मुँह की दुर्गंध को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। (मवाहिब अल-जलील लिल-हत्ताब: 1/380)</p>

प्रश्न 85	मिस्वाक का क्या हुक़म है?
उत्तर 85	मिस्वाक करना सुन्नत और मुस्तहब (पसंदीदा) अमल है, लेकिन यह वज़ू का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, अल्लाह के नबी ﷺ ने हर वज़ू के साथ मिस्वाक करने की ताकीद फरमाई है। मिस्वाक की लकड़ी ज़्यादातर नीम, जैतून और विशेष रूप से पीलू के पेड़ से प्राप्त की जाती है।

<p>मिस्वाक में सबसे बेहतरीन "Salvadora Persica" यानी पीलू के पेड़ की मिस्वाक है। अरबी में पीलू के पेड़ को "शजर-ए-अराक" कहते हैं। यह पेड़ ज्यादातर गर्म, शुष्क और रेगिस्तानी स्थानों पर पाया जाता है।</p> <p>कुरान मजीद में पीलू को "खमत" (Khamt) भी कहा गया है:</p> <p>"व बदलनाहुम बि-जन्नतैहिम जन्नतैनि दवातै उकुलिन खमत" (सूरह सबा, सूरह नंबर 34, आयत नंबर 16)</p> <p>तरजुमा: "और हमने उनके (हरे-भरे) बागों के बदले दो (ऐसे) बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले थे।"</p>

प्रश्न 86	मिसवाक का क्या उद्देश्य है?
उत्तर 86	<p>मिसवाक का मुख्य उद्देश्य मुँह की सफाई और अल्लाह की रज़ामंदी (प्रसन्नता) हासिल करना है।</p> <p>हदीस:</p> <p>عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب</p> <p>हजरत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:</p> <p>मिसवाक मुँह की पाकीज़गी (सफाई) का ज़रिया और रब की रज़ामंदी का सबब है।</p> <p>संदर्भ और प्रमाण (References):</p> <ul style="list-style-type: none"> • सुनन नसाई: किताब: पाकीज़गी के अहकाम और मसाइल / बाब: मिसवाक की तरगीब (प्रोत्साहन) का बयान - हदीस नंबर: 5 • तुहफ़तुल अशराफ़: 16271 • सहीह बुखारी: इमाम बुखारी ने इसे 'सीगा-ए-जज़म' के साथ हदीस नंबर 1934 से पहले रिवायत किया है। • अन्य स्रोत: मुसनद अहमद (6/47, 62, 124, 238), सुनन अद-दारमी (हदीस: 711)। • प्रमाणीकरण: अल्लामा अल्बानी ने 'सहीह सुनन अन-नसाई (5)' में इस हदीस को "सहीह" करार दिया है।

प्रश्न 87	मिसवाक की क्या फज़ीलत (महत्व) है?
उत्तर 87	<p>अम्र बिन सुलेम अंसारी ने कहा कि मैं गवाह हूँ कि सैयदना अबू सईद खुदरी (रज़िअल्लाहु अन्हु) ने फरमाया था कि मैं गवाह हूँ कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि: "जुम्मे के दिन हर बालिग (जवान) पर गुस्ल (स्नान), मिसवाक और खुशबू लगाना—अगर मयस्सर (उपलब्ध) हो—ज़रूरी है।"</p> <p>(सहीह बुखारी: 880, सहीह मुस्लिम: 846)</p>

सैयदना इब्ने अब्बास (रज़िअल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि वे एक रात अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास रहे, रात के आखिरी हिस्से में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उठे और बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, फिर यह आयत पढ़ी जो सूरह आल-इमरान में है:

فَقْنَا عَدَابَ النَّارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात-दिन के हेर-फेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं... हमें आग के अज़ाब से बचा)।

फिर आप वापस अंदर आए और मिसवाक की और वजू किया, और खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। फिर लेट गए, फिर उठे और बाहर निकले और आसमान की तरफ देखा और यही आयत पढ़ी, फिर वापस आए और मिसवाक की और वजू किया, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। (सहीह मुस्लिम: 256)

प्रश्न 88	क्या रोज़ेदार मिसवाक कर सकता है?
उत्तर 88	इमाम नसाई (رحمة الله عليه) ने इस मसले पर अध्याय (باب) कायम करते हुए फरमाया: "रोज़ेदार के लिए पिछले पहर (ज़ुहर और असर के वक्त) मिसवाक करने की इजाज़त का बयान।" (सुनन अन-नसाई, किताब-अत-तहारत, अल-मुअजम: 7)

प्रश्न 89	कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा टूटने के डर से रमज़ान के दिनों में मिसवाक करने से बचते हैं। तो क्या यह अमल (व्यवहार) सही है? और रमज़ान-उल-मुबारक में मिसवाक करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?
उत्तर 89	ऐसी कोई दलील नहीं है कि रमज़ान के दिनों में या इस महीने के अलावा किसी भी दिन मिसवाक करने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि मिसवाक करना सुन्नत है। वजू, नमाज़, नींद से जागने के समय और घर में प्रवेश करते समय—रमज़ान और अन्य महीनों में, रोज़ेदार और बिना रोज़े के सभी के लिए—मिसवाक करना एक शरीयत द्वारा ताकीद किया गया (महत्वपूर्ण) अमल है। इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, यह अलग बात है कि अगर मिसवाक में स्वाद हो और आपके थूक में उसका असर महसूस हो, तो आपको चाहिए कि उस स्वाद और ज़ायके को गले से नीचे न उतरने दें। इसी तरह, यदि मिसवाक करने से मसूड़ों से खून निकलने लगे, तो आप उसे निगलें नहीं। और यदि आप इतनी सावधानी बरत लेते हैं, तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

प्रश्न 90	अल-मज़मज़ाह" और "इस्तिनशाक़" का क्या अर्थ है?
उत्तर 90	अल-मज़मज़ाह (المضمضة):

"मुँह में पानी डालकर दोनों भीतरी गालों के बीच उस पानी को घुमाते हुए कुल्ला करने को 'अल-मजमजाह' कहते हैं।"

इस्तिनशाक (اسْتِنَشَاقُ) का शरई (धार्मिक) अर्थ:

"नाक में पानी डालकर साँस के ज़रिए उसे (पानी को) अंदर खींचना और ज़ोर से उसे बाहर निकालना, ताकि नाक के अंदर की गंदगी साफ़ हो जाए।"

प्रश्न 91

इस्तिनशाक (नाक में पानी डालना) और मजमजा (कुल्ली करना) का क्या हुकम है?

उत्तर 91

कुछ लोग इस्तिनशाक और मजमजा यानी नाक में पानी चढ़ाने और कुल्ली करने की नफ़ी (अस्वीकार) और इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि शरीयत-ए-इस्लामिया में इसका हुकम नहीं दिया गया है और वे प्रमाण के तौर पर कुरआन मजीद की इस आयत को पेश करते हैं:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
(سورة المائدة: 6)

"हे ईमान वालों! जब तुम नमाज़ के लिए उठो, तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसह करो और अपने पाँवों को टखनों तक (धो लो)।" (सूरह अल-माइदा, सूरा नंबर 5, आयत नंबर 6)

शेख अल्बानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) का कथन:

शेख अल्बानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) इस गलत विचार का खंडन करते हुए कहते हैं:

"मैं इसी हुकम (आदेश) का कायल हूँ कि कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये दोनों वाजिब (अनिवार्य) हैं और यही बात सत्य है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व ताआला ने अपनी प्रिय पुस्तक (कुरआन) में चेहरा धोने का हुकम दिया है, और कुल्ली करने व नाक में पानी चढ़ाना चेहरे के ही हिस्से और स्थान में शामिल है।

यह बात प्रमाण के साथ सिद्ध है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने हर वजू में इन दोनों कार्यों को निरंतरता और पाबंदी के साथ करते रहे हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के वजू का तरीका और उसका वर्णन करने वाले सभी राविओं (वर्णनकर्ताओं) ने इसी अमल को बयान किया है।

अतः इससे यह दलील मिलती है कि कुरआन मजीद में निर्देशित 'चेहरा धोने के हुकम' में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना शामिल है। साथ ही, सही हदीसों में भी कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने का स्पष्ट हुकम आया है।"

फिर शेख अल्बानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने सैयदना लक़ीत बिन सबरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस का उल्लेख किया।

(स्रोत: तमामुल मिन्नाह फिट-तअलीक अला फिक्रहुस सुन्नाह लिल-अल्बानी, पृष्ठ: 93, 'वजू की सुन्नतों' अनुभाग)

इमाम नववी (رحمة الله عليه) का कथन:

इमाम नववी (رحمة الله عليه) इस मसले (विषय) में मतभेदों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने के मसले में विद्वानों के चार कथन हैं:

1. वजू और गुस्ल (स्नान) में ये दोनों सुन्नत हैं और यही हमारा मज़हब (विचार) है।
2. वजू और गुस्ल में ये दोनों वाजिब (अनिवार्य) हैं और दोनों के सही होने की शर्त हैं। यह इब्न अबी लैला, हम्माद और इसहाक (رحمهم الله) का मज़हब है। इमाम अहमद (رحمة الله عليه) से रिवायत किया गया मशहूर मसलक भी यही है और अता (رحمة الله عليه) से भी यही वर्णित है।
3. इमाम अबू हनीफा (رحمة الله عليه) और उनके साथियों तथा सुफ़ियान थौरी (رحمة الله عليه) का यह रुख है कि ये गुस्ल में वाजिब हैं, वजू में नहीं।
4. नाक में पानी चढ़ाना, वजू और गुस्ल करते समय वाजिब है, (लेकिन कुल्ली) वजू में नहीं। यह अबू थौर, अबू उबैद और दाऊद (رحمهم الله) का मसलक है और इमाम अहमद (رحمة الله عليه) से वर्णित एक रिवायत यह भी है। इमाम इब्न मुज़िर (رحمة الله عليه) फ़रमाते हैं कि मैं भी यही रुख रखता हूँ।

(अल-मजमूअ शरह अल-मुहज्ज़ब लिन-नववी: 1/362-363, किताबुत्तहारह, बाबुस सिवाक)

प्रश्न 92	रोज़ेदार के लिए नाक में पानी डालने का क्या हुक्म है?
उत्तर 92	<p>सैय्यदना लक्रीत बिन सबरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "नाक में अच्छी तरह गहराई तक पानी डालो, सिवाय इसके कि तुम रोज़ा रखे हुए हो।" (सुनन अबू दाऊद: 2366, तुहफ़तुल अशराफ़: 11172)</p> <p>यह हदीस ("وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا") इस बात की दलील है कि रोज़ेदार को (वजू के दौरान) कुल्ली करनी होगी और नाक में पानी डालना होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वह नाक में इस हद तक ज़्यादा और गहराई तक पानी न डाले कि वह पानी नाक से उसके हलक तक पहुँच जाए। वजू और गुस्ल, दोनों में ही कुल्ली करना और नाक में पानी डालना लाज़मी (अनिवार्य) है, क्योंकि यह रोज़ेदार और बिना रोज़ा रखे हुए, दोनों ही के लिए वाजिब है। (मजमूअ फतावा व मकालात मुतन्विआ: 15/280)</p>

प्रश्न 93	नाखून काटने की समय सीमा क्या है?
-----------	----------------------------------

<p>उत्तर 93</p>	<p>सैय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मूँछें छोटी करने, नाखून काटने, पेडू के बाल (underarm/pubic hair) साफ करने और बगल के बाल उखाड़ने के लिए हमारे वास्ते एक समय सीमा तय की गई है, और वह यह है कि हम उन्हें चालीस (40) दिन से अधिक न छोड़ें।</p> <p>(सहीह मुस्लिम: 258)</p> <p>शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाहि अलैहि) का कथन: शेख बिन बाज़ से सवाल किया गया कि कुछ महिलाएँ अपने नाखूनों को कई महीनों तक बढ़ाती रहती हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उन पर "Nail Polish" (नेल पॉलिश) भी लगाती हैं और इसे श्रृंगार (सजावट) का हिस्सा समझती हैं। क्या ऐसा करना सही है?</p> <p>शेख बिन बाज़ ने जवाब दिया: "यह जायज़ (उचित) नहीं है, और यदि उनके नाखून चालीस दिन की अवधि पार कर जाएँ तो उन्हें काटना वाजिब (अनिवार्य) है।"</p> <p>नोट: नेल पॉलिश अगर कोई लगाए तो उससे वज़ू (Wudu) दुरुस्त नहीं होता और जब तक वज़ू सही न हो, नमाज़ नहीं होती।</p>
-----------------	--

<p>प्रश्न 94</p>	<p>क्या महिलाओं और बच्चियों के लिए मेहंदी लगाना जायज़ है?</p>
<p>उत्तर 94</p>	<p>विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) ने महिलाओं और बच्चियों के लिए नाखूनों पर मेहंदी लगाना जायज़ करार दिया है; शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाहि अलैहि) का फ़तवा है: नाखूनों पर मेहंदी या बनाव-श्रृंगार से संबंधित कोई भी चीज़ लगाने में कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि वह चीज़ पाक (शुद्ध) हो, नजिस (अशुद्ध) न हो और इतनी मुलायम हो कि वज़ू और गुस्ल के दौरान अंगों तक पानी पहुँचने में बाधा न बने। इसके विपरीत, यदि वह कोई मोटी और गाढ़ी चीज़ हो, तो वज़ू और गुस्ल के समय उसे हटाना अनिवार्य है, अन्यथा यह पानी को असली नाखूनों तक पहुँचने से रोकेगा। इसलिए मेहंदी आदि या वर्तमान युग में उपयोग की जाने वाली "Nail Polish" जैसी चीज़ों से नाखूनों का रंग बदलने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वज़ू (Wudu) और गुस्ल (Ghusl) के समय नेल पॉलिश को हटा दिया जाए। इसका कारण यह है कि उनकी बनावट ऐसी होती है जो वज़ू और गुस्ल के समय अंगों तक पानी पहुँचने में बाधा बनती है। हालांकि, यदि उसका कोई "जर्म" (परत या ठोस पदार्थ) न हो—यानी वह जमता न हो, जैसे नाखूनों को लाल या काला करने वाली मेहंदी—तो इसमें कोई हर्ज या गुनाह नहीं है, क्योंकि उसका कोई ठोस शरीर (परत) नहीं होता।</p> <p>लेकिन यदि उसका कोई ऐसा ठोस पदार्थ या परत हो जो वज़ू और गुस्ल के अंगों तक पानी पहुँचने में रुकावट बने, तो उसे हटाना अनिवार्य है। (अन्यथा गुस्ल और वज़ू नहीं होगा)।</p> <p>(फ़तावा नूर अल-दरब: 5/243, 244)</p>

<p>प्रश्न 95</p>	<p>क्या पुरुष और महिला दोनों के लिए नाखून बढ़ाना मना है?</p>
<p>उत्तर 95</p>	<p>यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि मुस्लिम लड़कियों की बहुमत, और यहाँ तक कि कुछ युवा पुरुष भी, अपने नाखून चालीस दिन से अधिक समय तक इस हद तक बढ़ाते हैं कि वे बिल्ली के पंजों की तरह लगने लगते हैं।</p>

<p>सबसे पहले तो यह बात सुन्नत-ए-नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के विरुद्ध है, और दूसरा यह कि उनका यह कार्य चिकित्सीय लाभों (medical benefits) के भी खिलाफ है। नाखूनों को सुंदरता के रूप में बढ़ाना मुसलमानों का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करना हराम है।</p> <p>सैय्यदना राफे बिन खदीज (रज़िअल्लाहु अन्हु) ने बयान किया कि मैंने अर्ज की: "हे अल्लाह के रसूल! कल हमारा मुकाबला दुश्मन से होगा और हमारे पास छुरियां नहीं हैं (तो क्या हम नाखूनों से ज़बह कर लें)?"</p> <p>आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया:</p> <p>"जल्दी करो या (इसके बजाय) 'अर्न' कहा (यानी जल्दी कर लो), जो चीज़ खून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, उसे खाओ। लेकिन दांत और नाखून नहीं होने चाहिए, और इसकी वजह भी बता दूँ— दांत तो हड्डी है और नाखून हबशियों की छुरियां हैं।"</p> <p>(सहीह बुखारी: 5509)</p>

प्रश्न 96	नाखून काटने की हिकमत (तर्क/महत्व)?
उत्तर 96	<p>नाखून काटना मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) है क्योंकि यह प्राकृतिक सुन्नतों (स्वभाव) में से है। अगर इन्हें बिना काटे छोड़ दिया जाए, तो ये बेढंगे तरीके से बढ़ जाते हैं। साथ ही, कभी-कभी इनमें जमा होने वाली गंदगी और मैल में कीटाणु (germs) पैदा हो जाते हैं और अक्सर इनके नीचे पवित्रता (वज़ू/गुस्ल) का पानी नहीं पहुँच पाता।</p> <p>(المغني لابن قدامة: 65/1، كتاب الطهارة، فصول في الفطرة، فصل نتف الإبط سنة، فصل تقليم الاظفار)</p> <p>स्रोत: (अल-मुगनी इब्न कुदामा: 1/65, किताब अत-तहारह, फुनून फ़िल-फ़ितराह, फ़स्ल नतफ़ अल-इब्त सुन्ना, फ़स्ल तकलीम अल अजफार)</p>

प्रश्न 97	नाखून किस क्रम से काटने चाहिए?
उत्तर 97	<p>सैय्यदना अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:</p> <p>"तुम में से हर व्यक्ति को चाहिए कि वह दाएं हाथ से खाए, दाएं हाथ से पिए, दाएं हाथ से (चीज़) ले और दाएं हाथ से दे; क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ से लेता है।"</p> <p>(सुनन इब्न माजाह: 3266)</p>

प्रश्न 98	नाखून फेंकने और दफनाने का क्या हुक्म है?
उत्तर 98	<p>इस मसले (विषय) में विद्वानों के बीच मतभेद है: नाखून दफनाना और कचरे में फेंकना दोनों जायज़ हैं, हालांकि दफनाना बेहतर है। और यह ध्यान रहे कि दफनाने के संबंध में जो रिवायतें (वृत्तांत) हैं वे 'ज़ईफ़' (कमजोर) हैं।</p> <p>आजकल कुछ लोग जो जादू-टोना करते हैं, वे ज्यादातर बाल और नाखून के जरिए जादू करते हैं और यह एक आम बात है, इसलिए यदि इस मामले में एहतियात (सावधानी) बरती जाए तो बेहतर है। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

प्रश्न 99	रात के समय नाखून काटने का क्या हुक्म है?
उत्तर 99	<p>इस मामले में हम अंधविश्वास (वहम-परस्ती) का शिकार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय नाखून काटना मनहूसियत का कारण बनता है। यह बात पूरी तरह से गलत है और शरीयत में इसकी कोई असलियत या आधार नहीं है।</p> <p>बल्कि, इस्लामी शिक्षाओं में पवित्रता और सफाई इबादतों की स्वीकार्यता के लिए एक शर्त है। इसलिए, किसी भी समय शरीर की स्वच्छता प्राप्त करना वर्जित (मना) नहीं है। इसी संबंध में जब शेख बिन बाज (रह.) से सवाल किया गया, तो उन्होंने फरमाया:</p> <p>"रात हो या दिन, सभी समय में नाखून काटना पूरी तरह से जायज़ और वैध (मशरूत) है।" (फतावा अल-जामी अल-कबीर, हुक्म तकलीम अल-अज़फर लैला)</p>

प्रश्न 100	बगल के बाल उखाड़ना बेहतर है या मुंडवाना?
उत्तर 100	<p>"अल्-हलक़" (shave) यानी मुंडवाने से असल सुन्नत अदा हो जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें बाल उखाड़ना कष्टदायक लगता हो। इमाम इब्न अबी हातिम (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने अपनी किताब "आदाब अल-शाफ़ई व मुनाकिबहु" में मैंने यूनुस बिन अब्दुल आला (रहमतुल्लाहि अलैहि) के हवाले से इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाहि अलैहि) के गुणों (मनाकिब) का उल्लेख किया है कि यूनुस इब्न अब्दुल आला (रहमतुल्लाहि अलैहि) कहते हैं कि मैं इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाहि अलैहि) के पास आया तो देखा कि एक व्यक्ति उनकी बगल के बाल मुँड (साफ़ कर) रहा है। तो इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने फ़रमाया: "मुझे मालूम है कि बगल के बाल उखाड़ना सुन्नत है, लेकिन मेरे लिए बाल उखाड़ने की तकलीफ़ असहनीय है।" (फ़त्हुल बारी ला इब्न हजर: 10/344)</p> <p>इमाम नववी (रहमतुल्लाहि अलैहि) का कथन: बगल के बाल उखाड़ने के मसनून (सुन्नत) होने पर उलेमा-ए-किराम का इत्तेफ़ाक़ (सहमति) है। (शरह मुस्लिम लिन-नववी: 3/149, किताबुत तहारह, बाब खिसालुल फ़ितरत)</p>

प्रश्न 101	बगल के बाल साफ़ करने का क्या तरीका है?
------------	--

उत्तर 101	हल्क करना यानी मूँडना (शेव करना), इसकी वजह यह है कि अक्सर यही तरीका प्रचलित है। वरना बाल सफा पाउडर (हेयर रिमूवल पाउडर) के ज़रिए या उखाड़ते हुए और किसी अन्य तरीके से भी इन बालों को साफ करना जायज़ है।
-----------	--

प्रश्न 102	अधोनाभि (नाभि के नीचे के) बाल साफ करने का तरीका क्या है?
उत्तर 102	<p>इस संबंध में, अधोनाभि के बालों को निम्नलिखित सभी तरीकों से हटाया जा सकता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "नत्फ़" (Natf): यानी बालों को उखाड़ना। 2. "हलक़" (Halq): यानी किसी तेज़ धार वाले औज़ार "Blade" या उस्तरे के ज़रिए बाल साफ़ करना; और अधिकतर लोग इसी तरीके का उपयोग करते हैं। 3. "अल्-नूराह" (Al-Noorah): चूने और हड़ताल के पाउडर से बालों की सफ़ाई करना। इस तरीके में आधुनिक क्रीम, लोशन और स्प्रे (Cream, Lotion and Spray) आदि भी शामिल हैं। <p>(अधिक जानकारी के लिए देखें: फ़तहल बारी - इब्ने हजर अस्कलानी: 10/343)</p>

प्रश्न 103	क्या पेडू (नाभि के नीचे) और बगल के बाल निकालने के लिए आधुनिक वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर 103	<p>शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाह अलैहि) का कथन: "बालों को हटाने के लिए 'Hair Remover' और कुछ 'Cream' आदि का उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यदि यह कार्य सहज और आसान हो, तो पेडू के बालों को मूँडना (shaving) और बगल के बाल उखाड़ना (plucking) अधिक श्रेष्ठ है। परंतु यदि आपके लिए यह कार्य आसान न हो, तो हलाल चीज़ों में से किसी भी प्रकार की वस्तु के माध्यम से इन दोनों स्थानों के बाल साफ़ करने में कोई बुराई या हर्ज नहीं है।</p> <p>(मजमूअ फतावा व मकालात अश्-शेख इब्न बाज़: 29/49)"</p>

प्रश्न 104	ज़ेर-ए-नाफ़ बाल (punic hair) काटने की अवधि कितनी निर्धारित है?
उत्तर 104	<p>ज़ेर-ए-नाफ़ बाल काटने की अधिकतम अवधि चालीस (40) दिन है।</p> <p>(सुनन तिर्मिज़ी: 2758)</p>

प्रश्न 105	क्या पति-पत्नी का एक-दूसरे के गुप्तांगों के बाल काटना जायज़ (उचित) है?
उत्तर 105	((أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ رَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ))

मुआविया बिन हैदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपने गुप्तांगों (private parts) को किस हद तक खोल सकते हैं और किस हद तक उन्हें छुपाना ज़रूरी है?"

आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "अपनी पत्नी और अपनी लौंडी के अलावा, हमेशा अपने गुप्तांगों को छुपा कर रखो।"

मैंने अर्ज़ किया: "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! अगर लोग एक साथ मिल-जुलकर रहते हों तो?"

आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "अगर तुम ऐसा कर सको कि तुम्हारा गुप्तांग कोई न देख सके, तो ऐसा ही करो।"

मैंने अर्ज़ किया: "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! अगर हम में से कोई अकेला हो तो?"

तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "लोगों की तुलना में अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उससे शर्म की जाए।"

(सुनन इब्न माजाह: 1920)

प्रश्न 106	क्या बगल और नाभि के नीचे के बाल न काटने की स्थिति में नमाज़ की वैधता (स्वीकार्यता) पर कोई प्रभाव पड़ता है?
उत्तर 106	<p>शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाह अलैहि) का कथन:</p> <p>इससे नमाज़ की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बगल और नाभि के नीचे के बाल काटना नमाज़ की शर्तों (अनिवार्यताओं) में शामिल नहीं है। लेकिन इंसान के लिए यह मसनून (सुन्नत/अनुशंसित) है कि वह पाबंदी के साथ अपने नाभि के नीचे और बगल के बालों को काटने का ख्याल रखे और उन्हें चालीस दिन से अधिक न छोड़े।</p> <p>(نور على الدرب، هل من شروط الصلاة إزالة شعر الإبط والعانة؟)</p> <p>(स्रोत: नूर अल-दरब, "क्या बगल और नाभि के बाल हटाना नमाज़ की शर्तों में से है?")</p>

प्रश्न 107	शीर्षक: पानी से इस्तेजा (शौच के बाद शुद्धिकरण) करने की फ़ज़ीलत और उसकी अहमियत बयान कीजिए?
उत्तर 107	<ul style="list-style-type: none">सैय्यदना अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम ﷺ ने फरमाया: "फ़ियाहि रिजालुय युहिब्बूना अय यततहरूँ" (उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ़ रहने को पसंद करते हैं)। यह आयत करीमा अहले कुबा (कुबा के रहने वालों) की शान में नाज़िल हुई है, वे लोग पानी से इस्तेजा करते थे, उनके बारे में यह आयत करीमा नाज़िल हुई। — (सुनन अबू दाऊद: 44)

- अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है, वे कहते हैं कि जब नबी करीम ﷺ क़ज़ा-ए-हाजत (शौच) के लिए निकलते, मैं और एक अन्य लड़का, हम दोनों आप ﷺ के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था।" (सहीह बुखारी: 151)

इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) कहते हैं: "इस अध्याय (बाब) में सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला बजली, अनस, और अबू हुरायरा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से भी हदीसों आई हैं। यह हदीस 'हसन सहीह' है। इसी पर विद्वानों (अहले-इल्म) का अमल है, वह पानी से इस्तिन्जा (शौच के बाद सफाई) करने को पसंद करते हैं। हालांकि पत्थर से इस्तिन्जा करना उनके नज़दीक पर्याप्त (काफी) है, फिर भी उन्होंने पानी से इस्तिन्जा करने को मुस्तहब (पसंदीदा) और अफज़ल (बेहतर) करार दिया है। सुफियान सूरी, इब्न मुबारक, शाफई, अहमद और इसहाक बिन राहविया (रहमतुल्लाह अलैहिम) भी इसी के कायल हैं।" (सुनन तिर्मिज़ी: 19)

प्रश्न 108	क्या ज़मज़म से इस्तेजा (शौच के बाद सफाई) कर सकते हैं?
उत्तर 108	<p>शेख बिन बाज़ (رحمة الله عليه) से ज़मज़म से इस्तेजा करने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया: "सहीह हदीस में ज़मज़म के पानी की फज़ीलत (महिमा) का प्रमाण है और यह दलील भी है कि ज़मज़म भोजन है और बीमारी की शिफ़ा (इलाज) है। सुन्नत यही है कि इसे पिया जाए, जिस तरह नबी (صلى الله عليه وسلم) इसे पिया करते थे। और यह भी जायज़ है कि इससे वजू और इस्तेजा किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इससे गुस्ल-ए-जनाबत (अपवित्रता के बाद का स्नान) भी किया जा सकता है।"</p> <p>(मजमूअ फतावा व मकालात अल-शेख इब्न बाज़: 10/27)</p> <p>कुछ विद्वानों ने इस बात पर 'इजमा' (सहमति) नक़ल की है कि ज़मज़म से इस्तेजा और गुस्ल-ए-जनाबत नहीं किया जा सकता, लेकिन 'इजमा' का यह दावा मात्र ही है, इसके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण या दलील मौजूद नहीं है।</p>

नजासत (अशुद्धता) और नजासत को दूर करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मसले और नियमों का वर्णन करें।

मस'अला 109	नजासत (अशुद्धता) को दूर करना वाज़िब (अनिवार्य) है।
मस'अला 110	अक्सर क़ब्र का अज़ाब, पेशाब के छींटों से न बचने के कारण होता है।
मस'अला 111	नजासत की हर किस्म का हुक्म एक जैसा नहीं है, इसलिए हर किस्म के हुक्म को जानना अत्यंत आवश्यक है।

<p>मस'अला 112</p>	<p>शक की आदत डालना सही नहीं है, बल्कि 'इस्तेसहाब' (यकीन पर कायम रहने) की आदत डालें। (इस्तेसहाब: सामान्य स्थितियों में हर एक चीज़ को तब तक पाक/शुद्ध मानना जब तक उसके नापाक होने का पक्का यकीन न हो जाए)।</p>
<p>मस'अला 113</p>	<p>यह पाठ अरबी शब्द 'इस्तसहाब' (Istishab) के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करता है, जिसका अर्थ है "किसी चीज़ को उसकी मूल स्थिति में तब तक मानना जब तक कि उसके विपरीत कोई प्रमाण न मिल जाए।"</p> <p>(112): शक (संदेह) करने की आदत डालना सही नहीं है, बल्कि 'इस्तसहाब' की आदत डालें। (इस्तसहाब: आदतों में हर एक की मूल स्थिति 'अनुमति' (जवाज़) है, न कि शक)।</p> <p>मुख्य पाठ:</p> <p>इब्न तैमिया (रहमतुल्लाही अलैहि) शंकाओं और संदेहास्पद विचारों के रोग में ग्रस्त रहना, ईमान (आस्था) और कर्म दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और नुकसानदेह होता है।</p> <p>इसलिए, हमेशा 'इस्तसहाब' के नियम पर अमल करना चाहिए। इस्तसहाब यह है कि: "सामान्य आदतों और व्यवहार में मूल नियम यह है कि वह 'जायज़' (अनुमति योग्य) है, जब तक कि कोई ऐसी दलील (प्रमाण) न आ जाए जो संदेह पैदा करे।"</p> <p style="text-align: right;">اليقين لا يزول بالشك</p> <p>अर्थ: "निश्चितता (यकीन) कभी संदेह (शक) से समाप्त नहीं होती।"</p>
<p>मस'अला 113</p>	<p>कुछ विद्वान (अह्ल-ए-इल्म) इस बात के कायल हैं कि यदि सूरज या हवा के ज़रिए ज़मीन पर मौजूद गंदगी (नजासत) दूर हो जाए, तो ऐसी ज़मीन पाक हो जाती है। हालांकि, किसी साये के नीचे रहने वाली ज़मीन यदि सूख जाए, तो उस जगह को पाक (ताहिर) नहीं माना जाएगा। क्योंकि आमतौर पर ऐसी सूखी ज़मीन पर पानी पड़ते ही गंदगी पर आधारित उसकी बदबू फिर से लौट आती है। इसलिए ऐसी ज़मीन पर पानी पड़ने के बाद यदि बदबू पाई जाए, तो उसे धोना लाज़मी (अनिवार्य) है।</p> <p>और यदि किसी कपड़े पर सूरज की गर्मी लंबे समय तक रहे और उसकी वजह से नजासत और बदबू खत्म हो जाए, तो उस कपड़े को ताहिर व पाक माना जाएगा। न्यायविदों (फ़ुक्रहा-ए-किराम) और इब्न तैमिया ने इसी बात को प्राथमिकता दी है।</p> <p>(अल-इख़्तियारात अल-फ़िक्हिया: 5/312)</p>
<p>मस'अला 114</p>	<p>पेशाब (मूत्र) की उपस्थिति में किसी बड़े बिछौने (गद्दे/कालीन) को धोने का तरीका:</p> <p>खाने-पीने वाले बच्चे के पेशाब को साफ करने का तरीका यह है कि:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • यदि गंदगी (नजासत) में कोई ठोस पदार्थ मौजूद हो, तो उसे हटा दिया जाए। • और यदि वह तरल (बहने वाला) पदार्थ हो, तो उसे स्पंज जैसी किसी चीज़ के ज़रिए तब तक साफ किया जाए जब तक कि वह साफ न हो जाए। • फिर जब तक गंदगी के पूरी तरह खत्म हो जाने का पक्का यकीन (ज़न-ए-ग़ालिब) न हो जाए, तब तक उस पर बड़ी मात्रा में पानी डाला जाए। • इसे निचोड़ना ज़रूरी नहीं है, सिवाय इसके कि बिछौना इतना मोटा और घना हो कि पेशाब उसके अंदर जज्ब (सोख) हो जाए और उसे निकालने के लिए निचोड़ना ज़रूरी महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में निचोड़ना अनिवार्य होगा। • यदि गंदगी किसी पत्थर या टाइल्स जैसी चीज़ पर हो, तो उसका असर, रंग और गंध (बू) को मिटा देना ही काफी है।
<p>मस'अला 115</p>	<p>शेख़ इब्न उथैमीन (रह.) से पूछा गया कि:</p> <p>"वाशिंग मशीन" यानी कपड़े धोने की मशीन में बच्चों के नापाक (अशुद्ध) कपड़े साफ पानी में धुलने से क्या पाकी (शुद्धता) प्राप्त हो जाती है?</p> <p>उत्तर:</p> <p>तो शेख़ ने सकारात्मक उत्तर देते हुए फ़रमाया कि:</p> <p>"अगर धुलने से कपड़ों से नजासत (अशुद्धि) का असर खत्म हो जाए, तो वह पाकी के लिए काफी है।"</p> <p>(फतावा नूर अल-दरब, इब्न उथैमीन, मुस्तकिल कमेटी बराए फतावा: 4/196)</p>
<p>मस'अला 116</p>	<p>यदि साबुन, शैम्पू और क्रीम आदि जैसे नहाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ों में हराम (वर्जित) जानवरों की हड्डी और चर्बी आदि शामिल हो, और उन चीज़ों को "इस्तिहाला" (Istihala - Total Change Process) की प्रक्रिया से गुज़ार कर उनकी असलियत और मूल प्रकृति (Identity) को खत्म कर दिया जाए, और वह इस प्रक्रिया के बाद एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ (Chemical Substance) में बदल जाए, तो उसे नहाने के लिए इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है।</p> <p>(ध्यान रहे कि यहाँ केवल बाहरी उपयोग की बात हो रही है और खाने-पीने की चीज़ों में इसके जायज़ होने को साबित नहीं किया जा रहा है)। और इब्न-ए-क़य्यिम, इमाम अबू हनीफ़ा, इब्न-ए-हज़म और इब्न-ए-तैय्यिमिया (रहमतुल्लाही अलैहिम) की वैज्ञानिक और शैक्षिक चर्चाओं के अध्ययन से पता चलता है कि "इस्तिहाला" एक तर्कसंगत और स्वीकार्य न्यायशास्त्रीय (Faqihi) और व्यावहारिक शब्द है।</p>

	<p>एलामुल मुवक्किर्न: 2/14-15, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिकल साइंसेज, कुवैत राज्य द्वारा पारित प्रस्ताव, मई 1995)।</p>
<p>मस'अला 117</p>	<p>नमाज़ अदा करने के बाद अगर यह पता चले कि शरीर या कपड़े के किसी हिस्से में नजासत (अशुद्धता) मौजूद थी, तो ऐसी स्थिति में नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि विस्मृति (भूल जाने) या अज्ञानता के कारण नजासत को दूर न कर पाना क्षम्य है। इमाम नववी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इस रुख को जम्हूर (बहुसंख्यक विद्वानों) का मत करार दिया है। (अल-मजमूअ: 3/163)</p> <p>साथ ही इब्ने उथैमीन (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इस मसले में इस आयत से दलील दी है: "अल्लाह किसी जान पर उसकी सामर्थ्य से अधिक बोझ नहीं डालता... ऐ हमारे रब! यदि हम भूल जाएँ या चूक जाएँ तो हमारी पकड़ न करना..." इसके साथ इस हदीस से भी प्रमाण दिया है कि: नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को जब जिब्राइल (अलैहिस्सलाम) ने नमाज़ के दौरान (नजासत की) सूचना दी, तो आपने अपने जूते निकालकर किनारे रख दिए और नमाज़ पूरी करने के बाद उसे दोहराया नहीं। (अश-शरह अल-मुमति: 2/323)</p>
<p>मस'अला 118</p>	<p>इस चित्र में दी गई उर्दू इबारत (Text) का हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है:</p> <p>उर्दू पाठ:</p> <p>रुमाल (Tissues) या पेपर से इस्तंजा करना जायज़ (अनुमति योग्य) है जैसा कि पहले बताया जा चुका है।</p>
<p>मस'अला 119</p>	<p>विद्वानों (अहल-ए-इल्म) के फतवे के अनुसार, सुई की नोक के बराबर पेशाब की बूंदें या बिल्कुल मामूली छींटे, या चूहे की मिंगनी (लीद), या सूखी हुई नजासत (गंदगी) के बारीक धूल जैसे कण, या कीचड़ में पाई जाने वाली हल्की सी नजासत क्षम्य (माफ) है। क्योंकि इन चीजों से बचना अत्यंत कठिन होता है। 'अश-शरह अल-मुम्ती' (1/447) में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि का भी यही रुख नकल किया गया है और 'सहीह मुस्लिम' (405) में इस तरह के मामलों में सख्ती और अति करने से मना किया गया है।</p> <p>बहरहाल, कोई व्यक्ति इन चीजों की नजासत का हुक्म अपनी ज्ञात (स्वयं) तक सीमित रख सकता है, लेकिन दूसरों पर इन चीजों की नजासत का हुक्म थोप नहीं सकता। (बदाए-उस-सनाए: 1/79, अल-मुगनी: 1/46, अल-लजना अद-दाइमा: 5/396)</p>

नोट: इस्तेजा (शौच के बाद सफाई) के लिए पानी और पत्थर—दोनों के उपयोग को अनिवार्य करार देना अनावश्यक सख्ती है; अगर किसी को सुविधा उपलब्ध हो तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि शेख अलबानी के शोध के अनुसार, 'अहल-ए-कुबा' (कुबा के निवासियों) की पवित्रता से संबंधित रिवायत (शृंखला) जईफ़ (कमज़ोर) है।

मस'अला 120	मनी (वीर्य) के नजिस (अशुद्ध) और नापाक होने की कोई दलील (प्रमाण) नहीं है। (विस्तृत दलीलें पिछले पृष्ठों में मौजूद हैं।)
मस'अला 121	अगर बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब किया और उसके सूख जाने के बाद कोई उस बिस्तर पर बैठ जाए, तो क्या वह नजसत (अशुद्ध) बैठने वाले को लग सकती है? उत्तर: शेख सालेह अल-फौजान (हफिज़हुल्लाह) और शेख इब्न जिबरीन (रहिमहुल्लाह) ने फरमाया है कि ऐसी सूखी हुई नजसत बैठने वाले के कपड़ों वगैरह को प्रदूषित (अशुद्ध) नहीं करती। (फतावा अल-मरअतुल मुस्लिमा: 1/194)
मस'अला 122	इमाम इब्न तैमिया (रहमतुल्लाह अलैह) ने नजासत (अशुद्धता) से निकलने वाले धुएं और वाष्प (vapors) को 'इस्तहाला' (कायापलट/रूपांतरण) में गिनते हुए उन्हें पाक (शुद्ध) माना है। क्योंकि वायु और अग्नि के तत्वों में 'खुब्थ' यानी नजासत (गंदगी) का गुण मौजूद नहीं होता। (मजमूअ फतावा: 21/71 - अल-मौसूअतुल फिक्रहिया: 20/240)
मस'अला 123	123: इमाम इब्न तैमिया (रह.) ने इमाम अबू हनीफा (रह.) के कथन (क़ौल) को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि पानी के अलावा कोई भी 'मुज़ील-ए-नजासत' यानी गंदगी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़, नजासत (अशुद्ध) को हटाने के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है। (जामे अल-मसाइल: 9/313-314 — मजमूअ: 21/475 — अल-शर्ह अल-मुम्ती: 1/3)
मस'अला 124	यदि कपड़ों या बिस्तर पर हमाम (स्नानघर) का कीड़ा दिखाई दे, तो क्या हुकम है? सामान्य आदतों और वस्तुओं में मूल सिद्धांत उनकी पवित्रता (तहारत) ही है, जब तक कि उनकी अपवित्रता (नजासत) पर कोई स्पष्ट प्रमाण सिद्ध न हो जाए। इस प्रकार की मामूली और सूक्ष्म अपवित्रता 'मफू अनहु' (क्षमा योग्य) की श्रेणी में आती है, क्योंकि इनसे बचना अत्यंत कठिन है। (असनी अल-मतालिव शरह रौजतुल तालिब: 1/15 - अल-ताज वल-इकलील: 1/216, 206)

<p>मस'अला 125</p>	<p>बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति या ऐसे विकलांग लोग जिनके साथ स्थायी रूप से मलमूत्र की थैली (Urine/Colostomy Bag) लगी रहती है, वे अपनी नमाज़ कैसे अदा करें?</p> <p>उत्तर: यदि चिकित्सकीय दृष्टि से बिना किसी कठिनाई के नमाज़ की अदायगी के लिए उस थैली को आसानी से निकाला जा सकता है, तो वह 'हदस' (अशुद्धता) और 'नजास' (गंदगी) दोनों से पाक होकर नमाज़ अदा करे।</p> <p>लेकिन, यदि उसे सलसुल-बौल (लगातार पेशाब आने की बीमारी) या लगातार मल निकलने की बीमारी हो और बार-बार इसे निकालना उसकी शक्ति से बाहर हो, या इसे निकालने और सफाई करने वाला कोई सहायक उपलब्ध न हो, और आर्थिक तंगी के कारण वह किसी सहायक को वेतन पर रखने की सामर्थ्य न रखता हो, तो ऐसी बेबसी, लाचारी और मजबूरी की स्थिति में वह थैली के साथ ही नमाज़ अदा कर ले। तथापि, यह ध्यान रहे कि 'सलसुल-बौल' और 'इस्तिहाज़ा' (बीमारी के रक्तस्राव) के मरीज़ की तरह उसे हर नमाज़ के लिए अलग से वजू करना होगा। और यदि वह वजू करने से भी विवश हो, तो वजू की शर्त भी समाप्त हो जाएगी और वह 'तयम्मूम' कर ले। जब लाचारी और मजबूरी खत्म हो जाए, तो वह सामान्य शरीयत के पाबंद व्यक्ति की तरह सभी मामलों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।</p> <p>(स्रोत: अल-फ़तावा अल-मुतअल्लिका बित-तिब्ब व अहकाम अल-मरजा - चिकित्सा और रोगियों के नियमों से संबंधित फतवे)</p>
<p>मस'अला 126</p>	<p>विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) द्वारा किए गए इस अंतर का कारण और तर्क क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अशुद्धता की स्थिति में (यानी बिना वजू के) नमाज़ पढ़ ले, तो उसके लिए नमाज़ दोहराना अनिवार्य है, लेकिन यदि शरीर या कपड़ों पर मौजूद गंदगी (नजासत) का पता न चलने के कारण नमाज़ पढ़ ली जाए, तो उसे दोहराना ज़रूरी नहीं है?</p> <p>उत्तर: विद्वानों ने 'मामूरात' (वे कार्य जिन्हें करने का आदेश दिया गया हो) और 'तरूक' (वे कार्य जिनसे परहेज करने का हुक्म हो) के बीच क्या अंतर है? और 'हदस' (حدث) का संबंध मामूरात (आदेशित कार्यों) से है और 'नजासत' (نجاست - अशुद्धता) का संबंध तरूक (वर्जित कार्यों/त्यागने योग्य चीजों) से है। (मजमूअ: 12/390)"</p>
<p>मस'अला 127</p>	<p>हाथों से या मशीन के ज़रिए पाक (शुद्ध) और नापाक (अशुद्ध) कपड़ों को मिलाकर धोने का क्या हुक्म है?</p> <p>उत्तर: शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने फरमाया कि: "अगर दोनों किस्म के कपड़ों को मिलाकर पानी से धोया जाए और उनकी नजासत (अशुद्धता) का असर खत्म हो जाए, तो उनकी पाकी (शुद्धता) के लिए इतना काफी है। अलबत्ता, दोनों को मिलाकर</p>

	<p>धोने के बजाय, नजासत वाले कपड़ों की नजासत को पहले झाड़ल (साफ़) करने के बाद दोनों को एक साथ धोया जाए तो बेहतर है।"</p> <p>(मजमू: 10/205)</p>
मस'अला 128	<p>128: हराम और नापाक चीजों से इलाज करना जायज़ नहीं है, कुछ विद्वानों (अहल-ए-इल्म) ने जान बचाने जैसी मजबूरी की स्थिति में उनके इस्तेमाल की अनुमति दी है, बशर्ते कि कोई विकल्प उपलब्ध न हो (इस अनुमति और रियायत के हुकम को मजबूरी की सीमा तक ही रखा जाए और सामान्य परिस्थितियों में इनका उपयोग न किया जाए)।</p>
मस'अला 129	<p>ऐसी नजासतों (अशुद्धियों) का हुकम जिनसे इंसान सीधे तौर पर प्रदूषित (आलूदा) न होता हो, तो वे जायज़ हैं। जैसे बाज़ और शिकरे जैसे शिकारी परिंदों को मुर्दार (मरा हुआ मांस) खिलाना, या जानवर को नापाक कपड़े पहनाना; लेकिन अगर उनकी नजासत से इंसान खुद प्रदूषित हो जाए, तो उस नजासत से पाकी (शुद्धि) हासिल करना ज़रूरी है।</p>
मस'अला 130	<p>नींद से जागने के बाद अपना हाथ पानी (के बर्तन) में न डाले जब तक कि उसे तीन बार धो न ले।</p>

पोशाक के मसाल

मस'अला 131	<p>कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत (अशुद्धि/गंदगी) लगी हो, तो नजासत से सने हुए केवल उतने ही हिस्से को धोना ज़रूरी है, शेष पूरे लिबास (कपड़े) को धोने की ज़रूरत नहीं है।"</p>
------------	---

मस'अला 132	<p>132: यदि नमाज़ अदा करने के बाद शरीर, कपड़ों या स्थान पर अज्ञानता (जानकारी न होने) या भूलवश अपवित्रता (नजासत) लगी होने का पता चले, तो नमाज़ को दोहराना (लौटाना) अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप ﷺ ने नमाज़ को नहीं दोहराया था। तथापि, यदि नमाज़ की स्थिति में पता चले तो नमाज़ की हालत में ही नजासत (अशुद्धता) को दूर किया जा सकता है, जैसे नबी ﷺ ने नमाज़ की स्थिति में अपने जूते निकाल दिए थे।</p>
------------	---

खून कब नजिस (अशुद्ध) है और कब नहीं?

मस'अला 133	<p>जमहूर (विद्वानों के बहुमत) के अनुसार, 'दम-ए-मस्फूह' यानी बहता हुआ खून नजिस (अशुद्ध) व नापाक है, जबकि इमाम शौकानी (رحمة الله عليه) और नवाब सिदीक हसन खान (رحمة الله عليه) और अन्य विद्वान इसे नजिस (अशुद्ध) नहीं मानते।"</p>
------------	--

मस'अला 134 खून की मामूली मात्रा वाला खून क्षमा योग्य है, क्योंकि इस पर 'दम-ए-मस्फूह' अर्थात् बहते हुए खून (का नियम) लागू नहीं होता।"

मस'अला 135 इमाम इब्न अब्द अल-बर (रहमतुल्लाही अलैहि) ने इस मसले पर इजमा (सर्वसम्मति) उद्धृत किया है कि मासिक धर्म (हैज) का खून, या किसी भी इंसान, जानवर या खटमल का 'दम-ए-यसीर' (यानी बहुत कम या मामूली मात्रा में खून) माफी के योग्य है।

मस'अला 136 अतः, मवाद (पस) में पाया जाने वाला खून भी इसी 'दम-ए-यसीर' की श्रेणी में आता है।

मस'अला 137 नोट: जिबह (पशु बलि) करते समय कसाई पर लगने वाला खून माफी के योग्य (माफू-अन्हु) है।

मस'अला 138 नोट: बहता हुआ खून (दम-ए-सयाल) माफी के योग्य है। इससे बचना कठिन होने के कारण इसे नजसत (अशुद्धि) के हुक्म से बाहर रखा गया है। यह उन विद्वानों की दलीलों में से भी एक दलील है जो खून को नजिस (अशुद्ध) नहीं मानते। और जो लोग इसे नजिस मानते हैं, उनके पास भी यह मसला अपवाद (मुस्तस्ना) है।

मस'अला 139 खून के नजिस न होने की दलील पेश करते हुए हसन बसरी (रहमतुल्लाही अलैहि) फरमाते हैं कि: "मुसलमान हमेशा से अपने ज़ख्मों के साथ नमाज़ अदा करते रहे हैं।"

मस'अला 140 नोट: इब्न तैमिया (रहमतुल्लाह अलैहि) ने 'अल-इख्तियारात अल-फ़िक्हिया' में फ़रमाया है कि सही (राजेह) बात यह है कि खून, पीप या ज़ख्म की तरह है, अगर यह (शरीर से) निकले तो माफ़ है। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में सलफ़ (पूर्वजों) के आमाल और अक्वाल (कथन) जमा किए गए हैं। (खून कब नापाक होगा और कब नहीं, इस पर विस्तृत लेख गुज़र चुका है।)

मस'अला 141 नोट: 'दम-ए-यसीर' (खून की कम मात्रा) का प्रयोग सामान्यतः मध्यम मात्रा वाले रक्त पर होगा, और जिसे विधिशास्त्रीय (Faqihi) शब्दावली में 'उर्फ-ए-आम' (सामान्य प्रचलन)

	में मामूली मात्रा समझा जाता हो। वह व्यक्ति जो 'वसवसा' (भ्रम/मानसिक उलझन) और अनावश्यक सख्ती में मुब्तला (ग्रस्त) हो, उसके मामले में 'रुखसत' (छूट/रियायत) का पहलू प्रबल रहेगा।
--	--

मस'अला 142	रक्त दान (Blood Donation) करना जायज़ (उचित) है, लेकिन इसका शुल्क (उजरत) लेना जायज़ नहीं है।
------------	---

मस'अला 143	इंजेक्शन लगने से खून निकलने पर वजू नहीं टूटता, क्योंकि कम मात्रा में होने के कारण वह क्षम्य (माफ) है।
------------	---

जानवरों के मसाईल

मस'अला 144	मृत जानवर की खाल तब तक अपवित्र (नापाक) है, जब तक कि उसे कमाया न जाए (यानी उसकी टैनिंग न कर दी जाए)।
------------	---

मस'अला 145	जीवित जानवर से काटा गया मांस, मृत जानवर के मांस के समान है; जैसे ऊंटनी का कूबड़ या भेड़ की दुम (चकली) आदि।
------------	--

मस'अला 146	गैर-हलाल (प्रतिबंधित) जानवर का मांस 'नजस' (अपवित्र) है (हराम जानवरों का मांस अपवित्र और नापाक होता है)।
------------	---

मस'अला 147	मुश्तबाह (संदिग्ध), यानी संदेह पैदा करने वाले मामलों का ज्ञान होना आवश्यक है।
------------	---

मस'अला 148	बिल्ली का जूठा पवित्र (पाक) है। दाऊद बिन सालेह बिन दीनार तमार अपनी माँ से रिवायत (वर्णन) करते हैं कि उनकी मालकिन ने उन्हें 'हरीसा' (एक प्रकार का भोजन) देकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की सेवा में भेजा। उन्होंने पाया कि सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) नमाज़ पढ़ रही थीं, तो उन्होंने (आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने) मुझे खाना रख देने का इशारा किया। (मैंने खाना रख
------------	--

दिया), इतने में एक बिल्ली आई और उसने उसमें से कुछ खाई जब उम्मुल-मोमिनीन सय्यदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) नमाज़ से फ़ारिग (मुक्त) हुईं, तो बिल्ली ने जहाँ से खाया था, वहीं से उन्होंने खाना शुरू कर दिया और कहा: अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया है:

((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ))، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا))

"यह नापाक नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे पास आने-जाने वालों (पालतू जानवरों) में से है", और मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को बिल्ली के जूठे पानी से वज़ू करते हुए देखा है।" — (सुनन अबी दाऊद: 76)

अलिफ़: बिल्ली के जूठे को एक बार धोने पर दलालत (संकेत) करने वाली हदीस:

नोट: यह अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कौल (कथन) नहीं है बल्कि यह अबू हुरायरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) का कौल है और यह इज्तिहाद (राय) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हदीस के खिलाफ है, जिसमें बिल्ली के जूठे को पाक कहा गया है: إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ। इसलिए इब्ने हजर के अनुसार हदीस पर अमल किया जाएगा।

बा: सुअर के लार की कुत्ते के लार पर कियास (तुलना) करने की कोई दलील नहीं है।

नोट: कुत्ते के लार के अलावा अन्य जानवरों के लार की नजासत (गंदगी) की सफाई के लिए तीन की संख्या निर्धारित करने की शर्त सही नहीं है, बल्कि अन्य जानवरों के लार की सफाई के लिए इसका यकीन (विश्वास) हासिल होने तक सफाई की जानी चाहिए, चाहे यह सफाई एक बार धोने से हासिल हो या तीन से अधिक बार धोने से।

इस्तेमाल और फ़ायदा उठाने में नजासत (अशुद्धता) और गैर-नजासत की पहचान

मस'अला 149	मकुलुल्लहम (जिनका मांस खाया जाता है) और गैर-मकुलुल्लहम (जिनका मांस नहीं खाया जाता) दोनों के बाल पाक (शुद्ध) होते हैं। (अर्थात् हलाल और हराम दोनों प्रकार के जानवरों के बाल पाक हैं)। लेकिन यह एक विवादास्पद मुद्दा है; हर कोई कुत्ते (कलब) और सूअर (खंजीर) के बालों को पाक नहीं मानता।
------------	--

मस'अला 150	काफ़िरों (गैर-मुस्लिमों) के देशों में बाल, ऊन और पंखों से तैयार किए गए बिस्तर, टोपियाँ, कपड़े और कालीन आदि सभी चीज़ें हलाल और पाक हैं।
------------	--

मस'अला 151	खाल और चमड़े से बनी चीजों के नियम, और बाल, ऊन और पंखों से बनी चीजों के नियम अलग-अलग हैं। जीवित और मृत मकुलुल्लहम (खाए जाने वाले) जानवरों के बालों से सूफ यानी ऊन प्राप्त करना जायज़ (उचित) है।
------------	--

मस'अला 152	हलाल जानवर (जिसका मांस खाया जा सकता हो) के जीवित होने की स्थिति में उसके बाल या ऊन से अलग किए गए हिस्से शुद्ध और पाक हैं। उनसे बर्तन तैयार करना जायज़ है। इब्न मुन्ज़िर, इब्न रुश्द, नववी और इब्न तैमिया (रहमतुल्लाह अलैहिम) ने इस मसले पर 'इज्मा' (सहमति) दर्ज किया है।
------------	--

मस'अला 153	जीवित अवस्था में शुद्ध जानवर के हुकम में शामिल मृत जानवर के बाल और उसकी ऊन से अलग किए गए हिस्से पाक हैं, चाहे वह गैर-हलाल (जिसका मांस न खाया जाता हो) जानवर ही क्यों न हो। यह जमहूर (बहुमत): हनफिया, मालिकिया और हनाबिला का रुख है और सल्फ की एक जमात भी इसी की कायल है। (अल-दुरर अस-सुन्निया)
------------	--

मस'अला 154	"अनफहा" (Rennet/पनीर बनाने का तत्व) का क्या हुकम है? "अनफहा" उस पीलेपन वाले सफेद पदार्थ को कहते हैं जो दूध पीते बछड़े या मेमने के पेट से निकलता है। अगर इसकी बूंदें दूध में टपकाई जाएं, तो वह जमकर पनीर बन जाता है। अनफहा और इससे तैयार पनीर दोनों पाक हैं, क्योंकि सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने इराक की फतह के मौके पर इसे खाया था। (इब्न तैमिया रह.)
------------	---

मस'अला 155	मक्खी, टिड्डी और बिच्छू जैसे जीव जिनमें (बहने वाला) खून नहीं होता, अगर वे मर जाएं तो नापाक नहीं होते और उनसे प्रदूषित पानी वगैरह भी नापाक नहीं होता।
------------	--

मस'अला 156	हिरण की नाभि (कस्तूरी) पाक है क्योंकि यह अंडे, बच्चे, दूध और ऊन के समान (मुकाम) है।
------------	---

मस'अला 157	चीन और भारत जैसे गैर-इस्लामी देशों में तैयार किए जाने वाले जूते, बैग और अन्य सामान हलाल और उपयोग के योग्य हैं, बशर्ते कि उन्हें 'दबागत' (Tanning/चमड़ा पकाने की प्रक्रिया) दी गई हो।
------------	--

मस'अला 158 इमाम सनआनी (रह.) फरमाते हैं कि: हलाल और गैर-हलाल और जंगली जानवरों की खालें बिना किसी भेदभाव के हलाल और पाक हैं, बशर्ते कि उन्हें 'दबागत' (Tanning) दे दी जाए।

मस'अला 159 हड्डियों से तैयार किए गए मेडल, कंधियां और इसी तरह की अन्य तमाम वस्तुएं जायज़ और इस्तेमाल के काबिल हैं।

मस'अला 160 मृत मनुष्य (मोमिन) 'नजिस' (अपवित्र) नहीं है, इसलिए उसके शरीर का कोई भी अंग किसी जीवित मनुष्य को उपहार (अंगदान) के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस उपहार से जीवित व्यक्ति को लाभ होने का यकीन हो, और वारिसों (उत्तराधिकारियों) की ओर से यह उपहार निःस्वार्थ हो यानी बिना किसी सांसारिक या वित्तीय मुआवजे के हो, और दो विश्वसनीय और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इसके संभावित लाभ की पुष्टि की गई हो।

मस'अला 161 खम्र' यानी शराब 'ताहिर' (शुद्ध) और पाक है, इसलिए कीटाणुनाशक के रूप में बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करने के लिए तरल पदार्थ या स्प्रे (Spray) में डाला जाने वाला अल्कोहल ताहिर है। इसी तरह बेहोशी के इंजेक्शन या दवाओं में डाला जाने वाला अल्कोहल भी जायज़ है; हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि कोई दूसरा बेहतर विकल्प उपलब्ध न हो और विश्वसनीय डॉक्टरों ने यह कह दिया हो कि उपचार के लिए यही एकमात्र रास्ता और मजबूरी है।

मस'अला 162 नजस्त (अपवित्रता) से पाकी कैसे हासिल करें?
कांच या पॉलिश की जाने वाली चिकनी चीजें जैसे तलवार आदि की पाकी और सफाई का तरीका यह है कि उन्हें पोंछ दिया जाए ताकि उनकी नजस्त (गंदगी) का असर खत्म हो जाए।

मस'अला 163 अगर किसी कुएं में जानवर गिरकर मर जाए और उसके पानी में कोई बदलाव (रंग, गंध या स्वाद में) न आए, तो उस कुएं का पानी पाक है। और अगर बदलाव आ जाए, तो उस बदलाव के खत्म होने तक पानी निकाला जाएगा।

मस'अला 164 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ठहरे हुए पानी में शौच करने से मना फ़रमाया है:

(عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه»)

((हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे और फिर न ही उसमें गुस्ल (स्नान) करो।")) (सहीह बुखारी: 239, सहीह मुस्लिम: 282)

और उलेमा-ए-किराम के अनुसार, इसकी वजह से 'वसवसे' (मन में बुरे विचार या संदेह) पैदा होते हैं।

मस'अला 165

कीचड़ अपने आप में अपवित्र (नापाक) नहीं है, जब तक कि उसमें किसी अपवित्र चीज़ (नजासत) के मिलने का पक्का यकीन न हो जाए।

मस'अला 166

यदि किसी मजबूरी या लाचारी की स्थिति में शौच के स्थान को तीन पत्थरों से साफ किया गया हो और फिर यह संदेह पैदा हो कि कुछ अवशेष बाकी रह गया है, तो इस संदेह को दूर कर देना चाहिए और शुद्धि (पाकी) का विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि शरिया के अनुसार तीन पत्थरों से शुद्धि प्राप्त हो जाती है।

मस'अला 167

'गुसालात' (वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान), इन कपड़ों में गंदे पानी की छींटें या अशुद्धता समा जाने के संदेह (वसवसे) पैदा होने की संभावना रहती है। इस संदेह को दूर करने के लिए पानी की अधिक मात्रा का उपयोग किया जाना चाहिए और केवल संदेह के आधार पर अशुद्धता (नजासत) का हुक्म लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। (इब्न जिबरीन)

बर्तन की नजासत (अशुद्धता) और अदम-ए-नजासत (शुद्धता) के मसाइल

बर्तन की नजासत और अदम-ए-नजासत के मसाइल / इस्तेमाल और फायदे में नजिस (अशुद्ध) और गैर-नजिस (शुद्ध) की पहचान।

मस'अला 168

महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों का उपयोग करना नाजायज (वर्जित) है।

A. अलिफ़: इसी तर्क (क्रियास) के अनुसार, सोने और चांदी से बने सभी प्रकार के बर्तनों का उपयोग हराम है।

	<p>नोट: यदि अन्य बर्तनों पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाया गया हो, तो उन बर्तनों को भी खाने-पीने के लिए उपयोग करना मना है। क्योंकि एक अनजान व्यक्ति उन्हें सोना और चांदी ही समझेगा और इससे गलतफहमी (बदगुमानी) पैदा होगी, जिससे बचना एक मुसलमान के लिए जरूरी है।</p> <p>B. बा: सोने और चांदी से तैयार किए गए नल, और इसी तरह की अन्य वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले सामानों में सोने और चांदी का उपयोग नाजायज है।</p>
--	--

मस'अला 169	महिलाओं के लिए सोने और चांदी के जेवर पहनना हलाल (वैध) है।
------------	---

मस'अला 170	पुरुष के लिए सोने और चांदी की घड़ी पहनना जायज (अनुमत) नहीं है, जबकि स्त्री के लिए सोने और चांदी से तैयार की गईं तमाम चीजें जायज हैं।
------------	--

मस'अला 171	पुरुषों के लिए सोने और चांदी का चश्मा और कलम (पेन) आदि भी जायज नहीं है, नाजायज है।
------------	--

मस'अला 172	<p>विवशता की स्थिति में और यदि कोई दूसरा विकल्प मौजूद न हो, तो सोने या चांदी के दांत लगवाना जायज है, जैसा कि 'हदीस-ए-अरफजा' में है:</p> <p>सय्यदना अरफजा बिन असद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि जाहिलियत के ज़माने में 'जंग-ए-कुलाब' के दिन उनकी नाक कट गई, तो उन्होंने चांदी की नाक बनवाई, फिर उसमें बदबू आ गई तो नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उन्हें सोने की नाक बनवाने का हुक्म दिया। (सुनन नसाई: 5164)</p>
------------	--

मस'अला 173	<p>इब्ने तैमिया (रहमतुल्लाही अलैहि) का रुख यह है कि: अत्यधिक विवशता और मजबूरी के अलावा, ज़रूरत और आवश्यकता के तहत भी सोने और चांदी की मामूली मात्रा जायज है।</p> <p>नोट: इस संबंध में बहुत मतभेद पाया जाता है, इसलिए आवश्यकता और ज़रूरत का बहाना इस्तेमाल करते हुए इसके हलाल और जायज होने के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले विद्वानों (उलेमा) से इसकी वैधता की स्थिति जाननी चाहिए और फिर पूर्ण संतुष्टि के बाद ही सोने और चांदी की मामूली मात्रा का उपयोग करना चाहिए।</p>
------------	--

मस'अला 174	पीतल और तांबे का उपयोग जायज है।
------------	---------------------------------

मस'अला 175	फिजूलखर्ची, घमंड और अहंकार जैसे गुनाहों से बचते हुए, सोने और चांदी के अलावा अन्य कीमती चीजों का उपयोग जायज है।
------------	--

पानी से संबंधित नजासत (अशुद्धता) और नजासत न होने (शुद्धता) के नियम

मस'अला 176	यदि पानी की मात्रा 'दो कुल्ला' (एक निश्चित पैमाना) से अधिक हो या ऐसी बहती हुई नहर हो जिसमें गंदगी न रुकती हो और जिस पानी का रंग, स्वाद और गंध न बदली हो, तो ऐसा पानी अशुद्ध (नजस) नहीं होगा।
------------	--

मस'अला 177	<p>मात्रा और लीटर का हिसाब:</p> <p>कुल्ला: शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल-मनीअ (حفظه الله) कहते हैं: विद्वानों के अनुसार जो 'कुल्ला' प्रसिद्ध है, वह 'हजर' बस्ती का कुल्ला है। यह बस्ती मदीना के पास ही स्थित है; यहाँ 'हजर' से तात्पर्य बहरीन की हजर बस्ती नहीं है।</p> <p>यह बात पहले बताई जा चुकी है कि एक कुल्ले में \$250\$ रतल होते हैं, और यह भी बताया जा चुका है कि रतल की ग्राम में मात्रा \$408\$ ग्राम है। तो इस प्रकार एक कुल्ले की मात्रा 250 से 408 = 102,000 यानी 102 किलोग्राम बनेगी।</p> <p>(मजल्ला अल-बुहूस अल-इस्लामिया: 58/184\$)</p>
------------	---

मस'अला	यदि पानी में लोहे के टुकड़े, पत्ते, सब्जियां या केसर जैसी कोई चीज गिर जाए, तो उससे पानी अशुद्ध (गैर-मुतहिर) तब तक नहीं होता जब तक उस पानी का रंग, स्वाद या गंध गंदगी (नजासत) के हावी होने के कारण न बदल जाए। पानी अपने मूल गुणों से वंचित नहीं होता, सिवाय इसके कि पानी में साबुन और इत्र का मिश्रण इतना अधिक हो जाए कि वह पानी के गुणों को समाप्त कर दे और उसे अन्य 'द्रव' (liquid) नामों से पुकारा जाने लगे, क्योंकि इन चीजों से बचना आम तौर पर कठिन है। (मुस्तकिल कमेटी बराए फतावा)
--------	--

मस'अला 178 इसी तरह अगर पानी में मिट्टी गिर जाए तो वह अशुद्ध नहीं होता, बल्कि शुद्ध और शुद्ध करने वाला (ताहिर व मुतहिर) ही रहता है, क्योंकि पानी की अनुपस्थिति में मिट्टी को वजू और गुस्ल (स्नान) का विकल्प बनाया गया है।

मस'अला 179 मा-ए-मुस्तमल' (उपयोग किया हुआ पानी) जैसे वजू और गुस्ल के बाद बचा हुआ पानी शुद्ध करने वाला (मुतहिर) है।

मस'अला 180 180; नोट: हर चीज़ की असल (बुनियाद) उसके पाक (शुद्ध) होने का यकीन है, और किसी चीज़ को महज़ (केवल) संदेह या भ्रम की बुनियाद पर नापाक (अशुद्ध) करार नहीं दिया जा सकता; हाँ, अगर उसके नापाक होने का स्पष्ट यकीन हो, तो हम उसे नापाक कह सकते हैं।

मस'अला 181 यदि किसी चीज़ के अशुद्ध (Najis) होने का संदेह हो, तो निर्णय 'यकीन' (निश्चितता) के आधार पर लिया जाएगा। सामान्य और काल्पनिक संदेह के आधार पर किसी चीज़ पर (अशुद्ध होने का) हुक्म नहीं लगाया जा सकता। -- [नियम: निश्चितता संदेह से समाप्त नहीं होती]।

मस'अला 182 अशुद्धता को दूर करने का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण माध्यम पानी ही है। हालाँकि, ज़रूरत के समय सूरज की धूप, हवा, मिट्टी, खुरचना या पोंछ देना भी अशुद्धता को दूर करने के कारण हैं; ज़रूरत पड़ने पर इनसे भी अशुद्धता को दूर किया जा सकता है।

मस'अला 183 भाप (Steam) के ज़रिए भी अशुद्धियों से शुद्धि प्राप्त होती है। जैसा कि वर्तमान युग में व्यावसायिक दुकानों (Laundries) में कपड़ों की मशीनों द्वारा भाप के माध्यम से अशुद्धियों से शुद्धता प्राप्त की जा रही है। -- (इब्न जिबरीन)

मस'अला 184 इमाम अबू हनीफा (रह.), इब्न हज़म (रह.) और इब्न तैमिया (रह.) के रुख के अनुसार, 'इस्तेहाला' (किसी चीज़ की प्रकृति का पूरी तरह बदल जाना) एक स्वीकार्य नियम है। इस रुख के अनुसार, वर्तमान युग में गंदे पानी की अशुद्धि को दूर करने के लिए 'तन्किया अल-मा' यानी आधुनिक जल-शोधन तकनीक (Water Purification Technology) का उपयोग किया जाता है, और यह सही है।

मस'अला 185	पानी की अशुद्धि को दूर करने या उसकी अशुद्धता की मात्रा को कम से कम करने के लिए, प्राचीन काल में पानी में बड़ी मात्रा में पानी मिलाया जाता था या उसमें मिट्टी डाली जाती थी। यदि वर्तमान युग में जल-शोधन के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए पानी की अशुद्धि को दूर कर दिया जाए, तो ऐसा पानी वुजू और गुस्ल (स्नान) के लिए उपयोग के योग्य होगा। प्राचीन काल में अशुद्ध पानी को शुद्ध करने के कई तरीके ईजाद किए गए थे; आधुनिक युग में नए साधनों और नई दवाओं से जो पानी शोधित (Purify) किया जाता है और जिसे 'रीसाइकिल' (Recycle) करना कहते हैं, वह भी सही है और पानी शुद्ध हो जाता है।
------------	--

मस'अला 186	यदि कपड़ों पर कोई अशुद्धता (नजासत) लग जाए और यह पता न हो कि वह कहाँ और कितनी लगी है, तो जहाँ तक अशुद्धता होने का यकीन (निश्चितता) हो, उस हिस्से को धो लिया जाए।
------------	---

मस'अला 187	पानी के मामले में केवल संदेह (शक) के आधार पर सावधानी बरतना न तो मुस्तहब (पसंदीदा) है और न ही शरीयत के अनुसार अनिवार्य। और न ही इस बारे में सवाल करना मुस्तहब है, बल्कि शरीयत का नियम यह है कि मामले को 'इस्तेसहाब' (यानी पिछली स्थिति को बरकरार रखना) पर आधारित किया जाए। यदि अशुद्धता का कोई प्रमाण मिल जाए, तो ही उसे अशुद्ध माना जाएगा। (इब्न तैमिया) नोट: इब्न तैमिया (रह.) फरमाते हैं कि: पानी के मामले में केवल शक की बुनियाद पर एहतियात (सावधानी) बरतना न तो मुस्तहब है और न ही शरीयत का हिस्सा है। इस बारे में सवाल करना भी पसंद नहीं किया गया है, बल्कि नियम यह है कि जब तक उसके अशुद्ध होने का कोई स्पष्ट प्रमाण न मिल जाए, उसे शुद्ध ही माना जाएगा। यदि अशुद्धता का प्रमाण मिल जाए, तो हम उसे अशुद्ध घोषित करेंगे।
------------	--

मस'अला 189	कुत्ते की लार के अलावा अन्य जानवरों की लार की सफाई के लिए तीन बार धोने की शर्त तय करना सही नहीं है। बल्कि अन्य जानवरों की लार की सफाई के लिए तब तक धोया जाएगा जब तक सफाई का यकीन हासिल न हो जाए, चाहे वह सफाई एक बार धोने से हो जाए या तीन बार से या तीन से अधिक बार में।
------------	---

मस'अला 190	इब्न हजम (रह.) फरमाते हैं कि: किसी चीज़ को शुद्ध बताने वाले से प्रमाण (दलील) नहीं माँगा जाएगा, बल्कि अशुद्धता या उसे हराम बताने वाले से प्रमाण माँगा जाएगा। विस्तार के लिए देखें: "अल-दरारी अल-मुदिय्या": 1/97 और "अल-रौज़ा अन-नदिय्या": 1/85।
------------	--

मस'अला 191 इब्न तैमिया (रह.) "अल-असल फ़िल-अश्या अत-तहारा" (वस्तुओं की मूल स्थिति शुद्धता है) के कानूनी सिद्धांत के तहत लिखते हैं कि: सभी वस्तुएं तब तक शुद्ध और पाक हैं जब तक उनके अशुद्ध होने के स्पष्ट प्रमाण न मिल जाएं और जिस चीज़ की अशुद्धता का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो, वह शुद्ध और पाक है। (मजमूअ अल-फतावा: 21/542, 591)

मस'अला 192 इमाम शौकानी (رحمة الله عليه) फरमाते हैं कि: 'बरात-ए-अस्लिया' (मूल रूप से पवित्र होने) का तकाज़ा यह है कि हर चीज़ पाक (शुद्ध) है और हर चीज़ के पाक होने का हक यह है कि किसी विशेष चीज़ के नापाक (अशुद्ध) होने का दावा करने वाले से कुरान और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की सुन्नत से दलील (प्रमाण) मांगी जाएगी। (अल-सैल अल-जर्रार: 1/130-131)

मस'अला 193 अगर नापाक और गंदा पानी खुद-ब-खुद पाक हो जाए या 'तंकिया' यानी पानी साफ करने वाली मशीनों के जरिए उसकी सफाई हो जाए, तो ऐसा पानी 'सालेह' यानी इस्तेमाल के काबिल हो जाता है।

मस'अला 194 सूअर' (झूठा) का शब्द केवल पानी पीने के बाद बचे हुए पानी पर ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल के बाद बचे हुए पानी को भी 'सूअर' कहा जाता है।

मस'अला 195 मनुष्य का 'सूअर' यानी उसका बचा हुआ पानी (जिसमें उसका हाथ लगा हो), चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम, मासिक धर्म वाली महिला हो या बिना मासिक धर्म वाली, इन तमाम का बचा हुआ पानी पाक है।

मस'अला 196 माकूल अल-लहम' यानी हलाल जानवर का बचा हुआ पानी पाक है, क्योंकि इसके नापाक होने की कोई दलील नहीं है और इसके पाक होने पर 'इजमा' (विद्वानों की सर्वसम्मति) साबित है।

मस'अला 197 खच्चर और गधे का बचा हुआ पानी, यदि उसके अलावा पानी उपलब्ध न हो, तो उपयोग के योग्य है। क्योंकि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने इन दोनों जानवरों पर सवारी फरमाई

और नबुवत के युग में इन जानवरों को सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है।
ऐसी स्थिति में इन जानवरों के पसीने और लार से बचना मुश्किल काम है।

शौच के आदाब (या शौच के शिष्टाचार)

मस'अला 198	<p>क्या शौचालय जाते समय दुआ में 'बिस्मिल्लाह' (Bismillah) जोड़ा जा सकता है?</p> <p>सैय्यदना अली बिन अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "जिन्नो की आँखों और इंसानों के गुप्त अंगों के बीच का पर्दा यह है कि जब उनमें से कोई शौचालय जाए तो वह 'बिस्मिल्लाह' कहे।" (सुनन तिर्मिज़ी: 606)</p> <p>सैय्यदना अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बयान किया कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब शौचालय जाते थे तो यह दुआ पढ़ते थे:</p> <p style="text-align: center;">«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»</p> <p>"ऐ अल्लाह! मैं खबीस (दुष्ट) जिन्नो और जिन्नियों की बुराई से तेरी पनाह माँगता हूँ।" (सहीह बुखारी: 6322)</p>
------------	--

मस'अला 199	<p>शौचालय से निकलते समय 'गुफ़्रानका' (Ghufranaka) कहना: उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला (शौचालय) से निकलते थे, तो फ़रमाते थे: "गुफ़्रानका", जिसका अर्थ है "ऐ अल्लाह! मैं तेरी माफ़ी चाहता हूँ।" (सुनन तिरमिज़ी)</p>
------------	---

मस'अला 200	अल्लाह के ज़िक्र (नाम) वाली कोई भी चीज़ शौचालय में न ले जाएँ
------------	--

मस'अला 201	ज़रूरत पूरी करने (शौच) के दौरान सलाम का जवाब न दें। इसी तरह सामान्य बातचीत करना भी मकरूह (नापसंद) है। अलबत्ता, ज़रूरत पड़ने पर बात करना जायज़ है। बल्कि कुछ मौकों पर बात करना वाजिब (अनिवार्य) है, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को कुएँ में गिरने से बचाने के लिए या किसी को सांप आदि के काटने से बचाने के लिए।
------------	---

मस'अला 202	इस्तिन्जा (शौच के बाद सफाई) करते समय लोगों की नज़रों से दूर या ओझल हो जाएँ
------------	--

मस'अला 203	जमीन के करीब होने तक कपड़े ऊपर न उठाएं।
------------	---

मस'अला 204	खुले मैदान या रेगिस्तान में क़िबला (काबा) की ओर मुँह या पीठ न करें। हालाँकि घरों और इमारतों में इसकी मनाही नहीं है, लेकिन यदि घरों में भी इसका ध्यान रखा जाए तो यह बेहतर और अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) है।
------------	--

मस'अला 205	पेशाब की छींटों से बचना अनिवार्य है।
------------	--------------------------------------

मस'अला 206	लोगों के सामान्य रास्तों और छायादार जगहों पर मल-मूत्र त्याग (शौच) न करें।
------------	---

मस'अला 207	ठहरे हुए पानी में शौच न करें।
------------	-------------------------------

मस'अला 208	<p>स्नानघर (Hamam) में पेशाब न करें, अन्यथा ऐसी जगह वज़ू (Wudu) करने पर संशय (वसवसा) पैदा होता है।</p> <p>नोट: कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्तमान युग के स्नानघरों में बिछाए गए पत्थर इतने चिकने होते हैं कि संशय पैदा होने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए इस प्रकार के स्नानघरों में वज़ू करने में कोई हर्ज नहीं है।</p>
------------	---

मस'अला 209	मजबूरी की स्थिति में खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है, बशर्ते पेशाब की बूंदों और छींटों के उड़ने की संभावना न हो; जैसे कि कचरे या कूड़े के ढेर पर। बैठकर पेशाब करने की स्थिति में कभी-कभी पेशाब की बूंदें और छींटे पलटकर शरीर या कपड़ों पर आ जाते हैं।
------------	---

पेशाब और पाखाना साफ़ करने का तरीका

मस'अला 210	पानी, पत्थर या ठोस चीजों के माध्यम से (हड्डी और गोबर के अलावा) पेशाब और पाखाने की गंदगी को दूर किया जा सकता है।
------------	---

मस'अला 211	पाखाने की सफाई यानी 'इस्तिजमार' पत्थर या ढेले या उनके स्थान पर किसी और चीज के जरिए की जाए, तो वह संख्या में तीन से कम न हों।
मस'अला 212	यदि पत्थर या ढेले के जरिए सफाई की जाए, तो वह विषम संख्या (जैसे 3, 5, 7 आदि) में हो।
मस'अला 213	गोबर, लीद, हड्डी, सम्मानजनक चीजों और खाने-पीने की चीजों से 'इस्तिन्जा' (सफाई) न किया जाए।
मस'अला 214	शौच के बाद सफाई के लिए बिना सख्त जरूरत के दाएं हाथ का इस्तेमाल न किया जाए।
मस'अला 215	शौच (निस्तारण) और गंदगी से शुद्धि प्राप्त करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए।
मस'अला 216	शौचालय में प्रवेश करते समय बायां पैर (उल्टा पैर) पहले अंदर रखें और बाहर निकलते समय दायां पैर (सीधा पैर) बाहर निकालें।
मस'अला 217	हवा (Gas) खारिज होने से इस्तंजा (शौच के बाद सफाई) करना अनिवार्य नहीं है, अलबत्ता वुजू टूट जाता है।
मस'अला 218	सुराखों, दरारों, सुरंगों और बिलों में पेशाब करने से मना किया गया है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पेशाब करने के दौरान बिच्छू, चूहा या अन्य हानिकारक छोटे जमीनी कीड़े उन बिलों से निकलकर पेशाब करने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताबेईन में से क़तादा (رحمته الله عليه) ने कहा है कि: कभी-कभी ये सुराख जिन्नों के रहने के स्थान भी होते हैं।
मस'अला 219	सूज या चाँद की तरफ मुँह करने या उनकी ओर पीठ करने में कोई हर्ज या गुनाह नहीं है।
मस'अला 220	शौचालय के मुद्दों से संबंधित: एक कमज़ोर (जर्ईफ़) रिवायत पर आधारित यह मसला बताया जाता है कि शौच के लिए बैठने का तरीका यह है कि बाएं पैर की तरफ अधिक

	झुका जाए और दाएं पैर को खड़ा रखा जाए। याद रहे कि यह जईफ़ हदीस स्वीकृत और प्रमाण योग्य नहीं है, लेकिन चिकित्सा (Medical) की दृष्टि से सही है।
--	--

मस'अला 212	इमाम सनआनी (رحمته الله عليه) और "तौफतुल अहवज़ी" के लेखक का कहना है कि: शौच के दौरान क़िबला की ओर मुँह करने (यानी क़िबला की ओर चेहरा करने) की मनाही इमारतों और बिल्डिंगों के लिए नहीं है, बल्कि रेगिस्तान और खुले मैदानों के लिए है।
------------	---

मस'अला 222	शौचालय के पास दाएं हाथ से गुप्त अंगों (sharmgah) को बिना सख्त ज़रूरत के छूना जायज़ नहीं है।
------------	---

मस'अला 223	शौचालय (Bait-ul-Khala) में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर अंदर रखें।
------------	--

मस'अला 224	शौच से फारिग होने के बाद सफाई के लिए तीन पत्थरों का उपयोग करना जायज़ (वैध) है, और यही नियम टिशू पेपर (tissue paper) के लिए भी है।
------------	---

मस'अला 224	इस्तजमार और इस्तन्जा, यानी पेशाब और शौच की सफाई के लिए खाने-पीने की चीजों और साइंटिफिक या धार्मिक कागजों जैसी सम्मानजनक वस्तुओं का उपयोग करना नाजायज़ (वर्जित) है।
------------	--

मस'अला 225	मिसवाक के लिए पीलू के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करना सुन्नत के अनुसरण के लिहाज से सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है।
------------	--

मस'अला 226	मंजन यानी टूथपेस्ट और पीलू के पेड़ की लकड़ी (मिसवाक) दोनों का एक ही समय में उपयोग करना ज्यादा बेहतर और अफजल (श्रेष्ठ) है।
------------	---

मसला: 227; अल्कोहल से संबंधित अहकामात (नियम)

मस'अला	अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है कि जब तक उसमें (खमीर/yeast) न मिल जाए, नशा नहीं आता। आम बोलचाल में शराब को भी अल्कोहल कहते हैं और शराब बनाने के लिए जो
--------	---

पदार्थ मिलाया जाता है उसे भी अल्कोहल कहते हैं, इसलिए इस बारे में बहुत उलझन (confusion) है। अतः विवरण जानना बहुत ज़रूरी है।

जब पूछने वाला सवाल पूछे, तो विवरण माँगें कि अगर अल्कोहल से मुराद (तात्पर्य) 'अल-खम्र' यानी नशा लाने वाली चीज़ है, तो उसके हराम होने में कोई शक नहीं। इसलिए इससे बचने के लिए हर नशे की तरफ ले जाने वाले बहाने से दूर रहें। अगर अल्कोहल इस्तेमाल की चीज़ों में प्रयुक्त हो और सूंघने से नशा न आता हो, तो विद्वानों ने ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, लेकिन याद रहे पीने की इजाज़त नहीं है क्योंकि नशा करना और पीना हराम है।

मिस्वाक के मसाइल

मस'अला 228

किस चीज़ के ज़रिए मिस्वाक करना अफ़ज़ल (बेहतर) है? क्या इस मसले में दांतों की सफ़ाई असल मक़सद है या अफ़ज़लियत का हुसूल मिस्वाक की लकड़ी से ही हासिल होगा?

अगर असल मक़सद (सफ़ाई) ही मतलब हो, तो वह टूथपेस्ट से भी हासिल हो जाएगा। इस आधार पर मिस्वाक में टूथपेस्ट भी फ़ायदेमंद और मशरूअ (वैध) है। हालाँकि, अफ़ज़लियत (श्रेष्ठता) का हुसूल 'इत्तिबा-ए-सुन्नत' (सुन्नत के अनुसरण) से ही हासिल होगा।

मस'अला 229

अल-राफ़ई (رحمته الله عليه) ने 'अल-फ़तह' में कहा है कि 'अल्-सिवाक'

(Miswak) का मूल धातु (Root) 'स-व-क' (س-و-ك) है, जिसका अर्थ 'दल्क' यानी मलने और रगड़ने के हैं। और हर वह सूखी चीज़ जो दांतों की गंदगी को साफ़ करे, 'मिसवाक' है। और अगर मिसवाक का मक़सद मुँह की सफ़ाई हो, तो यह प्लास्टिक के ब्रश से भी हासिल हो सकता है, चाहे वह कपड़ा हो या लकड़ी। और नीम या खजूर जैसे किसी भी पेड़ की लकड़ी से मिसवाक किया जा सकता है, लेकिन मिसवाक के लिए लकड़ी का इस्तेमाल 'इत्तिबा-ए-सुन्नत' (सुन्नत के अनुसरण) के लिहाज़ से सबसे अफ़ज़ल (बेहतर) है।

मसह के अहकामात व मसाइल

मस'अला 230

लंबे बूट (Long boots) का हुकम भी उसी 'खफ़' (चमड़े के मोजे) की तरह है जो टखनों को ढाँक ले, इसलिए मोजों की तरह उन पर भी 'मसह' (गीले हाथों से पोंछना) करने की

वही शर्तें हैं अगर जूते या बूट टखनों को ढाँक लें, वरना उन्हें उतार कर धोना ज़रूरी होगा। शेख अल्बानी ने बूट के लिए टखने ढाँके रहने की शर्त को स्वीकार नहीं किया है।

मस'अला 231 कपड़े के मोजों पर भी मसह करना जायज़ है। हज़रत सौबान (रज़िअल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एक 'सरिया' (छोटा लश्कर) भेजा तो उसे ठंड लग गई, जब वे लोग रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास आए तो रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उन्हें (वज़ू करते समय) 'अमामों' (पगड़ियों) और मोजों पर मसह करने का हुक्म दिया। (सुनन अबी दाऊद: 146)। तिरमिज़ी के हवाले से इमाम अबू हनीफा (रहमतुल्लाह अलैह) ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में इसकी अनुमति दे दी थी।

मस'अला 232 मुक़ीम (निवासी) और मुसाफ़िर (यात्री) के लिए मसह करने की निर्धारित अवधि की शुरुआत मोजे पहनने के समय से नहीं होती, बल्कि मोजे पहनने के बाद वज़ू टूटने के बाद ताज़ा वज़ू करने के समय से शुरू होती है। जो मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रात है और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात है।

मस'अला 127 127: मोजे निकालने से 'मसह' खत्म नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे बाल काटने, नाखून काटने या हाथ-पांव की उंगली के (कुछ हिस्से के) कटने से वज़ू नहीं टूटता।

मस'अला 233 अमामा (पगड़ी) के मसाइल में 'शमाग' और 'गुतरा' (अरबी रुमाल) शामिल नहीं हैं, इसलिए उन पर मसह करना जायज़ नहीं है।

मस'अला 234 ज़ख्म पर लपेटी जाने वाली पट्टी और प्लास्टर पर मसह करना जायज़ है, क्योंकि इसका हुक्म (नियम), तयम्मूम और 'मसह अलल-खुप्रफ़ैन' (मोजों पर मसह) से मिलता-जुलता है।

मस'अला 235 वज़ू के अंगों पर प्लास्टर हो तो क्या करें?

1. पहली स्थिति: यदि अंग खुला हो और पानी से नुकसान न हो, तो उसे धोना ज़रूरी है।
2. दूसरी स्थिति: यदि अंग को पानी लगाने से नुकसान होने का डर हो, तो उस पर 'मसह' किया जा सकता है।
3. तीसरी स्थिति: यदि अंग पर पानी डालना बहुत मुश्किल हो, तो 'तयम्मूम' कर लें।

4. चौथी स्थिति: यदि अंग पर ऐसी पट्टी हो जिसे हटाना मुश्किल हो, तो उसी पट्टी पर 'मसह' कर लें।

मस'अला 236 यदि किसी का हाथ या वजू का कोई अंग कट जाए और उसकी जगह कोई कृत्रिम (Artificial) अंग लगा लिया जाए, तो उस अंग को धोने का हुक्म खत्म हो जाता है। जैसा कि फिक्रही (कानूनी) नियम है: "इज़ा फ़ात अल-शर्तु फ़ात अल-मशरुत" (यानी जब शर्त खत्म हो जाए, तो उससे जुड़ा हुक्म भी खत्म हो जाता है)। इस नियम के अनुसार, वजू के लिए हाथ का होना 'शर्त' है, और जब हाथ ही नहीं रहा तो उसे धोने का हुक्म भी नहीं रहेगा। लेकिन यदि कृत्रिम अंग लगा हो, तो उस पर वजू या मसह करना ज़रूरी नहीं है।

मस'अला 237 कृत्रिम पैर या हाथ पर वजू या गुस्ल (स्नान) की ज़रूरत नहीं है (इज़ा फ़ात अल-शर्तु फ़ात अल-मशरुत)। लेकिन यदि मूल या प्राकृतिक अंग का कुछ हिस्सा उस कृत्रिम अंग के साथ बचा हुआ है, तो उस बचे हुए हिस्से को धोना ज़रूरी है।

मस'अला 238 नाक में बाली (नथ) पहनने और सजावट के उद्देश्य से छेद करने के बारे में दो मत (राय) हैं:

- पहला मत: बिना किसी ठोस वजह के यह नाजायज़ है।
- दूसरा मत: यह जायज़ है यदि समाज में इसकी प्रथा/आदत बन गई हो, जैसे कानों में छेद किया जाता है। बशर्ते कि नीयत (इरादा) बुराई करने वालों (फ़ुस्साक़) या गैरों (अन्य संस्कृतियों) के साथ समानता रखने की न हो।

حكم الحشرات التي تسقط في الطعام

239- खाने में गिरने वाले कीड़े-मकोड़ों का हुक्म

कुछ चींटियाँ शर्बत और जूस में गिर जाती हैं और वहीं मर जाती हैं। अतः, जब चींटी, मक्खी और मच्छर जैसे कीड़े-मकोड़े खाने-पीने की चीजों में गिर जाएँ (चाहे मृत अवस्था में हों या जीवित), तो क्या हम उस भोजन या पेय का सेवन कर सकते हैं, या इसे खाने या पीने से पहले इन्हें निकालना अनिवार्य होगा? (अल-इस्लाम सवाल-ओ-जवाब)

पहला (औवल) :

शरीयत ने 'खबीस' (अपवित्र/घृणित) और गंदी चीजों को हराम (वर्जित) किया है। (अल-आराफ़ / 157)। और कीड़े-मकौड़ों पर आधारित भोजन को अरब के लोग रहस्योद्घाटन (वही) के समय गंदा समझते थे, और वे ही कुरान के पहले संबोधित लोग (मुखातिब) थे।

इमाम इब्न कुदामा (رحمه الله) का कथन है: "वियुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात" (वह उनके लिए शुद्ध चीजों को हलाल करता है)। तुम पर मुर्दार (बिना ज़बह किया हुआ जानवर), खून, सूअर का मांस और वह चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा गया हो, हराम कर दी गई है। (सूरह अल-मायदा: आयत 3)

इन उल्लेखित चीजों के अलावा, जहाँ तक बाकी चीजों का संबंध है, जिन्हें अरब के लोग शुद्ध और साफ समझते थे, वे हलाल होंगी, क्योंकि अल्लाह का फरमान है: "और वह शुद्ध चीजों को हलाल बताता है।" यानी, इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार तय की गई हलाल चीजों के अलावा, जिन्हें वे (अरब के लोग) अच्छा और उत्तम समझते हों।

क्योंकि दूसरी आयत में अल्लाह तआला के फरमान में इसका प्रमाण मौजूद है: "वे आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या कुछ हलाल है? आप कह दीजिए कि तमाम पाक (शुद्ध) चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं।" अगर सवाल हलाल के बारे में वांछित होता, तो उन्हें यह जवाब न दिया जाता। और जिन चीजों को अरब 'खबीस' और गंदा समझते हों, वे हराम होंगी क्योंकि अल्लाह का फरमान है: "व युहर्मु अलैहिमुल्खबाइस" (और वह उन पर गंदी चीजों को हराम ठहराता है)।

खाने की चीजों के संबंध में अच्छे या खराब होने का मानक, हिजाज़ (मक्का-मदीना क्षेत्र) के लोग होंगे, और उनमें भी विशेष रूप से वे लोग जिनका संबंध शहरी जीवन से हो। क्योंकि यही वे लोग हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ और जो अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह (ﷺ) की सुन्नत के सबसे पहले संबोधित लोग (मुखातिब) रहे। इसलिए अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह (ﷺ) की सुन्नत के शब्दों के अनुप्रयोग (इतलाक़) का संदर्भ बिंदु (मरजअ), हिजाज़ के लोगों के बीच प्रचलित परंपरा (उर्फ़) होगी; उनके अलावा कोई और नहीं, और न ही देहातों (गाँवों) में रहने वाले लोग कुरान और सुन्नत के शब्दों के अनुप्रयोग में विश्वसनीय मानक हो सकते हैं, क्योंकि वे ज़रूरत और भुखमरी के समय जो मिलता था, उसे खा लेते थे।

जब यह बात सिद्ध हो गई, तो कीड़े जैसे कि आंतों के कीड़े, गुब्रैला, अधिकतर गीले स्थानों पर रहने वाले कीड़े, भुनगा, चूहा, छिपकली, गिरगिट, ज़मीन खोदने वाले कीड़े, जंगली चूहे, बिच्छू और सांप जैसे जीव 'गंदे कीड़े-मकौड़ों' की श्रेणी में आएंगे। और यही इमाम अबू हनीफा (رحمه الله) और इमाम शाफ़ई (رحمه الله) का रुख है। ("अल-मुग़नी" से उद्धरण समाप्त)।

दूसरा (दौम):

उपरोक्त चर्चा में जो विवरण दिया गया है, उसके आधार पर आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप इन कीड़े-मकौड़ों को उनकी गंदगी के कारण भोजन से अलग करें। और कीड़े-मकौड़ों को निकालने का यह नियम उस स्थिति में अनिवार्य है जब उन्हें दूर करना क्षमता के भीतर हो और उसमें बहुत अधिक कठिनाई न हो; साथ ही जब ये कीड़े दिखाई दें और उन्हें भोजन से अलग करना संभव हो।

शेख तक्रीउद्दीन ने यह रुख अपनाया है कि: भोजन आदि में अशुद्धियों (नजासत) की मामूली मात्रा, यहाँ तक कि चूहों की विष्ठा (मेंगनियां) भी पूरी तरह से क्षम्य है। उन्होंने "अल-फुरूह" में फरमाया जिसका अर्थ और उद्देश्य यह है कि: यह वह रुख है जिसकी पुष्टि "अल-नज़्म" के लेखक ने की है। मैं कहता हूँ कि यह कथन "मजमा अल-बहरैन" में है: मेरा यह रुख है कि यह अधिक उचित है कि कपड़ों और भोजन में अशुद्धि की मामूली मात्रा क्षम्य हो, क्योंकि इससे बचना अत्यंत कठिन होता है।

निश्चित रूप से हर बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति यह समझता है कि इसका संबंध 'उमूम-ए-बलवा' (ऐसी स्थिति जो व्यापक हो और जिससे बचना कठिन हो) से है, और यह व्यापक स्थिति विशेष रूप से गोदामों, शक्कर के पेय पदार्थों और जैतून का तेल तैयार करने वाली कंपनियों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ चूहों की झूठी की हुई चीजों, मक्खियों के खून आदि और उनकी गंदगी व उल्टी से भोजन की सुरक्षा करना सबसे कठिन होता है। हमारे बहुत से साथियों (विद्वानों) ने इन अशुद्धियों से प्रदूषित रहने वाली चीजों को 'ताहिर' (शुद्ध) करार दिया है। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)। (अल-इस्लाम सवाल-ओ-जवाब)

तीसरी जلد का مختصر نسخه

भाग-3

तीसरी जिल्द का संक्षिप्त संस्करण

तहारत (शुद्धता) के प्रकार का जिक्र करें

मुख्य श्रेणियां:

- तहारत-ए-हकीकी: नजासत (अशुद्धता) से शुद्धता।
- तहारत-ए-हुक्मी: हदस (अवस्थागत अशुद्धता) से शुद्धता।

तहारत के प्रकार (फ्लोचार्ट)

1. तहारत-ए-मानवी (आध्यात्मिक शुद्धता)

- इसका अर्थ है: शिर्क और पापों से पवित्र होना।

2. तहारत-ए-हिसिया (शारीरिक/द्रव्य शुद्धता)

इसे आगे दो मुख्य भागों में बांटा गया है:

A. हदस (अदृश्य अशुद्धता)

- हदस-ए-असगर (लघु अशुद्धता): इसके लिए वजू की आवश्यकता होती है।
- हदस-ए-अकबर (बड़ी अशुद्धता): इसके लिए गुस्ल (स्नान) की आवश्यकता होती है।

B. नजासत (दृश्य अशुद्धता)

इसके अंतर्गत निम्नलिखित की सफाई आती है:

- जिस्मानी नजासत: शरीर की अशुद्धता।
- कपड़ों की नजासत: कपड़ों की अशुद्धता।
- जगह की नजासत: स्थान की अशुद्धता।

प्रश्न 240	"हदस (Hadath) का शाब्दिक अर्थ और पारिभाषिक अर्थ स्पष्ट करें।"
उत्तर	"हदस-ए-असगर" (Hadhath-e-Asghar): पारिभाषिक शब्दावली में 'हदस-ए-असगर' उस अशुद्धता की स्थिति या क्रिया (पवित्रता न होने की स्थिति) को कहते हैं जिससे वजू (Wudu) टूट जाए। इसे फ़िक्ही (इस्लामी न्यायशास्त्र) शब्दावली में 'मुहदिस' होना कहा जाता है और इस स्थिति में वजू करना अनिवार्य हो जाता है।

हदस की कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- अल्-गाइत (Al-Gha'it): मल त्याग से निवृत्त होना।
- अल्-बौल (Al-Bawl): मूत्र त्याग से निवृत्त होना।
- अर्-रीह (Ar-Reeh): हवा (गैस) का खारिज होना।
- अल्-वदी (Al-Wadi): पेशाब से पहले या पेशाब के बाद निकलने वाला पानी जो बिना कामेच्छा (lust) के निकलता है।
- अल्-मज़ी (Al-Madhi): अनैच्छिक रूप से पेशाब की जगह से पतला पानी निकलना, जो कामेच्छा के कारण निकलता है।

गहरी नींद, नशा या पागलपन का सवार होना—यह सभी चीजें हदस-ए-असगर कहलाती हैं।

प्रश्न 241	हदस-ए-अकबर क्या है?
उत्तर 241	हदस-ए-अकबर वह अवस्था है जिसकी वजह से गुस्ल (स्नान) अनिवार्य (वाजिब) हो जाता है। इसका विवरण 'गुस्ल' के अध्याय में विस्तार से दिया जाएगा, इंशाअल्लाह।

प्रश्न 242	रफ़-ए-हदस (अशुद्धि दूर करने) का तरीका क्या है?
उत्तर 242	<ul style="list-style-type: none">• हदस-ए-असगर (छोटी नजासत/अशुद्धि): इस स्थिति को खत्म करने का तरीका वजू है।• हदस-ए-अकबर (बड़ी नजासत/अशुद्धि): इस स्थिति को खत्म करने का तरीका गुस्ल है।

प्रश्न 243	अस्बाब-ए-हदस (अशुद्धि के कारण) क्या हैं?
उत्तर 243	हदस-ए-असगर के कारण: पेशाब करना, पाखाना (मल त्याग), हवा (गैस) का खारिज होना, मज़ी (madhi) और वदी (wadi) का निकलना, गहरी नींद आना और अक्ल (चेतना) का खो जाना या प्रभावित होना आदि।

अस्बाब-ए-हदस-ए-अकबर: जनाबत, हैज़ ओ निफ़ास वग़ैरह।

प्रश्न 244	वजू के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें?
उत्तर 244	<ul style="list-style-type: none">• मांस (ऊंट के मांस के अलावा), मछली और अंडा खाने से वजू नहीं टूटता।• आग पर पकी हुई चीज़ खाने पर वजू करना वाजिब (ज़रूरी) नहीं है।• दूध पीने पर वजू नहीं है, अलबत्ता (हालांकि) कुल्ला करना मुस्तहब (पसंदीदा/बेहतर) है।• ऊंट का मांस खाने पर वजू करना वाजिब है।

प्रश्न 245	(अख़ताउल वजू) वजू में की जाने वाली आम गलतियाँ बयान करें?
उत्तर 245	<ul style="list-style-type: none"> • यह समझना कि हर नमाज़ के लिए नया वजू करना फ़र्ज़ है। • यह समझना कि हर वजू से पहले शर्मगाह को धोना फ़र्ज़ है। • वजू की नियत (इरादा) शब्दों के साथ करना। • 'बिस्मिल्लाह' भूल जाने पर फिर से (शुरू से) वजू करना। • हथेली धोए बिना हाथों को कलाईयों या कोहनियों तक धोना शुरू करना। • यह समझना कि वजू के अंगों को तीन-तीन बार धोने से ही वजू पूरा होता है। • वजू के दौरान तंग (फंसी हुई) अंगूठी को हरकत न देना (हिलाना नहीं)। • कुल्ला करने और नाक में पानी चढ़ाने को ज़रूरी न समझना। • कान की लौ तक पहुँचे बिना चेहरे को सिर्फ आगे से धोना। • यह समझना कि वजू के दौरान बात करने से वजू टूट जाता है। • पूरे सर का मसह न करना। • गर्दन का मसह करना। • औरतों का नेल पॉलिश (पॉलिश) लगे नाखूनों पर मसह करना। • यह समझना कि अगर वजू के अंगों पर तेल या चिकनाई लगी हुई है तो वजू अधूरा (नाकिस) है। • सर के मसह से पहले हाथों को चूमना और आँखों से लगाना। • यह समझना कि कान के मसह के लिए नया पानी लेना लाज़िम (ज़रूरी) है। • सिर्फ अंदरूनी कानों का मसह करना। • वजू के दौरान दुआएं और अज़कार (ज़िक्र) पढ़ना।

प्रश्न 246	वजू (Wudu) का भाषाई और पारिभाषिक अर्थ क्या है?
उत्तर 246	<p>1. वजू की भाषाई परिभाषा:</p> <p>'वजू' (Wudu) शब्द 'वजाअत' (Wada'at) से निकला है, जिसका अर्थ "सुंदरता, चमक और शुद्धता" है। और 'वजू' (वाओ पर ज़म्म/पेश के साथ) का अर्थ "वजू करने का कार्य" है। जबकि 'वजू' (वाओ पर फ़तह/ज़बर के साथ) उस "पानी" को कहते हैं जो वजू के लिए तैयार किया जाता है। "मियज़ाअह" (मीम के नीचे ज़ेर/कसरह के साथ) उस "जगह" को कहते हैं जहाँ वजू किया जाता है।</p> <p>(हवाला: अल-जौहरी की पुस्तक "अस-सिहाह" (1/81), इब्न मंज़ूर की पुस्तक "लिसान अल-अरब" (1/194))</p> <p>2. वजू की पारिभाषिक (धार्मिक) परिभाषा:</p> <p>अल्लाह अज़-व-जल्ल की इबादत (पूजा) के लिए विशिष्ट अंगों को एक विशेष तरीके से धोना।</p>

प्रश्न 247	वज़ू की अनिवार्य शर्तें (शर्त-ए-वुजूब) बयान कीजिए?
उत्तर 247	<ol style="list-style-type: none"> 1. इस्लाम: (हनाफ़ी संप्रदाय के अनुसार यह एक शर्त है कि वज़ू अनिवार्य हो, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार यह वज़ू के सही होने की शर्त है)। 2. अक्ल (विवेक/बुद्धि): (यदि बुद्धि न हो, तो न वज़ू अनिवार्य है और न ही मान्य है)। 3. बालिग (वयस्क होना): (यदि वयस्क न हो, तो वज़ू अनिवार्य नहीं है। अलबत्ता, यदि कोई अवयस्क वज़ू कर ले तो उसका वज़ू मान्य है, लेकिन शर्त यह है कि वह 'तमीज़' (सही-गलत की पहचान) की उम्र तक पहुँच चुका हो)। 4. पानी की उपलब्धता: (हनाफ़ी और शाफ़ई संप्रदाय के अनुसार पानी का होना अनिवार्य शर्त है, और कुछ न्यायविदों—हनबली—ने कहा है कि 'पाक' यानी शुद्ध पानी का होना शर्त है)। 5. वज़ू के विपरीत चीज़ों से मुक्त होना: जैसे मासिक धर्म (हैज़) और प्रसवोत्तर रक्तस्राव (निफ़ास)। (यह अनिवार्यता और वैधता की शर्त है। कुछ न्यायविदों ने कहा है कि यदि कोई 'जुनुबी' व्यक्ति राहत या ठंडक के लिए वज़ू करना चाहे, तो वह जायज़ है, जैसे सोने से पहले वज़ू करना)। 6. पानी के इस्तेमाल पर सक्षम होना: (यदि हाथ ही न हों, तो उस अंग पर वज़ू का पानी पहुँचाना अनिवार्य नहीं है)। 7. पानी का शुद्ध (पाक) होना: और यह भी शर्त है कि व्यक्ति उसे इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो और उसे उपयोग करने में असमर्थ न हो।

प्रश्न 248	वज़ू की वैधता की शर्तें (शर्तें) बयान कीजिए?
उत्तर 248	<ol style="list-style-type: none"> 1. पानी को (त्वचा तक) पहुँचने से रोकने वाली चीज़ों को हटाना ज़रूरी है: (तअमीम-उल-वज़ू: वज़ू के अंगों तक पानी पहुँचाना आवश्यक है)। यदि सामर्थ्य हो और संभव हो, तो बिना किसी वैध कारण (उज़्र) के यदि कोई अंग सूखा रह जाए, तो वज़ू सही नहीं होगा। 2. वज़ू की वैधता के लिए वज़ू का तरीका (सिफत-उल-वज़ू) जानना ज़रूरी है: (जैसे कि वज़ू के फ़राज़ और सुन्नत की पहचान होना या वज़ू के सही तरीके का ज्ञान होना आवश्यक है)। 3. नीयत (इरादा): वज़ू के लिए दिल में नीयत करना शर्त भी है और एक स्तंभ (रुकन) भी। (बेशक, कर्मों का दारोमदार नीयत पर है)। सबसे पहले दिल में वज़ू की नीयत करनी चाहिए (पवित्रता प्राप्त करने, अशुद्धता दूर करने या नमाज़ अदा करने की नीयत से)। 4. अस्वस्थ व्यक्तियों (असहब-ए-उज़्र) के लिए स्वास्थ्य की शर्तों का विवरण अलग है, जिसका विस्तार से उल्लेख उन विषयों के अंतर्गत किया जाएगा, इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा)।

	5. यह शर्त नहीं है कि वक्त (नमाज़ का समय) शुरू हो चुका हो, हालांकि कुछ फुक्रहा (इस्लामी न्यायविद) कहते हैं कि जो लोग स्थायी अशुद्धि (दाएमी हदस) का शिकार हैं और जिन्हें पेशाब की थैली लगी हुई है, उनके लिए वक्त से पहले वजू करना सही नहीं है।
--	---

प्रश्न 249	वजू के फ़राएज़ (वाजिबात) का वर्णन करें?
उत्तर 249	<ol style="list-style-type: none"> 1. नीयत: (पाकी हासिल करने की नीयत करना या नमाज़ अदा करने की नीयत करना)। 2. तस्मिया (बिस्मिल्लाह कहना): अगर याद रहे, क्योंकि "बिस्मिल्लाह" कहना वाजिब है। यदि याद रहने पर कहा जाए तो ठीक, लेकिन अगर भूल गए तो माफ़ है और वजू सही है, मगर दुआ के सवाब से महरूम होगी। 3. कुल्ली करना: एक बार करना वाजिब है और एक से ज़्यादा यानी तीन बार करना सुन्नत है। 4. नाक में पानी लेना और साफ़ करना: एक बार। 5. चेहरा धोना: एक बार। 6. दाढ़ी का खिलाल करना। 7. हाथ धोना: उंगलियों के पोरों से कोहनियों तक - एक बार। 8. हाथ की उंगलियों का खिलाल करना। 9. पूरे सिर का मसह करना और कानों का मसह करना: एक बार। 10. दोनों पैर टखनों तक और टखनों समेत धोना: एक बार। 11. क़दम (पैरों) की उंगलियों का खिलाल करना। 12. तरतीब (क्रम): वजू के फ़राएज़ में शामिल है (जमहूर/बहुमत उलेमा के पास), लेकिन शेख अल्बानी ने दूसरे मत को प्राथमिकता दी है और कहा है कि: यह मसनून (सुन्नत) है, वाजिब या फ़र्ज़ की कोई दलील नहीं है। 13. मुवालात (निरंतरता): यह वजू के फ़राएज़ में से है। यानी एक अंग और दूसरे अंग को धोने के बीच इतना समय या देरी न हो कि पिछला अंग सूख जाए, या जिसे सामान्यतः देरी समझा जाए।

प्रश्न 250	वजू की सुन्नतें बयान करें?
उत्तर 250	<ol style="list-style-type: none"> 1) तस्मिया (बिस्मिल्लाह कहना) सुन्नत है, लेकिन कुछ उलमा (विद्वानों) के नज़दीक वाजिब है याद रहने पर (हनाबिला) 2) मिस्वाक करना।

- 3) वजू के हर अंग की शुरुआत दाईं (सीधी) तरफ से करनी चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार यह वाजिब (अनिवार्य) में से है, क्योंकि 'इब्दाऊ बि-मयामिनिकुम' (अपने दाएं हिस्से से शुरू करो) का आदेश अनिवार्यता की ओर इशारा करता है, लेकिन दूसरे विद्वान इसे मुस्तहब (पसंदीदा/ऐच्छिक) कहते हैं।
- 4) वजू की शुरुआत में उंगलियों और हथेलियों समेत पहुँचों (कलाई) तक हाथ धोना सुन्नत है, लेकिन नींद से उठकर हाथ धोना वाजिब है (शेख बिन बाज़)।
- 5) वजू के अंगों को एक बार धोना वाजिब है, जबकि तीन बार धोना सुन्नत है।
- 6) कुल्ली करना और नाक में पानी डालना एक बार वाजिब है (तमाम अल-मिन्ना लिल-अल्बानी, अस-सैल अल-जरर लिश-शौकानी)। और गहराई तक कुल्ली करना (मुबालगा) और गरारा करना सुन्नत है (इब्न उथैमीन, इब्न कुदामा)। और इसे तीन बार करना मसनून (सुन्नत) है, इससे 'इसबाघ-ए-वजू' (वजू को पूर्णता से करने) की फजीलत मिलती है, सिवाय रोजे की हालत के, जिसमें गहराई तक कुल्ली करने से मना किया गया है क्योंकि नबी करीम ﷺ ने इससे मना फ़रमाया है।
- 7) नाक में पानी लेना वाजिब है और नाक झाड़ना [सुन्नत है] और कुछ के नज़दीक यह भी वाजिब है।
- 8) दाढ़ी का खिलाल (उंगलियों से बालों को साफ़ करना) मुस्तहब और सुन्नत है। [कुछ के नज़दीक वाजिब है, और दाढ़ी और उंगलियों के खिलाल के लिए शेख अल्बानी रहिमुल्लाह ने दलीलें पेश की हैं]।
- 9) वजू के अंगों को रगड़ना मुस्तहब है, लेकिन जिनके बाल सख्त हों या खाल तक पानी न पहुँच पा रहा हो, तो रगड़ना वाजिब है (इब्न बाज़ रहिमुल्लाह)।
- 10) वजू के अंगों को तीन बार से ज़्यादा धोना मकरूह (नापसंदीदा) है।
- 11) वजू के लिए कम से कम पानी इस्तेमाल करना सुन्नत है।
- 12) वजू के बाद की दुआ मसनून (सुन्नत) है।
- 13) 'तहीय्यतुल वजू' (वजू के बाद की नमाज़) मुस्तहब है।
- 14) तरतीब (क्रम) वाजिब है, जबकि जम्हूर (बहुसंख्यक विद्वानों) के नज़दीक यह सुन्नत है और शेख अल्बानी की तहक़ीक़ (शोध) के मुताबिक़ भी यही है।
- 15) नमाज़ के लिए नए सिरे से वजू करना (यदि पिछले वजू से एक नमाज़ अदा कर ली गई हो) सुन्नत है।
- 16) अंगूठी, कान की बाली और घड़ी को हरकत देना (हिलाना) ताकि उसके नीचे पानी पहुँच जाए सुन्नत है, और अगर वे तंग हों और सूखा रह जाने का अंदेशा हो, तो उन्हें हिलाना वाजिब है (शेख इब्न उथैमीन और शेख अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि)।

<p>17) सर का मसह करना एक बार वाजिब (अनिवार्य) है, अलबत्ता तीन बार मसह करना मशरूअ (धर्मसम्मत) और सुन्नत है, जैसा कि शेख अल्बानी ने हदीस की तस्हीह (पुष्टि) की है (सहीह अबू दाऊद) और 'सुबुल अल-सलाम' में इमाम सनआनी (रहमतुल्लाहि अलैह) ने इसे अपनाया है।</p> <p>18) दो-तिहाई 'मुद्' (एक माप) के पानी से वजू करना सुन्नत है; एक-तिहाई 'मुद्' वाली रिवायत साबित नहीं है और यह प्रेस (छापने वाले) की गलती है। (तमाम अल-मिन्ना)</p> <p>19) 'गुर्रा' (Ghurra) का मतलब है (चेहरा और हाथ-पाँव) खूब अच्छी तरह धोना ताकि सीमाओं (हदों) से आगे बढें। (इब्ने तैमिया और इब्न अल-कय्यिम)</p> <p>20) छोटी उंगली से (पैरों की उंगलियों का) खिलाल करना सुन्नत है। (सहीह अबू दाऊद)</p>

प्रश्न 251	वुजू में कौन सी चीजें जायज़/अनुमेय (मुबाहात-ए-वुजू) हैं?
उत्तर 251	<ol style="list-style-type: none"> 1. कलामुन करना। (बातचीत करना।) 2. दूसरे की मदद लेना। (किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता लेना।) 3. कपड़े से आज्ञा-ए-वुजू को पोंछना। (कपड़े या तौलिए से वुजू के अंगों को पोंछना/सुखाना।)

प्रश्न 252	वजू के गैर-मशरूअ (unlawful/unprescribed) आमाल का जिक्र करें?
उत्तर 252	<ol style="list-style-type: none"> 1) हर अजू (अंग) को धोते वक़्त दुआ करना। 2) गर्दन का मसह करना।

प्रश्न 253	नवाक़िज़-ए-वुजू (वुजू तोड़ने वाली चीजें) का जिक्र करें?
उत्तर 253	<p>वुजू को तोड़ने वाले और उसे अमान्य (फ़ासिद) करने वाले कार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पेशाब करना। 2. पाख़ाना (मल) निकलना।

3. हवा (गैस) का खारिज होना।
4. मज़ी (स्राव/Pre-seminal fluid) का निकलना।
5. वदी (Wadi) का निकलना।
6. दोनों रास्तों (आगे और पीछे) से किसी भी चीज़ का निकलना, जैसे पेशाब और पाखाना, कीड़े, कंकड़ या बवासीर का खून ही क्यों न हो।
7. स्त्री के गुप्तांग से निकलने वाली नमी जो पसीने की तरह हो, तो उससे वुजू लाज़िम होने की कोई दलील नहीं है [शेख इब्न उसैमीन]। लेकिन शेख बिन बाज़ ने कहा है कि वुजू करना होगा।
8. पेशाब और पाखाना के अंगों के अलावा किसी और रास्ते से (मल-मूत्र) निकल जाए।
9. गुप्तांग के अलावा किसी और जगह से खून या क़ै (उल्टी) निकलने से वुजू नहीं टूटता:
 - [शेख बिन बाज़, शेख इब्न उसैमीन, इमाम इब्न तैमिया, फ़तावा लजना दाइमा]।
 - वुजू कर लेना मुस्तहब (बेहतर) है [अल-अल्बानी]।
10. वह नींद जो भारी हो और गहरी नींद में शुमार हो, उससे वुजू टूट जाता है।
 - शेख अल्बानी की राय: चाहे लेट कर हो या बैठ कर।
 - (अगर नींद गहरी न हो तो वुजू नहीं टूटता [शेख बिन बाज़, शेख इब्न उसैमीन])।
11. अक्ल (बुद्धि) का पूर्ण या आंशिक ज़वाल (लोप), जैसे जुनून (पागलपन), "इग्मा" (बेहोशी) [या चक्कर आना] या नशे की वजह से।
12. बिना किसी आड़ के गुप्तांग को छूना:
 - पहला क़ौल: बिना आड़ के सीधे छूने से वुजू टूट जाता है।
 - दूसरा क़ौल: बिना आड़ के सीधे छूने से वुजू नहीं टूटता।
 - तीसरा क़ौल: बिना आड़ के 'शहवत' (कामुकता) के साथ छूने से टूट जाता है (शेख अल्बानी का क़ौल)।
13. स्त्री को छूने से:
 - I. पहला क़ौल: वुजू टूट जाता है।
 - II. दूसरा क़ौल: नहीं टूटता। (राज़िह/पसंदीदा राय)
 - III. तीसरा क़ौल: शहवत से छूने से टूट जाता है।

	<p>IV. चौथा क्रौल: शहवत से छूने से भी नहीं टूटता (शेख अल्बानी का प्रमाण 'बोसा' यानी चुंबन वाली हदीस से है)।</p> <p>14. ऊंट का गोशत खाने से वुजू टूट जाता है।</p> <p>15. इरतिदाद (धर्मत्याग) नवाकिज़-ए-वुजू (वुजू को तोड़ने वाला) है। (इब्न बाज़, इमाम इब्न तैमिया)।</p>
--	---

प्रश्न 254	"उन चीज़ों का जि़क़र करें जो वजू तोड़ने वाली चीज़ों (नवाकिज़-ए-वजू) में शुमार नहीं होतीं?"
उत्तर 254	<ol style="list-style-type: none"> 1. शेख अल्बानी के अनुसार, बिना कामुकता (شهوة) के निजी अंगों को छूने से वजू नहीं टूटता। 2. किसी महिला को केवल छू लेने से, जब तक कि वीर्यपात (Ejaculation) न हुआ हो। 3. शरीर के किसी भी अन्य स्थान से (आगे या पीछे के निजी अंगों के अलावा) निकलने वाली चीज़ें, जैसे: ज़ख़्म, मवाद (पस), खून, नकसीर, कटने का निशान या हिजामा का खून। 4. ऐसी हल्की नींद जिसमें होश बाकी हो (चेतना बनी रहे)। [हवाले के लिए: शेख इब्न बाज़ और शेख इब्न उथैमीन] 5. केवल वजू टूटने का शक (Doubt) होने पर। 6. पेशाब के कतरे का केवल अहसास होना, जबकि उसका यकीन (Certainty) न हो। 7. बाल काटना, नाखून काटना, या मोजे (Socks) उतारना। 8. जो व्यक्ति 'हदस-ए-दाइम' (यानी जिसे लगातार पेशाब या हवा की समस्या हो) का शिकार हो, वजू करने के बाद उसका दोबारा वही 'हदस' होने से वजू नहीं टूटता। 9. आग पर पकी हुई चीज़ें खाने से वजू नहीं टूटता; हालांकि वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है, वाजिब (अनिवार्य) नहीं। 10. मृत शरीर (मय्यत) को नहलाने से वजू नहीं टूटता, हालांकि वजू करना मुस्तहब है। 11. नमाज़ के दौरान ज़ोर से हंसना (क़हक़हा) वजू को नहीं तोड़ता। (नोट: इस संबंध में हदीस ज़ईफ़ यानी कमज़ोर है)। 12. झूठ बोलना, गाली देना या गाना गाना वजू नहीं तोड़ता, हालांकि ये कबीरा (बड़े) गुनाह हैं जिनसे बचना ज़रूरी है।

प्रश्न 255	किन कार्यों के लिए वजू वाजिब (अनिवार्य) है?
------------	---

<p>उत्तर 255</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. नमाज़: चाहे वह फ़र्ज़ हो या नफ़ला 2. बैतुल्लाह (काबा) का तवाफ़। <p>तवाफ़ के लिए वज़ू के मशरूअ (धर्मसम्मत) होने पर इज्मा (सहमति) है, अलबत्ता इसके लाज़िम और शर्त होने में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। जमहूर (बहुसंख्यक विद्वान) इसे फ़र्ज़ व शर्त मानते हैं, जबकि दूसरा कौल (विचार) यह है कि तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त और फ़र्ज़ नहीं है।</p> <p>नोट: तीसरे कौल पर अमल करना बेहतर है: तीसरा कौल यह है कि एहतियात (सावधानी) और इख़्तिलाफ़ से बचने के लिए वज़ू कर लिया जाए (इब्न उथैमीन रहिमहुल्लाह ने कहा है कि यह मुस्तहब है, 'खुरूज अनल इख़्तिलाफ़' यानी मतभेद से निकलने के लिए), क्योंकि तवाफ़ के लिए वज़ू न करने के बारे में मतभेद है, जबकि वुज़ू करके तवाफ़ करने में कोई मतभेद नहीं है।</p> <p>वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) मुसहफ़ छूना (कुरआन छूना) <p>I. प्रथम मत: वुज़ू के बिना जायज़ (अनुमति) नहीं है; बहुमत (जमहूर) का कहना है कि वुज़ू करना वाजिब (अनिवार्य) है।</p> <p>II. द्वितीय मत: शेख अल्बानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) का शोध और प्राथमिकता यह है कि वे इसे मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) मानते हैं।</p>
------------------	---

<p>प्रश्न 256</p>	<p>वुज़ू कब मशरूअ (धर्मसम्मत/अनुशंसित) है?</p>
<p>उत्तर 256</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ज़िक्र के लिए (इसमें अज़ान भी शामिल है)। 2. हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है। 3. मैय्यत (शव) को उठाने के बाद। 4. जब भी वुज़ू टूट जाए। 5. क़ै (उल्टी) के बाद। 6. तवाफ़ के लिए वुज़ू के मशरूअ होने पर इज्मा (सहमति) है, अलबत्ता इसके लाज़िम और शर्त होने में मतभेद है। जमहूर (विद्वानों का बहुमत) इसे फ़र्ज़ और शर्त मानते हैं, जबकि दूसरा मत यह है कि तवाफ़ के लिए वुज़ू शर्त और फ़र्ज़ नहीं है। तीसरे मत पर अमल करना बेहतर है: तीसरा मत यह है कि एहतियात (सावधानी) और मतभेद से बाहर निकलने के लिए वुज़ू कर लिया जाए (इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा है कि यह मुस्तहब है, ताकि मतभेद से बचा जा सके) क्योंकि तवाफ़ के लिए वुज़ू न करने में मतभेद है, जबकि वुज़ू करके तवाफ़ करने में किसी का मतभेद नहीं है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)। 7. गुस्ल से पहले वुज़ू करना मुस्तहब है, लेकिन दूसरा मत यह है कि यह वाजिब (अनिवार्य) है। 8. कुरआन को छुए बिना उसकी तिलावत (पढ़ने) के लिए।

	<p>9. मुसहफ़ छूना (कुरआन छूना):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रथम मत: वुजू के बिना जायज़ नहीं है, जमहूर कहते हैं कि वुजू करना वाजिब है। ○ द्वितीय मत: शेख अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि का शोध और तरजीह (प्राथमिकता) यह है कि वे इसे मुस्तहब मानते हैं। <p>10. छोटा बच्चा जो अभी समझदार न हुआ हो, उसके लिए केवल तालीम (शिक्षा) की आसानी के लिए विद्वानों ने कहा है कि वुजू शर्त नहीं है बल्कि (बिना वुजू के) जायज़ है।</p> <p>11. सोने से पहले वजू करना मसनून (सुन्नत) है।</p> <p>12. जुनुबी (जिस पर गुस्ल वाजिब हो) के लिए खाने-पीने और सोते समय वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है।</p> <p>13. दोबारा हमबिस्तरी (जिमा) से पहले वजू करना मुस्तहब है।</p>
--	---

प्रश्न 257	वजू का संक्षिप्त तरीका जिक्र करें?
उत्तर 257	वजू का संक्षिप्त तरीका निम्नलिखित है:
चरण (Step)	विवरण (Description)
Step 1, 2	<p>वजू से पहले दिल में वजू करने का इरादा (नियत) कर लेना चाहिए।</p> <p>❖ बिस्मिल्लाह (Bismillah) पढ़ें।</p>
Step 3, 4	<p>दोनों हाथ कलाईयों तक अच्छी तरह धोएँ।</p> <p>उंगलियों के बीच में खिलाल भी करें। (तीन बार)</p>
Step 5	<p>कुल्ली करें। पानी मुँह में लेकर उसे खूब घुमाएँ फिर निकाल दें। गरारा करें लेकिन अगर रोज़े की हालत में हों तो मुबालगा (अधिकता) न करें। (तीन बार)</p>
Step 6	<p>नाक में पानी लें। पानी नाक के नरम हिस्से (बांसे) तक चढ़ाना चाहिए और फिर उसे झाड़कर निकाल दें। लेकिन अगर रोज़े की हालत में हों तो मुबालगा न करें। (तीन बार)</p>
Step 7	<p>चेहरा धोएँ। पूरा चेहरा एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और माथे (पेशानी) से ठुड्डी के नीचे तक धोएँ। (तीन बार)</p>

Step 8, 9, 10	<p>उंगलियों के सिरों से कोहनियों समेत दोनों हाथ अच्छी तरह धोएँ। उंगलियों में खिलाल करें।</p> <p>❖ पहले सीधा (दायां) हाथ धोएँ। (अधिकतम तीन बार)</p>
Step 11	<p>सर का मसह करें। माथे से पीछे गुद्दी तक दोनों हाथ ले जाएँ और फिर गुद्दी से आगे माथे तक वापस लाएँ। (एक बार, तीन बार भी जायज़ है)</p>
Step 12	<p>कान का मसह करें (सर के मसह के पानी से ही)। शहादत की उंगली से अंदर का हिस्सा और अंगूठे से कान के बाहर का हिस्सा साफ़ करें। (एक बार)</p> <p>नोट: एक मर्तबा सर का मसह करना काफी है।</p>
Step 13, 14, 15	<ul style="list-style-type: none"> • टखनों तक दोनों पैर अच्छी तरह धोएँ। (तीन बार) • पैर की उंगलियों का खिलाल भी करें। • दाएं पैर से शुरू करें, फिर बायां पैर धोएँ। • फिर वजू के बाद की दुआ और तहियतुल वजू पढ़ें।

प्रश्न 258	<p>वजू किस क्रम (तरतीब) से करें?</p>
उत्तर 258	<p>हुमरान (रहमतुल्लाह अलैह), जो उस्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के आज़ाद किए हुए गुलाम थे, उन्होंने खबर दी कि उन्होंने उस्मान बिन अफ़ान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को देखा कि उन्होंने (हुमरान से) पानी का बर्तन माँगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (और पानी लेकर सबसे पहले) अपनी हथेलियों पर तीन मर्तबा पानी डाला और फिर उन्हें धोया। 2. इसके बाद अपना दायाँ हाथ बर्तन में डाला और (पानी लेकर) कुल्ली की और नाक साफ़ की। 3. फिर तीन बार अपना चेहरा धोया। 4. और कोहनियों तक तीन बार दोनों हाथ धोए। 5. फिर अपने सर का मसह किया। 6. फिर (पानी लेकर) टखनों तक तीन मर्तबा अपने दोनों पाँव धोए। <p>फिर कहा कि रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया है कि जो व्यक्ति मेरी तरह इस तरह वजू करे, फिर दो रकात पूरी तवज्जो (एकाग्रता) से पढ़े, (जिसमें अपने नफ़स को भटकने से बचाए और पूरी तवज्जो नमाज़ की तरफ रखे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं)।</p>

(सहीह अल-बुखारी, किताबुल वजू, अध्याय: वजू में हर अंग को तीन-तीन बार धोना (सुन्नत है), हदीस संख्या: 159)

प्रश्न 259

सर का मसह कैसे करना चाहिए?

उत्तर 259

सर का मसह करने में किसी का भी मतभेद नहीं है, अलबत्ता सर के कितने हिस्से का मसह किया जाए, इस बारे में दो रुख पाए जाते हैं:

1. पहला रुख: पूरे सर का मुकम्मल मसह (यही अधिक सही/राजेह है)।
2. दूसरा रुख: सर के कुछ हिस्से का मसह।

नोट: औरत भी मर्द की तरह मसह करे, पेशानी (माथे) से गुद्दी (गर्दन के ऊपरी हिस्से) तक चोटी पर मसह करना जरूरी नहीं है।

सर के मसह का तरीका बयान करते हुए इमाम बग़ावी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं: "कुरआन मजीद का ज़ाहिरी अर्थ तो यह है कि पूरे सर का मसह करना फ़र्ज़ है, और नबी करीम ﷺ की सुन्नत ने इस फ़र्ज़ की मात्रा को पेशानी के साथ खास कर दिया है। लिहाज़ा पेशानी की मात्रा से कम मसह करने से मसह की फ़र्ज़ियत साक़ित (पूरी) नहीं होती। और सुन्नत तो यह है कि पूरे सर का मसह किया जाए; सर के अगले हिस्से से शुरू करके सर के पिछले हिस्से की जानिब हाथों को ले जाए और फिर वापस सर के अगले हिस्से की तरफ ले आए।"

प्रश्न 260

कानों का मसह कैसे करें?

उत्तर 260

अल्लाह के रसूल ﷺ के पास वजू का पानी लाया गया, तो आपने ﷺ ने वजू किया; अपने दोनों पहुँचों (कलाई तक) को तीन बार धोया, फिर कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी डाला, फिर अपना चेहरा तीन बार धोया, फिर दोनों हाथ (कोहनियों तक) तीन-तीन बार धोए, फिर अपने सिर का मसह किया और अपने दोनों कानों के बाहर और अंदर का मसह किया।

(सुनन अबू दाऊद, किताब अत-तहारत, बाब: नबी अकरम ﷺ के वजू का बयान, हदीस नंबर: 121; शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही कहा है)

दोनों कान सिर का हिस्सा कहलाते हैं, इसलिए उनका मसह करना भी लाज़िम (अनिवार्य) है। इस बारे में पाँच अक़वाल (विचार/राय) हैं:

- 1) (पहला कौल): अक्सर अहल-ए-इल्म (विद्वान) यह कहते हैं कि सिर के साथ ही कानों का मसह किया जाएगा क्योंकि कान सिर का हिस्सा हैं, उनमें सईद इब्न अल-मुसय्यब (रह.), अता बिन अबी रबाह (रह.), हसन बसरी (रह.), मुहम्मद इब्न सीरीन (रह.), सईद बिन जुबैर (रह.), इब्राहिम नखई (रह.) काबिल-ए-ज़िक्र हैं

और सुफियान थौरी (रह.), अब्दुल्लाह इब्न मुबारक (रह.), इमाम मालिक (रह.), इमाम अहमद इब्न हंबल (रह.), इमाम इसहाक इब्न राहवैह (रह.) और असहाब-उर-राय का भी यही कौल (मत) है।

2) (दूसरा कौल): इमाम जुहरी (रह.) का कौल है कि कानों का पिछला हिस्सा सिर में शामिल है और कानों का अगला हिस्सा चेहरे में शामिल है।

3) (तीसरा कौल): और इमाम शबी (रह.) कहते हैं कि कानों का बाहरी हिस्सा सिर का हिस्सा है और कानों का अंदरूनी हिस्सा चेहरे का हिस्सा कहलाता है।

4) (चौथा कौल): हम्माद (रह.) का कौल है कि कानों को दोनों तरफ से यानी कि अंदर और बाहर की तरफ से धोया जाएगा, और यही सईद इब्न जुबैर (रह.) और इब्राहिम नखई (रह.) से भी मनकूल (वर्णित) है।

5) (पांचवां कौल): इसहाक इब्न राहवैह (रह.) का कौल है कि वे कहते हैं कि कानों का अगला हिस्सा चेहरा धोते वक्त मसह किया जाएगा और कानों का पिछला हिस्सा सिर के मसह के साथ मसह किया जाएगा।

(शरह अस-सुन्नाह लिल-बगवी: 1/441, किताब-उत-तहारत, "बाब मसह-उर-रास वल-उजुनैन", प्रकाशक: अल-मक्ताब अल-इस्लामी, दमिश्क, बेरुत)

प्रश्न 261 कानों का मसह करने का तरीका?

उत्तर 261 कानों के अंदर और बाहर मसह करना सुन्नत से साबित है। शहादत की उंगलियों (तर्जनी/index fingers) से कानों के अंदर मसह किया जाए और दोनों अंगूठों से कानों के बाहरी हिस्से का मसह किया जाए।

(शरह-उस-सुन्नाह लिल-बगवी: 1/440, किताबुत-तहारह, "बाब मसह-उर-रास वल-उजुनैन" प्रकाशक: अल-मकतब अल-इस्लामी, दमिश्क, बेरुत)

प्रश्न 262 क्या गीले हाथों से सिर और कानों का मसह करना चाहिए या नए पानी से?

उत्तर 262 जमहूर उलमा-ए-किराम (विद्वानों का बहुमत) यह कहते हैं कि पहले से ही गीले हाथों से सिर और कानों का मसह करना काफी है। सिर और कानों का मसह करने के लिए अलग से नया पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। जमहूर उलमा-ए-किराम का यही मत प्रचलित (मान्य) है।

लेकिन नए पानी के साथ कानों का मसह करने की अनुमति उस समय दी गई है जब सिर का मसह करते समय पानी सूख गया हो; तो ऐसी स्थिति में नए पानी से मसह करने की अनुमति है।

प्रश्न 263 क्या गर्दन का मसह करना साबित है?

उत्तर 263	गर्दन का मसह हदीसों से साबित नहीं है। नबी करीम ﷺ ने वजू का जो तरीका बताया है, उसमें गर्दन के मसह का कोई जिक्र नहीं है और न ही सहाबा-ए-किराम (रजि.) में से किसी ने गर्दन का मसह किया। लेकिन कुछ लोग इसे मुस्तहब (पसंदीदा) करार देते हैं, हालाँकि किसी भी सही हदीस से गर्दन का मसह साबित नहीं है।
-----------	---

प्रश्न 264	क्या इमामा (पगड़ी) और मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त है?
उत्तर 264	अम्र बिन उमय्या अल-जमरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं: "कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को अपने इमामे और मोज़ों पर मसह करते देखा।"

प्रश्न 265	अमामा (पगड़ी) पर मसह करने के लिए क्या मोज़ों की तरह शुद्धता (वजू) की स्थिति में पहनना शर्त है?
उत्तर 265	<p>इमाम बग़वी (رحمته الله عليه) का कौल (कथन) है: अमामा पर मसह के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • सय्यदना अबू बक्र (رضى الله عنه), सय्यदना उमर (رضى الله عنه) और सय्यदना अनस (رضى الله عنه) ने अमामे पर मसह किया। • इमाम औज़ाई (رحمته الله عليه), इमाम अहमद बिन हंबल (رحمته الله عليه) और इमाम इसहाक इब्न राहवैह (رحمته الله عليه) भी इसी के कायल (पक्षधर) हैं। • यह हदीस भी बयान की जाती है कि सय्यदना अनस (رضى الله عنه) ने टोपी पर मसह किया। <p>जबकि कुछ सहाबा-ए-किराम (رضى الله عنهم) और कुछ ताबिईन (رحمته الله عليه) उस समय तक अमामे पर मसह को जायज़ नहीं मानते, जब तक कि अमामे के साथ सिर के कुछ हिस्से का भी मसह न कर लिया जाए।</p> <p>सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (رضى الله عنه) की हदीस के बारे में वे कहते हैं कि माथे के बालों पर मसह करने से मसह करने का हुक्म पूरा हो गया था। यह हदीस इस बात की भी दलील है कि पूरे सिर का मसह फ़र्ज़ नहीं है।</p> <p>जो लोग अमामे पर मसह करने के कायल हैं, वे यह कहते हैं कि:</p> <p>अमामे पर मसह उसी समय जायज़ है जब अमामा वजू की स्थिति (शुद्धता) में बाँधा गया हो। (यदि अमामा बिना वजू के बाँधा गया हो, तो फिर अमामे पर मसह करने से वजू पूरा नहीं होगा)।</p> <p>(शराह अल-सुन्ना लिल-बग़वी: 1/453, किताब अल-तहारत, बाब मसह अलल-खुफ़ैन, प्रकाशक: अल-मक्तब अल-इस्लामी, दमिश्क, बेरुत)</p>

	<p>अमामा के लिए जुराबों (मोज़ों) की तरह पाकी (तहारत) की हालत में पहने जाने की शर्त नहीं है और यही राज़ेह (सही और प्रबल) बात है।</p> <p>शैख अल्बानी रहिमहुल्लाह, अल्लामा शौक्रानी रहिमहुल्लाह, हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि अमामा पर मसह के लिए तहारत (वज़ू) से होना जुराबों की तरह कोई शर्त नहीं है।</p>
--	---

प्रश्न 266	मोज़ों पर मसह कैसे करें?
उत्तर 266	<p>मोज़ों पर मसह करने का तरीका यह है कि यदि मोज़े वुजू की हालत में पहने गए हों, तो उन पर मसह किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बिना वुजू के मोज़े पहन लिए हों, तो ऐसी स्थिति में मोज़े उतारकर पहले वुजू करे और फिर मोज़े पहन ले।</p> <p>इसके बाद, यदि वुजू टूट जाता है, तो उस समय मोज़े उतारने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि वह पैर धोने के बजाय मोज़ों पर मसह करे। यह कार्य सुन्नत से साबित है और यही सबसे उत्तम (अफ़ज़ल) कार्य है।</p> <p>(सहीह बुखारी, किताबुल वुजू, बाब: वुजू करके मोज़े पहनने के बयान में, हदीस नंबर: 206 - और सहीह मुस्लिम: 274 [631])</p> <p>मोज़ों (Socks) पर मसह करने का सबसे उत्तम तरीका यह है:</p> <p>दोनों हाथों को पानी से भिगोकर और हाथों की उंगलियों को खोलकर, सीधे हाथ की उंगलियों को सीधे पैर की उंगलियों से लेकर टखने के ऊपर तक इस तरह फेरें कि उंगलियों पर लगा हुआ पानी मोज़ों पर लग जाए। इसी तरह बाएं हाथ से बाएं पैर पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं ताकि मोज़ों पर मसह पूरा हो जाए। यह कार्य दोनों हाथों से दोनों पैरों पर एक साथ किया जाना चाहिए।</p> <p>इन तमाम अहादीस (पैगंबर के कथन) से यह बात पता चलती है कि जिस व्यक्ति ने वुजू (Ablution) की स्थिति में मोज़े पहने हों, फिर दोबारा वुजू टूटने पर वुजू करते समय मोज़ों पर केवल मसह करना ही पर्याप्त होगा और उससे वुजू पूरा हो जाएगा।</p> <p>मोज़े उतारने के संबंध में नियम:</p> <p>यदि कोई व्यक्ति मसह करने के बाद अपने मोज़े उतार लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि कोई वुजू में मोज़ों पर मसह करने के बाद मोज़े उतार देता है, तो उसका वुजू टूट जाता है और उसे नया वुजू करना पड़ेगा। कुछ अन्य का कहना है कि मोज़े उतारने के बाद केवल पैर धो लेना काफी है।</p> <p>लेकिन सही और प्रबल मत यह है:</p>

	<p>मोजे उतारने से वुजू नहीं टूटता, क्योंकि जिस समय मोजे पहने गए थे, उस समय वह वुजू की स्थिति में था। इसलिए मोजे उतारने से कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि, इस मसले (विषय) में विद्वानों के बीच मतभेद मौजूद है।</p> <p>नोट: मोज़ों और जुराबों पर मसह करने का तरीका एक ही है।</p>
--	---

प्रश्न 267	क्या जूतों पर मसह किया जा सकता है?
उत्तर 267	<p>सैय्यदना मुगीरा बिन शोबा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं: कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने वजू किया और मोज़ों और जूतों पर मसह किया।</p> <p>(सुनन अत-तिर्मिज़ी: 99)</p> <p>यानी कि जब जूतों और जुराबों (Socks) को पाकी (शुद्धता) की हालत में पहना जाए, तो उन पर मसह करना दुरुस्त (जायज़) है। और जो लोग इस मसले में यह कहते हैं कि उनका चमड़े का होना ज़रूरी है, या वे ऊन या सूत के हों तो उनका मोटा होना लाज़िम है, इन बातों की कोई भी दलील नहीं है।</p> <p>नबी करीम ﷺ ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए मोज़ों, जुराबों और जूतों पर मसह का हुक्म दिया है, जैसा कि सिर और कानों का मसह किया जाता है। यह उम्मत की आसानी के लिए है, लिहाज़ा हमें इन मामलों में अपनी राय को मुक़द्दम (प्राथमिकता) नहीं रखना चाहिए।</p> <p>❖ नोट: जुराबें और जूते अगर टखने से नीचे हों तो उन पर मसह की इजाज़त नहीं है, अलबत्ता शेख अलबानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इजाज़त दी है क्योंकि मशक्कत (कठिनाई) की वजह अभी भी मौजूद है।</p>

प्रश्न 268	प्रश्न: वजू से फारिग होने (निपटने) के बाद की दुआ क्या है?
उत्तर 268	<p>पहली दुआ:</p> <p>أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ</p> <p>"मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (इबादत के लायक) नहीं और यह कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।"</p> <p>दूसरी दुआ:</p> <p>«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»</p>

"मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक (साझेदार) नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह! मुझे तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाक-साफ रहने वालों में शामिल कर दे।"

प्रश्न 269 वजू के बाद निजी अंगों (शर्मगाह) की जगह पर पानी छिड़कना कैसा है?

उत्तर 269 सैय्यदना सुफियान सक्फ़ी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब वजू करते थे तो एक चुल्लू पानी लेते और उसे (इस तरह) अपनी शर्मगाह पर छिड़क देते थे। (खालिद बिन हारिस कहते हैं) मैंने इसका ज़िक्र इब्राहिम से किया तो उन्हें यह बात पसंद आई। इब्न-उस-सुन्नी कहते हैं कि हकम (हकम बिन सुफियान बिन उस्मान बिन आमिर बिन मोतब) सुफियान सक्फ़ी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बेटे हैं।

(सुनन अन-नसाई: 134)

प्रश्न 270 क्या खड़े होकर वजू का बचा हुआ पानी पीना साबित है?

उत्तर 270 नज़ाल बिन सबरा (رحمته الله عليه) बयान करते हैं: अमीर-उल-मोमिनीन सैय्यदना अली (رضى الله عنه) ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मस्जिद-ए-कूफ़ा के सहन में लोगों की ज़रूरतों (मदद/फैसलों) के लिए बैठ गए, यहाँ तक कि अस्त्र की नमाज़ का वक़्त आ गया।

फिर उनके पास पानी लाया गया, उन्होंने पानी पिया और अपना चेहरा और हाथ धोए, और अपने सिर और पैरों (के धोने) का भी ज़िक्र किया। फिर उन्होंने खड़े होकर वजू का बचा हुआ पानी पिया और उसके बाद कहा:

"कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को बुरा समझते हैं, हालाँकि नबी करीम (صلى الله عليه وسلم) ने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे मैंने किया, (यानी) वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया।"

(सहीह बुखारी, हदीस नंबर: 5616)

प्रश्न 271 क्या वजू के बाद आसमान की ओर नज़र उठाकर या शहादत की उंगली उठाकर दुआ करना साबित है?

उत्तर 271 अहादीस-ए-सहीहा (प्रामाणिक हदीसों) में यह बात साबित नहीं है कि वजू करने के बाद आसमान की तरफ नज़र करना या उंगली उठाना—ये दोनों ही अमल किसी भी सही हदीस से साबित नहीं हैं, बल्कि विद्वानों (उलमा-ए-किराम) ने इसे बिदअत (नया नवाचार) करार दिया है। इस सिलसिले में सैय्यदना उक्बबा बिन आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की जो हदीस बयान की जाती है, वह सर्वसम्मति (बिल-इत्तेफ़ाक़) से ज़ईफ़ (कमज़ोर) है।

प्रश्न 272 वजू के बाद तौलिया, रुमाल या कोई कपड़ा इस्तेमाल करना?

वुजू करने के बाद अंगों (body parts) को किसी कपड़े, तौलिये या रुमाल वगैरह से पोंछने के बारे में दो रुख (दृष्टिकोण) पाए जाते हैं:

1. पहला रुख यह है कि वुजू करने के बाद अंगों को नहीं पोंछना चाहिए।
2. दूसरा रुख यह है कि वुजू के पानी को पोंछने में कोई हर्ज (बुराई) नहीं है।

नोट: अल-शेख साद बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अबू हबीब अल-शथरी (حفظه الله) ने 'मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा' की तहकीक (research) में, "वुजू के बाद रुमाल का इस्तेमाल" (في المنديل بعد الوضوء) के अध्याय में कहा है कि— यानी जिन लोगों के नज़दीक वुजू करने के बाद वुजू का पानी पोंछना सही है— "इस अध्याय की तमाम रिवायतें (नैरेशन) ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं।"

देखें: मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा: 2/315-318, [183] في المنديل بعد الوضوء [76] "प्रकाशक: दार कुनूज़ इश्बीलिया, रियाद, सऊदी अरब।"

इमाम नववी (رحمة الله عليه) का कौल (कथन): उलेमा-ए-किराम (विद्वानों) का इस मसले में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है और इस बारे में पाँच अक़वाल (विचार) हैं पाए जाते हैं:

1. नंबर एक: वूजू करने के बाद अंगों को पोंछना मुस्तहब (पसंदीदा) है, मकरूह (नापसंद) नहीं है।
2. नंबर दो: वूजू के बाद अंगों को पोंछना मकरूह है।
3. नंबर तीन: चाहे (अंगों को) पोंछें या न पोंछें, दोनों बराबर हैं।
4. नंबर चार: वूजू के बाद अंगों को पोंछना मुस्तहब है।
5. नंबर पाँच: वूजू के बाद अंगों को पोंछना गर्मी के मौसम में मकरूह है और सर्दी के मौसम में मकरूह नहीं है।

उपरोक्त पाँच कथनों में से तीन कथन सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से वर्णित हैं, यानी कि वूजू का पानी पोंछना जायज़ है और इसमें कोई हर्ज नहीं:

1. सैय्यदना अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि वूजू और गुस्ल दोनों में शरीर को पोंछा जाएगा और यही कौल (कथन) सुफियान अल-सौरी (रहमतुल्लाह अलैह) का भी है।
2. सैय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि वूजू और गुस्ल दोनों के बाद (शरीर) पोंछना मकरूह है; इब्न अबी लैला (रहमतुल्लाह अलैह) भी इसी के कायल (पक्षधर) हैं।
3. सैय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) का कौल है कि वूजू करने के बाद वूजू का पानी पोंछना मकरूह है और गुस्ल के बाद पोंछना मकरूह नहीं है।

निषेध (मनाही) के अध्याय में एक हदीस सैय्यदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से है और दूसरी हदीस में ये शब्द हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) गुस्ल (स्नान) के बाद बाहर तशरीफ़ लाए, आपके सिर से पानी टपक रहा था, लिहाज़ा आपने गुस्ल के बाद गुस्ल का पानी पोंछा। (इमाम नववी

रहमतुल्लाहु अलैहि कहते हैं) इस हदीस की सनद ज़ईफ़ (कमज़ोर) है और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहु अलैहि इस बारे में कहते हैं कि इस बारे में नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से कुछ भी (पुख्ता) साबित नहीं है।

इमाम नववी रहमतुल्लाहु अलैहि मजीद (आगे) कहते हैं: कुछ उलेमा-ए-किराम ने हज़रत मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस से यह दलील ली है कि (पानी) पोंछना सही नहीं है। कुछ यह कहते हैं कि पोंछना और झाड़ना दोनों बराबर हैं। कुछ कहते हैं कि पोंछने के मुकाबले में झाड़ना मुबाह (अनुमेय/जायज़) है और कुछ कहते हैं कि झाड़ना और पोंछना दोनों ही पानी को सुखाने के अमल में शामिल हैं।

इन सब में सबसे आखिर में (निष्कर्ष) यह है कि पानी पोंछना मुबाह है और यह कौल (मत) सही है, क्योंकि इससे इबाहत (अनुमति) तो साबित होती है लेकिन मनाही साबित नहीं होती। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

(अल-मिन्हाज शरह सहीह मुस्लिम बिन अल-हज्जाज लिल-नववी: 3/231-232, "इतसला व खरजा व रासुहू यक्रतुरु माअन व अम्मा फ़ैलु-तन्शीफ़ फ़क़त", प्रकाशक: दारुल अहयाउत-तुरास अल-अरबी, बेरूत)

"तमाम अहादीस और आसार के मद्दे-नज़र बेहतर अमल तो यही है कि वूजू के बाद अज़ा-ए-वूजू (वूजू के अंगों) को न पोंछा जाए; अलबत्ता मौक्रिफ़ नंबर दो की दलीलों से पोंछना भी जायज़ और मुबाह है और इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मुस्तहसन (पसंदीदा) अमल यह है कि अज़ा-ए-वूजू को न पोंछा जाए।"

प्रश्न 273	क्या हर नमाज़ के लिए नया वजू करना चाहिए?
उत्तर 273	कुछ विद्वान (उलेमा) कहते हैं कि निवासी व्यक्ति (मुकीम) के लिए हर नमाज़ के लिए वजू करना अनिवार्य (लाज़िम) है। जबकि अधिकांश विद्वान (जमहूर उलेमा-ए-किराम) कहते हैं कि मुसाफिर (यात्री) और मुकीम (निवासी) दोनों के लिए हर नमाज़ के लिए वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा/सवाब का काम) है, यानी कि हर नमाज़ के लिए नया वजू ज़रूरी नहीं है।

प्रश्न 274	क्या पाक और साफ पानी वजू की एक शर्त है या नहीं?
उत्तर 274	विवरण: वजू की शर्तों में से एक शर्त यह है कि, वजू के लिए पाक और साफ पानी होना चाहिए। जैसा कि सूरह अन-निसा (सूरह नंबर 4) की आयत नंबर 43 में इसका हुक्म है, साथ ही सूरह अल-मायदा (सूरह नंबर 5) की आयत नंबर 6 में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। नोट: पानी के अलावा दूध या किसी शरबत और बेवियरेज (beverages) से वजू करना सही नहीं है क्योंकि ये पानी के हुक्म में शामिल नहीं हैं और न ही इन चीज़ों से वजू करना किसी हदीस से साबित है।

प्रश्न 275

क्या नबीज़ से वुजू करने में कोई हर्ज है?

उत्तर 275

एक ज़ईफ़ हदीस (कमज़ोर हदीस) में है: "अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा: तुम्हारे मश्कीजे में क्या है? तो मैंने अर्ज़ किया: नबीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: 'खजूर भी पाक है और पानी भी पाक है' तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी से वुजू किया।"

(जामिअ अत्तर्मिज़ी, किताबुत्तहारह, बाब: नबीज़ से वुजू करने का बयान, हदीस नंबर: 88; शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। व सुनन अबू दाऊद: 84 और सुनन इब्ने माजाह: 384, इन दोनों अहादीस को भी शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने ज़ईफ़ कहा है।)

"अबू ज़ैद मुहदिसीन (हदीस के विद्वानों) के निकट एक 'मजहूल' (अज्ञात) व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से इस हदीस के अलावा और कोई रिवायत (वर्णन) नहीं जानी जाती। कुछ अहले-इल्म (विद्वानों) की राय है कि नबीज़ से वजू जायज़ है, इनमें सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि और अन्य शामिल हैं। कुछ अहले-इल्म ने कहा है कि नबीज़ से वजू जायज़ नहीं है, यह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम इसहाक़ बिन राहुया रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को विवश होना पड़े तो वह नबीज़ से वजू करने के बजाय 'तयम्मुम' कर ले, यह मेरे निकट अधिक पसंदीदा है। इमाम तिमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि आगे कहते हैं: जो लोग नबीज़ से वजू को जायज़ नहीं मानते, उनका कथन कुरान के अधिक निकट और अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

(सूरा अन-निसा, सूरा नंबर 4, आयत नंबर: 43)

तरजुमा (अनुवाद): और यदि तुम्हें पानी न मिले, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।"

چوتھی جلد کا مختصر نسخہ

भाग-4

चौथी जिल्द का संक्षिप्त संस्करण

प्रश्न 276	वज्रू को तोड़ने वाली और उसे अमान्य (फ़ासिद) करने वाली चीज़ें क्या हैं?
उत्तर 276	<ol style="list-style-type: none"> 1. पेशाब करना। 2. मल त्याग करना (पाखाना)। 3. हवा (gas) का खारिज होना। 4. मज़ी (Madhi): (यौन उत्तेजना के समय निकलने वाला पतला तरल पदार्थ)। 5. वदी (Wadi): (पेशाब के बाद निकलने वाला गाढ़ा सफेद तरल पदार्थ)। 6. दोनों रास्तों (आगे या पीछे) से किसी भी चीज़ का निकलना: जैसे पेशाब और पाखाना, कीड़े, कंकड़ या बवासीर का खून ही क्यों न हो। 7. महिला के निजी अंग से नमी (discharge) का निकलना: [शेख बिन बाज के अनुसार]। लेकिन शेख इब्न उथैमीन ने इसे पसीने के समान माना है (यदि महिला के निजी अंग की नमी पसीने की तरह हो, तो उससे वज्रू अनिवार्य होने की कोई दलील नहीं है) [शेख इब्न उथैमीन]। 8. पेशाब और पाखाना अगर निजी अंगों के अलावा किसी और रास्ते से निकल जाए। 9. ऐसी नींद जो गहरी हो: जिसमें इंसान बेखबर हो जाए, तो वज्रू टूट जाता है। 10. शेख अल्बानी की राय: चाहे लेट कर सोए या बैठकर—(अगर नींद गहरी न हो तो वज्रू नहीं टूटता) [शेख बिन बाज, शेख इब्न उथैमीन]। 11. बुद्धि का पूरी तरह या आंशिक रूप से चला जाना: जैसे पागलपन, "बेहोशी" [या चक्कर आना] या नशे के कारण। 12. बिना किसी बाधा (पर्दे) के निजी अंग को छूना: <ul style="list-style-type: none"> ○ I. पहला मत: बिना किसी आड़ के सीधे छूने से वज्रू टूट जाता है। ○ II. दूसरा मत: बिना किसी आड़ के सीधे छूने से वज्रू नहीं टूटता। ○ III. तीसरा मत: बिना किसी बाधा के कामुकता (شهوة) के साथ छूने पर ही टूटता है वरना नहीं (शेख अल्बानी का मत)। 13. स्त्री को छूने से: <ul style="list-style-type: none"> ○ I. पहला मत: वज्रू टूट जाता है। <p>II. दूसरा मत (कौल-ए-सानी): (वज्रू नहीं टूटता, चाहे कामुकता (شهوت) के साथ छुआ गया हो। (यही मत अधिक प्रबल/वरीयता प्राप्त है)।</p> <p>III. तीसरा मत (कौल-ए-सालिस): कामुकता (شهوت) के साथ छूने से (वज्रू) टूट जाता है।</p> <p>14) ऊँट का मांस खाने से वज्रू टूट जाता है।</p>

15) धर्मत्याग (इरतिदाद) वजू को तोड़ने वाला है। (इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह)।

प्रश्न 277

क्या सबीलेन के अलावा किसी और स्थान से पेशाब या पाखाना निकलने से वजू टूट जाता है?

उत्तर 277

सबीलेन (पेशाब और पाखाने के रास्ते) के अलावा किसी और जगह से पेशाब या पाखाना निकलने से वजू पूरी तरह से टूट जाता है। यही हनफी और हनबली पंथ (मज़हब) का मत है, और इसी को इब्न हज़म, इब्न तैमिया और इब्न उसैमीन ने अपनाया है, और 'स्थायी समिति' (लजना दाइमा) ने भी यही फतवा जारी किया है।

अल्लाह ताला का आम फ़रमान है:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43]

"या तुम में से कोई पाखाना करके आए।"

शरीअत (इस्लामी कानून) ने पाखाना निकलने की जगह के बजाय, निकलने वाली चीज़ यानी पाखाने का संज्ञान (एतबार) लिया है। इस मामले में कोई फर्क नहीं है कि वह अपनी सामान्य और अभ्यस्त जगह से निकले या किसी और जगह से।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

(सुनन तिर्मिज़ी: 96)

सफ़वान बिन अस्साल (रज़ियल्लाहु अन्हु) से वर्णित है, उन्होंने कहा:

"जब हम सफ़र में होते थे, तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हमें हुकम देते थे कि हम अपने मोजे तीन दिन और तीन रात तक न उतारें—सिवाय जनाबत (अशुद्धि) की स्थिति के लेकिन पाखाना, पेशाब और नींद की वजह से (न उतारें)।" (सुनन तिर्मिज़ी: 96)

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का फ़रमान: "ولكن من غائطٍ وبولٍ" (लेकिन पाखाना और पेशाब की वजह से) इस बात की दलील है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने खारिज (निकलने) होने वाली चीज़ यानी पाखाना या पेशाब का संज्ञान लिया है और इस बात को नज़रअंदाज़ किया है कि वह किस जगह से निकला है।

सबीलेन के अलावा किसी और जगह से निकलने वाला पेशाब और पाखाना, हर लिहाज़ से सबीलेन से निकलने वाले पेशाब और पाखाने के ही हुकम में होगा; दोनों के बीच अंतर का कोई अर्थ और मतलब नहीं रहता।

सबील (रास्तों) का हुकम 'मुगल्लज़ा' यानी सख्त नबियत (प्रकृति) का है; क्योंकि उनके निकलने की जगह

आम और मोताद (साधारण/अभ्यस्त) है, और जब उनकी वजह से हुकम में सख्ती बरती गई तो इन दोनों जैसी अन्य जगहों का हुकम भी बदरजा-ए-औला (प्राथमिकता के आधार पर) सख्त नबियत का होना चाहिए।

प्रश्न 278

क्या महिला के अपने निजी अंगों (शर्मगाह) को छूने से वजू टूट जाता है?

उत्तर 278

महिला द्वारा अपने निजी अंगों को छूने से वजू टूटने के संबंध में विद्वानों (अहल-ए-इल्म) के दो अलग-अलग मत हैं:

पहला मत:

इससे वजू नहीं टूटता है। यह हनफ़ी और मालिकी विचारधारा (मज़हब) का रुख है, और एक रिवायत के अनुसार इमाम अहमद का भी यही मत है।

हदीस:

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفِدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: " وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ "

(सनن نسائی: 165)

हज़रत तलक़ बिन अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है, उन्होंने कहा: "हम एक प्रतिनिधिमंडल (वफ़द) के रूप में निकले यहाँ तक कि हम अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास पहुँचे। हमने आपसे बैअत की और आपके साथ नमाज़ अदा की। जब आपने नमाज़ पूरी की, तो एक व्यक्ति आया जो एक देहाती लग रहा था। उसने अर्ज़ किया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस व्यक्ति के बारे में क्या फ़रमाते हैं जो नमाज़ के दौरान अपने निजी अंग (عضو تناسل) को छू ले?' आपने फ़रमाया: 'वह तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा ही तो है।' (सुनन नसाई: 165)

व्याख्या:

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह फ़रमान कि "वह तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा ही तो है", इसमें एक ऐसा कारण (इल्लत) मौजूद है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस मामले में पुरुष और महिला के बीच कोई अंतर नहीं है।

धार्मिक ग्रंथों (नुसूस) में केवल अंग को छूने का उल्लेख है; इसलिए नियम इसके अलावा कुछ नहीं होगा कि वह अपनी मूल स्थिति यानी पवित्रता (तहारत) पर बना रहेगा और वजू नहीं टूटेगा। यह तब तक इसी बुनियादी उसूल पर रहेगा जब तक कि वजू टूटने की कोई निश्चित दलील (प्रमाण) मौजूद न हो।

दूसरा मत:

स्त्री का अपने निजी अंग को छूना वज्रू तोड़ने वाला है; यह शाफ़ई और हनबली विचारधारा का मत है।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ
فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا، فَلْيَتَوَضَّأْ

अनुवाद: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"जो मर्द अपनी शर्मगाह (Private part) को छुए, उसे वुजू करना चाहिए और जो औरत अपनी शर्मगाह को छुए, उसे भी वुजू करना चाहिए।"

(स्रोत: सहीह अल-जामि: 2725)

विशेष टिप्पणी (Note):

पुरुष द्वारा अपनी शर्मगाह छूने से वुजू टूटने के हुक्म पर क्रियास (Analogy) करते हुए (यही हुक्म औरत के लिए भी है)।

नोट:

इब्न बाज़ (रहिमहउल्लाह) ने दूसरे कथन को अपनाया है और उसे प्राथमिकता (Tarjeeh) दी है।

प्रश्न 279

क्या किसी गैर मर्द या औरत (बड़े या छोटे) की शर्मगाह छूने से वज्रू टूट जाता है?

उत्तर 279

किसी गैर मर्द या औरत (बड़े या छोटे) की शर्मगाह छूने के ज़िम्न में उलमा के दो मुख्तलिफ़ क़ौल हैं:

पहला मत (पहला क़ौल):

चाहे कोई पराया (गैर) पुरुष हो या महिला, छोटा हो या बड़ा, उसके निजी अंगों (शर्मगाह) को छूने से वज्रू पूरी तरह टूट जाता है। यह शाफ़ई और हंबली पंथ (मज़हब) का मत है और इसी को इब्न बाज़ (رحمته الله عليه) ने अपनाया है।

किसी और के निजी अंगों को छूना हराम है। इसे छूना कामुकता (شهوت - शहवत) भड़काने का एक बड़ा कारण है। कभी-कभी इंसान को दूसरे के निजी अंगों को छूने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर स्वयं के निजी अंगों को छूने से वज्रू टूट जाता है, तो किसी दूसरे के निजी अंगों को छूने से तो और भी ज़्यादा (बदरजा-ए-औला) वज्रू टूट जाएगा।

दूसरा मत (दूसरा क़ौल):

चाहे कोई पराया पुरुष हो या महिला, छोटा हो या बड़ा, उसके निजी अंगों को छूने से वज्रू बिल्कुल नहीं टूटता। यह हनफी और ज़ाहिरी पंथ का मत है।

हदीस:

"عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ."

(سنن ابى: 181)

हजरत बुसरा बिनत सफ़वान (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को फ़रमाते हुए सुना: "जो अपने जननांग (عضو تناسل) को छुए, वह वज़ू करो" (सुनन अबी दाऊद: 181)

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने स्वयं के जननांग को छूने से वज़ू करने का हुक्म फ़रमाया है, न कि किसी और के छूने से। यह एक ऐसी वज़ह (इल्लत) है जिसे मानवीय बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती, इसलिए इसे किसी दूसरी स्थिति पर लागू (क्रयास) करना मुमकिन नहीं है।

बुनियादी सिद्धांत वही है जिस पर सर्वसम्मति (इजमा) है कि: वज़ू का टूटना, केवल वैसी प्रमाणित सुन्नत (मुतहक्कक सुन्नत) के आधार पर ही होगा जिसमें किसी अन्य व्याख्या (तावील) या इजमा के उल्लंघन की गुंजाइश न हो। इसलिए हम इस बुनियादी सिद्धांत से उसी समय हटेंगे जब (वज़ू टूट जाने की) कोई पुख्ता और यकीनी दलील सामने आए।

नोट (मुलहज़ा):

सावधानी (एहतियात) इसी में है कि वज़ू कर लिया जाए ताकि मतभेदों (इख़िलाफ़) से बचा जा सके और इबादत में किसी भी प्रकार का संदेह न रहे।

प्रश्न 280

क्या 'दुबुर' (मलद्वार/गुदा) को छूने से वज़ू टूट जाता है?

उत्तर 280

दुबुर को छूने से वज़ू टूटने के संबंध में विद्वानों (अहल-ए-इल्म) के दो अलग-अलग मत हैं:

पहला मत:

दुबुर को छूने से वज़ू टूट जाता है। यह इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल का मत है, और पूर्वजों (सलफ़) का एक समूह भी इसी का कायल है। इमाम शौकानी और इब्न बाज़ ने भी इसी को अपनाया है।

दलील:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا، فَلْيَتَوَضَّأْ

हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"जो पुरुष अपनी शर्मगाह को छुए तो वह वज्रू करे, और जो महिला अपनी शर्मगाह को छुए तो उसे भी वज्रू करना चाहिए।" (सहीह अल-जामी: 2725)

तर्क यह है कि दुबुर (मलद्वार) भी शर्मगाह ही है क्योंकि यह भी पेट का एक द्वार (निकास) है।

दूसरा मत:

दुबुर को छूने से वज्रू नहीं टूटता। यह इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम ज़ाहिरी का मत है, और इमाम अहमद बिन हंबल से एक रिवायत के अनुसार उनका भी यही मत है। सलफ़ का एक समूह भी इसी राय पर है।

दलील:

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفَدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: " وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟

हजरत तलक़ बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम एक प्रतिनिधिमंडल (वफ़द) के रूप में अल्लाह के रसूल ﷺ की सेवा में उपस्थित हुए और आपसे बैअत की और आपके साथ नमाज़ अदा की। जब आप ﷺ नमाज़ से फारिग हुए तो एक व्यक्ति आया—जैसे कि वह कोई देहाती हो—और उसने पूछा: "हे अल्लाह के रसूल! आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं जिसने नमाज़ के दौरान अपने ज़कर (लिंग) को छू लिया हो?" आप ﷺ ने फरमाया: "वह (शर्मगाह) भी तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा (टुकड़ा) ही तो है।"

(सुनन नसाई: 165)

गुप्त अंग जिस तरह मानव शरीर का एक हिस्सा है, यही हुक्म 'दबर' (मलद्वार) का भी है; इसलिए दबर को छूने से वज्रू नहीं टूटता। गुप्त अंग को छूने से वज्रू वाजिब होने के जो 'नुसूस' (धार्मिक प्रमाण) आए हैं, वे केवल उसी के लिए हैं न कि दबर को छूने के लिए। इसलिए बुनियादी सिद्धांत यही है कि पाकी (पवित्रता) बनी हुई है और वज्रू नहीं टूटा, और हम इस बुनियादी सिद्धांत से उसी सूत्र में निकलेंगे जब कोई निश्चित यकीनी दलील मौजूद हो।

प्रश्न 281	क्या दोनों अंडकोषों (testicles), नितम्बों (buttocks) और जांघों के दोनों ओर के हिस्सों को छूने से वज्रू टूट जाता है?
उत्तर 281	अंडकोषों, जांघों के दोनों ओर (जहाँ वे आपस में मिलते हैं) और नितम्बों को छूने से वज्रू नहीं टूटता है। इस पर चारों फ़िक्रही मज़ाहिब (Hanafi, Maliki, Shafi'i, और Hanbali) का इत्तेफ़ाक़ (सहमत) है और आम अहल-ए-इल्म (विद्वान) भी इसी के कायल हैं। इसकी वजह यह है कि अंडकोषों, नितम्बों और जांघों के दोनों किनारों को छूने के संबंध में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि शर्मगाह (private parts)

के अलावा इन हिस्सों को छूना वजू को तोड़ने वाला है। इसलिए असल नियम यही है कि वजू बरकरार है, और वजू के खत्म होने का हुक्म केवल किसी (ठोस) दलील के आधार पर ही लगाया जाएगा।

प्रश्न 282	क्या चौपाये (चार पैरों वाले जानवर) के निजी अंग (शर्मगाह) को छूने से वजू टूट जाता है?
उत्तर 282	<p>चौपाये (दरिदों के अलावा अन्य जानवरों को कहते हैं) के निजी अंग को छूने से वजू नहीं टूटता है और इस पर चारों फ़िक्रही मज़ाहिब (संप्रदायों): हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हनबली का इत्तेफ़ाक़ (सहमति) है, और अधिकांश विद्वान इसी के कायल (पक्षधर) हैं।</p> <p>इब्न तैमियाह ने इस मसले में 'इज्मा' (सर्वसम्मति) नक़ल किया है; इसकी वजह यह है कि किताबुल्लाह (कुरआन), सुन्नत-ए-रसूल $\\$SAW\\$ या सही क्रयास (तर्क) से इस बात की कोई दलील नहीं मिलती कि यह वजू तोड़ने वाली चीज़ (नाक्रिज़-ए-वजू) है।</p>

प्रश्न 283	क्या धर्मत्याग (इर्तदाद) से वजू टूट जाता है?
उत्तर 283	<p>इस्लाम से फिर जाना (धर्मत्याग)—अल्लाह इससे अपनी पनाह में रखे। वजू तोड़ने वाली चीज़ों के संदर्भ में इस पर न्यायविदों (फ़ुकहा) के दो अलग-अलग मत हैं:</p> <p>पहला मत: धर्मत्याग वजू को तोड़ देता है। यह इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल का मत है, और एक स्थिति में यही इमाम शाफ़ई का भी मत है। पूर्वजों (सलफ़) के एक समूह का भी यही मानना है, और इसी को इब्न तैमिया और इब्न बाज़ (رحمهم الله) ने अपनाया है।</p> <p style="text-align: right;">وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ</p> <p>कुरान की आयत है: "और जो कोई ईमान का इनकार करे, उसके (नेक) अमल बर्बाद हो गए।" [अल-माएदा: 5]</p> <p>तथा एक अन्य स्थान पर कहा गया:</p> <p style="text-align: right;">وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر: ٦٥]</p> <p>"निश्चित रूप से आपकी ओर और आपसे पहले (तमाम नबियों) की ओर भी यही वह्य (प्रकाशना) भेजी गई है कि यदि आपने शिर्क (साझेदारी) किया, तो निस्संदेह आपका अमल बर्बाद हो जाएगा और निश्चित रूप से आप घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे।" [अज़-ज़ुमर: 65]</p> <p>चूँकि वजू भी एक अमल (कार्य) है, इसलिए कुरान मजीद की इन दोनों आयतों की रोशनी में धर्मत्याग से वजू का अमल भी व्यर्थ (बातिल) हो जाएगा।</p>

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعُدُّو، فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا".

हजरत अबू मालिक अशअरी (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "पवित्रता आधा ईमान है, और 'अल्हम्दुलिल्लाह' (तराजू के) पलड़े को भर देता है, और 'सुब्हानअल्लाह' व 'अल्हम्दुलिल्लाह' दोनों आसमानों और ज़मीन के बीच की जगह को भर देते हैं। नमाज़ एक नूर है, सदक़ा एक दलील (प्रमाण) है, और सब्र (धैर्य) एक रौशनी है। और कुरान तेरे पक्ष में या तेरे विरोध में दलील है। हर आदमी सुबह (की शुरुआत) करता है और अपनी जान का सौदा करता है, फिर या तो उसे (अल्लाह की इबादत से) आज़ाद कर लेता है या उसे (गुनाहों से) तबाह कर देता है।" (सहीह मुस्लिम: 223)

जब पाकी (पवित्रता) आधा ईमान है, और धर्मत्याग पूरे ईमान को ही खत्म कर देता है, तो वह वज़ू को भी बातिल कर देता है क्योंकि वज़ू आधा ईमान है।

दूसरा कौल (दूसरा मत):

इर्तदाद (धर्मत्याग) से वज़ू नहीं टूटता। यह हनफिया, शाफिया और मालकिया के एक कौल के मुताबिक़ मज़हब है, और इसी को इब्ने हज़म (रह.) और इब्ने उसैमीन (रह.) ने इख़्तियार किया है।

अल्लाह तआला का इरशाद है:

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफ़्र की हालत में मरें, तो उनके आमाल दुनिया और आखिरत में सब ग़ारत (नष्ट) हो जाएंगे। यह लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा-हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे।"

[अल-बक्ररह: 217]

इस आयत में यह दलील है कि इर्तदाद से अमल तब तक जाया (बेकार) नहीं होता जब तक कि वह इर्तदाद, मौत तक साथ न रहे।

दूसरा: कुरआन मजीद, सहीह या ज़ईफ़ किसम की सुन्नतों, इज्मा और क़यास में ऐसी कोई दलील नहीं है कि इर्तदाद से वज़ू टूट जाता है। बल्कि उलमा का इस बात पर इज्मा (सहमति) है कि इर्तदाद से जनाबत का गुस्ल, हैज़ का गुस्ल और उसकी साबक़ा (पिछली) आज़ादी को वज़ू नहीं तोड़ता, तो फिर इर्तदाद से वज़ू कैसे टूट जाएगा?!

	<p>नोट:</p> <p>शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम (हफ़िज़हुल्लाह) ने पहले कौल को तरजीह (प्राथमिकता) दी है, क्योंकि जब ईमान ही नहीं रहा तो वजू कैसे बाक़ी रह सकता है।</p>
--	--

प्रश्न 284	नवाकिज़-ए-वुजू (वुजू तोड़ने वाली चीज़ों) का संक्षिप्त विवरण पेश कीजिए?
उत्तर 284	<ol style="list-style-type: none"> 1. हदस-ए-अकबर: (संभोग या वीर्य का निकलना [जनाबत]), मासिक धर्म (حيض) और प्रसव के बाद का रक्तस्राव (نفاس) से गुसल फर्ज हो जाता है। अतः जो चीज़ें गुसल को फर्ज कर देती हैं, उन सभी से वुजू टूट जाता है। (सूरह अल-मायदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 6) 2. मज़ी और वदी: इनके निकलने से वुजू टूट जाता है। (मज़ी: यानी वह सफ़ेद पानी जो पति-पत्नी के आपसी प्रेम या कामोत्तेजना के समय गुप्त अंग से निकलता है, यह पुरुष और महिला दोनों में एक समान है)। (सहीह बुखारी: 132) 3. पेशाब का कतरा: पेशाब की बूंद निकलने से वुजू टूट जाता है। (सहीह बुखारी: 228) 4. हवा का निकलना: वायु (गैस) खारिज होने से वुजू टूट जाता है। (सहीह बुखारी: 137) 5. मल त्याग: पाखाना करने से वुजू टूट जाता है। (सूरह अल-मायदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 6; सहीह बुखारी) 6. (गहरी) नींद सो जाने से वुजू टूट जाता है। (सुनन अबू दाऊद: 203, हसन) 7. कामोत्तेजना (شهوت) के साथ यदि बिना किसी रुकावट (कपड़े आदि) के शर्मगाह (गुप्तांग) को हाथ लग जाए, तो वुजू टूट जाता है, अन्यथा नहीं। (तरजीह अल-अलबानी) - (सुनन अन-नसाई: 163) 8. यदि बिना किसी रुकावट के शर्मगाह से शर्मगाह मिल जाए (संभोग), तो वुजू टूट जाता है और गुस्ल (स्नान) भी अनिवार्य हो जाता है। (सहीह अल-बुखारी: 291) 9. ऊँट का मांस खाने से वुजू टूट जाता है। (सहीह मुस्लिम: 360 [802]) 10. बुद्धि के विचलित होने (विवेक खोने) से वुजू टूट जाता है। (अर्थात् बेहोशी, पागलपन या मिर्गी के दौरों की वजह से वुजू टूट जाता है)। (सहीह अल-बुखारी: 687 - अल-इज्मा' लाबन अल-मुन्ज़िर, संख्या: 2)

प्रश्न 285	मज़ी (Madhi) और वदी (Wadi) किसे कहते हैं?
उत्तर 285	<p>मज़ी (Madhi):</p> <p>इसका अर्थ है वह सफ़ेद पानी जो पुरुष के अंग (penis) से निकलता है। यह आमतौर पर पति-पत्नी के बीच प्यार और अंतरंगता (foreplay) के दौरान उत्तेजना के कारण निकलता है। मज़ी कामुक भावनाओं के कारण निकलती है, और कभी-कभी बिना कामुकता के किसी बीमारी के कारण भी निकल सकती है। इसके लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं है कि यह केवल पति-पत्नी के प्यार और अंतरंगता के कारण ही निकले।</p>

वदी (Wadi):

इसका अर्थ है वह पदार्थ जो पेशाब से पहले या बाद में निकलता है। यह देखने में चमकदार, चिपचिपा और तरल होता है। कुछ लोगों ने इसे पेशाब की बूंदों के रूप में भी परिभाषित किया है जो अक्सर पेशाब करने के कुछ समय बाद निकलती हैं।

नियम:

चाहे मज़ी निकले या वदी, दोनों ही स्थितियों में वजू (Wudu) करना अनिवार्य (Lazim) हो जाता है। गुसल (Ghusl) केवल मनी (Mani/Semen) के निकलने के बाद ही अनिवार्य (Wajib) होता है।

प्रश्न 286

क्या पेशाब के कतरे (बूँदें) निकलने से वजू टूट जाता है?

उत्तर 286

इस बात पर विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) का इत्फ़ाक (सहमति) है कि 'सबीलैन' (आगे और पीछे के मार्ग) से कुछ भी खारिज (बाहर) हो, तो वजू टूट जाता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वजू के बाद जब पेशाब के कतरे निकलते हैं, तो वजू टूट जाता है।

हालाँकि, विद्वान कहते हैं कि जब किसी को पेशाब के कतरे निकलने का अहसास हो, तो उस व्यक्ति को इस बात का यकीन (पक्का विश्वास) होना चाहिए। चुनाँचे, विद्वानों ने इस मसले में जो नियम (क्रायदा) बताया है, वह यह है:

"اليقين لا يزول بالشك" (यकीन को संदेह से खत्म नहीं किया जा सकता)

चुनाँचे, सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में हमें ये शब्द मिलते हैं जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं:

(أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "لَا يَنْفَتِلُ أَوْ لَا يَنْصَرَفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا")

वह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ से एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत बयान की कि उसे नमाज़ में ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ (हवा आदि) खारिज हुई है। तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "वह (नमाज़ से) न मुड़े और न ही हटे, जब तक कि आवाज़ न सुन ले या गंध (बू) न पा ले।" (सहीह अल-बुखारी: 137, और सहीह मुस्लिम: 361 [804])

ऊपर जो हदीस और इमाम नववी (रहमतुल्लाह अलैहि) का कथन उल्लेख किया गया है, वह 'हवा' खारिज होने के बारे में है, लेकिन नियम और सिद्धांत एक ही है। यानी अगर किसी को पेशाब के कतरे निकलने की बीमारी (इल्लत) हो और उसे इस बात पर यकीन भी हो, तो ऐसी स्थिति में अगर नमाज़ से पहले हो तो वजू लाज़िम (अनिवार्य) है, और अगर नमाज़ के दौरान हो तो वजू लाज़िम नहीं होता।

प्रश्न 287	पेशाब की बूंदों (पेशाब के कतरों) से कैसे बचें?
उत्तर 287	<p>जिस किसी को पेशाब करने के बाद रुक-रुक कर पेशाब की बूंदें आने की समस्या (बीमारी) हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पेशाब से फारिग (निवृत्त) होने के बाद कुछ देर इंतजार करे और फारिग होते समय अच्छी तरह से अंग से पेशाब को निकाले। खांसने से भी पेशाब की बूंदें निकल जाती हैं; इसके अतिरिक्त यह कि थोड़ा सा टहल ले और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब इत्मीनान (संतोष) हो जाए तो वजू कर ले।</p> <p>अतः पेशाब से फारिग होने और नमाज़-ए-बा-जमात के बीच इतना समय होना चाहिए कि आप पूरी तरह से पेशाब से फारिग हो सकें। इस स्थिति में किसी डॉक्टर से बाकायदा इलाज कराना आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति इस बीमारी में ग्रस्त रहेगा, उसे नमाज़ों और अन्य इबादतों में इसी तरह की मुश्किलें पेश आती रहेंगी। इसलिए इस बीमारी का इलाज अनिवार्य है। साथ ही, इस समस्या की दो स्थितियां हो सकती हैं:</p> <p>नंबर एक: यदि किसी को यह बीमारी (पेशाब के कतरे आना) बहुत अधिक हो, तो विद्वान (उलेमा-ए-किराम) उसके लिए यह आदेश देते हैं कि ऐसा व्यक्ति 'माज़ूर' (विवश/मजबूर) है। इसलिए, जैसे ही नमाज़ का समय शुरू हो, वह वजू करके नमाज़ अदा कर सकता है और उसी वजू के साथ वह अन्य इबादतें भी कर सकता है। अलबत्ता, जब जमात वाली नमाज़ का समय समाप्त हो जाए, तो उसका वजू भी समाप्त हो जाता है। (शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ने समय दाखिल होते ही वजू करने और बिना किसी कारण के जमात होते ही वजू के टूटने (नाकिज़) को स्वीकार नहीं किया है।)</p> <p>नंबर दो: यदि किसी को कतरे आने की समस्या कम हो, तो ऐसा व्यक्ति 'माज़ूर' नहीं कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पेशाब करने के बाद अच्छी तरह वजू करे और नमाज़ अदा करे।</p>

प्रश्न 288	हवा (गैस) खारिज होने की बीमारी और उसके हुक्म का वर्णन करें?
उत्तर 288	<p>कुछ लोगों को हवा (गैस) खारिज होने की बीमारी होती है और उन्हें निरंतर हवा खारिज होती रहती है। विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) ने इस बीमारी के बारे में वही कहा है जो इमाम इब्न तैमिया (رحمة الله عليه) ने फरमाया है:</p> <p>حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْأَعْدَارِ: مِثْلُ الْإِسْتِحَاظَةِ وَسَلْسِ الْبَوْلِ؛ وَالْمَذْيِ؛ وَالْجُرْحِ الَّذِي لَا يَزِقُّ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حِفْظُ الطَّهَارَةِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَلَا يَضُرُّهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَنْقُضُ وَضُوءَهُ بِذَلِكَ بِإِتِّفَاقِ الْأَيْمَّةِ وَأَكْثَرِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ</p> <p>"उनका हुक्म वही है जो 'अहल-ए-अज़ार' (विवश या मजबूर लोगों) के लिए है; जैसे कि इस्तिहाज़ा (अनियमित रक्तस्राव), सलिसुल बोल (पेशाब के टपकते रहने की बीमारी), मज़ी (सफेद पतला पानी), और वह जख्म जो सूखते न हों। ये सभी स्थितियाँ 'उज़्र' (मजबूरी) में गिनी जाती हैं। अतः जिस किसी के लिए नमाज़ अदा करने के दौरान और वक्त के भीतर वजू को बरकरार रखना संभव न हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह हुक्म है कि वह वजू करके नमाज़ शुरू कर दे। नमाज़ के दौरान इनमें से किसी भी कारण से होने वाली खुरूज (निकासी)</p>

उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी और न ही इसकी वजह से उसका वजू टूटेगा। इस बात पर विद्वानों का इज्मा (सहमति) है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हर नमाज़ के लिए नया वजू करना होगा।"

(मजमूआ फतावा इब्न तैमिया: 21/221, "बाबू नवाकिज़िल वजू - खुरूज अल-नजासात मिन गैर अल-सबीलैन", प्रकाशक: मजमा अल-मलिक फहद लि-तिबाअत अल-मुसहफ अल-शरीफ, मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरब)

शेख इब्न उथैमीन (رحمة الله عليه) का कथन:

"और ये गैसों जिनकी आपने शिकायत की है, इनका हुकम वही है जो मुस्तहाज़ा (इस्तिहाज़ा वाली महिला) और सलिसुल बोल (पेशाब न रोक पाने वाले व्यक्ति) का है।"

शेख इब्न उथैमीन (रह.) का कथन:

(وهذه الغازات التي شكت منها حكمها حكم المستحاضة ومن به سلس البول)

"ये गैसों जिनकी शिकायत की गई है, इनका हुकम (आदेश) 'इस्तिहाज़ा' (असामान्य रक्तस्राव वाली महिला) और 'सलस-उल-बौल' (पेशाब टपकने की बीमारी) के हुकम जैसा ही है।"

(सवाली ने पेट की गैस के बारे में सवाल किया है) तो इसे गैसों की शिकायत में गिना जाता है, इसलिए इसका हुकम वही है जो 'इस्तिहाज़ा' और निरंतर पेशाब के कतरे गिरने का है।

(الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: 413/1، الناشر: دار ابن الجوزي)

(अल-शर्ह अल-मुमते' अला ज़ाद अल-मुस्तक्रने' लाबन उथैमीन: 1/413, प्रकाशक: दार इब्न अल-जौज़ी)

अर्थात: इस बीमारी में ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह हुकम है कि वे हर नमाज़ के लिए नया वजू करें और यदि नमाज़ के दौरान भी गैस निकल जाए, तो उस पर ध्यान न दें और इत्मीनान (तसल्ली) के साथ अपनी नमाज़ पूरी करें। क्योंकि ऐसे लोग 'माज़ूर' (विवश/मजबूर) लोगों में गिने जाते हैं, इसलिए इंशा-अल्लाह इस बारे में उनसे कोई सवाल (पकड़) नहीं होगा।

वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

प्रश्न 289	बदबूदार हवा (अपान वायु) खारिज होने की बीमारी और उसका क्या हुकम है?
उत्तर 289	सैय्यदना मादान बिन अबी तल्हा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि एक दिन अमीर-उल-मोमिनीन सैय्यदना उमर इब्न अल-खत्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जुमा का खुतबा देते हुए फरमाया (लंबी हदीस का आखिरी हिस्सा):

((لَقَدْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْبُقْعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمْتِنْتَهُمَا طَبْحًا))

((मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा, जब मस्जिद में किसी आदमी से उन (लहसुन और प्याज) की बू आती, तो आप ﷺ उसे 'बक्री' (कब्रिस्तान) की तरफ निकाल देने का हुक्म सादिर फरमाते (आदेश देते)। पस जो शख्स इन्हें खाना चाहता है, वह इन्हें पकाकर (उनकी बू को) खत्म कर दो।))" (सहीह मुस्लिम: 567 [1258])

कुछ विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) ने इस हदीस की बुनियाद पर यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बदबू के साथ मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिदों को हर तरह की गंदगी और बदबू से पाक-साफ रखना लाजिम (अनिवार्य) है।

इसकी वजह यह है कि नमाजियों और विशेष रूप से फरिश्तों को इस बदबू से तकलीफ होती है। लिहाजा जो कोई इस बीमारी में मुत्तला (ग्रसित) है, उसे चाहिए कि वह फौरन इसका इलाज करवाए ताकि उसकी यह बीमारी लोगों के लिए तकलीफ का कारण न बने।

वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)

प्रश्न 290

क्या सोने से वजू टूट जाता है?

उत्तर 290

इस मसले में उलेमा-ए-किराम के विभिन्न कथन (विचार) मिलते हैं:

- नींद किसी भी हालत में हो, वजू तोड़ने वाली है।
- नींद किसी भी हालत में हो, वजू तोड़ने वाली नहीं है।
- बैठे-बैठे ऊंघने से वजू नहीं टूटता और न ही बैठे-बैठे सो जाने से वजू टूटता है।
- असल बुनियादी बात यह है कि गहरी नींद से वजू टूट जाता है, चाहे लेट कर सोएं या बैठकर। (इस बात को शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह और शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने प्राथमिकता दी है।)

प्रश्न 291

क्या नमाज के दौरान सो जाने वाले व्यक्ति का वजू टूट जाता है या नहीं?

उत्तर 291

इस मसले में कुछ विद्वान यह कहते हैं कि चूँकि नमाज में लगातार हरकत (गति) होती रहती है जैसे पहले कयाम, फिर रकू, फिर सजदा आदि—इसलिए ऐसा व्यक्ति गहरी नींद नहीं सो सकता।

(ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَنَاهُ الْمُنَادِي فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)

नींद की स्थिति में वजू का न टूटना अंबिया-ए-किराम (पैगंबरों) की विशेषता है। जैसा कि हदीस में आता है:

"फिर आप ﷺ ने नमाज़ पढ़ी जितनी अल्लाह को मंज़ूर थी, फिर आप लेट गए और सो गए, यहाँ तक कि खर्तों की आवाज़ आने लगी। फिर आपके पास मुअज़्ज़िन हाज़िर हुआ और उसने आपको नमाज़ की सूचना दी। आप ﷺ उसके साथ नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और वूजू नहीं किया..."

(सुफ़यान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि) हमने अमरो से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ की आँखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। अमरो ने कहा मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वह कहते थे कि अंबिया-ए-किराम के ख्वाब भी 'वही' (ईश्वरीय संदेश) होते हैं, फिर (कुरान की यह) आयत पढ़ी: 'मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जिबह कर रहा हूँ'। (सहीह बुखारी: 138)

कुछ विद्वान कहते हैं कि नींद अपने आप में वूजू तोड़ने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि नींद से वूजू इसलिए टूट जाता है क्योंकि इंसान को नींद की हालत में किसी चीज़ का पता नहीं रहता। इसलिए अगर नींद के दौरान हवा (gas) खारिज हो जाए, तो आदमी को पता नहीं चलता। लेकिन अंबिया-ए-किराम इस कमजोरी से पाक हैं। अंबिया-ए-किराम का वूजू नींद की स्थिति में भी नहीं टूटता क्योंकि उनकी आँखें सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोता।

अलबत्ता, अगर अंबिया-ए-किराम को नींद की हालत में वूजू टूटने का अनुभव हो, तो उन्हें इसका पता चल जाता है। इसके विपरीत, एक आम आदमी नींद की हालत में सुध-बुध खो देता है और उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए एक आम आदमी को नींद की हालत में यह पता नहीं चलता कि उसका वूजू टूट गया है या नहीं।

अतः उपरोक्त प्रमाण के आधार पर, नींद की स्थिति में वूजू का न टूटना केवल अंबिया-ए-किराम ﷺ के साथ विशिष्ट है। एक नबी को नींद की हालत में 'वही' भी आ सकती है, इसी कारण नबियों की आँखें सोती हैं मगर दिल नहीं सोते।

प्रश्न 292	क्या "गोठ मार कर" (एक विशेष प्रकार से बैठना) सोने से वूजू (Wudu) टूट जाता है?
उत्तर 292	<p>(अल-इहतिबा / इहतिबी) गोठ मार कर बैठने का अर्थ है: किसी कपड़े की सहायता से या अपने हाथों की मदद से पैरों और पेट को मिलाकर जकड़ लेना। (अल-इहतिबा / इहतिबी गोठ मार कर बैठना) उसे कहा जाता है कि दोनों घुटने खड़े करके, तलवों को ज़मीन पर टिका कर बैठें और दोनों हाथ पिंडलियों पर हों, तो इस बैठने के तरीके को 'इहतिबा' (गोठ मार कर बैठना) कहा जाता है।</p> <p>(इहतिबा बिल-सूब) सामान्य क्रिया: नितम्बों (buttocks) के बल बैठकर कपड़े को पीठ और पिंडलियों के चारों ओर बांधना या घेरना। इसकी अधिक जानकारी के लिए (almaany.com) देखें।</p> <p>गोठ मार कर सोने वाले, खड़े होकर सोने वाले और सजदे की स्थिति में सोने वाले का वूजू नहीं टूटता है, जब तक कि वह लेट न जाए; और जब कोई लेट कर सो जाता है, तो उस पर वूजू (अनिवार्य) है। यह रिवायत 'मौकूफ' है।</p>

(सुनन अल-कुबरा लिल-बैहकी: 1/197, किताब-उत-तहारत, बाब मा वारदा फी नौम अस-साजिद, संख्या: 603)

नोट: शेख अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत का उल्लेख "सिलसिला अहादीस अल-जर्ईफ़ा" में किया है और कहा है कि:

وقال:
وهذا موقوف. قلتُ: وإسناده جيّد كما قال الحافظ في «التلخيص»، لكنّ الراجح أنّ العمل على خلافه كما تقدّم في آخر الحديث الذي قبله.

"और यह मौकूफ़ है। मैंने कहा: इसकी इसनाद (सनद) जय्यद (अच्छी) है जैसा कि अल-हाफ़िज़ (इब्न हजर) ने 'अल-तल्खीस' में कहा है। लेकिन सही (राजेह) बात यह है कि अमल इसके विपरीत है जैसा कि इससे पहले वाली हदीस के अंत में गुज़रा है।"

इमाम इब्न हजर असक़लानी (रह.) ने इस रिवायत को मौकूफ़ कहा है। मैं (शेख अल्बानी) कहता हूँ कि इसकी इसनाद जय्यद हैं जैसा कि इमाम इब्न हजर (रह.) ने 'अल-तल्खीस' में कहा है, लेकिन सही बात यह है कि अमल इसके खिलाफ़ है जैसा कि इससे पहले वाली हदीस में बयान किया गया है।

(अल-सिलसिला अल-जर्ईफ़ा लिल-अल्बानी: 2/371, नंबर: 954, प्रकाशक: मकतबा अल-मआरिफ़, रियाद)

नींद की दो किस्में हैं: हल्की नींद (ऊंघ) और गहरी नींद। निस्संदेह गहरी नींद से वजू टूट जाता है, अलबत्ता हल्की नींद या ऊंघ से वजू नहीं टूटता। वजू तोड़ने वाली दो प्रकार की नींदों की तीन किस्में हैं:

1) "थक़ील तवील" (भारी और लंबी नींद): लंबी, भारी और गहरी नींद वह होती है जिसमें होश-ओ-हवास काम नहीं करते। इस प्रकार की नींद में इंसान को यह पता नहीं रहता कि उसने नींद की हालत में क्या-क्या किया और क्या नहीं किया। इस नींद की अन्य निशानियाँ यह हैं कि...

यदि किसी व्यक्ति के हाथ से कोई चीज़ गिर जाए और उसे पता न चले, या यदि उसके मुँह से लार टपक जाए और उसे इसका अहसास न हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसे ऐसी गहरी नींद आई है जिसमें न तो उसे कुछ सुनाई देता है और न ही कुछ दिखाई देता है। ऐसी गहरी नींद से वजू टूट जाता है।

2) "सकील कसीर" (लम्बी और भारी नींद): इस नींद को भी गहरी नींद में गिना जाता है और इससे भी वजू टूट जाता है।

3) "खफीफ कसीर" (लम्बी लेकिन हल्की नींद): यह नींद वास्तव में "ऊंघ" (तंद्रा) में गिनी जाती है, और विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के बीच इस बात पर सहमति है कि ऊंघने से वजू नहीं टूटता।

गहरी नींद चाहे कम समय के लिए हो या ज़्यादा, उस पर वजू करना फर्ज़ (अनिवार्य) है, जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में सूूरह अल-मायदा (सूूरत नंबर 5), आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया है:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ

"जब तुम नमाज़ के लिए उठो, तो अपने चेहरों को धो लिया करो।"

लिहाजा, जो व्यक्ति नमाज़ के लिए (नींद से) उठे, उसे चाहिए कि वह सबसे पहले वुजू करे। जैसा कि इस मुबारक आयत की व्याख्या (तफसीर) में जैद बिन असलम (रह.) कहते हैं:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} سورة المائدة آية ٦: أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمِ

(Muwatta Malik, narrated by Yahya: 38)

"मुझसे मलिक ने बयान किया, उन्होंने जैद बिन असलम से, कि इस आयत की तफसीर (व्याख्या) यह है: 'ऐ ईमान वालों! जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धोओ, और अपने सरों का मसह करो और अपने पैरों को टखनों तक धोओ।' यहाँ 'जब तुम उठो' से तात्पर्य है—सोकर उठना।" (मुवत्ता इमाम मलिक, रिवायत याह्या: 38)

इस आयत में

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

"जब तुम नमाज़ के लिए उठो" का अर्थ है नींद से जागना। मैंने इस सिलसिले में सय्यदना सफवान बिन अस्साल अल-मुरादी (रजि.) की हदीस का भी उल्लेख किया है, जिसे शेख अल्बानी (रह.) ने 'हसन' (प्रमाणित) कहा है। साथ ही सय्यदना अली (रजि.) की हदीस का भी जिक्र किया गया है। ये दोनों हदीसें इस बात की दलील हैं कि गहरी नींद वुजू को तोड़ देती है।

गहरी नींद में मनुष्य को हवा (गैस) खारिज होने का पता नहीं चलता। यहाँ "गहरी नींद" से तात्पर्य लंबी और गहरी संक्षिप्त नींद, दोनों शामिल हैं। अलबत्ता, ऊँघ और बहुत हल्की नींद, जिसमें इंसान अपनी चेतना (होश) नहीं खोता, उससे वुजू नहीं टूटता। जैसा कि सय्यदना अनस (रजि.) की हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सहाबा-ए-किराम (रजि.) नमाज़ के इंतज़ार में बैठे-बैठे सो जाया करते थे (ऊँघते थे), फिर जब नबी करीम (सल्ल.) तशरीफ लाते तो वे (बिना दोबारा वुजू किए) नमाज़ अदा कर लिया करते थे।

इस पर इमाम नववी (रहमहुल्लाह) ने इस प्रकार बाब (अध्याय) स्थापित किया है: ((बाब अल-दलील अला अन्ना नौमल-जालिसि ला यनकुदुल-वुजू))

अर्थात: बैठे-बैठे सो जाने से वुजू नहीं टूटता। इसी प्रकार अधिकतर उलेमा-ए-किराम (विद्वानों) का इसी पर अमल है। अतः इन तमाम दलीलों (प्रमाणों) से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गहरी नींद वुजू को तोड़ देती है, और हल्की नींद व ऊँघ (झपकी) से वुजू नहीं टूटता। वल्लाहु आलम (अल्लाह ही बेहतर जानता है)।

प्रश्न 293	क्या गुप्तांग (शर्मगाह) को हाथ लग जाने से वजू टूट जाता है?
उत्तर 293	नोट: याद रहे कि गुप्तांग को हाथ लगने से वजू टूटने का मसला तब ही है जब हाथ बिना किसी रुकावट (सीधे) लगे, और अगर कपड़े आदि के ऊपर से लगता है तो वजू नहीं टूटता।

गुप्तांग को हाथ लग जाने से वजू टूटता है या नहीं, इस बारे में विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के बीच मतभेद है।

पहला मत (कौल-ए-अव्वल):

गुप्तांग को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है:

((دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةٍ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"))

"कि मैं मरवान बिन अल-हकम के पास गया, फिर हमने उन चीजों का जिक्र किया जिनसे वजू लाजिम (अनिवार्य) आता है, तो मरवान ने कहा: जिक्र (लिंग) को छूने से वजू है। इस पर उरवा ने कहा: मुझे यह मालूम नहीं था। तब मरवान ने कहा: मुझे हजरत बुसरा बिनत सफ़वान (रज़िअल्लाहु अन्हा) ने बताया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को कहते हुए सुना कि: 'जब तुममें से कोई अपने अंग (लिंग) को छुए, तो वह वजू करे।'"

(सुनन अल-नसाई: 163)

इमाम शौकानी (रह.) का कथन:

((الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْجَارُودِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدٍ بْنُ الشَّرْقِيِّ تَلْمِيزُ مُسْلِمٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَارِزِيُّ))

इस हदीस को इमाम मालिक (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम इब्न खुज़ैमा (रह.), इमाम इब्न हिब्वान (रह.), इमाम हाकिम (रह.) और इमाम इब्न जारूद (रह.) ने नक़ल किया है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इमाम अहमद इब्न हंबल (रह.) से पूछा कि क्या सैयदा बुसरा बिनत सफ़वान की हदीस सही है, तो इमाम अहमद (रह.) ने कहा कि सैयदा बुसरा बिनत सफ़वान की हदीस सही है। इमाम दारकूतनी (रह.) ने इसे सही कहा है, इमाम यहया इब्न मईन (रह.) ने इसे सही कहा है, इमाम इब्न अब्दुल बर (रह.), अबू हामिद बिन शरक़ी (मुस्लिम के शिष्य), और इमाम बैहक़ी (रह.) और इमाम हाज़मी (रह.) ने भी इस हदीस को बयान किया है।

(नील अल-अौतार लिल-शौकानी: 1/249, "अब्बवाब नवाकिज़ अल-वजू - बाब अल-वजू मिन लम्स अल-कुबुल")

सैय्यदना मसअब बिन साद बिन अबी वक्रास (रज़िअल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ:

"كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَمْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَمُ فَنَوَضَّأُ. فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ."

"मैं सैय्यदना साद बिन अबी वक्रास (रज़िअल्लाहु अन्हु) के लिए मुसहफ़ (कुरआन) पकड़कर खड़ा था, तो मैंने (अपने शरीर को) खुजलाया। तब साद (रज़िअल्लाहु अन्हु) ने कहा: 'शायद तुमने अपने निजी अंग (Private part) को छू लिया है?' मैंने कहा: 'जी हाँ'। उन्होंने कहा: 'उठो और वजू करके आओ'। अतः मैं उठा, वजू किया और फिर वापस आया।"

(मुवत्ता इमाम मालिक, रिवायत-ए-यह्या; किताब-उत-तहारत; बाब: शर्मगाह को छूने से वजू लाज़िम होने का बयान; हदीस नंबर: 89)

प्रश्न 294

क्या पुरुष और स्त्री दोनों इस नियम (हुकम) में बराबर हैं?

उत्तर 294

हाँ! पुरुष और स्त्री दोनों इस नियम में बराबर हैं।

सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بِقِيَّتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الرَّبِيعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرَجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ"

"जिस किसी पुरुष ने अपने गुप्तांग (Private part) को छुआ, वह नया वजू करे और जिस किसी स्त्री ने अपने गुप्तांग को छुआ, वह भी नया वजू करे।"

(मुस्नद अहमद इब्न हंबल: 6/487, मुस्नद अल-मुकसीरीन, हदीस नंबर: 7076, प्रकाशक: दारुल हदीस काहिरा, शेख अहमद मुहम्मद शाकिररहिमहुलह ने इस हदीस को सही कहा है)

विद्वानों की राय (प्रमाणीकरण):

- शेख अहमद शाकिर (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इस हदीस को "सहीह" (Authentic) कहा है।
- शेख अल्बानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इस हदीस को "सहीह अल-जामि" (हदीस नंबर: 2725) में उल्लेख किया है और इसे "सहीह" करार दिया है।
- शेख शुऐब अल-अरनाऊत (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इस हदीस को "हसन" (Good) कहा है। (मुस्नद अहमद: 11/648, नंबर: 7075, प्रकाशक: मुअस्सासतुर रिसाला)

यदि निजी अंगों और हाथ के बीच कोई चीज़ (पर्दा/कपड़ा) आड़ न हो, तो नया वजू करना अनिवार्य है।

हदीस:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ، فَفَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

सैय्यदना अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया: "जब तुम में से कोई अपना हाथ अपने निजी अंग (शर्मगाह) तक ले जाए और हाथ व अंग के बीच कोई पर्दा या आड़ न हो, तो उस पर वज्र करना फ़र्ज़ (अनिवार्य) हो जाता है।"

(सिल्लिसला अल-अहादीस अस-सहीहा लिल-अल्बानी: 1235)

सैय्यदना ज़ैद बिन खालिद जुहनी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं:

((حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))

((हददसना यअक़ूब, हददसना अबी, अन इब्न इसहाक़, हददसनी मुहम्मद बिन मुस्लिम अज़-ज़ुहरी, अन उरवा बिन अज़-ज़ुबैर, अन ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी, क़ाला: समिअतु रसूलुलाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यकूल: "मन् मस्सा फ़रजहू फ़ल-यतवज़्ज़ा"))

"जिसने अपनी शर्मगाह (Private part) को हाथ लगाया, वह वुजू करे।"

(मुसनद अहमद बिन हंबल: 21585)

उम्मुल मोमिनीन सैय्यदा उम्मे हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं:

((समिअतु रसूलुलाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यकूल: मन् मस्सा फ़रजहू फ़ल-यतवज़्ज़ा))

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))

"कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को फरमाते हुए सुना: जो अपनी शर्मगाह को छुए, तो वह वुजू करे।"

(सुनन इब्न माजा: 481)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى يَوْمًا مِنَ الضُّحَى وَقَالَ:
إِنِّي كُنْتُ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَتَسَبَّحْتُ

((हददसना इस्माईल बिन उलैया, अन अय्यूब, अन नाफ़ेअ, अन्ना इब्न उमर, सल्ला यौमन मिनज़-ज़ुहा व क़ाला: इन्नी कुन्तु मसतू ज़करी फ़-नसीतु))

नाफ़ेअ (रहमतुल्लाह अलैह) कहते हैं कि एक दिन सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने चाशत (सुबह) के समय नमाज़ अदा की और फरमाया:

"मैंने (फज़्र की नमाज़ के वक्त) अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया था और भूल गया (शर्मगाह को हाथ लगाने के बाद मैंने बिना वुजू किए फज़्र की नमाज़ पढ़ ली), इसी वजह से मैंने फिर से फज़्र की नमाज़ अदा की है।"

(मुसन्फ़ इब्न अबी शैबा: 1748)

(حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ)

अनुवाद : "इब्ने उलय्या ने हमसे बयान किया, उन्होंने इब्ने औन से, उन्होंने नाफे' से रिवायत की कि बेशक (हजरत) इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जब अपने गुप्तांग (Private part) को छूते थे, तो दोबारा वजू किया करते थे।"

(मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा: 1749)

(حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ)

अनुवाद : "शबाबाह ने हमसे बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने अता से और उन्होंने (हजरत) इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत की, उन दोनों ने फ़रमाया: जिसने अपने लिंग (Male private part) को छुआ, वह वजू करे।"

(मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा: 2/351, हदीस नम्बर: 1752)

दूसरा कथन

प्रश्न 295

क्या गुप्त अंग (sharmgah) को छूने से वजू नहीं टूटता?

उत्तर 295

قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، " مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ قَالَ: بَضْعَةٌ مِنْهُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ

अनुवाद: कि हम नबी-ए-अकरम ﷺ के पास आए, इतने में एक व्यक्ति आया जो देहाती लग रहा था, उसने कहा: हे अल्लाह के नबी ﷺ! वजू कर लेने के बाद आदमी के अपने अंग (लिंग) को छूने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? आपने ﷺ ने फरमाया: "वह तो उसी का एक लोथड़ा है," या कहा: "टुकड़ा है।"

(सुनन अबू दाऊद: 182)

तृतीय मत (तीसरा विचार):

इमाम इब्न तैमिया और शेख इब्न उथैमीन, सैयदना तलक बिन अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) और सैयदा बुसरा बिनत सफवान (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस के बीच इस तरह सामंजस्य (Tatbeeq) बिठाते हैं कि:

जो व्यक्ति कामवासना (شهوة - वासना) के साथ स्पर्श करता है, उस पर वुजू अनिवार्य है; और जो कोई बिना कामवासना के स्पर्श करता है—चाहे वह किसी वयस्क की शर्मगाह हो या छोटे बच्चों की—उस पर वुजू अनिवार्य नहीं है।

इसका अर्थ यह है कि सैयदना तलक बिन अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस 'बिना कामवासना के स्पर्श करने' पर वुजू न होने का प्रमाण देती है, और सैयदा बुसरा बिनत सफ़वान (रज़ियल्लाहु अन्हा) की हदीस 'कामवासना के साथ स्पर्श करने' पर वुजू अनिवार्य होने का प्रमाण देती है।

हम इस बारे में यह कहते हैं कि यदि कोई कामवासना के साथ स्पर्श करता है तो वुजू अनिवार्य है, और यदि किसी ने बिना कामवासना के (या आवश्यकता के तहत) स्पर्श किया तो वुजू नहीं टूटता।

अतः, यदि किसी ने कामवासना के साथ स्पर्श किया है तो उस पर वुजू अनिवार्य है, और यदि किसी ने बिना कामवासना के या आवश्यकता के अनुसार स्पर्श किया है तो उस पर वुजू अनिवार्य नहीं है। जैसा कि सैयदना तलक बिन अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में है कि: "निस्संदेह वह (शर्मगाह) तुम्हारे शरीर का ही एक हिस्सा है।" इसलिए, यदि कोई अपनी शर्मगाह को इस तरह स्पर्श करता है जैसे शरीर के अन्य अंगों को स्पर्श करता है, तो बात वही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शर्मगाह के अलावा शरीर के अन्य अंगों को कामवासना के साथ स्पर्श नहीं करता। ठीक इसी तरह, यदि कोई अपनी शर्मगाह को भी बिना कामवासना के स्पर्श करता है—जैसे कि वह शरीर के अन्य अंगों को स्पर्श करता है—तो वुजू आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दोनों हदीसों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

शेख अल्बानी (रह.) का कथन:

(सैय्यद साबिक़) नंबर 4 के अंतर्गत कहते हैं: अहनाफ़ (हनफी विद्वानों) की यह राय है कि निजी अंग (शर्मगाह) को छूने से वजू नहीं टूटता। इसकी दलील 'तलक़ बिन अली (रज़ि.)' की हदीस में है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम (सल्ल.) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा जिसने अपने निजी अंग को छुआ हो कि क्या उस पर वजू वाजिब है? तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया: "नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे शरीर का ही एक हिस्सा है।" (रवाह अल-ख़मसा। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान रह. ने सही कहा है)।

मैं (शेख अल्बानी) कहता हूँ कि नबी करीम (सल्ल.) का यह इरशाद कि "वह तुम्हारे शरीर का हिस्सा है," इस बात में एक सूक्ष्म (बारीक) इशारा मौजूद है कि निजी अंग को छूने से वजू न टूटने का यह हुक़म उस समय के लिए है जब उसे बिना किसी काम-इच्छा (शहवत) के छुआ गया हो। इसकी वजह यह है कि इस स्थिति में यह संभव है कि शरीर के एक अंग को दूसरे अंग को छूने से तुलना दी जा सके, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इस तरह का छूना काम-इच्छा के साथ नहीं होता।

यह बात पूरी तरह स्पष्ट है, और इस आधार पर अहनाफ़ के लिए यह हदीस दलील नहीं बनती—यानी उनके लिए जो इस बात के कायल हैं कि निजी अंग को छूने से पूर्णतः (मुलतक़न) वजू ज़रूरी नहीं होता। बल्कि यह हदीस उन लोगों पर दलात (संकेत) करती है जो यह कहते हैं कि बिना शहवत के छूना वजू तोड़ने वाला नहीं है।

बेशक, अगर कोई शहवत के साथ अपने निजी अंग को छूता है, तो 'सैय्यदा बुसरा बिनत सफ़वान' की हदीस की रोशनी में वजू टूट जाता है। लिहाज़ा, इसी आधार पर इन दोनों अहादीस (सैय्यदना तलक़ बिन अली की हदीस और सैय्यदा बुसरा बिनत सफ़वान की हदीस) के बीच तालमेल और समन्वय (ततबीक़) बिठाया जा सकता है।

इमाम इब्न तैमिया (रह.) ने भी इसी मत को अपनाया है, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया (रह.) ने अपनी कुछ किताबों में इसका जिक्र किया है, जहाँ तक मुझे याद है। वल्लाहु आलम।

(तमाम अल-मिन्ना फ़ित-तालीक़ अला फ़िक़्ह अस-सुन्ना लिल-अल्बानी, पृष्ठ: 102-103, अध्याय: वजू तोड़ने वाली चीज़ें, प्रकाशक: दारुल राया)

मूलाहज़ा (नोट):

एहतियात (सावधानी) इसमें है कि यदि गुस्ल (स्नान) के दौरान शर्मगाह को बिना किसी बाधा (कपड़े आदि) के हाथ लग जाए, तो बिना शहवत (कामुकता) के भी वजू कर लेना बेहतर है ताकि शक की स्थिति न रहे। लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि बिना आड़ (बाधा) और बिना शहवत के शर्मगाह को हाथ लग गया और नमाज़ के बाद याद आया या अतीत में ऐसी नमाज़ें पढ़ ली गई हों, तो उन नमाज़ों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ शोधकर्ताओं (इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि और शेख अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि) ने कहा है कि बिना शहवत के शर्मगाह को छूने पर, वह शरीर के अन्य अंगों की तरह ही एक अंग है और इससे वजू नहीं टूटता। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

प्रश्न 296

छोटे बच्चों और बच्चियों के गुप्त अंगों (शर्मगाह) को छूना और इसका हुक्म?

उत्तर 296

इस बात से सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को अक्सर घर की महिलाएं 'इस्तिंजा' कराती हैं (यानी उनके गुप्त अंगों को धोती हैं), उनके पेशाब-पाखाने को साफ करती हैं, उन्हें नहलाती हैं और उन्हें कपड़े पहनाती हैं। इन तमाम कामों के दौरान बच्चों के गुप्त अंगों को हाथ लगना मुमकिन है। इसलिए इस मसले में उलेमा-ए-किराम (विद्वानों) के बीच मतभेद है कि अगर छोटे बच्चों के गुप्त अंगों को हाथ लग जाए तो वजू टूटता है या नहीं।

इस विषय में विद्वानों के दो मत (कौल) हैं:

1. नंबर एक: वजू टूट जाता है।
2. नंबर दो: वजू नहीं टूटता है।

इमाम इब्ने कुदामा अल-मक्रदिसी (रहमतुल्लाह अलैहि) का कथन:

((وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذَكَرِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَسُّهُ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ))

- 1) छोटे बच्चों और बड़ों के गुप्त अंगों में कोई फर्क नहीं है। इमाम अता, इमाम शाफ़ई और अबू सौर (رحمة الله عليهم) से यही मनकूल (वर्णित) है कि चाहे छोटे हों या बड़े, किसी के भी गुप्त अंग को हाथ लग जाए तो वजू टूट जाता है।
- 2) ज़ुहरी (رحمة الله عليه) और औज़ाई (رحمة الله عليه) कहते हैं कि छोटे बच्चों के गुप्त अंग (शर्मगाह) को छूने से वजू नहीं टूटता।

क्योंकि (ज़रूरत के तहत) छोटे बच्चों के गुप्त अंग को हाथ लगाना और देखना जायज़ है।

((وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّه قَبَّلَ زَيْنَبَةَ الْحَسَنِ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَّ زَيْنَبَةَ الْحَسَنِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»))

(अल-मुगनी लिन इब्न कुदामा अल-मक्रदिसी, प्रकाशक: 1/133, 133 किताब उत-तहारत, मसअला मसहुर रजुल जकर नफ़िसही खासा अमदन, संख्या: 253)

नोट:

((رحمة الله عليه) बैहकी (رحمة الله عليه) के शब्द जईफ़ (कमज़ोर) हैं जैसा कि इमाम बैहकी ने सुनन अल-कुबरा में ज़िक्र किया है।

इमाम बैहकी (رحمة الله عليه) कहते हैं:

((فَهَذَا إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مَسَّهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ))

(सुनन अल-कुबरा लिल-बैहकी: 1/215, किताब उत-तहारत, "बाब तरकुल वजूए मिन मस्सुल फ़रजि बिज़हरिल कफ़")

इमाम इब्न हजर असक़लानी (رحمة الله عليه) ने भी इसे जईफ़ (कमज़ोर) कहा है:

(अत-तल्खीस अल-हबीर लिन इब्न हजर असक़लानी: 1/352, किताब उत-तहारत, बाबुल अहदाथ, प्रकाशक: दारुल कुतुब अल-इल्मिया)

शेख बिन बाज़ (رحمة الله عليه) का कथन:

((إِذَا غَسَلْتَ طِفْلاً وَأَنَا مَتَوَضُّئٌ، فَهَلْ يَنْتَقِضُ وَضُوءِي؟)) (نعم إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء، فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل ومن وراء الحائل فلا ينقض الوضوء . نعم . المقدم: جزاكم الله خيراً))

जी हाँ! अगर किसी ने छोटे बच्चे के गुप्त अंग को हाथ लगाया तो वजू टूट जाता है। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े, उनके गुप्त अंग को छूने से वजू टूट जाता है; अलबत्ता अगर गुप्त अंग के दरमियान कोई चीज़ हायल (परदा/रूकावट) हो तो वजू नहीं टूटता।

(नूर अल-अद-दर्ब हुक्म वजू मिन ग़सलति तिफ़लन)

(यानी कि अगर कोई यह काम दस्ताने (Hand Gloves) पहन कर या ऐसी ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करके करे तो वज़ू नहीं टूटता)।

शेख इब्न उथैमीन (رحمة الله عليه) का कथन:

((هل غسل فرج الطفل ينقض الوضوء؟ لا، يعني: مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان لشهوة))

प्रश्न	सवाल: क्या बच्चे के पेशाब-पाखाना वाली जगह यानी कि शर्मगाह को धोने से वज़ू टूट जाएगा?
उत्तर	<p>जवाब: इस सवाल के जवाब में शेख इब्न उथैमीन (रहीमहुल्लाह) कहते हैं कि बच्चे की शर्मगाह को छूने से वज़ू नहीं टूटता। यहाँ तक कि वयस्क (बालिग) इंसान की शर्मगाह को भी छूने से उस समय तक वज़ू नहीं टूटता जब तक कि उसे कामुकता (शहवत) के साथ न छुआ जाए।</p> <p>(كتاب لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين: 162/31، "تأثير مس فرج الطفل على الوضوء" - لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 1412 هـ - وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 1421 هـ [مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية])</p> <p>(स्रोत: किताब लिक्का अल-बाब अल-मफतूह, इब्न उथैमीन: 31/162, "तदुरुस्त बच्चे की शर्मगाह छूने का वज़ू पर प्रभाव")</p> <p>शेख सालेह अल-फौज़ान (हफ़िज़हुल्लाह) का कौल (कथन):</p> <p>((سؤال: ما حكم مس عورة الطفل، هل تنقض الوضوء أم لا؟))</p> <p>सवाल: बच्चे के गुप्त अंग (सतर) को छूने का क्या हुकम है, क्या इससे वज़ू टूट जाता है या नहीं?</p> <p>الجواب: مس الفرج قبلاً كان أو دبراً، ينقض الوضوء من الكبير ومن الصغير، فلا فرق (بين الكبير والصغير في هذا)</p> <p>जवाब: चाहे शर्मगाह को आगे से छुआ जाए या पीछे से, वज़ू टूट जाता है, चाहे वह बड़ा (वयस्क) हो या छोटा बच्चा। इन दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है (यानी दोनों ही सूरतों में वज़ू टूट जाएगा)।</p> <p>(مجموع فتاوى الشيخ صالح بن فوزان: 222/1، كتاب الطهارة، "مس عورة الطفل تنقض الوضوء")</p>

(स्रोत: मजमूअ फतावा अल-शेख सालेह बिन फौजान: 1/222, किताब अल-तहारह, "बच्चे की शर्मगाह छूना वजू को तोड़ देता है")

विद्वानों के निर्णय (फ़तवा)

اللجنة الدائمة

प्रश्न 297	<p>سؤال: 297 هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟</p> <p>क्या अपने छोटे बच्चे के कपड़े बदलते समय उसके निजी अंगों (औराह) को छूने से मेरा वूजू (Wudu) टूट जाता है?</p>
उत्तर 297	<p>جواب: 297 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس فرجه فليتوضأ» السؤال الخامس من الفتوى رقم ١٠٤٤٧</p> <p>तमाम प्रशंसाएँ केवल अल्लाह के लिए हैं, और उसके रसूल, उनके परिवार और साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो।</p> <p>इसके बाद: बिना किसी रुकावट (जैसे कपड़ा आदि) के सीधे निजी अंगों को छूने से वूजू टूट जाता है, चाहे वह अंग किसी छोटे बच्चे का हो या बड़े का। क्योंकि यह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से साबित है कि उन्होंने फरमाया: "जिसने अपने निजी अंग को छुआ, उसे वूजू करना चाहिए।"</p> <p>(फ़तवा संख्या 10447 का पांचवा प्रश्न)</p> <p>(अल-फ़तावा अल-लजनाह अद-दाइमा [पहला समूह]: 5/286, "वजू तोड़ने वाली चीजों का अध्याय", छोटे बच्चे के गुप्तांग को छूना", लेखक:</p> <p>वैज्ञानिक अनुसंधान और इफ़ता (फतवा जारी करने) के लिए स्थायी समिति, संकलन और व्यवस्था: अहमद बिन अब्दुल रज्जाक अद-दुवैश - प्रकाशक:</p> <p>वैज्ञानिक अनुसंधान और इफ़ता निदेशालय का प्रेसीडेंसी - सामान्य मुद्रण निदेशालय - रियाद)</p>

प्रश्न 298	क्या ऊँट का मांस खाने से वजू टूट जाता है?
उत्तर 298	<p>ऊँट का मांस खाने से वजू टूट जाता है। इस विषय में विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के दो दृष्टिकोण हैं:</p> <ol style="list-style-type: none">1. पहला दृष्टिकोण: कुछ विद्वानों का यह मत है कि ऊँट का मांस खाने से वजू टूट जाता है।

2. दूसरा दृष्टिकोण: कुछ विद्वानों का मत है कि जो चीज़ आग पर पका ली जाए, उसे खाने से वज़ू नहीं टूटता।

इमाम नववी (رحمة الله عليه) ने 'शराह मुस्लिम' में कहा है: "लेकिन यह हदीस (हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस कि 'अल्लाह के रसूल ﷺ का अंतिम कार्य यही था कि आप ﷺ आग पर पकी हुई चीज़ के खाने से वज़ू नहीं करते थे') सामान्य (عام) है, और ऊँट का मांस खाने पर वज़ू करने की हदीस विशेष (خاص) है। और विशेष, सामान्य पर प्राथमिकता रखता है। यह उस सिद्धांत (اصول) पर आधारित है कि सामान्य हुक्म की बुनियाद दरअसल विशेष हुक्म पर रखी जाती है।" इमाम शाफ़ई (رحمة الله عليه) और कुछ उसूलियों के निकट यही दृष्टिकोण है और यही सत्य है। (नील अल-अवतार लिल-शौकानी: 1/253, अबवाब नवाकिज़ अल-वज़ू - बाब अल-वज़ू मिन लुहूम अल-इबिल, प्रकाशक: दारुल हदीस, मिस्र)

निष्कर्ष (खुलासा-ए-कलाम): ऊँट का मांस खाने से वज़ू टूट जाता है, इसलिए ऊँट का मांस खाने के बाद शरीयत के अनुसार वज़ू करना अनिवार्य है। यानी वह वज़ू जो नमाज़ के लिए किया जाता है, वैसा वज़ू करना ज़रूरी है, जैसा कि सैय्यदना जाबिर बिन समुरा (رضى الله عنه) और सैय्यदना बरा बिन आज़िब (رضى الله عنه) की हदीस में इसका हुक्म मौजूद है। इमाम अहमद, इमाम इसहाक इब्न राहवेह और अहल-ए-हदीस विद्वानों के अनुसार ऊँट का मांस खाकर वज़ू करना फ़र्ज़ है, ताकि इंसान की तंत्रिकाएं (नर्वस सिस्टम) शांत रहें और नमाज़ में एकाग्रता में कोई बाधा न आए।

प्रश्न 299	किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता?
उत्तर 299	<p>जो चीज़ें 'नवाकिज़' (वज़ू तोड़ने वाली) में शामिल नहीं हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इमाम इब्न तैमिया और शेख अल्बानी (رحمة الله عليهما) के अनुसार, बिना शहवत (कामुकता) के शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता। 2. स्त्री को छूने से, बशर्ते कि वीर्यपात (इन्ज़ाल) न हुआ हो। 3. आगे या पीछे की शर्मगाह के अलावा शरीर के किसी और हिस्से से किसी चीज़ का निकलना, जैसे: ज़ख्म, पीप, खून, नकसीर (नाक से खून) या हिजामा का खून। 4. हल्की नींद से वज़ू नहीं टूटता। [शेख इब्न बाज़ और शेख इब्न उसैमीन (رحمة الله عليهما)] 5. हदस (वज़ू टूटने) में शक हो। (नियम है: 'यकीन शक से खत्म नहीं होता')। 6. पेशाब के कतरे का अहसास हो लेकिन यकीन न हो। 7. बाल काटना, नाखून तराशना या मोज़े/जुराबें उतारना। 8. 'हदस-ए-दायम' (लगातार बीमारी की स्थिति में वज़ू टूटने वाली चीज़ निकलना) का शिकार होने के बाद वज़ू के दौरान कुछ हो जाए, तो वज़ू नहीं टूटता (एक नमाज़ के वक्त के भीतर)। 9. उबला हुआ अंडा या आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू नहीं टूटता, हालांकि वज़ू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है, वाजिब (ज़रूरी) नहीं।

	<p>10. मय्यत (शव) को गुस्ल देने से वजू नहीं टूटता, अलबत्ता मुस्तहब है।</p> <p>11. नमाज़ में कहकहा (ज़ोर से हंसना) लगाने से वजू नहीं टूटता। (इससे संबंधित हदीस ज़ईफ़/कमज़ोर है)।</p> <p>12. झूठ बोलने, गाली देने या गाना गाने से वजू नहीं टूटता, हालांकि ये कबीरा (बड़े) गुनाह हैं और इनसे बचना अनिवार्य है।</p>
--	---

प्रश्न 301	क्या खून निकलने से वजू टूट जाता है?
उत्तर 301	<p>इस मसले (विषय) में विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के बीच मतभेद है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • विद्वानों का एक बड़ा समूह (जमहूर उलेमा) कहता है कि खून चाहे ज़्यादा निकले या कम, इससे वजू नहीं टूटता। • कुछ विद्वान कहते हैं कि खून निकलने से वजू टूट जाता है। • कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि खून ज़्यादा मात्रा में निकले तो बेहतर है कि वजू कर लिया जाए।

प्रश्न 302	संक्षेप में बात (निष्कर्ष) स्पष्ट करें?
उत्तर 302	<p>कुछ विद्वान (उलेमा-ए-किराम) इस बात के कायल हैं कि रक्त बहने से वजू टूट जाता है। उनकी दलील यह हदीस है: उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि अबू हुबैश की बेटी, जिनका नाम फातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) था, वह अल्लाह के रसूल ﷺ की सेवा में उपस्थित हुईं और उन्होंने कहा कि मुझे 'इस्तिहाज़ा' (असामान्य रक्तस्राव) की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं पाक नहीं रहती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ?</p> <p>((لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أُدْبِرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، قَالَ: وَقَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّىٰ يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ))</p> <p>((नबी ﷺ ने फरमाया: नहीं, यह मात्र एक रग (नस) का खून है और यह हैज़ (मासिक धर्म) नहीं है। इसलिए जब तुम्हें हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दो, और जब वे (हैज़ के) दिन बीत जाएँ तो अपने (शरीर और कपड़ों) से खून धो डालो और फिर नमाज़ पढ़ो। हिशाम कहते हैं कि मेरे पिता उरवा ने कहा कि नबी करीम ﷺ ने यह (भी) फरमाया कि फिर हर नमाज़ के लिए वजू करो यहाँ तक कि वही (हैज़ का) समय फिर से आ जाए।))</p> <p>(सहीह बुखारी: 228)</p> <p>वे विद्वान जो खून निकलने की वजह से वजू टूट जाने के कायल हैं, वे कहते हैं कि नबी करीम ﷺ ने वजू के अनिवार्य होने के लिए 'इस्तिहाज़ा' के संदर्भ में यह कारण (इल्लत) बयान फरमाया है कि "यह एक रग (नस) का खून है।" अतः हर खून इसी प्रकार का होता है और हर खून का संबंध रग से ही होता है, इसलिए जब भी खून निकले तो उस पर यह अनिवार्य है कि वह नया वजू करो।</p>

नोट:

शरीर में सारा खून रगों में ही होता है। 'इस्तिहाजा' के खून पर वज्र का हुकम इसलिए नहीं है कि वह रग का खून है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसका निकास द्वार 'सबीलैन' (मूत्र या मल मार्ग) है। 'सबीलैन' के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से निकलने वाले खून को 'इस्तिहाजा' के खून पर कयास (तुलना) करना "कयास मअल फारीक" (गलत तुलना) है, बल्कि यह एक भ्रांति है।

अधिकांश विद्वान यह कहते हैं कि 'सबीलैन' (मल-मूत्र मार्ग) के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकलने से वज्र नहीं टूटता। इसके लिए वे निम्नलिखित दलील कुरान मजीद से पेश करते हैं जिसमें अल्लाह तआला फरमाता है:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع (الشبكة الإسلامية)

"और यदि तुम बीमार हो या यात्रा पर हो या तुममें से कोई शौच (शौचालय) से आया हो या तुमने स्त्रियों को छुआ हो और तुम्हें पानी न मिले, तो पवित्र मिट्टी से तयम्मूम कर लो।"

(सूरह अल-मा'इदह, सूरह नंबर 5, आयत नंबर: 6)

"हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, या तुम में से कोई शौच (हाजत) से फारिग होकर आया हो, या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी न मिले, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मूम कर लो।"

उपरोक्त सभी हदीसों और आथार (निशानियों/कथनों) से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खून निकलने से वज्र नहीं टूटता है, चाहे खून शरीर के किसी भी हिस्से से निकले; चाहे गले से निकले, मसूड़ों से निकले, हिजामा करवाने से निकले, या किसी चोट लगने की वजह से खून निकले, या जख्म से खून निकले, या फोड़े-फुंसी के फूट जाने से खून निकले। इसी तरह चाहे खून ज्यादा मात्रा में निकले या कम मात्रा में, संक्षेप में (अल-गरज) वे तमाम चीजें जिनकी वजह से खून निकलता है, उनसे वज्र नहीं टूटता।

और इस विषय से संबंधित जो रिवायतें पेश की जाती हैं, वे सभी रिवायतें जईफ़ (कमज़ोर) हैं। और इस बात पर उलेमा-ए-किराम का इत्तेफ़ाक (सहमति) है कि जईफ़ रिवायतें दलील (हुज्जत) के तौर पर स्वीकार्य नहीं होतीं। चुनाँचे, उलेमा-ए-किराम का बहुमत (जमहूर) खून बहने से वज्र टूटने का कायल नहीं है। इसके विपरीत, सही हदीसों से यह बात साबित होती है कि सहाबा-ए-किराम ने उस समय भी नमाज़ अदा की जब उनके शरीर से खून बह रहा था। अतः इस मसले में उलेमा-ए-किराम का बहुमत (जमहूर) वाला पक्ष ही प्रबल (राजिह) है।

प्रश्न 303

क्या कै (उल्टी) और नकसीर (नाक से खून बहना) से वज्र टूट जाता है?

<p>उत्तर 303</p>	<p>उल्टी करने और नकसीर फूट जाने से वज़ू टूटता है या नहीं, इस मसले में उलेमा-ए-किराम (विद्वानों) के बीच मतभेद है। कुछ उलेमा कहते हैं कि वज़ू टूट जाता है और कुछ उलेमा कहते हैं कि वज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता वज़ू कर लेना बेहतर है।</p> <p>शेख इब्ने उरयमीन (رحمة الله عليه) का कौल (कथन):</p> <p>सही कौल (कथन) यह है कि शरीर से निकलने वाली हर चीज़ से वज़ू नहीं टूटता। न उल्टी से वज़ू टूटता है और न ही खून निकलने से वज़ू टूटता है। पेशाब और पाखाने के रास्तों के अलावा शरीर के किसी और हिस्से से कुछ भी निकले तो वज़ू नहीं टूटता। जो चीज़ पेशाब और पाखाने के रास्तों से निकले, केवल उसी से वज़ू टूटता है; यही कौल प्रबल (राजिह) है।</p> <p>(لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين: 86/29، لقاء الباب المفتوح [86] "حكم الوضوء من القيء")</p> <p>(लिक्रा अल-बाब अल-मफ्तुह, इब्ने उरयमीन: 29/86, लिक्रा अल-बाब अल-मफ्तुह [86] "हुकम अल-वज़ू मिन अल-कै")</p> <p>किताब का स्रोत: दरूस सौतिया - मक्के अल-शबका अल-इस्लामिया (मजलिसें - अल-शबका अल-इस्लामिया वेबसाइट द्वारा प्रतिलेखन)</p>
------------------	---

<p>प्रश्न 304</p>	<p>क्या कै (वमन/उल्टी) करने से वज़ू टूट जाता है?</p>
<p>उत्तर 304</p>	<p>कै करने के बाद या नकसीर (नाक से खून बहना) फूटने के बाद वज़ू के मसले में इमाम मालिक और इमाम शाफी का मौकिफ (पक्ष/राय) राजिह (प्रमुख/सही) है। यानी कै और नकसीर की वजह से वज़ू लाज़िम (अनिवार्य) नहीं है, क्योंकि इस बारे में जिन रिवायतों (हदीसों) को दलील के तौर पर पेश किया जाता है, वे रिवायत जईफ़ (कमज़ोर) हैं, लिहाज़ा जईफ़ रिवायतें दलील के काबिल नहीं होतीं।</p> <p>चुनांचे यह बात स्पष्ट हो गई कि कै करने के बाद वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता, हदीस-ए-मादान बिन अबी तल्हा जो कि अबू दरदा से है, उसके मुताबिक कै करने के बाद वज़ू करना मुस्तहब (बेहतर/पसंदीदा) है, क्योंकि इस हदीस में नबी करीम ﷺ के अमल का जिक्र किया गया है और इस हदीस को शेख अल्बानी ने "सही" करार दिया है।</p> <p>इसी आधार पर कै करने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है। जैसा कि इमाम इब्ने तैमिया ने कै के बाद वज़ू करने को मुस्तहब कहा है और शेख बिन बाज़ कहते हैं कि कै करने के बाद एहतियातन वज़ू करना चाहिए। और शेख अल्बानी भी कै के बाद वज़ू करने को मुस्तहब कहते हैं और यही मौकिफ राजिह (प्रबल) है, इसका जिक्र ऊपर हो चुका है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

<p>प्रश्न 305</p>	<p>क्या औरत (बीवी) को छूने या बोसा (चुंबन) लेने से वज़ू टूट जाता है?</p>
-------------------	--

इस मसले में चार दृष्टिकोण (موقف) पाए जाते हैं:

1. पहला दृष्टिकोण: यह है कि औरत को छूने से वज्र नहीं टूटता।
2. दूसरा दृष्टिकोण: यह है कि औरत को छूने से वज्र टूट जाता है।
3. तीसरा दृष्टिकोण: यह है कि शहवत (कामुकता) से छूने या बोसा लेने से वज्र टूट जाता है।
4. चौथा दृष्टिकोण: यह है कि शहवत से छूने या बोसा लेने से वज्र नहीं टूटता, अलबत्ता अगर 'मज़ी' (pre-seminal fluid) निकल जाए तो उससे वज्र फ़र्ज़ (अनिवार्य) हो जाता है। (यही प्रबल/सही मत है)

विस्तृत व्याख्या:

इमाम मालिक (रह.) और उनके साथी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा (ख्वाहिश) के साथ लज्जत महसूस करते हुए अपनी बीवी को छुएगा, तो उस पर वज्र लाज़िम है; और अगर बिना शहवत के हो तो उस पर वज्र नहीं है। इमाम अहमद (रह.) और इसहाक इब्न राहवैह (रह.) भी इसी के कायल (समर्थक) हैं।

अलबत्ता, इमाम शाफ़ई (रह.) कहते हैं कि अगर मर्द अपनी बीवी को चाहे शहवत से छुए या बिना शहवत के छुए, दोनों स्थितियों में वज्र टूट जाता है।

इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का यह कहना है कि औरत को छूने से वज्र नहीं टूटता। उनकी दलील (प्रमाण) 'हदीस-ए-आयशा' है और यह हदीस प्रमाणित (ثابت) है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 'सुनन अबू दाऊद' में कहा है और इमाम इब्न हजर असकलानी (रह.) ने 'अत-तल्खीस' में इसी बात को उद्धृत किया है।

(सूरह अल-निसा: 43): ﴿أَوْ لَأَمْسَنْتُمُ النِّسَاءَ﴾

इमाम शाफ़ई (रह.) ने इसका 'जाहिरी' (शाब्दिक) अर्थ लिया है और यह अर्थ भी सही है, लेकिन सल्फ (पूर्वज) और खलफ़ (बाद के विद्वान) में से अधिकांश ने 'लामस्तुम' से मुराद 'जमा' (संभोग) लिया है। इन विद्वानों का कहना है कि कुरान मजीद और हदीसों में जहाँ कहीं भी इस तरह के शब्द व्यक्त किए गए हैं, वहाँ उसका अर्थ शहवत (कामुकता) लिया गया है। जैसा कि अल्लाह तआला ने एतिकाफ़ वाली आयत में इरशाद फरमाया:

(सूरह अल-बकरा: 187) ﴿وَلَا تَبَاسِطُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"और उन औरतों से उस वक्त मुबाशरत (शारीरिक संबंध) न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में हो।"

एतिकाफ़ के दौरान मुअतकिफ़ (एतिकाफ़ करने वाले) को शहवत के साथ संभोग करने से रोका गया है और अगर कोई एतिकाफ़ के दौरान अपनी बीवी को (साधारण रूप से) छूता है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा उस समय छूना हराम है जब वह शहवत के साथ हो।

इसी तरह यह पाबंदी उस समय और भी अधिक सख्त हो जाती है जब एक व्यक्ति 'एहराम' की हालत में हो; इस हालत में अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी के साथ संभोग करता है तो यह नाजायज है और इस पर उसे कफ़ारा अदा करना पड़ेगा।

	<p>राजह (راجح) - सबसे प्रबल और सही मत):</p> <p>अतः औरतों को छूने वाले मसले में यह बात बहुत स्पष्ट है कि सहाबा किराम (रज़ि.) में से किसी से भी यह बात वर्णित (मर्वी) नहीं है कि उन्होंने अपनी बीवियों को हाथ लगाया हो और उसके बाद वज़ू किया हो। ऐसी कोई भी बात हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है और न ही सहाबा किराम (रज़ि.) में से किसी एक सहाबी ने इस तरह की कोई बात नबी करीम ﷺ से नकल की है।</p> <p>अतः औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता, यहाँ तक कि अगर शहवत के साथ छुए तब भी वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता छूने वाले को अगर 'मज़ी' निकल जाए, तो उस स्थिति में वज़ू टूट जाता है और मज़ी निकलने पर वज़ू फ़र्ज़ है।</p> <p>मज़ी निकलने के लिए छूना अनिवार्य नहीं है; कुछ लोगों को औरत को छुए बिना भी मज़ी निकल जाती है। लिहाजा मज़ी निकलने पर वज़ू फ़र्ज़ है, लेकिन औरत को छूने पर वज़ू फ़र्ज़ नहीं है, चाहे शहवत से ही क्यों न छुए तब भी वज़ू नहीं टूटता। यही दृष्टिकोण (موقف) राजह (प्रबल) है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>
--	---

प्रश्न 306	क्या जनाज़े (अर्थी) को कंधा देने से वज़ू टूट जाता है?
उत्तर 306	<p>जनाज़े को कंधा देने के बाद वज़ू करने के मसले (विषय) में दो मरफू अहादीस (वे हदीसें जो सीधे पैगंबर मुहम्मद ﷺ से संबंधित हैं) मिलती हैं। इन दोनों अहादीस की सनद (प्रमाणिकता की कड़ी) सही है और अन्य सहाबा किराम (पैगंबर के साथियों) के कथनों से यह बात और भी अधिक पुख्ता हो जाती है कि जनाज़े को कंधा देने के बाद वज़ू करना मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) है।</p> <p>हालाँकि, जो लोग इस मसले में वज़ू को फ़र्ज़ (अनिवार्य) करार देते हैं, उनकी यह बात सही नहीं है। जिन अहादीस में वज़ू की मनाही (नफ़ी) का उल्लेख है, वह 'फ़र्ज़ वज़ू' के संदर्भ में है, न कि 'मुस्तहब वज़ू' के लिए। इसलिए, जो कोई भी जनाज़े को कंधा देगा, उस पर वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है। और यदि कोई इस अवसर पर वज़ू नहीं करता है, तो उस पर कोई गुनाह (पाप) नहीं है।</p> <p>वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

प्रश्न 307	क्या ठहाका मारकर (ज़ोर से) हंसने से वज़ू टूट जाता है?
उत्तर 307	<p>नोट: इस बात पर तमाम विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) का इत्तेफ़ाक (सहमति) है कि ठहाका मारकर हंसने से नमाज़ खराब (फ़ासिद) हो जाती है, लेकिन ठहाका मारकर हंसने से वज़ू टूटने या न टूटने पर विद्वानों के बीच मतभेद है।</p> <p>ठहाका मारकर हंसने से वज़ू टूटता है या नहीं, इस मसले में विद्वानों के दो रुख पाए जाते हैं: पहला रुख यह है कि वज़ू टूट जाता है, और दूसरा रुख यह है कि वज़ू नहीं टूटता।</p>

कुछ लोग कहते हैं कि नमाज़ के दौरान ठहाका मारकर हंसने से वजू टूट जाता है और नमाज़ के बाहर वजू नहीं टूटता। जो लोग वजू टूटने के कायल (पक्षधर) हैं, वे उन हदीसों को बतौर दलील (प्रमाण) पेश करते हैं जो जईफ़ (कमज़ोर) हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत है।

निष्कर्ष (खुलासा-ए-कलाम) यह है कि चाहे नमाज़ के अंदर हो या नमाज़ के बाहर, इन दोनों स्थितियों में अगर कोई ठहाका मारकर हंसता है, तो उसका वजू नहीं टूटता। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति नमाज़ की हालत में ठहाका मारकर हंसता है, तो उसे अपनी नमाज़ दोहरानी होगी, लेकिन वजू दोहराने की ज़रूरत नहीं है।

सही हदीसों और अधिकांश विद्वानों (जमहूर उलेमा-ए-किराम) का यही रुख है कि ठहाका मारकर हंसने से वजू नहीं टूटता। अतः यही रुख सही और दुरुस्त है क्योंकि ठहाका मारकर हंसने से वजू टूटने की कोई भी दलील किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए किसी भी मसले में कुरान और हदीस से दलील मिलना अनिवार्य है और प्रामाणिक (राजेह) रुख के लिए सबूत ज़रूरी है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

प्रश्न 308	किन कार्यों के लिए वजू (Wudu) वाजिब (अनिवार्य) है?
उत्तर 308	<ul style="list-style-type: none"> • नमाज़, चाहे फर्ज हो या नफ़ल। • बैतुल्लाह (काबा) का तवाफ़। • मुसहफ़ छूना (कुरान को स्पर्श करना)।

प्रश्न 309	वजू के लिए मशरूअ (मुस्तहब/पसंदीदा) अवसर कौन से हैं?
उत्तर 309	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिक्र करने के लिए (इसमें अज़ान देना भी शामिल है)। 2. हर नमाज़ के लिए ताज़ा वजू करना मुस्तहब है। 3. मय्यत (शव) उठाने के बाद। 4. जब भी वजू टूट जाए। 5. कै (Vomiting/उल्टी) होने के बाद। 6. तवाफ़ के लिए। 7. गुस्ल (स्नान) से पहले। 8. बिना छुए कुरान की तिलावत (पाठ) करने के लिए। 9. मुसहफ़ को छूना (कुरान को स्पर्श करना)। 10. छोटा बच्चा जो समझदार न हुआ हो, उसके लिए केवल शिक्षा में आसानी के लिए विद्वानों ने कहा है कि वजू शर्त नहीं है, बल्कि (बिना वजू) जायज़ है। 11. सोने से पहले वजू करना मसनून (मुन्नत) है।

	<p>12. जुनुबी (अशुद्ध अवस्था वाले व्यक्ति) के लिए खाने-पीने और सोते समय वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) है।</p> <p>13. दोबारा संभोग (हमिबिस्तरी) से पहले वजू करना मुस्तहब है।</p>
--	--

प्रश्न 310	क्या हर नमाज़ के लिए नया वजू करना वाजिब (अनिवार्य) है या मुस्तहब (पसंदीदा/ऐच्छिक)?
उत्तर 310	<p>अशुद्धि (हदस) होने या वजू टूट जाने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए वजू करना फर्ज (अनिवार्य) है।</p> <p>नोट:</p> <p>कुछ विद्वानों ने बिना वजू टूटे (बिना हदस के) दोबारा वजू करने को नापसंद किया है, क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी और समय का नुकसान होता है। इसलिए, सभी विद्वानों का इस बात पर इत्तेफाक (सहमति) है कि नमाज़ से पहले वजू केवल उसी व्यक्ति पर फर्ज है जो बे-वजू (बिना वजू के) हो। अगर कोई व्यक्ति पहले से वजू में है, तो उस पर दोबारा वजू करना फर्ज नहीं है।</p> <p>विद्वान यह भी कहते हैं कि ताज़ा वजू इंसान के अंदर चुस्ती और ताज़गी पैदा करता है और यह गुनाहों की माफ़ि का ज़रिया भी है और सवाब (पुण्य) का काम है। अलबत्ता, यह फर्ज नहीं है क्योंकि नबी करीम ﷺ की मौजूदगी में सहाबा इकराम एक ही वजू से कई नमाज़ें पढ़ लिया करते थे, जब तक कि उनका वजू न टूट जाए या कोई हाजत (ज़रूरत) पेश न आए।</p> <p>नबी करीम ﷺ के अमल से भी यही साबित है कि आपने ﷺ ने एक वजू से कई नमाज़ें अदा फ़रमाईं। इसकी सबसे बड़ी दलील 'फतेह-ए-मक्का' (मक्का विजय) की घटना है (हदीस: सहीह मुस्लिम: 277 [642]), जिसमें आपने ﷺ ने एक ही वजू से कई नमाज़ें पढ़ी थीं।</p> <p>इन तमाम प्रमाणों से तीन बातें सामने आती हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जो व्यक्ति पहले से वजू में है, उस पर (दोबारा) वजू करना फर्ज नहीं है। इस मसले पर सबकी सहमति है। हालांकि, सफ़ाई और सवाब की नीयत से वजू करना जायज़ है। 2. जो व्यक्ति पहले से वजू में है, उस पर (नया) वजू करना फर्ज नहीं है। 3. हमेशा वजू की हालत में रहना सबसे बेहतरीन और मुस्तहब (पसंदीदा) अमल है, लेकिन यह फर्ज नहीं है। इसलिए, जो चीज़ फर्ज नहीं है, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देना सही नहीं है। <p>वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

प्रश्न 311	क्या दोबारा संभोग (जिमा) करने के लिए वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है?
------------	---

<p>उत्तर 311</p>	<p>सैयदना अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फरमाया: "जब तुम में से कोई अपनी पत्नी से संभोग कर ले और फिर दोबारा करना चाहे, तो उसे वजू कर लेना चाहिए" (हफ्स बिन गयास से रिवायत करने वाले) अबू बक्र ने अपनी हदीस में यह इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) किया है: "दोनों बार के बीच में वजू कर लो" साथ ही उन्होंने 'अन यऊद' (फिर से) के बजाय 'अन युआविद' (दोबारा) के शब्द इस्तेमाल किए हैं।</p> <p>(सहीह मुस्लिम: 308 [707])</p> <p>विद्वानों का मत:</p> <p>जमहूर उलेमा-ए-किराम (विद्वानों का बहुमत) कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दोबारा संभोग करने का इरादा करता है, तो दोबारा संभोग से पहले वजू करने का हुक्म इस्तेहबाब (पसंदीदा/बेहतर होने) के लिए है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा संभोग से पहले वजू नहीं करता है, तो वह गुनहगार नहीं कहलाएगा।</p> <p>चूंकि हदीस नंबर दो के अनुसार, दोबारा संभोग से पहले वजू करना इंसान में चुस्ती और स्फूर्ति का कारण बनता है, इसलिए वजू करना मुस्तहब और अफज़ल (श्रेष्ठ) है।</p> <p>वल्लाहू आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>
------------------	--

<p>प्रश्न 312</p>	<p>क्या संभोग (सहवास) के बाद सोने से पहले वुजू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है?</p>
<p>उत्तर 312</p>	<p>इस मसले में हमें दोनों तरह की अहादीस (हदीसें) मिलती हैं। यानी यह कि नबी करीम ﷺ ने हालत-ए-जनाबत (अशुद्धि की अवस्था) में वुजू फरमाया और फिर सोए, और दूसरी तरफ यह हदीस भी मिलती है कि आप ﷺ बगैर वुजू के सो गए।</p> <p>लिहाज़ा, जुनुबी व्यक्ति (जिसे गुस्ल की ज़रूरत हो) के बारे में यह कहना कि उसकी वजह से घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, तो यह बात गलत है। और अगर इस हदीस की सनद (शृंखला) को 'हसन' (या 'हसन लि-गैरिही') मान लिया जाए, तो इसका यह अर्थ होगा कि अगर कोई व्यक्ति जनाबत की हालत में बहुत ज़्यादा समय गुज़ारता है, बहुत देर तक बिना गुस्ल के रहता है, सुस्ती और काहिली का प्रदर्शन करता है और इस वजह से उसकी नमाज़ें भी छूट जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यही कहा जाएगा कि जनाबत की हालत में ज़्यादा देर तक रहना सही नहीं है।</p> <p>इसी आधार पर यह हुक्म दिया गया कि कम से कम सोने से पहले वुजू कर लें। हालाँकि वह हदीस भी ज़ईफ़ (कमज़ोर) है जिसके रावी (वर्णनकर्ता) सैयदना शदाद बिन औस (रज़ियल्लाहु अन्हु) हैं। वह कहते हैं: अबू क़िलाबा कहते हैं कि सैयदना शदाद बिन औस (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रात को जनाबत की हालत में हो और अगर वह सोना चाहे, तो उसे चाहिए कि वह वुजू कर ले, इससे उसे 'आधी तहारत' (आधी शुद्धि) प्राप्त हो जाएगी। (मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा: 2/133, किताबुत तहारत, "फ़िल जुनुब युरीदु अन याकुला औ यनामा" हदीस नंबर: 668)</p>

	<p>विद्वान (उलमा-ए-किराम) कहते हैं कि इस हुक्म में गुंजाइश (छूट) रखी गई है, इसीलिए इसे 'वाजिब' (अनिवार्य) करार नहीं दिया गया। अतः यह एक मुस्तहब (पसंदीदा) कार्य माना जाता है।</p> <p>निष्कर्ष: सबसे बेहतर तरीका यही है कि जनाबत की हालत में सोने से पहले वुजू करना 'अफ़ज़ल' (श्रेष्ठ) है। यह हुक्म उस समय के लिए है जब कोई जनाबत के बाद (तुरंत) गुस्ल न कर सके, तो उसे कम से कम नमाज़ जैसा वुजू कर लेना चाहिए। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>
--	--

प्रश्न 313	क्या हालत-ए-जनाबत (अशुद्धि की अवस्था) में खाने-पीने से पहले वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) है?
उत्तर 313	<p>उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं: "जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हालत-ए-जनाबत में होते और खाना या सोना चाहते, तो आप नमाज़ की तरह वजू कर लिया करते थे।" (सहीह मुस्लिम: 305 [700])</p> <p>हालत-ए-जनाबत में खाने और पीने से पहले वजू करना मुस्तहब है। विद्वानों का कहना है कि इस मामले में लचीलापन (गुंजाइश) रखा गया है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति वजू नहीं करता और केवल हाथ धो लेता है, तो वह भी पर्याप्त है। हालाँकि, इस अवसर पर वजू करना मुस्तहब माना गया है। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

प्रश्न 314	क्या गुस्ल (स्नान) से पहले वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) है?
उत्तर 314	<p>सामान्य रूप से गुस्ल में सभी प्रकार के गुस्ल शामिल हैं, जैसे: गुस्ल-ए-जनाबत, गुस्ल-ए-हैज़ व निफ़ास और जुमे का गुस्ल।</p> <p>सामान्य तौर पर हर गुस्ल से पहले वजू करने के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान गुस्ल से पहले वजू करने को 'मुस्तहब' कहते हैं, कुछ 'सुन्नत' कहते हैं और कुछ इस वजू को 'फ़र्ज़' (अनिवार्य) में भी गिनते हैं।</p> <p>गुस्ल से पहले वजू के मसले में इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) यह कहते हैं कि गुस्ल से पहले वजू करना मुस्तहब है। इमाम मालिक (रह.) और इमाम दाऊद ज़ाहिरी (रह.) इसे फ़र्ज़ मानते हैं, लेकिन किसी भी हदीस की दलील से इसका 'वाजिब' (अनिवार्य) होना साबित नहीं है। अलबत्ता, विद्वान कहते हैं कि यह सुन्नत है, इसलिए गुस्ल से पहले वजू करना मुस्तहब है, जैसा कि इमाम इब्न बत्ताल (रह.) ने इसके मुस्तहब होने पर इजमा (सहमति) नक़ल किया है। इस बारे में 'फ़तह-अल-बारी' का हवाला ऊपर गुज़र चुका है।</p> <p>इस मसले में यह कहना भी सही है कि गुस्ल से पहले वजू करना न केवल जायज़ है बल्कि मुस्तहब है, जैसा कि इमाम बुखारी (रह.) ने इस पर एक अध्याय (बाब) स्थापित किया है, जिससे यह बात ज्ञात होती है कि गुस्ल से पहले वजू करना शरीयत के अनुकूल है। नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) गुस्ल से पहले वजू</p>

फ़रमाया करते थे, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (रज़िअल्लाहु अन्हा) की हदीस में इस बात की स्पष्टता मौजूद है।

अतः इस बात से यह साबित होता है कि गुस्ल से पहले वज़ू करना सुन्नत से प्रमाणित है, हालांकि इसके अनिवार्य (वाजिब) होने में मतभेद है।

वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

नोट:

प्रचलित और सही मत (view) यही है कि कोई भी गुस्ल (स्नान) जो वाजिब (अनिवार्य) या फर्ज़ हो, वह बिना वज़ू (wudu) के भी किया जा सकता है, क्योंकि यह सुन्नत से साबित है और अल्लाह का कलाम (कुरान) भी इसकी पुष्टि करता है: "और यदि तुम नापाक (जुनुब) हो, तो अच्छी तरह पाक हो जाओ (पूरा शरीर धो लो)।" (सूरह अल-मायदा, 5:6)

नोट:

दलीलों (साक्ष्यों) के आधार पर दोनों मतों में बल पाया जाता है, इसलिए एहतियात (सावधानी) इसी में है कि व्यक्ति गुस्ल से पहले वज़ू कर ले और यही अफज़ल (बेहतर) है जैसा कि शेख बिन बाज़ ने कहा है, वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

नोट:

स्पष्ट हुक्म मौजूद नहीं है, इसलिए इसे 'वाजिब' (अनिवार्य) करार देना निश्चित तौर पर कठिन है। 'उसूले फिक्ह' (न्यायशास्त्र के सिद्धांत) का एक नियम है जिसका उल्लेख इब्न रुश्द ने अपनी किताब 'बिदायातुल मुज्ताहिद' में कई स्थानों पर किया है कि: "(العمل لا يوجب)" मात्र कर्म अनिवार्य नहीं करता", क्योंकि किसी चीज़ को अनिवार्य (वाजिब) करने के लिए स्पष्ट शाब्दिक/मौखिक आदेश (क्रौली हुक्म) होना चाहिए। जहाँ तक पाक-साफ रहने और सुन्नत पर अमल करने की बात है, तो शेख बिन बाज़ का जवाब यह है:

"यदि गुस्ल, जनाबत (अपवित्रता) के कारण किया जा रहा हो और गुस्ल करने वाला व्यक्ति छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की नापाकी (अपवित्रता) दूर करने का इरादा रखता हो, तो दोनों के लिए (सिर्फ) गुस्ल कर लेना पर्याप्त है। लेकिन उसके लिए बेहतर यही है कि वह (पहले) अपने निजी अंगों को धोए, फिर वज़ू करे, फिर पूरा गुस्ल करे। नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नत पर अमल करना ही अफज़ल (सबसे उत्तम) है। यही नियम महिलाओं के लिए भी माहवारी (हैज़) और प्रसव (निफ़ास) के बाद होने वाले गुस्ल पर लागू होता है।"

(मज्मूअ फ़तावा व मकालात मुतनव्विआ, इब्न बाज़: 10/173, 'बाब अल-गुस्ल', लेख: क्या जनाबत आदि का गुस्ल वज़ू की जगह काफी है? प्रकाशक: अल-इफ़ता, सऊदी अरब)

उत्तर 315

सैयदना बराअ बिन आजिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया: "जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो उसी तरह वजू करो जिस तरह नमाज़ के लिए करते हो। फिर दाईं करवट पर लेट कर इस तरह कहो:

اللَّهُمَّ اسَلِّمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ،
لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"ऐ अल्लाह! मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। मैंने तेरे सवाब की उम्मीद और तेरे अज़ाब के डर से तुझे ही अपनी ढाल (सहारा) बना लिया, तेरे सिवा कहीं पनाह और निजात की जगह नहीं। ऐ अल्लाह! जो किताब तूने नाज़िल की मैं उस पर ईमान लाया, और जिस नबी को तूने भेजा मैं उन पर ईमान लाया।"

तो अगर तू इस हालत में इसी रात मर गया तो फ़ितरत (ईमान) पर मरेगा, और इस दुआ को अपनी सब बातों के आखिर में पढ़ (यानी यह सोते समय तुम्हारी आखिरी बात हो)।

बराअ (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि जब मैंने रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सामने इस दुआ को दोबारा पढ़ा, तो जब मैं:

"اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ"

पर पहुँचा तो मैंने (क्या जगह) "وَرَسُولِكَ" (का लफज़) कह दिया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "नहीं (ऐसे नहीं कहो बल्कि), 'وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ', कहो।"

(सहीह बुखारी: 247, सहीह मुस्लिम: 2711 [6887])

प्रश्न 316

क्या सोने के लिए वजू के बजाय सिर्फ हाथ-मुँह धो लेना काफी है?

उत्तर 316

सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं कि: "मैं एक रात (अपनी खाला) मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) के घर सोया, तो नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उठे और अपनी ज़रूरी हाज़त (शौच आदि) से फारिग हुए, फिर अपना चेहरा धोया, फिर अपने दोनों हाथ धोए और फिर सो गए।"

(सहीह बुखारी: 6316, और सहीह मुस्लिम: 763 [1788])

विस्तृत व्याख्या

जब भी हम सोने का इरादा करें, तो नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की यह सुन्नत है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पहले वजू करते फिर सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते।

علماء كرام (विद्वानों) ने इसके अनगिनत फायदे और हिक्मतें (तर्क) बताई हैं, जैसे कि:

- अच्छे ख्वाबों का आना।

- वजू के साथ सोने की वजह से शैतान के शर (बुराई) से महफूज रहना।

हालाँकि यह बात भी सही है कि जब कोई लेट कर सोता है तो उसका वजू टूट जाता है, लेकिन यहाँ सोने वाले की नीयत यह होती है कि वह बा-वजू (वजू की हालत में) सोए, ताकि:

1. अगर नींद की हालत में मौत आ जाए, तो उसकी नीयत के मुताबिक वह ईमान और वजू की हालत में मरने वाला कहलाएगा।
2. और अगर वह नींद से जाग गया, तो वह अन्न-ओ-सवाब (पुण्य) का हकदार होगा।

निष्कर्ष:

लिहाजा, वजू करके सोना सुन्नत से साबित है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अलबत्ता, सोने से पहले वजू करना फर्ज (अनिवार्य) नहीं बल्कि मुस्तहब (पसंदीदा/सराहनीय) है।

वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)

प्रश्न 317	कुरान की तिलावत (पाठ) के लिए वजू कब मुस्तहब (पसंदीदा/बेहतर) है और कब वाजिब (अनिवार्य) है?
उत्तर 317	कुरान मजीद को बिना वजू छूने और बिना वजू तिलावत करने के हुकम (नियम) में अंतर है। कुछ विद्वानों ने इस संबंध में 'जुन्बी' (बड़ी नापाकी की स्थिति), 'हाइजा' (मासिक धर्म वाली महिला) और 'बे-वजू' (बिना वजू व्यक्ति) के बारे में मतभेद किया है, इसलिए इन्हें अलग-अलग समझना ज़रूरी है।

अद-दुरर अस-सनिय्या' से मासिक धर्म (माहवारी) से संबंधित अहकाम (नियम)

प्रश्न 318	क्या मासिक धर्म (हैज़) वाली महिला के लिए कुरआन की तिलावत करना जायज़ है?
उत्तर 318	मासिक धर्म वाली महिला के लिए कुरआन की तिलावत करना जायज़ है। यह मलिकिया और जाहिरिया संप्रदाय (मज़हब) का रुख है, और इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाह अलैह) से वर्णित उनके पुराने मत (कौल) के अनुसार भी यही है। इमाम अहमद (रहमतुल्लाह अलैह) से भी एक रिवायत ऐसी ही है। इमाम तबरी, इब्न तैमिया, इब्न अल-क़य्यिम और इब्न उथैमीन (रहमतुल्लाह अलैह) ने भी इसी को अपनाया है, और 'फ़तवा की स्थायी समिति' (Lajnah Da'imah) ने भी इसी पर फ़तवा जारी किया है। इसके निम्नलिखित कारण हैं: पहला: यह एक स्थापित तथ्य है कि पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के समय में भी महिलाएं मासिक धर्म से होती थीं और पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उन्हें कुरआन की तिलावत से नहीं रोकते थे। यदि मासिक धर्म वाली महिला को इससे रोका जाना होता, तो सहीह और स्पष्ट हदीसों में इसकी मनाही निश्चित रूप से

	<p>वर्णित होती, जैसे कि नमाज़ और रोज़े की मनाही साबित है। चूंकि इस संबंध में जो भी हदीसे आई हैं वे प्रमाण (हुज्जत) के योग्य नहीं हैं, इसलिए यह ज्ञात हुआ कि शरीयत ने महिलाओं को कुरआन मजीद की तिलावत से मना नहीं किया है।</p> <p>दूसरा:</p> <p>मासिक धर्म (हैज़) का मामला महिला के नियंत्रण और इच्छा से बाहर की चीज़ है और वह इसे (स्वयं) समाप्त नहीं कर सकती। कभी-कभी इसकी अवधि लंबी हो जाती है और कभी वह अपनी याद की हुई चीज़ें (हिफ़ज़) भूल जाती है।</p>
--	---

प्रश्न 319	मासिक धर्म (हैज़) वाली महिला द्वारा कुरआन की तिलावत करने का क्या हुकम है? आधुनिक विद्वानों (मुआसरीन) की वेबसाइट से।
उत्तर 319	<ol style="list-style-type: none"> 1. शेख इब्न उथैमीन (रहमतुल्लाह अलैह): इसकी अनुमति है क्योंकि मनाही की कोई दलील नहीं है। चूंकि यह एक विवादास्पद (इख़िलाफ़ी) मुद्दा है, इसलिए सावधानी इसी में है कि यदि आवश्यकता हो तो दस्ताने पहनकर (मुसहफ़ को छूकर) पढ़ें (यही प्रबल/राजिह मत है)। 2. शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने भी इसकी अनुमति दी है। 3. मासिक धर्म वाली महिला को तिलावत से मना करने वाली रिवायत ज़ईफ़ (कमज़ोर) है। 4. इमाम मलिक, इब्न तैमिया और अल-शौकानी (रहमतुल्लाह अलैहिम) ने भी इसकी अनुमति दी है।

प्रश्न 320	क्या मासिक धर्म (Periods) की स्थिति में महिला के लिए कुरान (मुसहफ़) को छूना जायज़ है?
उत्तर 320	<p>मासिक धर्म की स्थिति में महिला के लिए कुरान को छूना नाजायज़ (वर्जित) है। इस पर चारों प्रमुख इस्लामी न्यायशास्त्र (मज़ाहिब): हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हंबली का आम सहमति (इत्तेफ़ाक) है, और इस मसले में अधिकांश विद्वानों का सर्वसम्मति वाला मत उद्धृत किया गया है।</p> <p>नोट: शेख बिन बाज़ और इब्न उथैमीन का कहना है कि मासिक धर्म वाली महिला किसी ओढ़नी, दस्ताने या किसी चीज़ की आड़ से कुरान को छूकर पढ़ सकती है; यही मत अधिक प्राथमिकता वाला (राहज) है।</p>

प्रश्न 321	क्या कुरान मजीद की बिना वजू (Wudu) तिलावत करना जायज़ है? और वे कौन लोग हैं जो पाकीज़ा (शुद्ध) शुमार किए जाते हैं?
उत्तर 321	<p>बिना वजू के कुरान मजीद की तिलावत (पाठ) करना जायज़ है, लेकिन तिलावत करने वाला मुसहफ़ (कुरान की किताब) को हाथ न लगाए, बल्कि केवल ज़बानी पढ़े। कुरान मजीद को बिना वजू के हाथ लगाना जायज़ नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फ़रमाया है:</p> <p>{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (सूरा अल-वाक़िया, सूरा नंबर: 56, आयत नंबर: 79)</p>

"जिसे (यानी कुरान मजीद को) सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं।"

उलेमा-ए-किराम कहते हैं कि (الْمُطَهَّرُونَ) से मुराद वे लोग हैं जो 'हदस-ए-असगर' (छोटा अपवित्र होना जिसके लिए वजू चाहिए) और 'हदस-ए-अकबर' (बड़ी नापाकी जिसके लिए गुस्ल चाहिए) से पाक हों। और सही बात यह है कि यहाँ (आयत में) मुराद फ़रिश्ते हैं। अलबत्ता, जो लोग जनाबत (अशुद्धता/Impurity) की स्थिति में हों, ऐसे लोग न तो कुरान मजीद को हाथ लगा सकते हैं और न ही ज़बानी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सैयदना अली (रज़िअल्लाहु अन्हु) की हदीस से यह बात साबित है। वे फ़रमाते हैं:

"नबी करीम ﷺ को कुरान पढ़ने से जनाबत के अलावा और कोई चीज़ नहीं रोकती थी।"

(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز: 64/29، "باب فرائض الوضوء - حكم قراءة القرآن بدون وضوء"، الناشر: رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية)

(मजमूआ फ़तावा व मक़ालात मुतनव्विया इब्न बाज़: 29/64, "बाब फ़राइज़ुल वजू - हुक़म किराअतुल कुरान बिदून वजू", प्रकाशक: रयासत इदारातुल बुहूसुल इल्मिय्या वल इफ़ता, सऊदी अरब)

प्रश्न 322	बिना वजू कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, और बिना वजू सलाम करने और सलाम का जवाब देने का क्या हुक़म है?
उत्तर 322	उलेमा-ए-किराम ने बिना वजू कुरान मजीद की तिलावत करने की अनुमति दी है, लेकिन मुस्तहब (पसंदीदा) और अफ़ज़ल (बेहतर) यह है कि बा-वजू होकर कुरान मजीद की तिलावत की जाए। इसी तरह ज़िक्र व अज़कार करने और सलाम करने व सलाम का जवाब देने के लिए भी यही हुक़म है। उपरोक्त सभी दलीलों से यह बात स्पष्ट है कि बिना वजू कुरान मजीद की तिलावत भी सही है, और ज़िक्र व अज़कार करने, सलाम करने और सलाम का जवाब देने के लिए भी यही हुक़म है।

प्रश्न 323	क्या बिना वजू के मुसहफ़ (कुरान शरीफ़) को छुए बिना कुरान मजीद की तिलावत करना जायज़ है?
उत्तर 323	शेख़ अल्बानी (रह.) और शेख़ मुस्तफ़ा अदवी (हफ़िज़हुल्लाह) ने मुसहफ़ को छूने की इजाज़त दी है, चाहे वह मासिक धर्म वाली महिला (हाएज़ा), जुनुबी (नापाकी की हालत वाला व्यक्ति) या बिना वजू वाला व्यक्ति हो। लेकिन शेख़ इब्ने उथैमीन (रह.) ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। यदि आप दोनों पक्षों की विस्तृत बहस और चर्चा पढ़ना चाहते हैं, तो 'मुल्लतक्री' वेबसाइट देखें। शेख़ युसुफ़ अल-करज़ावी (रह.) की राय भी शेख़ अल्बानी (रह.) की तरह ही है।

पहला मत:

बहुसंख्यक (जमहूर) विद्वानों का कहना है कि वजू के बिना यह जायज़ नहीं है और वजू करना वाजिब (अनिवार्य) है।

दूसरा मत:

शेख अल्बानी (रह.) की शोध और प्राथमिकता यह है कि वे इसे मुस्तहब (पसंदीदा/बेहतर) मानते हैं (अनिवार्य नहीं)।

नोट:

इमाम इब्न हज़म (रह.) और शेख अल्बानी (रह.) की राय की ओर रुझान होने के बाद, इब्ने उथैमीन (रह.) और शेख फ़रकुस (हफ़िज़हुल्लाह) जैसे विद्वानों की राय पर वापस लौटने का कारण यह है कि सावधानी का तकाज़ा यही है कि मुसहफ़ को छूते समय बा-वजू (वजू के साथ) रहा जाए। क्योंकि वजू न करने को लेकर मतभेद है, जबकि वजू करने के मामले में किसी का कोई मतभेद नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अम्र बिन हज़म से वर्णित हदीस में 'ताहिर' शब्द को 'अल-लफ़ज़ अल-मुशतरक' (बहुअर्थी शब्द) के तहत सामान्य अर्थों में शामिल करते हुए 'ताहिर' के अर्थ में 'बा-वजू होना' भी गिना गया है। हालाँकि, शेख अल्बानी ने 'अल-मोमिन ला यन्जुस' (मोमिन नापाक नहीं होता) वाली हदीस से दलील देते हुए जवाब दिया है। फिर भी, जब दोनों पक्षों की दलीलें और चर्चाएँ मज़बूत हों, तो सावधानी वाला रास्ता ही अपनाना चाहिए। और अल्लाह बेहतर जानता है।

प्रश्न 324

कुरान हिफ़ज़ (कंठस्थ) करने वाले बच्चों का बिना वजू (Wudu) के कुरान को हाथ लगाने के बारे में क्या हुक्म है?

उत्तर 324

कुरान हिफ़ज़ करने वाले बच्चों के अभिभावकों (संरक्षकों) और शिक्षकों पर यह अनिवार्य (लाज़िम) है कि वे उन बच्चों को—जो सात साल या उससे अधिक उम्र के हों—यह आदत डालें कि वे हमेशा बा-वजू (वजू के साथ) रहें। इसलिए अभिभावकों और शिक्षकों को उन्हें वजू के साथ रहने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि यह बात शरीयत की दलील (प्रमाण) से सिद्ध है कि कुरान मजीद को केवल वही लोग हाथ लगाएँ जो पाक-साफ हों।

इसके अलावा जो पाक-साफ (यानी बा-वजू) नहीं हैं, उनके लिए कुरान मजीद को छूना जायज़ नहीं है। हालाँकि, जो बच्चे सात साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए वजू न होने के बावजूद कुरान मजीद को हाथ न लगाने की शर्त (सख्ती) नहीं है, क्योंकि सात साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए वजू का कोई एतबार (मान्यता) नहीं है; क्योंकि वे 'सिन्ने-तमीज़' (समझदारी की आयु) से कम उम्र के हैं, ठीक तरह से वजू नहीं कर सकते और न ही उन्हें इस बात की कोई समझ होती है। वल्लाह आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

(स्रोत: मजमूअ फतावा व मकालात मुतन्विया, इब्न बाज: 29/66, "बाब फ़राइजुल वजू - हुक्म किराअतिल अतफ़ाल लिल कुरान फ़िल मुसहफ़ बिदूँ तहारह", प्रकाशक: रियासत इदारा अल-बुहूस अल-इलमिया वल इफ़्ता, सऊदी अरब)

प्रश्न 325

क्या वजू टूटने पर तुरंत वजू करना मुस्तहब (पसंदीदा) है?

उत्तर 325

'हदसे असगर' यानी पेशाब, पाखाना और वजू तोड़ने वाली तमाम चीज़ों के बाद तुरंत वजू कर लेना, यानी हमेशा वजू की हालत में रहना एक मुस्तहब (सराहनीय) अमल है।

जैसा कि हदीस में है, सैय्यदना बुरैदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि: अल्लाह के रसूल ﷺ ने (एक दिन) सुबह के समय बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) को बुलाया और पूछा: "ऐ बिलाल! क्या वजह है कि तुम जन्नत में मेरे आगे-आगे चल रहे थे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ होऊँ और अपने आगे तुम्हारी खड़ाऊँ (चप्पलों) की आवाज़ न सुनी हो। आज रात भी जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, तो मैंने अपने आगे तुम्हारी खड़ाऊँ की आवाज़ सुनी। फिर जब मैं सोने के एक ऊँचे और शानदार महल के पास से गुज़रा, तो मैंने पूछा कि यह महल किसका है? फरिश्तों ने बताया कि यह एक अरब व्यक्ति का है। मैंने कहा: मैं (भी) अरब हूँ, बताओ यह किसका है? उन्होंने कहा: यह कुरैश के एक व्यक्ति का है। मैंने कहा: मैं (भी) कुरैशी हूँ, बताओ यह महल किसका है? उन्होंने कहा: यह मुहम्मद ﷺ की उम्मत के एक व्यक्ति का है। मैंने कहा: मैं मुहम्मद हूँ, यह महल किसका है? उन्होंने कहा: यह उमर बिन खत्ताब का है।"

बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अज्ञान दी हो और दो रकअत (नमाज़) न पढ़ी हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वजू टूटा हो और मैंने उसी समय वजू न कर लिया हो, और यह न समझा हो कि अल्लाह के लिए मुझ पर दो रकअत (पढ़ना) वाजिब है।" इस पर अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया: "इन्हीं दोनों आदतों (या खूबियों) की वजह से (तुम्हें यह मकाम हासिल हुआ है)।"

जब भी वजू टूटे, वजू कर लेना मुस्तहब है। कुछ लोग इसमें 'गुलू' (अतिशयोक्ति) का शिकार हैं और हमेशा बा-वजू रहने पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देते हैं; उनका यह तरीका सही नहीं है क्योंकि हमेशा बा-वजू रहना फ़र्ज़ (अनिवार्य) नहीं है। अलबत्ता, अगर कोई इसे स्वेच्छा से अपनाता है, तो यह बहुत बड़े सवाब (पुण्य), रहमत और बरकत का ज़रिया है।

वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

प्रश्न 326

क्या तवाफ-ए-काबा के लिए वूजू (Wudu) करना शर्त है?

उत्तर 326

तवाफ-ए-काबा के लिए वूजू के शर्त होने के बारे में विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) के दो मत पाए जाते हैं:

1. अकसर (बहुसंख्यक) विद्वानों का कहना है कि काबा का तवाफ करने के लिए वूजू करना एक शर्त है।

2. कुछ विद्वानों के अनुसार तवाफ-ए-काबा के लिए वूजू को लाज़िम (अनिवार्य) और शर्त करार नहीं देते।

नमाज़ और तवाफ के आदेश (अहकाम) अलग-अलग हैं। जिन विद्वानों ने तवाफ के लिए वूजू को फ़र्ज़ कहा है, उनका कहना है कि तवाफ नमाज़ की तरह है (जैसा कि ऊपर दी गई दो दलीलों से स्पष्ट हो चुका है)। लेकिन यहाँ इस बात की व्याख्या भी ज़रूरी है कि तवाफ पूरी तरह नमाज़ की तरह नहीं है, बल्कि नमाज़ और तवाफ के अहकाम अलग-अलग हैं। उदाहरण के तौर पर:

1. नमाज़ में बात करना मना है, लेकिन तवाफ के दौरान बात करने की अनुमति दी गई है।
2. नमाज़ के दौरान अगर किसी का वूजू टूट जाता है, तो उसे पूरी नमाज़ दोहरानी पड़ती है। लेकिन अगर दौरान-ए-तवाफ किसी वजह से किसी का वूजू टूट जाए, तो वूजू करने के बाद वह वहीं से अपना तवाफ मुकम्मल (पूरा) कर सकता है जहाँ से उसने छोड़ा था।
3. इसकी दूसरी सूत्र यह है कि यदि तवाफ के दौरान किसी का वूजू टूट जाए, तो वह अपना तवाफ पूरा करने के बाद वूजू करके दो रकात नमाज़ अदा कर ले, तो उसका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा।

इसलिए नमाज़ और तवाफ के अहकाम अलग-अलग हैं।

यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि तवाफ करने के लिए बा-वूजू (वूजू में) होना तवाफ की शर्तों या फ़राइज़ (अनिवार्यताओं) में से नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि इस मसले में कुरान और हदीस में कोई स्पष्ट हुक्म मौजूद नहीं है। इसलिए शोधकर्ताओं (मुहकिक़ीन) के अनुसार तवाफ के लिए वूजू फ़र्ज़ और शर्त नहीं है, बल्कि उलेमा का कहना है कि तवाफ के लिए वूजू मुस्तहब (पसंदीदा/बेहतर) है।

इसी तरह, जो उलेमा यह कहते हैं कि नमाज़ के लिए जो शर्तें हैं, ठीक वही शर्तें तवाफ की भी हैं (उनमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न क़थ़ीम शामिल हैं), वे इसी बात के कायल हैं। और जो विद्वान तवाफ के लिए वूजू को फ़र्ज़ और शर्त करार देते हैं, उनमें इमाम मलिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल आदि शामिल हैं। लेकिन दूसरा रुख यह है कि तवाफ के लिए वूजू मुस्तहब है, और दलीलों के लिहाज़ से इसमें अधिक मज़बूती है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

नोट:

तीसरे मत (क़ौल) पर अमल करना बेहतर है: सावधानी और मतभेदों से बचने के लिए वूजू कर लेना चाहिए। (इब्न उथैमीन ने कहा है कि यह मुस्तहब है, 'ख़ुरूज़न अन अल-इख़िताफ़' यानी मतभेदों से बचने के लिए)। क्योंकि तवाफ के लिए वूजू न करने में विद्वानों के बीच मतभेद है, जबकि वूजू करके तवाफ करने में किसी का मतभेद नहीं है। इबादत को शक (संदेह) से पाक रखना ही बेहतर है।

वल्लाहु आलम।

प्रश्न 327	'हदस-ए-असगर' (लघु अशुद्धि) से संबंधित पवित्रता (तहारत) के कुछ मसलों और नियमों का पिछली जानकारी के प्रकाश में वर्णन करें?
उत्तर 327	<ol style="list-style-type: none"> 1. वजू से फारिग (निवृत्त) होने के बाद आसमान की तरफ निगाहें उठा कर देखना 'ज़ईफ़' (कमज़ोर) रिवायत पर आधारित है। 2. वाजिब कार्यों और क्रियाओं में नीयत करना वाजिब है। 3. वजू और गुस्ल (स्नान) में धोए जाने वाले अंगों तक पानी पहुँचने के मार्ग में बाधा बनने वाली तमाम चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। 4. नाखून को किसी ऐसे रंग (जैसे हिना/मेंहदी) से रंगना जिसका कोई ठोस जुर्म (परत) न हो जो शरीर तक पानी पहुँचने से रोके, तो यह सही है और उसे हटाए बिना भी वजू सही है। लेकिन अगर उसकी परत हो (जैसे नेल पॉलिश), तो उसे हटाए बिना वजू सही नहीं होगा। 5. वजू और गुस्ल में धोए जाने वाले अंगों तक पानी पहुँचने में बाधा बनने वाली सभी चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। इसकी मनाही के दो कारण हैं: एक यह कि इसमें शरीयत का विरोध होता है क्योंकि 'सुनन-ए-फितरत' में 'क्रस-ए-अज़ाफ़िर' (नाखून तराशना) भी शामिल है, और दूसरा यह कि इसमें गैर-मुस्लिमों के साथ समानता पाई जाती है। 6. नोट: नकली नाखून और हर उस रुकावट को खत्म करना ज़रूरी है जो वजू के पानी के पहुँचने में बाधक हो। 7. वजू के समय नकली दांतों को निकालना वाजिब नहीं है। 8. वजू और गुस्ल के दौरान मुँह से दांतों का खोल (कैप/कवर) निकालना ज़रूरी नहीं है। इसकी दलील यह है कि यह साबित नहीं है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने वजू और गुस्ल के दौरान अपनी अंगूठी निकाली हो। हालांकि, वजू के दौरान अंगूठी हिलाने के संबंध में 'इब्ने माजह' की एक ज़ईफ़ हदीस मौजूद है, लेकिन वजू के दौरान अंगूठी हिलाने के बारे में इमाम बुखारी ने ताबेईन से नकल फरमाया है; (वजू और गुस्ल में जिस चीज़ का धोना ज़रूरी है, उस तक पानी का पहुँचना ज़रूरी है)। 9. अंगूठी की तुलना दांतों के खोल से करना गलत तुलना (Qiyas ma'al-fariq) है। (अंगूठी को) निकालना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह असल के स्थान पर है। 10. 'बारुका' यानी असली बालों के अलावा कृत्रिम (artificial) बालों का जूड़ा लगाना जायज़ नहीं है। इस आधार पर, इस पर किए जाने वाले 'मस:' (Wudu के दौरान सिर पर गीला हाथ फेरना) से वजू सही नहीं होगा, क्योंकि सिर के असली बालों में कृत्रिम बाल जोड़ने का कार्य हदीस के अनुसार वर्जित 'वस्ल' (जोड़ने) की श्रेणी में आता है। 11. नोट: यह उस समय वर्जित है जब इसका उद्देश्य केवल सजावट और सुंदरता हो, लेकिन यदि इसका उद्देश्य किसी दोष (defect) को दूर करना और उपचार करना हो, तो यह जायज़ है। (इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि) 12. यदि किसी के सिर पर बाल ही न हों और उन बालों के विकास के लिए चिकित्सा पद्धति Hair Plantation को अपनाते हुए इस दोष को दूर किया जाए, तो विद्वानों ने इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य की अनुमति दी है। यह ऐसा ही है जैसे मानव शरीर के किसी बिगड़े हुए अंग की बनावट को ठीक करने के लिए किया जाने वाला Plastic Surgery का ऑपरेशन, क्योंकि सर्जरी के बाद लगाया गया प्लास्टर आदि शरीर का अविभाज्य अंग बन जाता है।

13. महिलाओं की पलकों पर सुंदरता के उद्देश्य से लगाए गए अतिरिक्त बालों (Fake Lashes) के साथ वजू और गुस्ल (स्नान) सही नहीं होता, जब तक कि उन्हें हटा न दिया जाए।
14. यदि महिला अपने बालों का जूड़ा गर्दन के पीछे (नीचे की ओर) रखे हुए मसः कर ले तो काफी है। हालांकि, इसे सिर के बीच में न रखे, क्योंकि हदीस में इस संबंध में सख्त चेतावनी आई है। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "दोज़खियों (नरक वासियों) की दो किस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने अभी (दुनिया में) नहीं देखा: एक वे लोग जिनके पास बैलों की पूंछ जैसे कोड़े होंगे जिनसे वे लोगों को मारेंगे, और दूसरी वे महिलाएं जो कपड़े पहनने के बावजूद नग्न होंगी, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली और खुद उनकी ओर झुकने वाली होंगी। उनके सिर बुख्ती ऊंटों के कूबड़ की तरह एक तरफ झुके हुए होंगे। वे जन्नत में नहीं जाएंगी और न ही उसकी खुशबू पा सकेंगी, जबकि जन्नत की खुशबू इतनी-इतनी दूरी से आती है।"
15. वजू में ज़िक्र (ईश्वर का स्मरण) और दुआओं को भूल जाना क्षमा योग्य है, जबकि नमाज़ में 'वाजिब' (अनिवार्य कार्य) भूल जाने से 'सजदा सहव' (भूल सुधार के लिए सजदा) और हज में 'वाजिब' भूल जाने से 'कफ़ारा' (प्रायश्चित) अनिवार्य हो जाता है।
16. विद्वानों ने इंसान के भूल जाने को 'अजज़-ए-क़वी' यानी इंसान की बड़ी बेबसी, लाचारी और उसकी शक्ति व सामर्थ्य से बाहर की बात करार देते हुए, इस भूल के अमल को माफी के लायक माना है। इसी आधार पर वजू के 'तस्मिया' (बिस्मिल्लाह कहना), अज़कार (प्रशंसा के शब्द), दुआओं और तकबीरात के नियमों के प्रति नरमी अपनाई गई है।
17. वजू और गुस्ल (स्नान) के दौरान पानी के इस्तेमाल में 'इसराफ़' (फ़िज़ूलखर्ची/अपव्यय) से बचना चाहिए, जैसा कि हदीस में इस बात की स्पष्टता है: हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुज़रे जबकि वह वजू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "यह कैसा इसराफ़ (पानी की बर्बादी) है?" उन्होंने कहा: "क्या वजू में भी इसराफ़ होता है?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "हाँ, चाहे तुम बहती नदी के किनारे ही क्यों न बैठे हो।" (सुनन इब्न माजह: 425)

प्रश्न 328	मिसवाक करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? क्या इस मामले में केवल दांतों की सफाई ही असल उद्देश्य है, या सबसे बड़ी श्रेष्ठता (अफ़ज़लियत) केवल मिसवाक की लकड़ी के इस्तेमाल से ही प्राप्त होगी?
उत्तर 328	यदि केवल मूल उद्देश्य (दांतों की सफाई) ही वांछित हो, तो वह टूथपेस्ट से भी प्राप्त हो जाएगा। इस आधार पर मिसवाक के स्थान पर टूथपेस्ट का उपयोग भी लाभदायक और जायज़ है। हालांकि, सबसे बड़ी श्रेष्ठता (अफ़ज़लियत) और 'सुन्नत' का पूर्ण अनुसरण केवल मिसवाक की लकड़ी के उपयोग से ही प्राप्त होगा। 'अल-राफ़ई' (رحمة الله عليه) ने 'अल-फ़तह' में कहा है कि 'अल-सिवाक' का मूल शब्द 'स-व-क' है जिसका अर्थ है 'दल्क' यानी मलना और रगड़ना। हर वह सूखी चीज़ जो दांतों की गंदगी को साफ़ करे, वह मिसवाक है। और अगर मिसवाक का उद्देश्य केवल मुँह की सफाई हो, तो यह प्लास्टिक के ब्रश से भी हासिल हो सकता है, चाहे वह कपड़ा हो या लकड़ी। नीम या खजूर जैसे किसी भी वृक्ष की लकड़ी से मिसवाक किया

	जा सकता है। लेकिन सुन्नत के अनुसरण के लिहाज से मिसवाक के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना ही सबसे श्रेष्ठ (अफ़जल) है।
--	---

प्रश्न 329	मिसवाक से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु बयान कीजिए?
उत्तर 329	<ol style="list-style-type: none"> 1. क्या मिसवाक और टूथपेस्ट सुन्नत है या नफ़ल? क्या इसके लिए लकड़ी का होना ज़रूरी है या केवल उद्देश्य (सफ़ाई) प्राप्त होना काफी है? 2. 'मवाज़े-अत-सिवाक' (मिसवाक करने के अवसर और शरीयत के नियम) का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। 3. मिसवाक के आकार (साइज़) के बारे में सख्ती करना वर्जित (मना) है। 4. तरीका: मिसवाक को चौड़ाई में यानी दाएं से बाएं करना चाहिए। 5. मिसवाक की विशेषताओं और विस्तृत नियमों के लिए 'बाब सुनन अल-फ़ितरा' (Bab Sunan al-Fitra) का अध्ययन करें। 6. 'ऊद' यानी लकड़ी के ज़रिए सुन्नत की अदायगी करना ज़्यादा बेहतर (औला) और श्रेष्ठ है। 7. मंजन (टूथपेस्ट/पाउडर) और 'ऊद' (लकड़ी) दोनों का एक साथ उपयोग करना सबसे उत्तम है।

प्रश्न 330	मसह के कुछ अहकाम (नियम) और मसाइल (मसले) ज़िक्र कीजिए?
उत्तर 330	<ol style="list-style-type: none"> 1. लंबे बूट (Long Boots): लंबे जूते जो टखनों को ढांप लें, वे 'खुफ़' (चमड़े के मोज़े) की तरह हैं। इसलिए उन पर भी मोज़ों की शर्तों को पूरा करने के साथ मसह करना जायज़ है। यदि जूता टखने से कम (छोटा) हो, तो उसे निकालना ज़रूरी है। हालाँकि, शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैह) ने टखने से नीचे के जूतों पर भी मशक्कत (कठिनाई) के कारण मसह की अनुमति दी है। 2. कपड़े के मोज़े: कपड़े के मोज़ों पर मसह करने की अनुमति है। 3. मोज़ों पर मसह का प्रमाण: हज़रत सौबान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि: "रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एक लश्कर भेजा, तो उन्हें ठंड लग गई। जब वे लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास वापस आए, तो आपने उन्हें (वज़ू करते समय) इमामों (पगड़ियों) और मोज़ों पर मसह करने का हुक्म दिया।" (सुनन अबू दाऊद: 146, मुसनद अहमद: 5/2771 शेख अल्बानी ने इस हदीस को सही करार दिया है।) 4. मसह की अवधि (Time Limit): मुक्रीम (घर पर रहने वाले) और मुसाफिर (यात्रा करने वाले) के लिए मसह की निर्धारित अवधि मोज़े पहनने के समय से शुरू नहीं होती, बल्कि मोज़े पहनने के बाद वज़ू टूटने और फिर दोबारा ताज़ा वज़ू करने के समय से शुरू होती है। <ul style="list-style-type: none"> ○ मुसाफिर के लिए: तीन दिन और तीन रात। ○ मुक्रीम के लिए: एक दिन और एक रात (24 घंटे)।

	<p>5. मसह का समाप्त होना: मोजे उतार देने से मसह खत्म नहीं होता (यानी वजू नहीं टूटता)। यह वैसा ही है जैसे बाल काटने, नाखून काटने या उंगली कट जाने से वजू नहीं टूटता।</p> <p>6. पगड़ी के नियम: पगड़ी के मसले में 'शमाग' और 'गुतरा' (अरब देशों में पहने जाने वाले रुमाल) शामिल नहीं हैं, इसलिए उन पर मसह करना जायज़ नहीं है।</p> <p>7. ज़ख्म पर पट्टी: ज़ख्म पर लपेटी जाने वाली पट्टी और प्लास्टर पर मसह करना जायज़ है, क्योंकि इसका हुक्म तयम्मूम और 'मसह अलल-खुफ़ैन' (मोज़ों पर मसह) से मिलता-जुलता है।</p>
--	--

प्रश्न 331	यदि वजू के अंगों पर प्लास्टर हो तो क्या करें?
उत्तर 331	<ul style="list-style-type: none"> • 1) पहली स्थिति: यदि अंग खुला हुआ है और पानी से कोई नुकसान न हो, तो उसे धोना ज़रूरी है। • 2) दूसरी स्थिति: यदि अंग को पानी लगाने से नुकसान होने का डर हो, लेकिन मसह (गीले हाथ फेरना) कर सकते हों, तो मसह कर लें। • 3) तीसरी स्थिति: यदि अंग पर पानी (डालना) भी मुश्किल हो और मसह करना भी मुश्किल हो, तो तयम्मूम कर लें। • 4) चौथी स्थिति: यदि अंग पर ऐसी पट्टी (या प्लास्टर) बंधी हो जिसे खोलना मुश्किल हो, तो उसी के ऊपर मसह कर लें।

प्रश्न 332	कृत्रिम अंगों (Artificial Limbs) पर वजू का क्या हुक्म है?
उत्तर 332	<p>यदि किसी व्यक्ति का हाथ या वजू किया जाने वाला कोई अंग कट जाए और वह उसकी जगह कोई कृत्रिम (Artificial) अंग लगा ले, तो उस (मूल) अंग पर वजू का हुक्म समाप्त हो जाता है। यानी हुक्म साक्रित (निरस्त) हो जाता है।</p> <p>जैसा कि फ़िक्रही (इस्लामी न्यायशास्त्र) नियम है: "إذا فات الشرط فإت المشروط" (जब शर्त समाप्त हो जाती है, तो शर्त पर आधारित चीज़ भी समाप्त हो जाती है)।</p>

प्रश्न 333	नाक में बाली, साज-सज्जा और सुंदरता के उद्देश्य से छेद करना कैसा है?
उत्तर 333	<p>सुंदरता और साज-सज्जा के उद्देश्य से नाक में छेद करने के संबंध में दो मत (قول) हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • पहला मत: बिना किसी ठोस वजह के यह नाजायज़ है। • दूसरा मत: यह जायज़ है यदि समाज में यह एक परंपरा या आदत बन गई हो, जैसे कि कानों में छेद किया जाता है।

	<ul style="list-style-type: none"> • शर्त: बशर्ते कि नीयत (इरादा) फासिक्रों (गुनाहगारों) और गैरों (अन्य धर्मों/संस्कृतियों के विशिष्ट धार्मिक प्रतीकों) के साथ समानता रखने की न हो। <p>निष्कर्ष: (यही दूसरा मत) राजिह (अधिक स्पष्ट और मान्य) है।</p>
--	---

प्रश्न 334	वजू के फ़राइज़ (अनिवार्य अंगों) से संबंधित कुछ मसले बयान करें?
उत्तर 334	<ol style="list-style-type: none"> 1. मज़मज़ा (कुल्ली करना) वाजिब है: (हालांकि गरारा करना सुन्नत है) और 'इस्तिनशाक' यानी नाक में पानी लेना। क्योंकि "फ़ाग़सिलू वुजू-हकुम" (अपने चेहरे धोओ) के हुक़म में ये शामिल हैं और अहादीस में भी इनका ज़िक्र है। इसीलिए इन्हें 'वाजिबात' और 'फ़राइज़' में गिना जाता है, क्योंकि ये 'सिफ़त-ए-वजू' (वजू की प्रक्रिया) का हिस्सा हैं। इसी वजह से रोज़े की स्थिति में इसमें अधिक गहराई तक पानी ले जाने से मना किया गया है। 2. वजू के वाजिबात की कुल संख्या के बारे में फ़ुक्रहा (इस्लामी न्यायविदों) के बीच मतभेद हैं। 3. मसह रास: पूरे सिर का मसह करना फ़र्ज़ में से है। 4. शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने फ़रमाया कि अगर औरत के लिए सर का दुपट्टा (खिमार) उतारना मुश्किल हो और मर्द के लिए इमामा (पगड़ी) उतारना मुश्किल हो, तो मसह उसी स्थिति में जायज़ है जब वे वजू की हालत में पहने गए हों। जैसे कि मोज़ों पर मसह की शर्तें हैं, वही नियम यहाँ भी लागू होंगे। हालांकि, अन्य फ़ुक्रहा का कहना है कि इमामा के लिए ऐसी 'पाकी (तहारत)' की शर्त दलील से साबित नहीं है। 5. तवाली (मुवालात) शर्त है: 'मुवालात' का अर्थ है एक अंग धोने के बाद दूसरे अंग को धोने में इतना समय न लगाना कि पिछला अंग सूख जाए। <p>नोट: यदि पानी की कमी के कारण वजू पूरा करने के लिए पानी लाने में देरी हो जाए और अंग सूख जाए, तो वह माफ़ (स्वीकार्य) है। "अल्लाह किसी जान पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता।"</p>

भाग-5

پانچویں جلد کا مختصر نسخہ

पांचवीं जिल्द का संक्षिप्त संस्करण

नोट: विस्तार के लिए पाँच खंडों (जिल्दों) पर आधारित विस्तृत संस्करण देखें।

परिचय

यह पुस्तक "किताब-उत-तहारा" के पाँच खंडों का एक संक्षिप्त और व्यापक सार है, जिसे सवाल और जवाब के आसान अंदाज़ में व्यवस्थित किया गया है।

मूल पुस्तक एक अत्यंत विस्तृत और शोधपूर्ण रचना है जो पाँच खंडों पर आधारित है। इसमें प्रमाणों (दलीलों) की प्रचुरता, फ़िक्ह-ए-मुक़ारन (विभिन्न न्यायशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन), चारों इमामों के कथन, और सलफ़ी न्यायशास्त्रीय पुस्तकों का शानदार संगम है। यह पुस्तक अपने मज़बूत प्रमाणों, वैज्ञानिक चर्चाओं और व्यापक दृष्टिकोण के कारण न्यायशास्त्रीय (फ़िक्ह) पुस्तकों में एक प्रमुख स्थान रखती है।

विस्तृत प्रमाणों और चर्चाओं के कारण यह रचना 1200 पृष्ठों तक फैली हुई है जो पाँच खंडों में पूरी होती है।

संक्षिप्त पुस्तिका का उद्देश्य

चूँकि हर पाठक के लिए इतनी विस्तृत पुस्तक का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए आम जनता की समझ के लिए इसमें केवल सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण मसलों (विषयों) को प्रस्तुत करने हेतु यह संक्षिप्त संस्करण तैयार किया गया है। प्रत्येक खंड को लगभग 25 पृष्ठों में समेटा गया है ताकि आम जनता, छात्र और शुरुआती पाठक इसे आसानी से सीख और समझ सकें।

- जो छात्र या जिज्ञासु शोध की प्रवृत्ति रखते हैं और विस्तार चाहते हैं, वे मूल विस्तृत पुस्तक (पाँच खंड) की ओर रुख करें।
- जबकि शुरुआती छात्र, आम लोग और वे व्यक्ति जो विस्तार से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे इस संक्षिप्त पुस्तिका से शुरुआत कर सकते हैं।

पूर्ण मार्गदर्शन, गहराई और तर्क के लिए विस्तृत संस्करण का अध्ययन आवश्यक है। दुआ है कि अल्लाह तआला हमें लाभदायक ज्ञान प्रदान करे और हमें उस ज्ञान पर अमल करने की शक्ति दे। आमीन!

हदस-ए-अकबर के शरीयत संबंधी नियम

शीर्षक: (1) जनाबत और जुनुब, (2) हैज, (3) इस्तिहाजा, (4) निफ़ास (5) और गुस्ल से संबंधित अहकाम और मसाइला

प्रश्न 335	क्या गुस्ल-ए-जनाबत के लिए इंजाल (वीर्यपात) शर्त है?
उत्तर 335	"शर्मगाहों (गुप्तांगों) के मिलने पर मर्द और औरत दोनों हुक्मी तौर पर नापाक (जुनुब) हो जाते हैं और उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल (वीर्यपात) शर्त नहीं है।" ⁶ रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम औरत की चार शाखों (हाथ-पैर) के दरमियान बैठ कर सोहबत (संभोग) करो तो तुम पर गुस्ल वाजिब हो गया, अगरचे मनी (वीर्य) न निकले।" ⁷

प्रश्न 336	क्या स्त्री को भी स्वप्नदोष (एहतलाम) होता है?
उत्तर 336	उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) रिवायत करती हैं कि सैयदा उम्मे सुलैम (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक अल्लाह हक़ (सच्चाई) बयान करने से नहीं शर्माता (मैं भी आपसे मसला पूछती हूँ), क्या औरत पर गुस्ल (स्नान) अनिवार्य है जब उसे स्वप्नदोष हो?" आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "हाँ, लेकिन तब जब वह पानी (वीर्य के निशान) देखे।" इस पर उम्मे सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अर्ज किया, "ऐ अल्लाह के रसूल! क्या औरत को भी स्वप्नदोष होता है?" आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "हाँ (होता है), तेरा दायाँ हाथ ख़ाक-आलूद हो (यानी तूने यह कैसी बात की, बच्चा माँ के समान कैसे होता है अगर उसे स्वप्नदोष न होता)।" ⁸

प्रश्न 337	यदि एहतलाम (स्वप्नदोष) का कोई निशान न हो, तो गुसल (स्नान) का क्या हुक्म है?
उत्तर 337	अगर गीलापन यानी मनी (वीर्य) का निशान देखें, तो यह एहतलाम की निशानी है, इसलिए उन पर गुसल करना फ़र्ज (अनिवार्य) हो जाता है। और अगर उन्हें एहतलाम की कैफ़ियत (अनुभव) याद हो लेकिन निशान न पाएँ, तो गुसल फ़र्ज नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा गया जो गीलापन तो देखता है लेकिन उसे एहतलाम याद नहीं, तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "वह

गुसल करो" फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा गया जिसे यह एहसास हुआ कि उसे एहतलाम हुआ है लेकिन मनी का कोई निशान नहीं पाता, तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: "उस पर कोई गुसल नहीं है।"⁹

6. (मुस्लिम, अल-हैज़, बाब: 'पानी पानी से है' (अल-माउ मिनल मा-इ) के निरस्त (मन्सूख) होने और दो खतनों के मिलने पर गुसल के अनिवार्य होने का बयान, 943)

7. (बुखारी, अल-गुसल, बाब: जब दो खतने मिल जाएँ, 192, मुस्लिम, अल-हैज़, 876/843)

8. (बुखारी, अल-गुसल, बाब: जब स्त्री को स्वप्नदोष (एहतलाम) हो जाए, 282, और मुस्लिम, अल-हैज़, बाब: स्त्री से वीर्य (मनी) निकलने पर गुसल के अनिवार्य होने का बयान, 313)

प्रश्न 338	महिलाओं को गुसल (स्नान) में चोटियों से संबंधित क्या रियायत दी गई है?
उत्तर 338	<p>शेख बिन बाज़ (रह.) ने कहा है कि गुसल-ए-जनाबत (अपवित्रता के बाद का स्नान) या गुसल-ए-हैज़ (मासिक धर्म के बाद का स्नान) के लिए बालों की चोटियों को खोलकर धोना अनिवार्य (वाजिब) नहीं है। हालांकि, गुसल-ए-हैज़ के लिए बालों की चोटियों को खोल लेना बेहतर और मुस्तहब (पसंदीदा) है।</p> <p>शेख इब्न उथैमीन (रह.) ने कहा है कि यदि बाल इतने सख्त हों कि पानी बालों के नीचे की त्वचा तक न पहुँच पा रहा हो, तो उन्हें खोलना अनिवार्य (वाजिब) है।</p> <p>लेकिन शेख अल्बानी (रह.) ने इस राय को प्राथमिकता दी है कि गुसल-ए-जनाबत में महिला के लिए बालों की चोटियों को खोलकर धोना वाजिब नहीं है, जबकि गुसल-ए-हैज़ के लिए बालों की चोटियों को खोलना वाजिब है और उनके निकट यही राय सही है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सिर के बाल बहुत मजबूती से गूँथती हूँ क्या मैं उन्हें गुसल-ए-जनाबत और गुसल-ए-हैज़ के समय खोलूँ? आप (सल्ल.) ने फरमाया: "उन्हें खोलना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तीन चुल्लू पानी अपने सिर पर डाल लो, फिर अपने पूरे शरीर पर पानी बहा लो, तो तुम पवित्र हो जाओगी।"¹⁰ 2. उम्मुल मोमिनीन आयशा (रज़ि.) को खबर मिली कि सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) औरतों को गुसल के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। आप (रज़ि.) ने ताज्जुब जताते हुए फरमाया: इब्न उमर पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया है, वह उन्हें (सिर) मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? मैं और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) एक ही बर्तन से गुसल करते थे और मैं अपने (बाल खोले बिना) सिर पर तीन चुल्लू से ज़्यादा पानी नहीं डालती थी।¹¹

	3. उम्मुल मोमिनीन आयशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्हें अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने गुस्ल-ए-हैज़ के लिए फरमाया: "अपने बाल खोलो और गुस्ल करो।" ¹²
--	---

प्रश्न 339	क्या शरीयत में जुनुबी (वह व्यक्ति जिसे गुस्ल की ज़रूरत हो) के साथ मिलना-जुलना, उठना-बैठना, लेन-देन और खाना-पीना मना या नापसंद है?
उत्तर 339	जुनुबी के साथ मिलना-जुलना, उठना-बैठना, लेन-देन और खाना-पीना सब जायज़ है। सैय्यदना अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि एक दिन जनाबत (नापाकी) की हालत में मेरी मुलाकात अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से हुई। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आपके साथ हो लिया। (फिर) आप एक जगह बैठ गए और मैं चुपके से निकल गया और घर जाकर गुस्ल (स्नान) किया, फिर वापस आया। आप अभी बैठे हुए थे। आपने पूछा: "ऐ अबू हुरैरा! तुम कहाँ गए थे?" मैंने सारा हाल कह सुनाया, तो आपने फरमाया: "सुभान अल्लाह, यक्रीनन मोमिन नापाक नहीं होता।" ¹³

9. (अबू दाऊद, अत-तहारा, 'अर-रजुलु यजीद-उल-बल्लतु फ़ी मनामिहि', 632)
10. (मुस्लिम, अल-हैज़, 'बाब हुक्म जिफ़ा-इर-मुगतसिला', 85-330)
11. (मुस्लिम, अल-हैज़, 'बाब हुक्म जिफ़ा-इर-मुगतसिला', 331)
12. (इब्न माजह, अत-तहारा, 'बाब फ़िल हायज़ कैफ़ा त़गतसिल', 146; अबू सिरि ने कहा है कि इसके रावी (वर्णनकर्ता) विश्वसनीय हैं)

प्रश्न 340	जनाबत (अशुद्धि) की स्थिति में कौन से कार्य वर्जित (मना) हैं?
उत्तर 340	जनाबत की स्थिति में निम्नलिखित इबादतों (उपासनाओं) की अदायगी सही नहीं है: 1. अस्-सलात (नमाज़) 2. अत-तवाफ़ (काबा की परिक्रमा) 3. मस्जिद में बिना ज़रूरत बैठना? 4. क़िरात-ए-क़ुरआन? (इसमें विवरण है) 5. मुसहफ़ (क़ुरआन की किताब) को छूना? (इसमें विवरण है)

प्रश्न 341	क्या ऋतुमती (माहवारी वाली महिला) और जुनुबी (जिस पर गुस्ल वाजिब हो) का मस्जिद में रुकना सही है?
------------	--

उत्तर 341	<p>(3) विद्वानों के बहुमत (जमहूर उलमा) के अनुसार, ऋतुमती और जुनुबी के लिए मस्जिद में रुकना सही नहीं है; हालांकि, जरूरत के समय प्रवेश करना या गुजरना जायज़ है।</p> <p>शेख अलबानी (रह.) ऋतुमती को मस्जिद में प्रवेश करने और वहां रुकने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार इसे वर्जित या हराम करने की कोई दलील (प्रमाण) साबित नहीं है।</p> <p>इसी तरह, शेख अलबानी (रह.) जुनुबी को भी मस्जिद में बैठने से नहीं रोकते, क्योंकि कुरान में जिस चीज़ की मनाही है, उससे उनका अभिप्राय यह है कि नमाज़ (सलवात) से रोका गया है न कि नमाज़ के स्थानों (मस्जिदों) से।¹⁴</p>
-----------	---

प्रश्न 342	क्या जुनुबी (अशुद्ध अवस्था वाले व्यक्ति) और हायज़ा (मासिक धर्म वाली महिला) को कुरआन मजीद की तिलावत (पाठ) के लिए इजाज़त है?
उत्तर 342	<p>(4) जुनुबी के लिए मुसहफ (कुरआन की किताब) को छुए बिना तिलावत करने का क्या हुक्म है?</p> <p>जमहूर (विद्वानों के बहुमत) के अनुसार, जुनुबी के लिए तिलावत करना मना है। लेकिन शेख अलबानी के नज़दीक जुनुबी के लिए तिलावत जायज़ है लेकिन मकरूह (नापसंद) है। बेहतर यह है कि जुनुबी गुस्ल (स्नान) करके तिलावत करे।</p> <p>हायज़ा (मासिक धर्म वाली महिला) के लिए जुनुबी के मुक्काबले में मुतलक़ (पूर्ण रूप से) इजाज़त है। जुनुबी के लिए गुस्ल के 'इस्तेहबाब' (पसंदीदा होने) पर इसलिए ताकीद की गई है क्योंकि विद्वानों का मानना है कि जुनुबी के लिए जनाबत (अशुद्धि) को दूर करना आसान है (वह फौरन नहा सकता है), जबकि हायज़ा के लिए हैज़ (मासिक धर्म) की हालत को दूर करना उसके बस में नहीं है।</p> <p>नोट: जनाबत की हालत में तिलावत की इजाज़त दरअसल कोई आम हुक्म नहीं है, बल्कि यह केवल मजबूरी की हालत में इजाज़त है।</p> <p>(शेख रज़ाउल्लाह हफ़िज़ुल्लाह)</p>

13: (बुखारी, अल-गुस्ल, बाब 'अरक़ अल-जुनुब, व इन्ना अल-मुस्लिम ला यन्जुस, 382 और मुस्लिम, अल-हैज़, बाब अद-दलील 'अला अन अल-मुस्लिम ला यन्जुस, 173)

14: <https://www.al-albany.com/audios/content/5244/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A8>

प्रश्न	(5) जुनुबी (जिस व्यक्ति पर गुस्ल अनिवार्य हो) के लिए मुसहफ़ (कुरआन) को छूने का क्या हुक्म है?
उत्तर	<p>जुनुबी (जिस पर गुस्ल वाजिब हो) के लिए मुसहफ़ (कुरआन मजीद) को छूना हARAM है। यह हुक्म चारों फ़िक्ही मज़ाहिब—हन्फ़ी, मलिकी, शाफ़ई और हनबली—की सर्वसम्मति (इत्तेफ़ाक़) से है, बल्कि इस मसले पर इज्मा (सहमति) भी दर्ज किया गया है।</p> <p>प्रमाण (दलील):</p> <p>सर्वप्रथम: कुरआन करीम से</p> <p>1 - अल्लाह तआला का फ़रमान है:</p> <p>"बेशक यह एक सम्मानित कुरआन है, एक सुरक्षित किताब (लौह-ए-महफूज़) में, इसे केवल पाक (शुद्ध) लोग ही छूते हैं, यह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से नाज़िल किया गया है।"</p> <p>(सूरह अल-वाक़िआ: 77-80)</p> <p>दलील का आधार (वजह-ए-दलात):</p> <p>आयत-ए-करीमा में "ला यमस्सुहू" (इसे नहीं छूते) की ज़मीर (सर्वनाम) कुरआन मजीद की ओर ही लौटती है; क्योंकि ये आयतें उसी के वर्णन में अवतरित हुई हैं।</p> <p>2 - अल्लाह तआला का फ़रमान है:</p> <p>"ऐ ईमान वालों! नशे की स्थिति में नमाज़ के करीब न जाओ, जब तक कि तुम यह न समझने लगो कि क्या कह रहे हो, और न ही जनाबत (अशुद्धि) की स्थिति में (मस्जिद के करीब जाओ), सिवाय इसके कि तुम रास्ता पार कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल (स्नान) कर लो।"</p> <p>(सूरह अल-निशा: 43)</p> <p>दलील का कारण (वजह-ए-दलालात):</p> <p>जब एक 'जुनुबी' (वह व्यक्ति जिसे गुस्ल की ज़रूरत हो) के लिए मस्जिद में रुकना जायज़ नहीं है, तो प्राथमिकता के आधार पर (बदरजा-ए-औला) उसके लिए मुसहफ़ (कुरआन) को छूना और उसमें से पढ़ना भी जायज़ नहीं होगा; क्योंकि कुरआन मजीद की हु्रमत (सम्मान) मस्जिद से भी ज़्यादा महान है।</p> <p>दूसरा: आसार से (परंपराओं से)</p> <p>अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर (रहमतुल्लाह अलैहि) बयान करते हैं:</p>

हम हजरत सलमान (रजियल्लाहु अन्हु) के साथ सफ़र में थे। वे अपनी जरूरत (शौच आदि) के लिए गए, फिर वापस आए। मैंने अर्ज़ किया: "ऐ अबू अब्दुल्लाह! वजू कर लीजिए, शायद हम आपसे कुरआन की कुछ आयतों के बारे में पूछें।"

उन्होंने फ़रमाया: "तुम मुझसे (जबानी) पूछ लो; क्योंकि उसे (मुसहफ़ को) नहीं छूता, बेशक उसे सिर्फ़ पाक लोग ही छूते हैं।"

चुनांचे हमने उनसे सवाल किया, और उन्होंने वजू करने से पहले ही हमें (आयतों) पढ़कर सुना दीं।

हवाला: अद-दुरर अस-सुनिय्या

नोट: शेख अल्बानी ने जुनुबी और हाएज़ा (ऋतुमती महिला) को मुसहफ़ छूने की इजाज़त दी है क्योंकि उनके नज़दीक इसे मना करने की दलील स्पष्ट नहीं है।

<https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=158339>

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जम्हूर (बहुसंख्यक विद्वानों) की राय को ध्यान में रखते हुए और मतभेदों से बचने के उद्देश्य से, एहतियात (सावधानी) बरतते हुए व्यावहारिक रूप से जुनुबी को चाहिए कि वह गुस्ल कर ले और जनाबत दूर कर ले, फिर मुसहफ़ को छुए या तिलावत करे। क्योंकि शेख अल्बानी भी जुनुबी की तिलावत को इजाज़त के साथ 'मकरूह' (नापसंदीदा) ही कहते हैं। और अगर मजबूरी में उठाना पड़े, जैसे एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मुसहफ़ को छूना क्षम्य (माफ़) है, लेकिन बेहतर यह है कि किसी कपड़े या आड़ की मदद से उठाए।

प्रश्न 343	मासिक धर्म वाली महिला (हाइज़ा) के लिए कुरआन मजीद की तिलावत करने का क्या हुकम है? (सवाल दोहराने का मकसद अन्य फतवों और विद्वानों के कथनों को पेश करना है।)
उत्तर 343	मासिक धर्म वाली महिला (हाइज़ा) के लिए कुरआन करीम की तिलावत करना जायज़ (अनुमति योग्य) है। यह मालिका और जाहिरी विचारधारा का मत है। साथ ही इमाम शाफ़ई (रहमतुल्लाहि अलैहि) से वर्णित उनके पुराने मत (क्रौल-ए-क्रदीम) के अनुसार, इमाम अहमद (रहमतुल्लाहि अलैहि) से वर्णित एक रिवायत के अनुसार, और इसी तरह तबरी (रहमतुल्लाहि अलैहि), इब्न तैमिया (रहमतुल्लाहि अलैहि), इब्न क़य्यिम (रहमतुल्लाहि अलैहि) और इब्न उथैमीन (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने भी इसी को अपनाया है। 'स्थायी फतवा समिति' (लजनह दाइमा) ने भी यही फतवा जारी किया है।

प्रश्न 344	मासिक धर्म (हैज़) की स्थिति में महिला के लिए कुरान (मुसहफ़) को छूने का क्या हुक्म है? (सवाल दोहराने का मकसद अन्य फतवों और विद्वानों के कथनों को प्रस्तुत करना है)
उत्तर 344	मासिक धर्म वाली महिला के लिए कुरान को छूना नाजायज (अमान्य) है। इस पर चारों न्यायशास्त्रीय विचारधाराओं (मज़ाहिब)—हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई और हंबली—का आम सहमति (इत्तेफ़ाक) है। इस मसले में अधिकांश विद्वानों की सर्वसम्मति बताई गई है।

प्रश्न 345	रजस्वला (मासिक धर्म वाली महिला) के लिए अल्लाह तआला का ज़िक्र करने का क्या हुक्म है?
उत्तर 345	रजस्वला (Haiz) और प्रसूता (Nifas) महिलाएँ अल्लाह अज़्ज़-व-जल्ल का ज़िक्र कर सकती हैं और इस पर चारों फ़िक्रही मज़ाहिब: हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई और हनाबिला का इत्तिफ़ाक (सहमति) है और इस मसले में इज्मा (आम सहमति) नक़ल किया गया है।

प्रश्न 346	रजस्वला (मासिक धर्म वाली महिला) के लिए कुरान की तिलावत (पाठ) करने का क्या हुक्म है? आधुनिक फतवों के आलोक में।
उत्तर 346	<ol style="list-style-type: none"> 1. शेख इब्न उथैमीन (रहमतुल्लाहि अलैहि): जहाँ तक केवल तिलावत का मसला है, इसकी अनुमति है; इसे रोकने की कोई दलील (प्रमाण) नहीं है। अलबत्ता, मुसहफ़ (कुरान की किताब) को पकड़कर तिलावत करने के मामले में मतभेद होने के कारण सावधानी इसी में है कि यदि आवश्यकता हो, तो दस्ताने पहनकर या किसी चीज़ की आड़ से (बिना सीधे छुए) पढ़ा जाए। 2. रजस्वला महिला के कुरान तिलावत करने के बारे में शेख बिन बाज़ (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने भी अनुमति दी है। 3. इमाम मालिक, इब्न तैमिया (रहमतुल्लाहि अलैहि) और अश-शौकानी (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने भी इसकी अनुमति दी है।

प्रश्न 347	जिस मोबाइल फोन में कुरान मजीद हो, उसे बिना वजू हाथ लगाने और उसके ज़रिए तिलावत (पाठ) करने का क्या हुक्म है?
उत्तर 347	<ul style="list-style-type: none"> • अश-शेख सालेह अल-फौज़ान (हफिज़हुल्लाह) का कथन: मोबाइल को 'मुसहफ़' (कुरान की किताब) नहीं कहा जा सकता।

	<ul style="list-style-type: none"> • मोबाइल से कुरान मजीद की तिलावत में रजस्वला महिलाओं (मासिक धर्म वाली स्त्रियों) के लिए भी आसानी है। • इसी तरह उन लोगों के लिए भी इसमें आसानी है जिनके लिए हर समय कुरान मजीद अपने साथ रखना मुश्किल है। • या ऐसी जगह पर मौजूद इंसान के लिए भी, जहाँ वजू करना मुश्किल हो; क्योंकि मोबाइल से तिलावत करते हुए बा-वजू (वजू के साथ) होना शर्त नहीं है। • वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।
--	--

प्रश्न 348	क्या 'जुनुबी' (जिस पर गुस्ल वाजिब हो) के लिए जनाबत की स्थिति में और 'हाएजा' (मासिक धर्म वाली महिला) के लिए हैज़ की स्थिति में कुरआन मजीद की तिलावत (पाठ) जायज़ है?
उत्तर 348	<p>सैय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) जनाबत की स्थिति में भी मुसहफ़ (लिखित कुरआन) को छुए बिना कुरआन मजीद की तिलावत के कायल थे (यानी इसे जायज़ समझते थे)।</p> <p>नोट: जम्हूर (विद्वानों का बहुमत) इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इब्न अब्बास (रज़ि.) के इस कौल (कथन) को केवल एक या दो आयतों के लिए माना जाएगा, न कि निरंतर (मुस्तकिल) तिलावत के लिए।</p> <p>नोट: महिलाएं हैज़ (मासिक धर्म) के दिनों में दूसरे ज़िक्र-ओ-अज़कार (अल्लाह की याद और दुआओं) की पाबंदी कर सकती हैं। लेकिन कुरआन मजीद की तिलावत करने के संबंध में उलेमा-ए-किराम (विद्वानों) के बीच मतभेद है। इमाम मालिक (रह.), इमाम बुखारी (रह.), इमाम अबू दाऊद (रह.) और इमाम इब्न अल-मुन्ज़िर (रह.) यह कहते हैं कि विशेष रूप से वे महिलाएं जो 'हाफिज़-ए-कुरआन' हैं, वे मुसहफ़ को हाथ लगाए बिना तिलावत कर सकती हैं। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

गुस्ल (स्नान) के नियम और मसले

प्रश्न 349	गुस्ल (धार्मिक स्नान) फ़र्ज़ होने की शर्तें क्या हैं?
उत्तर 349	<p>ऐसी नौ (9) बातें हैं जिनकी वजह से एक मुसलमान मर्द या औरत पर गुस्ल वाजिब (अनिवार्य) हो जाता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मनी (वीर्य) के उछल कर निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। 2. मर्द के लिंग का औरत के निजी अंग में प्रवेश कर जाने से, मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है।

	<ol style="list-style-type: none"> 3. एहतेलाम (स्वप्नदोष/Nightfall) से गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे वह नींद में हो या जागते हुए। 4. जब किसी मुसलमान का इंतक़ाल (मृत्यु) हो जाए, तो उसे गुस्ल देना वाजिब होता है (शहीद इस नियम में शामिल नहीं है)। 5. जब कोई इस्लाम स्वीकार करता है, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे मुस्तहब (पसंदीदा/ऐच्छिक) कहा है क्योंकि हर कलमा पढ़ने वाले को गुस्ल का हुक्म दिया गया हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता। 6. हैज़ (मासिक धर्म) की अवधि समाप्त होने और रक्त रुकने पर गुस्ल वाजिब होता है। 7. निफ़ास (प्रसव के बाद का रक्त) के रुकने पर गुस्ल वाजिब होता है। 8. जुमे के दिन का गुस्ल अधिकांश विद्वानों के अनुसार मुस्तहब (पसंदीदा) है, लेकिन शेख अल्बानी (رحمة الله عليه) ने इसे वाजिब (अनिवार्य) होने को प्राथमिकता दी है। 9. किसी काफ़िर (अविश्वासी) को दफनाने के बाद, दफनाने वाले मुसलमान पर गुस्ल करना वाजिब है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मुस्तहब है।
--	--

प्रश्न 350	किन अवसरों पर गुसल (स्नान) करना मुस्तहब (पसंदीदा/अनुशंसित) है?
उत्तर 350	<p>वे अवसर जिन पर नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ताकीद (ज़ोर) के साथ गुसल करने का हुक्म दिया है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जुमे का गुसल: लेकिन शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने इसे वाजिब (अनिवार्य) करार देने को प्राथमिकता दी है। 2. दोनों ईदों (ईद-उल-फितर और ईद-उल-अज़हा) का गुसल। 3. मृतक को नहलाने के बाद: नहलाने वाले व्यक्ति के लिए गुसल करना मुस्तहब है। 4. एहराम बांधने से पहले का गुसल। 5. मक्का में प्रवेश करने से पहले का गुसल। 6. अराफ़ा के दिन का गुसल: (यह अली रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रमाणित परंपरा के आधार पर है)। 7. जब कोई इस्लाम स्वीकार करता है: तो उस पर गुसल वाजिब होता है। कुछ विद्वानों ने इसे मुस्तहब कहा है क्योंकि हर कलमा पढ़ने वाले को गुसल का हुक्म दिया गया हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता। 8. मुशरिक (बहुदेववादी) को दफनाने के बाद: दफनाने वाले मुसलमान पर गुसल वाजिब है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह गुसल मुस्तहब है। 9. बेहोशी से होश में आने के बाद।

	<p>10. इस्तिहाजा (बीमारी के कारण रक्तस्राव) वाली महिला के लिए: हर नमाज़ के लिए गुसल करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं।</p> <p>11. हर संभोग (जिमा) से पहले: गुसल करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं।</p>
--	--

प्रश्न 351	क्या जुमे का गुसल और जनाबत का गुसल, दोनों के लिए एक ही गुसल काफी है?
उत्तर 351	<p>पहला मत:</p> <p>एक ही गुसल काफी है।</p> <p>दूसरा मत:</p> <p>दो गुसल जरूरी हैं। शेख अल्बानी के अनुसार, क्योंकि वे जुमे के गुसल को मुस्तहब (पसंदीदा) नहीं बल्कि वाजिब (अनिवार्य) मानते हैं।</p> <p>शेख रज़ाउल्लाह मदनी (हफ़िज़ाहुल्लाह):</p> <p>जुमे के दिन दो गुसल करने की आवश्यकता नहीं है और न ही यह वाजिब (अनिवार्य) है।</p> <p>क्योंकि इस मसले को तवाफ़ के मसले पर कयास (तुलना) करना "कयास मा-अल-फारिक" (गलत तुलना) है।</p> <p>दो तवाफ़ पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उनकी प्रकृति अलग है और उनका समय भी शरिया के अनुसार अलग और निर्धारित है।</p> <p>और गुसल के शब्दों पर गौर करें: "मन् इगतसला यौमल जुमुअति गुसलल जनाबति" (जिसने जुमे के दिन जनाबत जैसा गुसल किया)।</p> <p style="text-align: right;">مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ¹⁵</p> <p>इस हदीस में एक ही गुसल का उल्लेख है, न कि दो गुसल होने का संकेत मिलता है।</p>

प्रश्न 352	गुस्ल (स्नान) के महत्व और फज़ीलत (महिमा) का वर्णन कीजिए?
उत्तर 352	<p>कुरआन मजीद में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है:</p> <p style="text-align: center;">إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ¹⁶</p> <p>(अल-बकरह: 222)</p>

"बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक-साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है।"

कुरआन मजीद में एक और जगह पर अल्लाह तआला का इरशाद है:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ¹⁷

" (अत-तौबा: 108)

"उसमें ऐसे लोग हैं जो खूब पाक (पवित्र) होने को पसंद करते हैं, और अल्लाह तआला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है।"

सैय्यदना अबू मालिक अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फरमाया:

"الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ¹⁸

" "पाकी और सफ़ाई ईमान का हिस्सा है।"

सैय्यदना अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फरमाया:

لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

अल्लाह तआला का हर मुसलमान पर यह हक़ है कि वह हर सात दिन में (कम से कम) एक दिन गुस्ल (स्नान) करे।" (सहीह बुखारी: 898)

अमीर-उल-मोमिनीन सैय्यदना उस्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) रोज़ाना गुस्ल फरमाया करते थे। हुमरान बिन अबान (रहमतुल्लाह अलैहि) कहते हैं:

كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ¹⁹

मैं सैय्यदना उस्मान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के गुस्ल और वजू के लिए पानी रखा करता था और कोई दिन ऐसा नहीं आता था कि वह (पानी) अपने ऊपर न बहा लेते हों (यानी गुस्ल न करते हों)।"

15: "जिसने जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल (नहाने) की तरह गुस्ल किया और फिर (मस्जिद के लिए) निकला, तो मानो उसने एक ऊँट की कुर्बानी दी; और जो दूसरी घड़ी में गया, तो मानो उसने एक गाय की कुर्बानी दी; और जो तीसरी घड़ी में गया, तो मानो उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी; और जो चौथी घड़ी में गया, तो मानो उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी; और जो पाँचवीं घड़ी में गया, तो मानो उसने एक अंडा भेंट (सदका) किया। फिर जब इमाम (खुत्बे के लिए) बाहर आता है, तो फ़रिश्ते ज़िक्र (खुत्बा) सुनने के लिए हाज़िर हो जाते हैं।"

(सहीह बुखारी: 881, सहीह मुस्लिम: 850)

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)

16: (सूरा अल-बक्राह, सूरा नंबर: 2, आयत नंबर: 222)

١٦ (سورة البقرة، سورة نمبر 2، آیت نمبر: 222)

17: (सूरा अत-तौबाह, सूरा नंबर: 9, आयत नंबर: 108)

١٧ (سورة التوبة، سورة نمبر 9، آیت نمبر: 108)

18: (सहीह मुस्लिम, किताबुल तहारत (पवित्रता की किताब), बाब: फ़ज़ल-ए-वज़ू (वज़ू की फज़ीलत का बयान), हदीस नंबर: 223 [534])

صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب فضل الوضوء

प्रश्न 353	क्या पेशाब की सफ़ाई (पवित्रता) न अपनाने वालों के लिए अज़ाब (दंड) की चेतावनी आई है?
उत्तर 353	<p>सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) बयान करते हैं:</p> <p>مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»²⁰</p> <p>"नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मदीना या मक्का के बागों में से एक बाग के पास से गुज़रे, तो आपने दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जा रहा था। नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया: 'इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बहुत बड़े (कठिन) काम की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा (यानी जिससे बचना मुश्किल हो)।' फिर आपने फ़रमाया: 'क्यों नहीं! (बल्कि बात यह है कि) इनमें से एक शख्स पेशाब के छीटों से बचने का एहतिमाम (परहेज) नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था।'"</p>

प्रश्न 354	गुसल (Ghusl) के प्रकारों का वर्णन कीजिए? (फराइज और सुन्न के आधार पर)?
उत्तर 354	<p>1. गुसल-ए-मुज्जी (Ghusl-e-Mujzi):</p> <p>गुसल-ए-मुज्जी वह गुसल कहलाता है जिसमें केवल गुसल के फराइज (अनिवार्य अंग) अदा किए जाते हैं और यह गुसल (शुद्धिकरण के लिए) काफी हो जाता है। (अल-गुसल अल-मुज्जी)</p> <p>2. कामिल गुसल (Kamil Ghusl):</p> <p>कामिल गुसल वह गुसल कहलाता है जिसमें गुसल के फराइज كے ساتھ ساتھ سنتوں (अनिवार्य अंगों के साथ-साथ सुन्न के तरीकों) पर भी अमल किया जाता है। इसी कारण से विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) ने इसे "कामिल गुसल" (पूर्ण गुसल) करार दिया है और यह पसंदीदा और मुकम्मल (पूर्ण) गुसल है।</p>

19. (सहीह मुस्लिम, किताबुत्-तहारत, बाबू फ़ज़िल वुजू वस-सलाति अक्रिबहू - वुजू और उसके बाद नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत, हदीस नंबर: 231 [546])

20. (सहीह बुखारी, किताबुल वुजू, बाबू मनल कबाइरि अन ला यस्ततिर मिन ब्रौलिही - पेशाब के छींटों से न बचना कबीरा गुनाह है, हदीस नंबर: 216)

प्रश्न 355	गुस्ल (स्नान) से पहले वजू करने का क्या हुक्म है?
उत्तर 355	शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैह) ने 'तमाम अल-मिन्ना' में इस पर बयान किया है कि गुस्ल से पहले वजू करना सुन्नत है।

प्रश्न 356	क्या गुस्ल (स्नान), वजू के लिए काफ़ी है?
उत्तर 356	<p>गुस्ल, वजू के लिए उस समय काफ़ी होता है जब गुस्ल 'हदस-ए-अकबर' (यानी मासिक धर्म, प्रसव के बाद का रक्त या सम्भोग के बाद की अशुद्धि) के कारण किया जाए।</p> <p>शेख इब्न बाज़ (रहमतुल्लाह अलैह) फ़रमाते हैं:</p> <p>"जब गुस्ल-ए-जनाबत (सम्भोग के बाद का स्नान) किया जाए और उससे दोनों 'हदस' यानी हदस-ए-असगर (छोटी अशुद्धि) और हदस-ए-अकबर (बड़ी अशुद्धि) दोनों से पाक होने की नियत (इरादा) की जाए, तो यह काफ़ी होगा।</p> <p>लेकिन अगर गुस्ल इसके अलावा कोई और हो, जैसे जुमे का गुस्ल, या गर्मी दूर करने के लिए, या सफ़ाई के लिए, तो यह वजू के लिए काफ़ी नहीं होगा, चाहे इसकी नियत भी कर ली जाए।</p>

	<p>क्योंकि इसमें वह तरतीब (क्रम) नहीं है जो वजू के फ़राज़ (अनिवार्य अंगों) में शामिल है, और इसलिए भी कि इसमें उस 'तहारत-ए-कुबरा' (बड़ी शुद्धि) का वजूद नहीं है जो नियत की बिना पर 'तहारत-ए-सुगरा' (छोटी शुद्धि) की ओर चली जाती है, जैसा कि गुस्ल-ए-जनाबत में होता है।"</p> <p>(समाप्त देखें: मजमू' फ़तावा अल-कुबरा इब्न बाज़ (10/173))</p>
--	--

प्रश्न 357	<p>क्या गुस्ल-ए-जनाबत (अपवित्रता के बाद का स्नान), मासिक धर्म (Period) या प्रसव के बाद के गुस्ल, या इन के अलावा अन्य गुस्ल के लिए वजू करना शर्त (अनिवार्य) है या मुस्तहब (पसंदीदा/ऐच्छिक)?</p>
उत्तर 357	<p>यह मुस्तहब है, वाजिब (अनिवार्य) नहीं। (शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह)</p> <p>सारांश:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह एक सर्वसम्मत मसला है कि किसी भी प्रकार के गुस्ल के लिए गुस्ल से पहले वजू करना शर्त नहीं है, वजू के बिना भी गुस्ल हो जाएगा। अलबत्ता, यह एक अलग मसला है कि यदि बिना वजू के गुस्ल कर लिया तो क्या अब नमाज़ के लिए (दोबारा) वजू करना होगा या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि गुस्ल-ए-जनाबत (दोनों प्रकार की नापाकी यानी हृदय-ए-असगर और हृदय-ए-अकबर दोनों से पाक होने की नीयत की जाए) में यह संभव है, जबकि अन्य गुस्ल में यह मुमकिन नहीं कि गुस्ल में वजू को भी शामिल मान लिया जाए। 2. गुस्ल से पहले वजू मुस्तहब है, वाजिब नहीं। (शेख बिन बाज़ और शेख अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैहिमा) 3. गुस्ल-ए-जनाबत में यदि बड़ी और छोटी नापाकी (हृदय-ए-अकबर और हृदय-ए-असगर) दोनों से पाकी की नीयत हो, तो गुस्ल के साथ वजू भी हो जाता है क्योंकि इसके लिए दलील (प्रमाण) मौजूद है। (इब्न उसैमीन) 4. गुस्ल-ए-जनाबत के अलावा जो दूसरे गुस्ल होते हैं, जैसे सफाई के लिए किया गया गुस्ल, तो उनमें वजू के स्थान पर केवल गुस्ल काफी नहीं होता। चूंकि गुस्ल-ए-जनाबत के लिए दलील मिली थी तो उसमें अनुमति दी गई, लेकिन अन्य गुस्ल में दलील न मिलने पर गुस्ल में वजू को शामिल नहीं माना जाएगा। बात मूल नियम पर लौट जाएगी कि वजू में क्रम (तरतीब) अनिवार्य है और गुस्ल से वजू पूरा होने की दलील इन अन्य प्रकार के गुस्ल में मौजूद नहीं है (जैसा कि गुस्ल-ए-जनाबत की दलील मौजूद है)। इसलिए अन्य गुस्ल में पहले पूरा वजू करें या वजू के अंगों को धो लें और पैरों को गुस्ल के अंत में धोएं, इससे गुस्ल और वजू दोनों हो जाते हैं।

5. यदि गुस्ल के दौरान (हाथ का) सीधा संपर्क शर्मगाह से हो जाए, तो कुछ विद्वानों के अनुसार वजू टूट जाता है और कुछ के अनुसार यदि कामुकता (शहवत) के साथ स्पर्श हो तो वजू टूटता है (विस्तार के लिए 'नवाकिज़-ए-वजू' यानी वजू तोड़ने वाली चीजों का अध्याय देखें)। इसमें सावधानी इसी में है कि यदि बिना किसी कपड़े या आड़ के हाथ लग जाए तो वजू दोहरा लिया जाए, ताकि इबादत यकीन (पक्के विश्वास) के साथ अदा की जाए न कि संदेह की स्थिति में। वल्लाह आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।

नोट: शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम (हफ़िज़हुल्लाह) ने एक बेहतरीन नसीहत की है कि: फ़िक्रही बारीकियों, जैसे 'मक्ररूह' या 'मुस्तहब' की बहस में ऐसा न हो कि सुन्नत के तरीके और असल अमल को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए। असल ज़रूरत यह है कि यदि गुस्ल या वजू का सही और प्रमाणित मसनून तरीका उपलब्ध हो जाए, तो उसी तरीके पर अमल करना चाहिए। यह वह तरीका है जिसे मुहद्दीसीन (हदीस के विद्वानों) ने हमेशा प्राथमिकता दी है। केवल 'वाजिब' पर निर्भर रहने और 'मुस्तहब' व 'सुन्नत' को छोड़ने की आदत को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि पूरी तरह सुन्नत का पालन करें। फ़िक्रही मतभेदों और मुस्तहब के दर्जे का ख्याल रखते हुए सुन्नत को पीछे छोड़ देना दीन के मिज़ाज के खिलाफ है, और इससे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।

प्रश्न 358

गुस्ल (स्नान) के फ़र्ज़ और अरकान (अनिवार्य तत्व/वाजिबात) बयान करें?

उत्तर 358

1. गुस्ल की नीयत करना। (सहीह बुखारी: 1)
2. और शेख अल्बानी (رحمة الله عليه) के अनुसार तस्मिया (बिस्मिल्लाह पढ़ना) गुस्ल में भी वजू की तरह वाजिब है। गुस्लखाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें।
3. कुल्ली करना। (सहीह बुखारी: 257)
4. नाक में पानी चढ़ाना। (सहीह बुखारी: 257)

नोट: शेख अल्बानी (رحمة الله عليه) गुस्ल में कुल्ली करने और नाक में पानी लेने को वाजिब और फ़र्ज़ नहीं मानते, अलबत्ता वजू में वाजिब और फ़र्ज़ मानते हैं। गुस्ल में वाजिब न होने की वजह शेख के पास यह है कि वजू गुस्ल का लाज़मी हिस्सा नहीं है। लेकिन शेख इब्ने उथैमीन (رحمة الله عليه) ने इसके वाजिब होने की दलील कुरान की आयत 'फात्तहहरू' (तो पवित्रता प्राप्त करो) से साबित की है। इसलिए सावधानी इसी में है कि कुल्ली और नाक में पानी लेना तर्क (छोड़ना) न करें। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

5. पूरे शरीर पर पानी बहाना, यहाँ तक कि हर जगह पानी पहुँच जाए और कोई जगह सूखी न रहे। (सहीह बुखारी: 256)

	<p>6. अगर सिर के बाल घने हों तो 'खिलाल' करे (رحمة الله عليه उथैमीन) और यदि शरीर के बाल सख्त हों या अत्यधिक होने की वजह से पानी न पहुँच सके (जिसे अरबी में 'शआरानी' कहा जाता है), तो ऐसी स्थिति में अच्छी तरह 'दल्क' (रगड़ना) न भूले, क्योंकि ऐसी स्थिति में 'دلک' (रगड़ना) वाजिब है। यह शेख अल्बानी (رحمة الله عليه) की तहक़ीक़ (शोध) और तरज़ीह के मुताबिक है।</p> <p>7. गुस्ल के दौरान अपने निजी अंगों (शर्मगाह) को लोगों से छुपाना। (सहीह मुस्लिम: 338 [768])</p> <p>8. गुस्ल के दौरान यदि बिना किसी पर्दे या ओट के हाथ शर्मगाह को लग जाए, तो कुछ विद्वानों के अनुसार वजू टूट जाता है और कुछ विद्वानों के अनुसार यदि बिना पर्दे के कामुकता (शहवत) के साथ हाथ लगे तो वजू टूट जाता है। इसमें सावधानी यह है कि वजू दोबारा कर लिया जाए यदि बिना पर्दे के हाथ लग गया हो, ताकि इबादत (पूजा) यकीन के साथ अदा की जाए न कि शक की स्थिति में। वल्लाहु आलम।</p>
--	--

प्रश्न 359	गुस्ल-ए-कामिल (पूर्ण स्नान) के मसनून (सुन्नत) आमाल क्या हैं?
उत्तर 359	<p>1) गुस्ल के प्रकार के निर्धारण के साथ विस्तार से नियत (संकल्प) करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • विशेष रूप से: यदि जनाबत का गुस्ल हो, तो जनाबत की नियत करना (अर्थात् मन में नापाकी दूर करने की नियत करना)। • महिलाओं के लिए: यदि 'हैज़' (मासिक धर्म) या 'निफ़ास' (प्रसव के बाद का रक्त) का गुस्ल हो, तो 'हैज़' या 'निफ़ास' की नियत करना (अर्थात् मन में नापाकी दूर करने की नियत करना)। • इसी प्रकार यदि जुमे का गुस्ल हो (जो मुस्तहब है, और कुछ मतों के अनुसार वाजिब है), तो जुमे के गुस्ल की नियत करना। <p>बहुसंख्यक विद्वानों (जमहूर उलमा-ए-किराम) के अनुसार गुस्ल की नियत करना गुस्ल का एक हिस्सा (रुकन) है, हालांकि (नियत में गुस्ल के प्रकार का) निर्धारण करना रुकन या फ़र्ज़ नहीं है।</p> <p>2. बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब (पसंदीदा) है {हमाम (बाथरूम) में जाने से पहले}। लेकिन शेख अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह वाजिब (अनिवार्य) है, क्योंकि वुजू और गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है।</p> <p>3. दोनों हाथों को धोना।</p> <p>4. शर्मगाह और शरीर के अन्य हिस्सों से गंदगी और अशुद्धि को दूर करना।</p>

5. गुस्ल की पूरी तरतीब (क्रम) को जहन (दिमाग) में रखकर तरतीब के हिसाब से गुस्ल करना। (गुस्ल में तरतीब वाजिब नहीं है)।
6. गुस्ल की पूरी प्रक्रिया को निरंतरता (تسلسل) के साथ बिना किसी लंबे अंतराल के पूरा करना।
7. गुस्ल से पहले पूरा मुकम्मल वुजू करना (जिस तरह नमाज़ के लिए वुजू किया जाता है)।
8. तीन बार सिर पर पानी बहाना और साथ ही मलने व रगड़ने का ध्यान रखना।
9. पूरे शरीर को मलने और रगड़ने का ध्यान रखना (साबुन और शैम्पू का उपयोग करना भी इसमें शामिल है)।
10. जहाँ-जहाँ मैल जमा हो सकता है, उन जगहों को अच्छी तरह मलकर साफ़ करने का विशेष ध्यान रखना, जैसे: बगल, जांघें, घुटने और शरीर के अन्य मुड़े हुए हिस्से या सिलवटें।
11. गुस्ल के सभी कार्यों को सीधे (दाएं) हाथ की तरफ से शुरू करना।

नोट: हदसे अकबर (बड़ी अशुद्धि) का गुस्ल कर लेने से हदसे असगर (छोटी अशुद्धि/बिना वुजू की स्थिति) भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने दोनों की नीयत (इरादा) की है, या सिर्फ हदसे अकबर के लिए गुस्ल किया है, तो उसकी वजह से हदसे असगर भी खत्म हो गया है— चाहे उसने वुजू किया हो या नहीं, या हदसे असगर खत्म होने की नीयत की हो या न की हो। यही जमहूर (बहुसंख्यक विद्वानों) जैसे हनफिया, मालिकिया और शाफईया के सही कथन के मुताबिक मज़हब है। और इसी को इब्ने तैमिया और इब्ने उथैमीन (रह.) ने अपनाया है और इस मुद्दे पर इज्मा (सहमति) नक़ल किया गया है।

प्रश्न 360	गुसल (स्नान) की मकरूहात (नापसंदीदा बातें) क्या हैं?
उत्तर 360	गुसल की वह मकरूहात जिनका अक्सर लोग अनजाने में शिकार हो जाते हैं, निम्नलिखित हैं: <ol style="list-style-type: none"> 1. पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। 2. ठहरे हुए (रुके हुए) पानी में गुसल करना। 3. गुसल के बाद पाकी (शुद्धता) के बारे में शक और संदेह करना। 4. शरीर के बाईं (left) ओर से गुसल शुरू करना।

	5. बिना किसी शरीई उज्र (धार्मिक कारण) के गुसल करने के बजाय सिर्फ शरीर को पोंछ लेना।
--	---

प्रश्न 361	(सामान्य) गुसल का मसनून तरीका तस्वीरों के साथ बयान कीजिए?	
उत्तर 361		
चरण (Step)	क्रिया का विवरण	संदर्भ (हदीस)
Step 1	गुसल की दिल में नीयत करना।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 2	दोनों हाथों को कलाईयों तक धोना।	बुखारी: 262, मुस्लिम: 316 [721]
Step 3	कुल्ली करना (तीन बार)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 4	नाक में पानी चढ़ाना (तीन बार)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 5	चेहरा धोना (तीन बार)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 6	कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]

Step 7	सर का मसह करना (एक बार)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 8	कानों का मसह करना (एक बार)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 9	वजू मुकम्मल (पूरा) होने के बाद सर पर तीन मर्तबा पानी बहाना और सर के बालों का खिलाल करना व सर को मलना।	बुखारी: 272, मुस्लिम: 316 [721]
Step 10	पूरे जिस्म पर पानी बहाना; पहले शरीर के सीधे (दाएं) हिस्से पर, फिर उल्टे (बाएं) हिस्से पर पानी बहाना/डालना। साथ ही अपने शरीर को मलना और पानी बहाना, यहाँ तक कि शरीर का हर अंग और उसका हिस्सा गीला हो जाए। (इसी दौरान साबुन और शैम्पू के साथ गुसल करने की भी विद्वानों ने अनुमति दी है)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]
Step 11	गुसल के आखिर में अपने दोनों पैरों को धोना। (कुछ विद्वानों ने वजू के साथ ही पैर धोने का जिक्र किया है)।	बुखारी: 248, मुस्लिम: 316 [721]

प्रश्न 362	गुस्ल-ए-जनाबत / गुस्ल-ए-हैज व निफ़ास का सुन्नत तरीका तस्वीरों के साथ बयान करें?	
उत्तर 362		
स्टेप (Step)	विवरण (Description)	संदर्भ (Reference)
Step 1	गुस्ल की दिल में नियत करना (पुरुष/महिला):	बुखारी: 248
	यदि जनाबत (अशुद्धि) से हों तो दिल में जनाबत की नियत करें। यदि महिलाएँ हैज (मासिक धर्म) या निफ़ास से हों, तो पवित्रता की नियत करें। इसी तरह पुरुष/महिला को एहतलाम (स्वप्नदोष) होने पर भी दिल में नियत करें।	मुस्लिम: 316 [721]
Step 2	दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना।	बुखारी: 248
		मुस्लिम: 316 [721]

Step 3	<p>यदि गुस्ल-ए-जनाबत यानी सहवास (हमबिस्तरी) के बाद गुस्ल करना हो, तो हाथों को धोने के बाद (महिला और पुरुष) अपने गुप्त अंगों (शर्मगाह) और जांघों को, या जहाँ भी गंदगी (नजासत) लगी हो, उसे अच्छी तरह धो लें। इसके बाद वजू करें और फिर गुस्ल के बाकी सभी चरणों (steps) को पूरा करें।</p> <p>इसी तरह महिलाएँ हैज (मासिक धर्म) और निफ़ास के बाद भी यही प्रक्रिया अपनाएँ; यानी हाथ धोने के बाद अपने गुप्त अंगों को अच्छी तरह धो लें, फिर वजू करें और उसके बाद गुस्ल के अन्य सभी चरणों (steps) को पूरा करें।</p>	<p>सही मुस्लिम: 316 [718]</p>
Step 4	कुल्ली करना (तीन बार)।	<p>बुखारी: 248</p> <p>मुस्लिम: 316 [721]</p>
Step 5	नाक में पानी डालना (तीन बार)।	<p>बुखारी: 248</p> <p>मुस्लिम: 316 [721]</p>
Step 6	चेहरा धोना (तीन बार)।	<p>बुखारी: 248</p> <p>मुस्लिम: 316 [721]</p>
Step 7	कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना।	<p>बुखारी: 248</p> <p>मुस्लिम: 316 [721]</p>
Step 8	नोट: गुस्ल-ए-जनाबत में सिर का मसह नहीं है (बल्कि पूरा धोना है)।	<p>मुनन अन-नसाई: 422, सही</p>
Step 9	वजू पूरा होने के बाद सिर पर पानी बहाना और सिर के बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाना।	<p>बुखारी: 248</p> <p>मुस्लिम: 316 [721]</p>

Step 10	पूरे शरीर पर पानी बहाना: पहले शरीर के सीधे (दाहिने) हिस्से पर पानी बहाएँ, इसके बाद उल्टे (बाएँ) हिस्से पर पानी बहाएँ/डालें। साथ ही अपने शरीर को मलें और पानी बहाएँ, यहाँ तक कि शरीर का हर-हर अंग और उसका हिस्सा गीला (तर) हो जाए। (इसी दौरान साबुन और शैंपू के साथ गुस्ल करने की भी विद्वानों (उलेमा) ने इजाजत दी है)।	बुखारी: 248
Step 11	अंत में दोनों पैर धोना: गुस्ल के आखिर में अपने दोनों पैर धोएं। (कुछ विद्वानों ने वजू के साथ ही पैर धोने का जिक्र किया है)।	बुखारी: 248 मुस्लिम: 316 [721]

प्रश्न 363	गुस्ल-ए-जनाबत (स्नान) का मसनून (सुन्नत) तरीका क्या है?
उत्तर 363	<ol style="list-style-type: none"> 1. गुस्ल करने से पहले नीयत करना वाजिब है। (सहीह बुखारी: 1) 2. 'बिस्मिल्लाह' पढ़कर गुस्ल खाने (बाथरूम) में दाखिल होना चाहिए। और अगर 'बिस्मिल्लाह' याद रहे तो कहना वाजिब है, लेकिन अगर भूल गए तो गुस्ल सही है, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह के अज़कार (जिक्र) के भूल जाने में सख्ती नहीं बल्कि माफी है। 3. दोनों हाथ धोना: यह मसनून (सुन्नत) है। लेकिन अगर नींद से उठकर पानी में हाथ डालना हो, तो पहले हाथों को धोना वाजिब है। इसलिए अगर कोई बर्तन हो (जैसे मग/लौटा आदि), तो उससे हाथ धो लें वरना टोटी (नल) वगैरह से हाथ अच्छी तरह धो लें। बिना हाथ धोए बाल्टी वगैरह में हाथ न डालें। 4. फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाल कर शरीर पर लगी गंदगी (नजासत) को साफ़ करें। 5. फिर हाथों को साबुन या मिट्टी से अच्छी तरह धोएं। 6. फिर नमाज़ के वजू की तरह वजू करें (सिर्फ पैर छोड़ दें): कुल्ली करना (3 बार), नाक में पानी डालना (3 बार), चेहरा धोना (3 बार), कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना।

- नोट: गुस्ल-ए-जनाबत में सिर का मसह (भीगे हाथ फेरना) लाज़िम नहीं है बल्कि वैकल्पिक है, क्योंकि सिर पर तीन बार पानी डालना है जिससे सिर भीग ही जाएगा।

7. फिर उंगलियों के ज़रिए पानी बालों की जड़ों तक पहुँचाएं।
8. फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के ज़रिए सिर के बालों की तह (अंदरूनी हिस्से) में दाखिल करें।
9. फिर तीन चुल्लू भरकर सिर पर डालें और बालों के नीचे तक पानी पहुँचाएं।
10. फिर पूरे शरीर पर पानी बहाएं और कोई भी चीज़ जो पानी को शरीर तक पहुँचने से रोकती हो, उसे हटा दें।
11. अगर शरीर पर बाल सख्त हों या सर्दी के दिनों में खुश्की या तेल की तरह की कोई फिसलने वाली चीज़ लगी हो, या महिलाओं के नाखून पर पेंट (नेल पॉलिश) की तरह की कोई रुकावट हो, तो उस रुकावट को हटाना ज़रूरी है। शरीर को अच्छी तरह मलकर साफ़ करें ताकि गुस्ल पूरा हो जाए।
12. जहाँ-जहाँ मैल जमा हो सकता है, उन जगहों को खूब अच्छी तरह मलकर सफाई का अहतिमाम (प्रबंध) करना चाहिए जैसे बगल, जांघों के जोड़, घुटने और हर उभरी हुई या गहराई वाली जगह।
13. आखिर में उस जगह से अलग हटकर दोनों पैर धो लें। (सहीह बुखारी: 248, 257, 272)
14. गुस्ल की शुरुआत दाईं ओर (सीधे हाथ की तरफ) से करनी चाहिए। (सहीह बुखारी: 168, 258)
15. गुस्ल-ए-जनाबत में औरत के लिए सिर की मेंढियां (चोटियां) खोलना अगर मुश्किल हो तो खोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर-हर बाल का तर (भीगा हुआ) होना ज़रूरी है। (सुनन अबू दाऊद: 255)। लेकिन गुस्ल-ए-हैज़ (मासिक धर्म के बाद का स्नान) में चोटियां खोलना वाज़िब है।
16. गुस्ल करते समय पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। रसूलुल्लाह ﷺ कम पानी से गुस्ल कर लिया करते थे। (सहीह बुखारी: 201)
17. छिपकर और सतर (पर्दा) ढक कर गुस्ल करना चाहिए। (सुनन अबू दाऊद: 4012)

18. औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल किया जा सकता है, बशर्ते वह एहतियात से गुस्ल करने वाली हो। (सुनन अबू दाऊद; सहीह मुस्लिम: 323)
19. पति और पत्नी एक साथ गुस्ल-ए-जनाबत कर सकते हैं। (सहीह बुखारी: 261)
20. ऐसे गुस्ल खाने जहाँ बैतुल खला (टॉयलेट) भी साथ हो, तो ऐसी जगह नहाएं जहाँ से गंदगी के छींटे न पड़ सकें। (फ़तावा अल-लजनतुल दाइमा: 5/86)
21. मसनून गुस्ल के बाद वजू की ज़रूरत नहीं है। (सुनन अबू दाऊद: 250) बशर्ते कि गुस्ल में वजू करने के बाद शर्मगाह (प्राइवेट पार्ट) को हाथ न लगा हो।
22. गुस्ल के बाद तौलिए का इस्तेमाल और हाथों को झटकना दुरुस्त (जायज़) है। (सहीह बुखारी: 276)

हैज़ (मासिक धर्म), इस्तेहाज़ा (अनियमित रक्तस्राव) और निफ़ास (प्रसवोत्तर रक्तस्राव) से संबंधित 66 अहकाम (नियम/आदेश)

प्रश्न 364	औरतों में हैज़ (मासिक धर्म) कैसे शुरू हुआ?
उत्तर 364	<p>हैज़ की शुरुआत के संबंध में सैय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) की मौक़ूफ़ रिवायत है:</p> <p style="text-align: right;"> وقولُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بناتِ آدمَ». وقال بعضهم: كان أوّل ما أرسلَ الحيضُ على بني إسرائيلَ. قال أبو عبدِ اللهِ: وحديثُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أكثرُ 21 </p> <p>"और नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का फरमान है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम (अलैहिस्सलाम) की बेटियों की तक़दीर में लिख दिया है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि सबसे पहले मासिक धर्म (हैज़) बनी इसराइल में आया, लेकिन अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि) कहते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हदीस में तमाम औरतें शामिल हैं।" 22</p> <p>अर्थात्, हदीस से टकराव के आधार पर कुछ लोगों के उस कथन को खारिज करने की ओर इशारा है कि यह केवल बनी इसराइल में शुरू हुआ।</p>

उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि हम रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ हज के लिए इस तरह निकले कि हमारी जुबान पर हज के अलावा और कोई जिक्र नहीं था। जब हम 'सरफ' नामक स्थान पर पहुँचे तो मुझे मासिक धर्म आ गया। (इस दुख से) मैं रो रही थी कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तशरीफ लाए और पूछा: तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा: काश! मैं इस साल हज का इरादा ही न करती। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: शायद तुम्हें मासिक धर्म आ गया है? मैंने कहा: हाँ। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया:

((فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ))

"यह वह चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिए तय कर दी है।"

इसलिए जब तक तुम पाक न हो जाओ, बैतुल्लाह के तवाफ के अलावा हाजियों की तरह बाकी तमाम काम पूरे करो।²³

इस हदीस से यह बात मालूम होती है कि मासिक धर्म की शुरुआत आदम (अलैहिस्सलाम) की बेटियों से ही है। (रहा यह कथन कि: "सबसे पहले मासिक धर्म बनी इसराइल पर भेजा गया") तो यह एक इसराइली रिवायत है। इमाम बुखारी (रहमतुल्लाह अलैहि) और अधिकांश मुहद्दीसीन (हदीस के विद्वानों) ने इस बात का खंडन किया है कि मासिक धर्म की शुरुआत बनी इसराइल की औरतों से हुई। 'मुसन्निफ अब्दुल रज्जाक' में इस तरह की रिवायतें मिलती हैं।

चुनांचे, वैज्ञानिक रूप से (Scientifically) भी यह बात साबित है कि मासिक धर्म औरतों के लिए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की निशानी है। और अगर किसी महिला को गर्भ न हो और फिर भी उसे मासिक धर्म न आए, तो यह एक प्रकार की बीमारी है। उलेमा-ए-किराम कहते हैं कि अल्लाह... (पाठ यहाँ समाप्त होता है)।

ईश्वर (तआला) ने महिलाओं को इस तरह पैदा फ़रमाया है कि उन्हें मासिक धर्म (हैज़) आना लाज़मी है और यह महिलाओं के हाथ में नहीं है।

इसलिए महिलाएं मासिक धर्म पर जो सब्र करती हैं, अल्लाह तआला उन्हें उसका अज़्र-ओ-सवाब (पुण्य और फल) अता फ़रमाएगा। इन तमाम हवालों (संदर्भों) से यह बात मालूम हुई कि मासिक धर्म पहले से है, इसकी शुरुआत बनी इस्राइल की औरतों से नहीं हुई, बल्कि रोज़-ए-अव्वल (सृष्टि के आरंभ) से ही मासिक धर्म को महिलाओं के हक़ में लिख दिया गया है। वल्लाहु आलम (और अल्लाह बेहतर जानता है)।

21: सहीह अल-बुखारी किताब: हैज़ (मासिक धर्म)

बाब: हैज़ की शुरुआत कैसे हुई और नबी ﷺ का कथन

नबी ﷺ का यह कथन:

“यह वह चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है।”

और कुछ लोगों ने कहा:

“बनी इसराईल पर हैज़ सबसे पहले भेजा गया।”

صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ أَوَّلَ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ

22: सहीह अल-बुखारी, किताब: हैज़,

बाब: हैज़ की शुरुआत कैसे हुई —

इस बयान में हैज़ की शुरुआत का उल्लेख किया गया है,

जिसे इमाम बुखारी رحمه الله ने स्पष्ट किया है।

(صحیح البخاری، کتاب الحيض، [1] بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ - اس بیان میں کہ حیض
کی ابتداء کس طرح ہوئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلق بیان کیا ہے)

23: (सहीह अल-बुखारी: 305)

(صحیح البخاری: 305)

प्रश्न 365	मासिक धर्म (हैज़) का कारण और इसकी वजह क्या है?
उत्तर 365	(कहा जाता है कि) हव्वा (अलैहिस्सलाम) द्वारा वृक्ष के करीब जाने के लिए उकसाने के कारण उन्हें यह सज़ा दी गई कि उनका गर्भ कष्टदायक होगा.... 1. इस रिवायत (कथन) का संबंध इसराइली रिवायतों से है, इसलिए यह रिवायत दलील (सबूत) के तौर पर मान्य नहीं है। और अल्लाह बेहतर जानता है। 2. विद्वानों ने इसराइली रिवायत का खंडन करते हुए कहा है कि इसराइली रिवायतों में असली जिम्मेदार और गलती का कारण हव्वा (अलैहिस्सलाम) को बताया गया है, जबकि कुरान में गलती का श्रेय दोनों (आदम और हव्वा) की ओर दिया गया है और अल्लाह ने दोनों की तौबा (क्षमा) स्वीकार की है।

	<p>3. "दोनों ने कहा: ऐ हमारे रब! हमने अपने आप पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया, तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे।" (अल-आराफ: 23)</p> <p>4. यह भी दलील है कि: "तो उसने (शैतान ने) उन दोनों को धोखे से (नीचे) खींच लिया।" (अल-कुरान)</p> <p>5. कुरान मजीद में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा (अलैहिमुस्सलाम) दोनों को संबोधित किया गया है, और गलती का ज़िम्मेदार केवल हज़रत हव्वा को नहीं ठहराया गया है। दोनों ने शैतान के बहकावे में आकर प्रतिबंधित वृक्ष से खाया और फिर दोनों ने मिलकर अल्लाह ताला से माफी मांगी।</p> <p>कुरान मजीद में गलती का ज़िम्मेदार सिर्फ हज़रत हव्वा को नहीं ठहराया गया, बल्कि दोनों ने साझा तौर पर इस काम में हिस्सा लिया और फिर दोनों ने मिलकर तौबा की।</p>
--	--

प्रश्न 366	मासिक धर्म (حيض - हैज़) के खून का रंग कैसा होता है?
उत्तर 366	विद्वान उलेमा-ए-किराम) कहते हैं कि मासिक धर्म के खून का रंग लाल, काला, मटमैला (मिट्टी जैसा) और पीला होता है। शेख अलबानी (رحمة الله عليه) कहते हैं कि 'गदला' (गंदा/धुंधला पानी), जो काले और सफेद के बीच का रंग होता है, वह भी मासिक धर्म (हैज़) कहलाता है।

प्रश्न 367	हैज़ (Haiz) और इस्तिहाज़ा (Istihaza) में क्या अंतर है?		
उत्तर	इस्तिहाज़ा और हैज़ में अंतर निम्नलिखित है:		
क्र.सं.	लक्षण (Alamat)	हैज़ (Haiz)	इस्तिहाज़ा (Istihaza)
1	रंग	हैज़: काला	इस्तिहाज़ा: लाल
2	पतला या गाढ़ापन	हैज़: गाढ़ा	इस्तिहाज़ा: पतला
3	गंध (Bo)	हैज़: सड़ी हुई दुर्गंध	इस्तिहाज़ा: दुर्गंध रहित (बदबू नहीं)
4	जमना या तरल रहना	हैज़: बहने के बाद जमता नहीं है	इस्तिहाज़ा: बहने के बाद जम जाता है

प्रश्न 368	मासिक धर्म (हैज़) की अवधि कितनी है?
------------	-------------------------------------

उत्तर 368	मासिक धर्म की अवधि, आयु और समय निर्धारित नहीं है; इस मसले (विषय) में फ़क्रहा (इस्लामी न्यायविदों) के बीच मतभेद है। नोट: <ul style="list-style-type: none"> • तर्कसंगत (राजिह) बात यह है कि मासिक धर्म की कोई न्यूनतम या अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। • इमाम शौकानी (رحمة الله عليه) फरमाते हैं कि इसके लिए कुरान और हदीस में कोई दलील मौजूद नहीं है, और इस बारे में जो रिवायतें पेश की जाती हैं, वे ज़ईफ़ (कमज़ोर) और मौज़ू (गढ़ी हुई) हैं।²⁴
-----------	--

प्रश्न 369	मासिक धर्म (हैज़) के शुरू होने की उम्र क्या होती है?
उत्तर 369	शेख़ इब्न उथैमीन (رحمة الله) ने कहा: इमाम दारमी (رحمة الله) ने इस विषय पर काफी लंबी चर्चा की है और (इस मामले में दी गई) तमाम बातों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि असल बात यह है कि जिस समय भी 'रक्त' (खून) आएगा, उस पर मासिक धर्म (हैज़) के नियम लागू होंगे। इस मामले में उम्र की कमी या अधिकता पर बहस नहीं की जाएगी। यही राय इमाम इब्न तैमिया (رحمة الله) की है और शेख़ अल्बानी (رحمة الله) भी यही कहते हैं। ²⁵

24 (अल-सैल अल-जरर अल-मुतदफ़िक्क 'अला हदाएक अल-अज़हार, पृष्ठ: 90)

(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ص: 90)

25 (मजमू' अल-फ़तावा इब्न तैमिया: 19 / 237 - अद-दिमा अल-तबीइय्या, पृष्ठ: 7 - अश्-शर्ह अल-मुमति': 1 / 400)

(مجموع الفتاوى ابن تيمية: 19 / 237 - الدماء الطبيعية، ص: 7 - الشرح الممتع: 1 / 400)

प्रश्न 370	माहवारी (हैज़) खत्म होने की उम्र क्या है?
उत्तर 370	कुछ लोग कहते हैं कि माहवारी आने की उम्र पचास साल तक है और इस उम्र के बाद अगर किसी को खून आए तो वह माहवारी शुमार (count) नहीं होगा। यह राय 'राजेह' (अधिक प्रमाणिक) नहीं है। इसकी वजह यह है कि कुरान और हदीस में माहवारी रुकने की कोई उम्र तय नहीं है, जैसा कि शेख़ इब्न उथैमीन (رحمة الله) कहते हैं: इसमें यह राय 'राजेह' है कि माहवारी का खून जब तक औरत को ज्ञात लक्षणों के मुताबिक आता है, वह माहवारी का खून ही कहलाता है। इसमें यह बात भी है कि औरत को माहवारी

आने और रुक जाने में उम्र की कोई कैद (सीमा) नहीं है। इसलिए, अगर किसी महिला को पचास साल के बाद भी खून आता है, तो वह माहवारी का खून ही माना जाएगा और उस पर माहवारी के तमाम नियम लागू होंगे।

लिहाजा, वह माहवारी के दौरान नमाज़ और रोज़ा छोड़ देगी और जब वह गुस्ल (पाकी का स्नान) करके पाक हो जाएगी, तो रोज़ों की कज़ा करेगी (बाद में रखेगी)। जिस महिला को पीलापन या मटमैला (yellowish or muddy) खून आता है, तो अगर वह आदत के दिनों में है तो माहवारी माना जाएगा, और अगर उन दिनों के बाद आता है तो माहवारी में शुमार नहीं किया जाएगा। और अगर महिला का खून वही चिर-परिचित (known) खून है और अपनी तारीखों से आगे या पीछे है, तो इसमें कोई फर्क नहीं माना जाएगा।

अतः जब किसी महिला को पचास साल के बाद भी इस तरह माहवारी आए, तो वह नमाज़ और रोज़ा रोक दे और गुस्ल के बाद उसकी पाकी शुमार होगी। यह सबसे सही राय है कि माहवारी रुकने की कोई तय उम्र नहीं है।

बेशक, कुछ लोगों का रुख (हनबला में से) यह है कि अगर किसी औरत को पचास साल के बाद खून आता है, तो उसे माहवारी नहीं माना जाएगा। पचास साल की उम्र के बाद आदत और मामूल (routine) को भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ तक कि अगर वह खून काला भी हो, तब भी वह माहवारी का खून नहीं होगा। इसलिए किसी महिला को पचास साल के बाद खून आने पर वह न तो नमाज़ छोड़ेगी और न ही रोज़ा छोड़ेगी और न ही उस पर गुस्ल फर्ज़ होगा। (शेख इब्न उथैमीन (رحمه الله) कहते हैं) हमारे नज़दीक यह राय सही नहीं है।²⁶

प्रश्न 371	पाकी (तुह) की अवधि कितनी होती है?
उत्तर 371	पाकी की अवधि भी तय नहीं है।

प्रश्न 372	गर्भावस्था (حمل - pregnancy) की स्थिति में जो खून आता है, उसका क्या हुकम है?
उत्तर 372	गर्भावस्था की स्थिति में जो खून आता है वह माहवारी (हैज़) नहीं है, बल्कि वह कोई दूसरा खून है। मौजूदा दौर के आधुनिक टेक्नोलॉजी और शोध (research) के आधार पर विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) ने यह फैसला दिया है।

26: (मजमूअ फतावा व रसायल इब्न उथैमीन: 11/269-270, संख्या: 214, प्रकाशक: दारुल वतन, दारुल थुरैय्या)

प्रश्न 373	तुह (Tuhr) की पहचान (मासिक धर्म/हैज़ के समाप्त होने का लक्षण) क्या है?
------------	--

उत्तर 373	<p>क़िस्सा-ए-बैज़ा (Qissa-e-Baiza): यह उस सफेद बहने वाले पदार्थ (तरल) को कहते हैं जो मासिक धर्म रुकने पर निकलता है।</p> <p>यदि किसी स्त्री को यह सफेद तरल न निकलता हो, तो इसके बजाय दूसरी पहचान सूखापन है। स्त्री रुई (cotton) के माध्यम से यह पता करती है कि यदि रुई पर खून, पीला रंग या कोई मटमैलापन नज़र न आए, तो इसका अर्थ है कि मासिक धर्म आना बंद हो गया है और यह तुह (पवित्रता) का लक्षण है।</p>
-----------	---

प्रश्न 374	क्या हैज़ (मासिक धर्म) में दिनों का एतबार (गणना) होगा या खून का?
उत्तर 374	अगर कोई अपनी आदत के खिलाफ दिनों में कमी या बढ़ोतरी महसूस करे—उदाहरण के लिए, यदि आदत 7 दिन की थी और अब 6 दिन या 8 दिन हो गए—तो दिनों का एतबार नहीं होगा। फ़ैसला हैज़ (खून) के वजूद (होने) और अदम-ए-वजूद (न होने) की बुनियाद पर होता है। ²⁷

प्रश्न 375	यदि किसी महिला को पीला, मटमैला (धुंधला) या पीले और काले के बीच के रंग का डिस्चार्ज, या केवल नमी महसूस हो, तो उसके बारे में क्या आदेश (हुक्म) है?
उत्तर 375	<p>यदि किसी महिला को पीला, मटमैला या पीले और काले के बीच का रंग या केवल नमी महसूस हो, तो इसकी दो स्थितियाँ हैं:</p> <p>पहली स्थिति:</p> <p>यदि यह मासिक धर्म (حيض) के दिनों में या पाकी (طهر) की स्थिति से ठीक पहले महसूस हो, तो इसे मासिक धर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा और इसे मासिक धर्म ही माना जाएगा।</p> <p>दूसरी स्थिति:</p> <p>यदि ये सभी रंग और नमी पूरी तरह से पाकी (طهر) की स्थिति के दौरान महसूस हों, तो इसे मासिक धर्म नहीं माना जाएगा।</p>

प्रश्न 376	यदि मासिक धर्म (पीरियड्स) की उम्र न हो और फिर भी रक्त आना शुरू हो जाए, तो क्या आदेश है?
उत्तर 376	यदि उसमें मासिक धर्म के गुण (लक्षण) पाए जाते हैं, तो उसे मासिक धर्म माना जाएगा। लेकिन यदि वह पीला या मटमैला रंग हो, तो उसे मासिक धर्म नहीं माना जाएगा।

(انفاع من نبذه الله عز وجل، أن ابن تيمية شيخ بني تيمية قال في شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو صاحب الفتنة: 353/1، الدار الأثرية، ص 14-15)

प्रश्न 377	यदि केवल रक्त की एक बूंद (कतरा) दिखाई दे, लेकिन वह निरंतरता (सिलसिले) के साथ न आए, तो क्या उसे 'हैज़' (मासिक धर्म) माना जाएगा या नहीं?
उत्तर 377	यदि केवल रक्त की एक बूंद दिखाई दे, लेकिन वह निरंतरता के साथ न आए, तो उसे 'हैज़' नहीं माना जाएगा।

प्रश्न 378	हैज़ के खून की खासियत और सिफ़त (विशेषता) और नमाज़ व रोज़े का हुक्म?
उत्तर 378	<p>हैज़ के खून की सिफ़त के मुताल्लिक (संदर्भ में) यह है कि रमज़ान-उल-मुबारक में अगर किसी औरत का हैज़ का खून रुक गया और कुछ दिन बाद फिर से आ गया, तो निकलने वाला खून जिसकी गंध (बू), रंग और उसकी कैफियत (अवस्था) से उसे पहचाना जाता है— अगर ये लक्षण (अलामात) उसमें पाए जाते हैं, तो वह हैज़ का खून कहलाएगा।</p> <p>चाहे पहले हैज़ से दूसरे हैज़ के दरमियान (बीच) की मुदत (समय) कम ही क्यों न हो, अगर उक्त खून के लक्षण उसमें पाए जाते हैं, तो वह हैज़ ही कहलाएगा।</p> <p>और अगर वह खून इन लक्षणों के अलावा हो, तो वह 'इस्तिहाज़ा' (बीमारी का रक्त) का खून कहलाएगा।</p> <p>लिहाज़ा, जिस औरत को इस्तिहाज़ा लाज़िक (ग्रस्त) हो, तो उस पर रोज़े और नमाज़ की पाबंदी (ममानअत) नहीं है।</p> <p>हैज़ा (हैज़ वाली औरत) के लिए रोज़े और नमाज़ की मनाही की गई है, बल्कि अगर कोई औरत हैज़ के बावजूद नमाज़ और रोज़ा अदा करती रहती है, तो वह गुनहगार करार दी जाएगी।</p>

प्रश्न 379	क्या ऋतुमती स्त्री (हैज़ वाली औरत) पर नमाज़ और रोज़े की क़ज़ा फ़र्ज़ है?
उत्तर 379	ऋतुमती स्त्री पर नमाज़ की क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़े की क़ज़ा फ़र्ज़ है।

प्रश्न 380	मासिक धर्म (हैज़) के दौरान नमाज़ न पढ़ने के हुक्म (आदेश) का कारण क्या है?
------------	---

उत्तर 380	<p>विद्वान (उलेमा-ए-किराम) फरमाते हैं कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दिनों की नमाज़ों की कज़ा (छूटी हुई नमाज़ बाद में पढ़ना) इसलिए माफ़ है क्योंकि हर महीने में 30 से लेकर 35 नमाज़ों की कज़ा अदा करना बहुत कठिन है। कुछ महिलाओं को दस दिन तक भी मासिक धर्म की शिकायत रहती है। यदि इन दिनों की नमाज़ों को जोड़ा जाए, तो लगभग एक साल में साढ़े तीन से चार महीने की नमाज़ें कज़ा करनी पड़ेंगी। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है, और इसके अलावा कज़ा नमाज़ों के साथ-साथ सामयिक (वक़्त की) नमाज़ों की पाबंदी भी अनिवार्य है। अतः, इससे महिलाओं के लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।</p> <p>इसलिए, मासिक धर्म के दिनों की तमाम नमाज़ें महिलाओं के लिए माफ़ हैं। जहाँ तक रोज़ों की कज़ा का संबंध है, तो उसमें आसानी पाई जाती है; यानी रमज़ान को छोड़कर महिलाओं के पास 11 महीने होते हैं और उन ग्यारह महीनों में छह से सात या दस रोज़ों की अदायगी बहुत आसानी से हो सकती है। और उन रोज़ों की कज़ा के दौरान कोई दूसरी नमाज़ें (कज़ा के तौर पर) भी नहीं होतीं। इसी कारण से मासिक धर्म वाली महिलाओं को रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया गया है और मासिक धर्म के दौरान आने वाली तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों को माफ़ कर दिया गया है। यह मुस्लिम महिलाओं के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा (उपहार) है।</p>
-----------	---

प्रश्न 381	रजस्वला (मासिक धर्म वाली महिला) के लिए क्या जायज़ है और क्या नहीं?
उत्तर 381	<p>रजस्वला या निफ़ास (प्रसव के बाद का रक्तस्राव) वाली स्त्री के लिए नमाज़ पढ़ना हराम है, चाहे वह फ़र्ज़ हो या नफ़ला। और पवित्र होने के बाद इन नमाज़ों को दोहराना या उनकी कज़ा करना भी आवश्यक नहीं है।</p> <p>प्रथम मत: कुरआन की तिलावत (पाठ) करना हराम है।</p> <p>द्वितीय मत: दूसरा मत अधिक प्रबल और शक्तिशाली है कि तिलावत की अनुमति है, क्योंकि इसके विरुद्ध कोई सही और स्पष्ट हदीस नहीं है। (बुखारी, इब्न जरीर, इब्न अल-मुन्दज़िर। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई का 'अल-क्रदीम' में यही मत है - जैसा कि इब्न हजर ने 'फ़तह अल-बारी' में वर्णन किया है।)</p> <p>इमाम इब्न तैमिया का कथन है कि: ((“ला यकराउल जुनुबु वल हाइज़ु शैअन मिनल कुरआन”)) अर्थात् “जुनुबी (अशुद्ध व्यक्ति) और मासिक धर्म वाली महिला कुरआन का कुछ भी हिस्सा न पढ़ें” — यह हदीस कमज़ोर (ज़ईफ़) है और विशेषज्ञों का इस पर इत्तेफ़ाक (सहमति) है।²⁸</p> <p>ज़िक्र-ओ-अज़कार, तस्बीह, हदीस की किताबें पढ़ना, फ़िक्रह, दुआ और आमीन कहना— यह सब जायज़ है और इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है।</p>

प्रश्न 382	क्या मासिक धर्म (हैज) वाली महिला के लिए रोज़ा रखना जायज़ है?
उत्तर 382	(ऐसी स्थिति में) रोज़ा रखना हराम है। रमज़ान के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा (छूटे हुए रोज़ों को बाद में पूरा करना) लाज़िम है। बल्कि, अगर वह मासिक धर्म (हैज) या प्रसव के बाद के रक्तस्राव (निफ़ास) की स्थिति में रोज़ा रखती है, तो वह गुनहगार होगी। इसके बावजूद, रमज़ान के बाद उस पर उन रोज़ों की क़ज़ा करना लाज़िम होगा।

प्रश्न 383	क्या मासिक धर्म (हैज) की स्थिति में स्त्री के साथ संभोग करना जायज़ है?
उत्तर 383	<p>अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि यहूदियों में जब कोई औरत मासिक धर्म (हैज) की स्थिति में होती, तो वे उसे अपने साथ खाना नहीं खिलाते थे और न ही उसे घर में साथ रखते थे। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथियों ने आपसे इस मसले के बारे में पूछा। तब अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी:</p> <p style="text-align: center;">وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فِإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ</p> <p>"और वे आपसे मासिक धर्म के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि वह एक गंदगी (तकलीफ़) है, अतः मासिक धर्म के दौरान औरतों से अलग रहो और जब तक वे पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वे पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक-साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है।" (सूरह अल-बकरह: 222)</p> <p style="text-align: center;">((إلى آخر الآية فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ»))</p> <p>इस आयत के उतरने के बाद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया:</p> <p>"संभोग (इंटरकोर्स) के अलावा सब कुछ करो।"</p> <p>यानी मासिक धर्म की स्थिति में औरतों से "अलग रहने" का मतलब यह है कि केवल संभोग न किया जाए, बाकी सब जायज़ है।</p> <p>जब यह खबर यहूदियों तक पहुँची तो उन्होंने कहा: "यह शख्स (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) चाहता है कि हर बात में हमारे खिलाफ (विपरीत) चलो।" यह सुनकर सैयदना उसैद बिन हुज़ैर और सैयदना अब्बाद बिन बिशर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) आप ﷺ के पास आए और अर्ज़ किया: "या रसूलुल्लाह! यहूदी ऐसा-ऐसा कहते हैं। क्या हम मासिक धर्म वाली औरतों से संभोग (जिमा) भी न करना शुरू कर दें? (यानी यहूदियों की पूरी तरह खिलाफत करने के लिए)।"</p>

यह सुनते ही रसूलुल्लाह ﷺ के चेहरे का रंग बदल गया (क्योंकि यह बात कुरान के खिलाफ थी), जिससे उन्हें महसूस हुआ कि आप ﷺ उन दोनों से नाराज़ हैं। वे बाहर निकल गए, तभी आप ﷺ के पास किसी ने दूध का तोहफा भेजा। आपने उन दोनों को वापस बुलवाया और उन्हें दूध पिलाया, तब उन्हें पता चला कि आप ﷺ अब उनसे नाराज़ नहीं हैं।

जम्हूर (ज़्यादातर) उलेमा-ए-किराम का यही रुख है कि मासिक धर्म के दौरान संभोग के अलावा शारीरिक निकटता (मुबाशरत/रोमांस) जायज़ है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ﷺ भी ऐसी स्थिति में अपनी पत्नियों से मिलते-जुलते थे, लेकिन वे कपड़े (तहबंद) पहने होती थीं।²⁹

हुकम: मासिक धर्म के दौरान चूमना और शारीरिक निकटता जायज़ है, लेकिन संभोग (जिमा) करना हराम है।

कफ़ारा (प्रायश्चित): संभोग करने वाला गुनहगार होगा और उसे कफ़ारा देना होगा (एक दीनार या आधा दीनार)। यदि अनजाने में हुआ या मासिक धर्म का पता न था, तो कफ़ारा नहीं है।

दीनार की मात्रा: 1 दीनार = 4.25 ग्राम सोना।

विशेष नोट: पवित्रता प्राप्त होने के बाद जब तक महिला गुस्ल (स्नान) न कर ले, तब तक संभोग जायज़ नहीं है। आयत का हिस्सा: "जब तक वे पाक न हो जाएं"

(सूरह अल-बकरह: 222)।

28: (मजमूअ फ़तावा इब्ने तैमिया: 26/191)

29: (سنن ابو داود: 272، قال الشيخ الألباني: صحيح)

प्रश्न 384	क्या मासिक धर्म वाली महिला बैतुल्लाह (काबा) का तवाफ़ कर सकती है?
उत्तर 384	बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा, सई (Saa'i), रमी-ए-जिमार (कंकड़ मारना) और वुकूफ़-ए-मुजदल्फ़ा की अदायगी में कोई हर्ज नहीं है। ³⁰ मासिक धर्म वाली महिला पर तवाफ़-ए-विदा (विदाई तवाफ़) माफ़ है। इसके विपरीत, उमराह और हज के स्तंभ (Rukn) वाले तवाफ़ के लिए इंतज़ार करना और पाकी (शुद्धता) के बाद तवाफ़ करना अनिवार्य है।

लेकिन, यदि किसी महिला को उमराह या हज के दौरान मासिक धर्म आ जाए और उसके लिए रुकना या पाक होने का इंतजार करना संभव न हो, और वापसी का सफर मजबूरी हो, तो कुछ शोधकर्ता विद्वानों ने ऐसी मजबूरी की स्थिति में उसी हालत में तवाफ़ करने की अनुमति दी है।

तथापि, यह याद रहे कि बिना किसी ठोस कारण के इस अनुमति को अपनाना सही नहीं है; क्योंकि अधिकांश विद्वानों (जम्हूर उलमा) के फतवों में इस प्रकार की छूट का उल्लेख नहीं है। इसलिए, इस फतवे पर केवल अत्यधिक मजबूरी और आवश्यकता के समय ही अमल किया जाए। सामान्य स्थिति में शरीयत का मूल नियम यही है कि पाकी (पवित्रता) के बाद ही तवाफ़ किया जाए।

इस संबंध में विद्वानों की 'स्थायी समिति' (Lajnah Da'imah) का फतवा नीचे देखा जा सकता है:

एक महिला के बारे में समिति से फतवा मांगा गया: "एक महिला उमराह के एहराम में आई, और मक्का पहुँचने के बाद उसे मासिक धर्म शुरू हो गया। उसका महरम तुरंत वापसी के सफर के लिए मजबूर है और मक्का में उसके अलावा कोई (महरम) नहीं है, तो इसके लिए क्या हुक्म है?"

समिति ने उत्तर दिया: "यदि मामला वैसा ही है जैसा बताया गया है—कि महिला को तवाफ़ से पहले मासिक धर्म आ गया, वह एहराम में है, उसका महरम तुरंत वापसी के सफर पर मजबूर है और मक्का या शोहर (पति) में कोई अन्य महरम मौजूद नहीं है—तो ऐसी स्थिति में उस महिला के लिए पाक होने की शर्त मस्जिद में प्रवेश और तवाफ़ के लिए माफ़ हो जाएगी, क्योंकि यह एक आवश्यकता (Necessity) है। अतः, वह अपवाद स्वरूप (Exception) सुरक्षात्मक उपाय करते हुए तवाफ़ और उमराह की सई कर ले।

सिवाय इसके कि यदि उसके लिए संभव हो कि वह वापस चली जाए और अपने पति या महरम के साथ (बाद में) वापस आए—यदि दूरी कम हो और खर्च आसान हो—तो मासिक धर्म खत्म होने पर वह तुरंत वापस आए और उमराह का तवाफ़ पाकी की हालत में अदा करो।"

इस बारे में अल्लाह तआला का इरशाद है: "अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, कठिनाई नहीं चाहता।" और फरमाया: "अल्लाह किसी जान पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता।" और फरमाया: "और उसने दीन (धर्म) में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी।" और फरमाया: "अतः अल्लाह से डरो जहाँ तक हो सके।"

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "जब मैं तुम्हें किसी हुक्म का पाबंद बनाऊँ, तो जहाँ तक तुम्हारी सामर्थ्य (Istita'at) हो उस पर अमल करो।"

इसके अलावा, ऐसी स्थितियों के लिए आसानी और तंगी दूर करने के बहुत से प्रमाण (Nusoos) मौजूद हैं, जैसा कि हमने उल्लेख किया। यही मसला कई विद्वानों ने भी बयान किया है, जिनमें शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और उनके शिष्य अल्लामा इब्नुल कथियम (رحمهما الله) शामिल हैं। — समाप्त ("फ़तावा इस्लामिया" 2/238 से उद्धृत)।

30: हदीस आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा), सहीह बुखारी: 294, सहीह मुस्लिम: (1211)"

प्रश्न 385	क्या मासिक धर्म (Periods) वाली महिला मस्जिद में बैठ सकती है?
उत्तर 385	<p>पहला मत:</p> <p>((فَأَيُّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ))</p> <p>"इन घरों के रुख मस्जिद की तरफ से फेर लो, क्योंकि मैं मासिक धर्म वाली महिला और नापाकी (जुनुब) की हालत वाले व्यक्ति के लिए मस्जिद को हलाल (वैध) नहीं समझता।" - ³¹</p> <p>यह हदीस ज़ईफ़ (कमज़ोर) है। इस आयत के अनुसार 'जुनुब' (नापाक व्यक्ति) पर कयास (तुलना) करते हुए और हदीस की बुनियाद पर मासिक धर्म वाली महिला का मस्जिद में रहना हराम (वर्जित) करार दिया गया।</p> <p>दूसरा मत:</p> <p>हराम नहीं है। शेख अल्बानी (रह.) ने दूसरे मत को मज़बूत और सही कहा है। मनाही की कोई ठोस दलील नहीं है और एक दलील यह भी है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने तवाफ के अलावा अन्य इबादतों से मना नहीं किया।</p> <p>नोट: कुछ लोगों ने 'मुसल्ला' (नमाज़ की जगह) से मासिक धर्म वाली महिला के दूर रहने से दलील दी है, जिसके दो उत्तर दिए गए हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सहीह बुखारी की रिवायत में है कि सफ (कतार) के पीछे रहें, यानी कि सफ न टूटे (उन महिलाओं की वजह से)। (हदीस: 971) 2. 'मुसल्ला' से मुराद कुछ रिवायतों में 'सलात' (नमाज़) है। (सहीह मुस्लिम: 890) <p>नोट: मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए एक अलग हॉल या कमरा बना दिया जाना चाहिए जो मस्जिद के मुसल्ला (नमाज़ के मुख्य स्थान) से अलग हो, ताकि मतभेदों से बाहर निकलने की एक सूरत बन सके (इंशा अल्लाह)। इससे दोनों मतों को मानने वालों का सम्मान होगा और मासिक धर्म वाली महिलाएँ भी विद्वानों के उपदेश सुनने से वंचित नहीं रहेंगी।</p>

31: (सुनन अबू दाऊद: 232, शेख अल-अल्बानी ने कहा: जईफ़ (कमज़ोर))

سنن ابوداود: 232، قال الشيخ الألباني: ضعيف

प्रश्न 386	क्या मासिक धर्म (हैज) की स्थिति में महिला को तलाक़ दी जा सकती है या नहीं?
उत्तर 386	मासिक धर्म की स्थिति में तलाक़ देना हराम है (यह 'इद्दत' के अर्थ से स्पष्ट होता है)। मासिक धर्म (हैज) और वह पाकी (तुह) जिसमें संभोग (जिमा) किया गया हो, उसमें तलाक़ नहीं देनी चाहिए। (इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की व्याख्या/तफ़सीर देखें)।

प्रश्न 387	मासिक धर्म (حيض - periods) रोकने वाली दवाओं का क्या हुक्म है?
उत्तर 387	यह जायज़ है (इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह), यदि: 1. इससे कोई नुकसान न हो। 2. पति की अनुमति हो।

प्रश्न 388	दवाओं के माध्यम से मासिक धर्म (حيض) शुरू करने का क्या नियम है?
उत्तर 388	यह जायज़ (अनुमति योग्य) है, यदि: • इसका उद्देश्य रोज़ा छोड़ने के लिए कोई बहाना बनाना न हो। • पति की अनुमति प्राप्त हो।

प्रश्न 389	यदि मग़रिब (सूर्यास्त) से पहले मासिक धर्म (حيض) शुरू हो जाए, तो रोज़े का क्या हुक्म है?
उत्तर 389	अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फरमाया: <p>((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا))</p> "क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत मासिक धर्म (माहवारी) की स्थिति में होती है, तो वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है? यही उसके दीन (धर्म) की कमी है।" ³²

	<ul style="list-style-type: none"> • मग़रिब से पहले अगर किसी महिला को मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो उसका रोज़ा खत्म (अमान्य) हो जाता है और उस महिला पर इस रोज़े की क़ज़ा (बाद में रोज़ा रखना) फ़र्ज़ है। • उलेमा-ए-किराम का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ (सहमति) है कि जो महिला मासिक धर्म से हो, उसका फ़र्ज़ या नफ़्ल रोज़ा रखना हराम है। • अतः, अगर महिला दिन के किसी भी समय रोज़े के दौरान खून देख ले, तो उसका रोज़ा खत्म हो जाता है।
--	--

32. (सहीह अल-बुख़ारी, किताब-उस-सौम, बाब [41] अल-हैज़ औरत का रोज़ा और नमाज़ छोड़ना – हैज़ वाली औरत न नमाज़ पढ़े और न रोज़ा रखे, हदीस नंबर: 1951)

प्रश्न 390	रमजान के महीने में फ़ज़्र से पहले पाक होने वाली महिला के रोज़े का क्या हुक्म है?
उत्तर 390	<p>यहाँ बुनियादी बात यह है कि अगर कोई महिला रमजान में मासिक धर्म (periods) से है और वह तुलु-ए-फ़ज़्र (fajr का समय शुरू होने) ' سے پہلے ' चाहे एक मिनट पहले ही पाक हो जाए, और उसे इस बात का यकीन हो जाए कि वह पाक हो गई है, तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है।</p> <p>हालाँकि, गुस्ल (snan) में देरी करने की अनुमति है, यानी वह फ़ज़्र के बाद भी गुस्ल कर सकती है।</p> <p>कुछ महिलाएँ यह समझती हैं कि यदि इफ़तार के बाद मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो उस दिन का रोज़ा ख़राब (फ़ासिद) हो जाता है; यह बात बिल्कुल सही नहीं है, और न ही इस बारे में कुरान और हदीस से कोई दलील मिलती है। शेख़ इब्न उथैमीन (रह.) कहते हैं कि अगर किसी महिला को इफ़तार के तुरंत बाद, यहाँ तक कि एक मिनट बाद ही मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो उस महिला का रोज़ा मुकम्मल (पूर्ण) है।</p>

प्रश्न 391	हैज़ (मासिक धर्म) और निफ़ास (प्रसव के बाद का रक्त) से पाक (शुद्ध) होने पर दो नमाज़ें जमा करने (एक साथ पढ़ने) का क्या हुक्म है?
उत्तर 391	<p>जब औरत अस्त्र के नमाज़ के समय में हैज़ से पाक हो जाए, तो उस पर ज़ुहर और अस्त्र की नमाज़ को जमा करके पढ़ना फ़र्ज़ है। और इसी तरह जो कोई औरत ईशा के समय में पाक हो जाए, तो उस पर मग़रिब और ईशा को जमा करके पढ़ना फ़र्ज़ है।</p> <p>तीन कथन (राय) हैं:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. दो नमाज़ें अदा करना: (इब्न बाज़ की तरजीह/प्राथमिकता) 2. सिर्फ उसी वक्त की एक नमाज़ अदा करना: (इब्न उथैमीन की तरजीह/प्राथमिकता) 3. एहतियात (सावधानी) यह है कि दोनों अदा करे।
--	--

प्रश्न 392	नमाज़ का समय शुरू होने के बाद किसी महिला को मासिक धर्म (हाइज़) शुरू हो जाना और छूटी हुई नमाज़ का क्या नियम है?
उत्तर 392	इसलिए, जब किसी महिला को नमाज़ का समय शुरू होने के बाद मासिक धर्म आ जाए, जबकि उसने वह नमाज़ अदा न की हो, तो वह मासिक धर्म से पवित्र होने के बाद केवल उसी नमाज़ की कज़ा करेगी जिसके समय के दौरान उसे मासिक धर्म शुरू हुआ था। इसके अलावा, पवित्र होने तक उसकी जितनी भी नमाज़ें छूटी हैं, वे उसे माफ हैं। अतः विद्वानों (उलेमा-ए-किराम) का इस बात पर सर्वसम्मति (इत्तेफाक) है कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला की जितनी भी नमाज़ें छूटती हैं, उनकी कज़ा करना ज़रूरी नहीं है।

प्रश्न 393	नमाज़ का वक्त खत्म होने से कुछ मिनट पहले अगर कोई औरत हायज़ा (मासिक धर्म वाली) हो जाए, तो उस पर उस नमाज़ का क्या हुकम है?
उत्तर 393	अगर किसी औरत को उस वक्त पर हैज़ (मासिक धर्म) आ जाए जिस वक्त में उस औरत के पास सिर्फ एक या दो रकअतें पढ़ने का ही वक्त था, लेकिन वह उस वक्त (नमाज़) अदा न कर सकी, तो वह पाकी हासिल करने (शुद्ध होने) के बाद इस नमाज़ की कज़ा करेगी, क्योंकि उस पर यह नमाज़ फ़र्ज़ है। चुनांचे (उदाहरण के तौर पर), जिस तरह पाकी की हालत में सूज़ डूबने से पहले सिर्फ एक रकअत का पा लेना 'अस्र की नमाज़' पा लेना है, इसी तरह एक रकअत जितनी देर में पढ़ी जाती है, उतने वक्त में अगर कोई औरत हायज़ा हो जाए और उस वक्त में उसकी कोई नमाज़ छूट गई हो, तो उस पर उस नमाज़ की कज़ा फ़र्ज़ है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)

प्रश्न 394	रमज़ान में फ़ज़्र (भोर) होने के बाद पवित्र होने वाली महिला के रोज़े का क्या हुकम है?
उत्तर 394	शेख इब्न उथैमीन (رحمه الله) कहते हैं: अगर कोई मासिक धर्म (हैज़) वाली महिला फ़ज़्र के बाद पवित्र होती है, तो इस मसले में विद्वानों के दो मत हैं: पहला मत:

अगर महिला फ़ज़्र के बाद पवित्र होती है, तो उसे चाहिए कि वह (पूरे दिन) खाने-पीने से रुक जाए, लेकिन उसका वह रोज़ा गिना नहीं जाएगा और वह महिला उस रोज़े की कज़ा (बाद में पूर्ति) करेगी। इमाम अहमद बिन हंबल का यही प्रसिद्ध मज़हब (विचार) है।

दूसरा मत:

यह है कि यदि कोई महिला फ़ज़्र के बाद मासिक धर्म से पवित्र होती है, तो उसे उस दिन खाने-पीने की अनुमति है। क्योंकि उस दिन उस महिला का रोज़ा रखना सही नहीं है, इसकी वजह यह है कि जिस समय रोज़ा शुरू हो चुका था, उस समय वह मासिक धर्म की स्थिति में थी। अतः यह उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा, और जब रोज़ा गिना ही नहीं जाएगा, तो खाने-पीने में कोई हर्ज नहीं है।

उस पर यह अनिवार्य नहीं है कि वह रोज़ेदार की तरह रहे, क्योंकि रोज़ा उस वक्त शुरू होता है जिस वक्त उस पर रोज़ा न रखने की स्थिति थी (यानी वह पवित्र नहीं थी)। यहाँ तक कि उस समय तक उस पर रोज़ा रखना हराम (वर्जित) था और इस बात से सभी लोग अवगत हैं।

रोज़ा एक शरई इबादत है और इसके लिए फ़ज़्र से पहले नीयत (नियत करना) ज़रूरी है। सूरज डूबने तक खाने-पीने से रुकना तभी मान्य है जब वह सुबह से रोज़े की स्थिति में हो। इस मसले में दूसरा मत ही सही और प्रबल है।³³

33: (60 सवाल और जवाब फि अहकाम अल-हैज़, मुसन्निफ: इब्न उथैमीन, पृष्ठ संख्या: 119, प्रकाशक: दार अल-किम्मा)

(سؤال وجواب في أحكام الحيض لابن عثيمين، صفحہ نمبر: 119، الناشر: دار القمة 60)

प्रश्न 395	यदि रमजान के दिनों में दिन के शुरुआती हिस्से में किसी महिला को रोज़े की स्थिति में मासिक धर्म (حيض) आ जाए, तो उसका क्या हुक्म है?
उत्तर 395	अता बिन अबी रबाह (رحمة الله عليه) का कौल (कथन): अता बिन अबी रबाह (رحمة الله عليه) से किसी ने सवाल किया कि अगर रमजान के दिनों में किसी दिन के शुरुआती हिस्से में किसी महिला को मासिक धर्म (حيض) आ जाए, तो वह महिला क्या करे? अता बिन अबी रबाह (رحمة الله عليه) कहते हैं कि उस महिला को खाने-पीने की इजाजत है। ³⁴

प्रश्न 396	रजस्वला स्त्री (Haiz/Periods वाली महिला) के लिए कुरान मजीद की तिलावत (पाठ) का क्या हुक्म है?
उत्तर 396	<p>इमाम मलिक (رحمة الله عليه) और इमाम अहमद इब्न हंबल (رحمة الله عليه) ने रजस्वला स्त्री को कुरान मजीद की तिलावत की अनुमति दी है, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया ने अपने फतवा में इसका उल्लेख किया है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p> <p>रजस्वला स्त्री की कुरान तिलावत को नाजायज (अवैध) कहने वालों के विभिन्न दृष्टिकोण:</p> <ul style="list-style-type: none"> • जो लोग यह कहते हैं कि मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना जायज नहीं है, उनका तर्क यह है कि 'हैज़' (मासिक धर्म) और 'जनाबत' (अशुद्धि की स्थिति) का संबंध 'हदस-ए-अकबर' (बड़ी अशुद्धि) से है। सही हदीस में 'जुन्बी' (अशुद्ध व्यक्ति) को कुरान मजीद की तिलावत से रोका गया है, और हैज़ की नापाकी (अशुद्धि), जनाबत की नापाकी से कहीं अधिक बढ़कर है। इसलिए, जो हुक्म जनाबत पर लागू होता है, वह हैज़ पर और भी अधिक दृढ़ता से लागू होगा। अतः, रजस्वला स्त्री पर कुरान मजीद की तिलावत नाजायज है। हालाँकि, उनके इन तर्कों में मतभेद पाया जाता है, जिससे इसके जायज होने की संभावना भी उत्पन्न होती है। • कुछ लोग यह कहते हैं कि रजस्वला स्त्री कुरान मजीद की कोई छोटी आयत या एक छोटा टुकड़ा पढ़ सकती है। यदि कोई रजस्वला स्त्री कुरान पढ़ाने वाली शिक्षिका (मुअल्लिमा) है, तो वह एक-एक शब्द को अलग-अलग करके पढ़ सकती है। • कुछ का कहना है कि रजस्वला स्त्री अपनी जुबान (जीभ) हिलाए बिना अपने मन ही मन में कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है। • कुछ यह कहते हैं कि रजस्वला स्त्री दैनिक जीवन की दुआएं पढ़ सकती है, जैसे: खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, शौचालय जाने की दुआ, छींक आने पर 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहना या उसका उत्तर देना। संक्षेप में, रजस्वला स्त्री दैनिक जीवन से संबंधित सभी अज़कार (स्मरण) और दुआएं पढ़ सकती है।

34 (मुसन्निफ़ इब्न अबी शयबाह: 6/15, किताब अस-सियाम, "अध्याय: उस महिला के बारे में जिसे रमज़ान के शुरुआती दिन में मासिक धर्म (हैज़) शुरू हो जाए" हदीस संख्या: 9589, प्रकाशक: दार कुनूज अशबीलिया, रियाद, शोधकर्ता (मुहक्किक्क): साद बिन नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ अबू हबीब अल-शतरी - अल्लाह उनकी रक्षा करे)

प्रश्न 397	क्या जुनुबी (जनाबत की स्थिति में) और हाएज़ा (मासिक धर्म वाली महिला) कुरआन की तिलावत कर सकते हैं?
उत्तर 397	<ul style="list-style-type: none"> • हाएज़ा महिला कुरआन मजीद की तिलावत कर सकती है। • इस मामले में मनाही (निषेध) के लिए जो हदीसें बयान की जाती हैं, वे ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं। • हाएज़ा के लिए ज़िक्र-ओ-अज़कार, तस्बीह और तहलील करना जायज़ है। कुछ विद्वान (उलेमा-ए-किराम) कहते हैं कि इसी आधार पर हाएज़ा के लिए कुरआन मजीद की तिलावत भी जायज़ है, क्योंकि कुछ महिलाओं की मासिक धर्म की अवधि लंबी होती है। यदि उन्हें कुरआन मजीद की तिलावत की अनुमति न दी गई, तो यह डर है कि कहीं वे कुरआन भूल न जाएं। • हाएज़ा महिला कुरआन मजीद को ग़िलाफ़ (कवर) आदि के ज़रिए छू सकती है और उठा सकती है। • हाएज़ा के साथ बैठना, यहाँ तक कि हाएज़ा की गोद में सिर रखकर कुरआन मजीद की तिलावत करना भी जायज़ है। • बहुसंख्यक विद्वानों (जमहूर उलेमा) की यह राय है कि हाएज़ा महिला का कुरआन मजीद की तिलावत करना जायज़ नहीं है। • (परंतु) कुछ अनुसंधानकर्ता विद्वान (मुहक़िक़ उलेमा-ए-किराम) कहते हैं कि हाएज़ा महिला का कुरआन मजीद की तिलावत करना जायज़ है।

प्रश्न 398	मासिक धर्म (हैज़) और प्रसवोत्तर रक्तस्राव (निफ़ास) की स्थिति में कुरान मजीद को पकड़ने और छूने का तरीका क्या है?
उत्तर 398	<p>अबू वाइल अपनी सेविका को मासिक धर्म की स्थिति में अबू रज़ीन के पास भेजते थे, और वह वहाँ से कुरान मजीद को जुज़दान (सुरक्षात्मक कवर/थैली) में लपेटा हुआ अपने हाथ से पकड़ कर लाती थीं।⁹⁸</p> <p>अतः इस प्रभाव (असर) से यह बात ज्ञात होती है कि मासिक धर्म और प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं कुरान मजीद को सीधे तौर पर (बिना किसी आड़ के) न छुएं, बल्कि किसी आड़ के साथ छू सकती हैं। यानी अगर कुरान मजीद ग़िलाफ़ (कवर) में हो तो उसे छू सकती हैं, या दस्ताने पहनकर उसे छू और पकड़ सकती हैं। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

35: सहीह बुखारी, किताब-अल-हैज, अध्याय नंबर 3; इमाम बुखारी (رحمه الله) ने इसे 'मुअल्लक' (mu'allaq) वर्णित किया है और इमाम इब्न अबी शैबा (رحمه الله) ने अपनी 'मुसन्नफ़' में इस रिवायत को 'मौसूल' (mausool) के रूप में जिक्र किया है।

प्रश्न 399	रजस्वला (हाइज़ा) महिला के लिए मस्जिद में प्रवेश का क्या हुक्म है?
उत्तर 399	<p>किसी काम के तहत (मस्जिद में) जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वह काम पूरा होते ही तुरंत वापस लौट आए। 'सुनन अन-नसाई' की उपर्युक्त हदीस से यही बात मालूम होती है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p> <p>नोट:</p> <p>शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने रजस्वला महिला को मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत दी है क्योंकि इसके निषेध (मनाही) के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण (नस-ए-सरीह) मौजूद नहीं है। जबकि जमहूर (विद्वानों के बहुमत) ने इसकी अनुमति नहीं दी है।</p> <p>इसलिए इस मसले में एहतियाती (सावधानी का) पहलू यह है कि कुछ स्थानों पर या कुछ मस्जिदों में, बिना अनुमति वाले फतवे को व्यावहारिक रूप से लागू करने से फितना (विवाद या गलतफहमी) पैदा हो सकता है। अतः पहले लोगों को शिक्षित किया जाए, और यदि फितना न होने की संभावना हो तो उस पर अमल किया जाए। अथवा मस्जिद से हटकर पाठ (दरूस) के लिए रजस्वला महिलाओं के लिए मस्जिद की जगह से अलग एक कमरा बना दिया जाए। मतभेदों से बचने का यह एक बेहतर रास्ता है। वल्लाहु आलम (अल्लाह बेहतर जानता है)।</p>

प्रश्न 400	पति का अपनी मासिक धर्म (Haiz) वाली पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने का क्या हुक्म (नियम) है?
उत्तर 400	<p>मासिक धर्म (Haiz) और प्रसव के बाद के रक्तस्राव (Nifas) वाली महिलाएं वास्तविक रूप से 'नजिस' (अपवित्र) नहीं कहलातीं। बल्कि कुछ शिष्टाचारों को ध्यान में रखते हुए मासिक धर्म वाली महिला को नमाज़ और अन्य इबादतों से कुछ समय के लिए रोका गया है। उल्लिखित हदीस से यह बात भी ज्ञात होती है कि एक मुसलमान पुरुष या महिला, उन दोनों की लार (Thook) या पसीना 'पाक' (शुद्ध) होता है; ये चीज़ें पूर्णतः नापाकी में नहीं गिनी जातीं।</p>

प्रश्न 401	मासिक धर्म (हैज) के दौरान महिला के साथ उठने-बैठने, खाने-पीने और अन्य मामलों का क्या हुक्म है?
उत्तर 401	(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)

"वे आपसे मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए: वह एक गंदगी (कष्ट) है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं से अलग रहो।" ³⁶

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "संभोग (intercourse) के अलावा सब कुछ करो।" ³⁷

36. (सूरह अल-बक्राह, सूरह नंबर 2, आयत नंबर: 222)

37. (सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज (मासिक धर्म की किताब), अध्याय: मासिक धर्म वाली महिला द्वारा अपने पति का सिर धोने और उसमें कंधी करने की अनुमति, और उसके जूठे के शुद्ध होने, उसकी गोद में टेक लगाने और उसकी गोद में (सिर रखकर) कुरआन पढ़ने की अनुमति के बारे में, हदीस नंबर: 302 [694])—और सुनन अत-तिर्मिज़ी: 2977—और सुनन अबू दाऊद: 258—और सुनन अन-नसाई: 369—और सुनन इब्न माजाह: 644)

प्रश्न 402	मासिक धर्म वाली महिला के लिए तवाफ़ के संबंध में क्या आदेश है?
उत्तर 402	<p>उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान फरमाती हैं: कि हम नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ निकले, हमारी नियत हज के सिवा और कुछ न थी। फिर जब हम (मक्का) पहुँचे तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरवा की सई की, लेकिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एहराम नहीं खोला क्योंकि आपके साथ कुर्बानी थी।</p> <p>आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ आपकी पत्नियों और अन्य साथियों ने भी तवाफ़ और सई की, और जिनके साथ कुर्बानी नहीं थी उन्होंने (इस तवाफ़ और सई के बाद) एहराम खोल दिया। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) मासिक धर्म से हो गई थीं, सबने अपने हज के तमाम मनासिक (अरकान) अदा कर लिए थे। फिर जब लैलतुल हस्बाह यानी रवानगी की रात आई, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अर्ज की: "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! आपके तमाम साथी हज और उमराह दोनों करके जा रहे हैं और मैं सिर्फ उमराह से महरूम हूँ।"</p> <p>आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "जब हम (मक्का) आए थे, क्या तब तुमने (मासिक धर्म की वजह से) बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया था?" मैंने कहा: "नहीं।" आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि फिर अपने भाई के साथ तनईम चली जाओ और वहाँ से उमराह का एहराम बांधो (और उमराह करो), हम तुम्हारा फलां जगह इंतजार करेंगे।</p>

चुनांचे मैं अपने भाई (अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु) के साथ तनईम गई और वहाँ से एहराम बांधा। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया बिनते हुयै (रज़ियल्लाहु अन्हा) भी मासिक धर्म से हो गई थीं। नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उन्हें (प्रेमवश) फरमाया: (عقرى حلقى), तो क्या तू हमें रोक लेगी? क्या तूने कुर्बानी के दिन तवाफ़-ए-ज़ियारत नहीं किया था?" उन्होंने कहा कि किया था। इस पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि फिर कोई हर्ज नहीं, चलो।

जब मैं (उमराह करके) पहुँची तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मक्का के ऊपरी इलाके पर चढ़ रहे थे और मैं उतर रही थी या यह कहा कि मैं चढ़ रही थी और नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उतर रहे थे। मुसद्द की रिवायत में (रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर) "हाँ" के बजाय "नहीं" है, इसकी मुताब्बत (पुष्टि) जरीर ने मंसूर के माध्यम से "नहीं" के उल्लेख में की है।

प्रश्न 403	क्या मासिक धर्म (haidh) वाली महिलाएँ दुआ में शामिल हो सकती हैं?
उत्तर 403	<p>हफ़सा बिनत सीरीन (رحمته الله عليها) कहती हैं: कि हम अपनी जवान कुंवारी बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थीं। फिर एक औरत आई और बनी खलफ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन (उम्मे अतिया رضي الله عنها) के हवाले से बयान किया, जिनके शौहर नबी करीम ﷺ के साथ बारह लड़ाइयों में शरीक हुए थे और खुद उनकी बहन अपने शौहर के साथ छह जंगों में गई थीं।</p> <p>उन्होंने बयान किया कि हम ज़ख्मियों की मरहम-पट्टी किया करते थे और मरीजों की तीमारदारी (देखभाल) भी करते थे। मेरी बहन ने एक मर्तबा नबी करीम ﷺ से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर न हो, तो क्या इसमें कोई हर्ज है कि वह (ईद की नमाज़ के लिए) बाहर न निकले?</p> <p>आप ﷺ ने फरमाया: "उसकी साथी औरत को चाहिए कि वह अपनी चादर का कुछ हिस्सा उसे भी ओढ़ा दे, फिर वह खैर के मौकों पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों।"</p> <p>फिर जब उम्मे अतिया (رضى الله عنها) आई तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, "मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हों, हाँ! आप ﷺ ने यह फरमाया था।" और उम्मे अतिया (رضى الله عنها) जब भी नबी करीम ﷺ का ज़िक्र करतीं तो यह ज़रूर फरमातीं कि "मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हों।" उन्होंने (उम्मे अतिया ने) कहा: मैंने आप ﷺ को यह कहते हुए सुना था कि:</p>

"जवान लड़कियां, पर्दे वालियां और मासिक धर्म (haidh) वाली औरतें भी बाहर निकलें और खैर के मौकों और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, और मासिक धर्म वाली औरत नमाज़ की जगह (मुसल्ले) से दूर रहे।"

हफ़्सा (رحمته الله عليها) कहती हैं, मैंने पूछा क्या मासिक धर्म वाली भी? तो उन्होंने फरमाया: क्या वह अराफात में और फलां-फलां जगह नहीं जाती? यानी जब वह इन तमाम पवित्र स्थानों पर जाती हैं तो फिर ईदगाह क्यों न जाएँ।³⁹

38 (सहीह अल-बुखारी, किताबुल हज, बाब: इज़ा हाज़तिल मर-अतु बा'दा मा अफ़ाज़त - अगर तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा के बाद औरत को मासिक धर्म (हाइज़ा) हो जाए?, हदीस नंबर: 1762 - व सहीह मुस्लिम: 1277 [3081] - व सुनन अत-तिर्मिज़ी: 2965 - व सुनन अन-नसाई: 2931)

प्रश्न 404	क्या तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा (Tawaf-al-Ifadah) के बाद अगर कोई महिला मासिक धर्म (Periods) से हो जाए, तो क्या उसके लिए तवाफ़-ए-विदा (Tawaf-al-Wida) माफ़ है?
उत्तर 404	<p>उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पूछती हैं: "या रसूल अल्लाह! सफिया बिनत हुई (रज़ियल्लाहु अन्हा) को (हज में) मासिक धर्म आ गया है।" रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "शायद कि वह हमें रोकेगी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ़ (इफ़ाज़ा) नहीं किया?" औरतों ने जवाब दिया कि उन्होंने तवाफ़ कर लिया है। इस पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया: "तो फिर निकलो (सफिया बिनत हुई रज़ियल्लाहु अन्हा का हज मुकम्मल हो गया)।"</p> <p>40</p> <p>नोट:</p> <ul style="list-style-type: none"> • तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा (Tawaf-e-Ifadah): <ul style="list-style-type: none"> ○ तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा 10 तारीख (ज़ुल-हिज्जा) को मिना से लौटकर किया जाता है। ○ यह तवाफ़ हाजियों पर फ़र्ज़ है और यह हज का एक अनिवार्य हिस्सा (रुकन) है। • तवाफ़-अल-वदा (Tawaf-al-Wada): <ul style="list-style-type: none"> ○ जब हाजी मक्का से विदा होते हैं, तब यह तवाफ़ किया जाता है। ○ यह तवाफ़ हज का रुकन (अनिवार्य हिस्सा) नहीं है, बल्कि वाजिब है। ○ हालाँकि, हदीस के अनुसार, मासिक धर्म (हैज़) वाली महिलाओं के लिए यह तवाफ़ माफ़ है।

39: सहीह बुखारी, किताब-अल-हैज; अध्याय: 'ईद के दौरान मासिक धर्म वाली महिलाओं की उपस्थिति और मुसलमानों की दुआओं में शामिल होना'। ईदैन (दोनों ईद) में मुसलमानों के साथ दुआओं में मासिक धर्म वाली (हाइजा) औरतें भी शरीक हों, लेकिन ये औरतें नमाज़ की जगह (मुसल्ला) से एक तरफ हटकर रहें। (हदीस नंबर: 324; सहीह मुस्लिम: 890 [2054]; सुनन अत-तिर्मिज़ी: 539; सुनन अबू दाऊद: 1136; सुनन अन-नसाई: 390; सुनन इब्न माजह: 1308)।

40: सहीह बुखारी, किताब-अल-हैज; अध्याय: 'उस महिला के बारे में जो तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा के बाद मासिक धर्म (हैज) से हो जाए' (हज के दौरान उसके लिए क्या नियम है?)। (हदीस नंबर: 328)।

प्रश्न 405	मासिक धर्म वाली महिला (हाइजा) के लिए इहराम का गुस्ल करते समय अपनी चोटी (गुंथे हुए बाल) खोलकर नहाने का क्या हुकम है?
उत्तर 405	उम्मुल-मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान करती हैं कि जब वह हज के लिए गईं और मासिक धर्म (Periods) शुरू हो गया, तो इहराम बाँधने के लिए गुस्ल के समय चोटी खोलने के बारे में नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया: (اَنْفُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي، وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الْحَجَّ) "अपने सिर (के बाल) खोल लो, कंघी कर लो, हज का इहराम बाँध लो और उमराह छोड़ दो।" (आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि) "चुनांचे मैंने वैसा ही किया, फिर जब हमने हज पूरा कर लिया..." नोट: एक मत के अनुसार, मासिक धर्म वाली महिला के गुस्ल के लिए, 'गुस्ल-ए-जनाबत' (अपवित्रता के बाद का स्नान) की तरह बालों की मेंढियाँ (चोटियाँ) खोलना मुस्तहब (पसंदीदा) है और अनिवार्य (वाजिब) नहीं है। जबकि दूसरे विद्वान इसमें अंतर करते हैं और उनका मानना है कि मासिक धर्म (حيض) के अंत पर किए जाने वाले गुस्ल में बालों की चोटियाँ खोलना वाजिब है। शेख अल्बानी और साद नशलान के नज़दीक यही मत अधिक सही (राजह) है। यह बात भी ध्यान में रहे कि 'गुस्ल-ए-जनाबत' बार-बार करना पड़ता है, जबकि मासिक धर्म का गुस्ल केवल मासिक धर्म की समाप्ति पर (महीने में एक बार) होता है।

प्रश्न 406	पाकी (शुद्धता) के बाद पीलेपन की ओर झुकाव रखने वाले (yellowish) और मटमैले रंग (dusky/earthy) के खून का क्या हुकम है?
उत्तर 406	सैयदा उम्मे अतिय्या (नुसैबा बिनत काब) रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं: (كُنَّا لَا نَعْدُ الْكُدْرَةَ وَالصُّوْرَةَ شَيْئًا)

	<p>"कि हम (पाकी के बाद) जर्द (पीले) और मटमैले रंग (के खून आने) को कोई अहमियत नहीं देती थीं।" ⁴¹</p> <p>नोट:</p> <p>इस हदीस से यह बात मालूम होती है कि जब हायज़ा (period वाली) औरत पाक हो जाती है और गुस्ल भी कर लेती है, और उसके बाद पीले या मटमैले रंग का पानी आए, तो वह 'हैज़' (menstruation) में शुमार नहीं होगा। अलबत्ता, अगर 'हैज़' के दौरान इस तरह का पानी आए, तो उसे 'हैज़' ही शुमार किया जाएगा।</p>
--	--

प्रश्न 407	उन महिलाओं की नमाज़-ए-जनाज़ा (अंतिम संस्कार की प्रार्थना) का क्या तरीका है जिनकी मृत्यु माहवारी (حيض) या प्रसव के बाद के रक्तस्राव (نفاس) की स्थिति में हुई हो?
उत्तर 407	<p>सैयदना समुरा बिन जुंदुब (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं: "मैंने नबी-ए-अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने सैयदा उम्मे काब (रज़ियल्लाहु अन्हा) की नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ाई जिनकी मृत्यु प्रसव के बाद के रक्तस्राव (نفاس) की स्थिति में हुई थी। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उनकी नमाज़-ए-जनाज़ा अदा करने के लिए उनके (सामने) मध्य (कमर के पास) में खड़े हुए।" ⁴²</p> <p>नोट:</p> <p>यह हदीस 'मुत्तफ़िक़ अलैह' (बुखारी और मुस्लिम दोनों में प्रमाणित) है। अलबत्ता, सहीह बुखारी के शब्दों में यह आया है कि सैयदा उम्मे काब (रज़ियल्लाहु अन्हा) का इंतकाल गर्भावस्था के दौरान हुआ था, और सहीह मुस्लिम की हदीस में 'निफ़ास' (प्रसव के बाद की स्थिति) का भी ज़िक्र है।</p>

इस्तिहाज़ा (अनियमित रक्तस्राव) के नियम और मसले

प्रश्न 408	हैज़ (मासिक धर्म) और इस्तेहाज़ा (अनियमित रक्तस्राव) में अंतर स्पष्ट करें?
उत्तर 408	<p>उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) बयान फरमाती हैं: "कि सैयदा फातिमा बिनत अबी हुबैश ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ बिल्कुल छोड़ दूँ?"</p> <p>नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि यह (इस्तेहाज़ा) एक रग (नसों) का खून है, हैज़ नहीं है। इसलिए जब हैज़ के दिन (जिनमें तुम्हें पहले आमतौर पर हैज़</p>

	आया करता था) आएँ तो नमाज़ छोड़ दो, और जब अंदाज़े के मुताबिक वे दिन बीत जाएँ, तो खून धो डालो और नमाज़ पढ़ो।" ⁴³
--	---

प्रश्न 409	'इस्तिहाज़ा' (Istihaza) का अर्थ स्पष्ट करें?
उत्तर 409	इमाम इब्न असीर (रहमतुल्लाहि अलैहि) फरमाते हैं: "इस्तिहाज़ा का अर्थ यह है कि जब स्त्री को उसके मासिक धर्म (Haiz) के सामान्य दिनों के बाद भी रक्त आता रहे, तो उसे 'इस्तिहाज़ा' कहते हैं। और जिस स्त्री को यह शिकायत हो, उसे 'मुस्तहाज़ा' (Mustahaza) कहा जाता है।" 44

प्रश्न 410	इस्तिहाज़ा (Istihaza) के रक्त की विशेषताएँ बताएँ?
उत्तर 410	इब्न जुज़ी अल-कल्बी (रहमतुल्लाहि अलैहि) कहते हैं: यानी इस्तिहाज़ा के रक्त की विशेषता हैज़ (मासिक धर्म) के रक्त से बिल्कुल अलग होती है। हैज़ का रक्त काला और गाढ़ा होता है, जबकि इस्तिहाज़ा का रक्त पतला, लाल और कुछ पीलापन लिए हुए (पीलापन युक्त) होता है। ⁴⁵

प्रश्न 411	इस्तहाज़ा (Istihaza) की स्थिति में इबादतों के बारे में क्या अनुमति है?
उत्तर 411	इस्तहाज़ा की स्थिति में, खून से बचाव के उपाय करने चाहिए और कपड़े या किसी अन्य चीज़ के माध्यम से खून को फैलने से अच्छी तरह सुरक्षित रखना चाहिए। इस स्थिति में नमाज़, रोज़ा और तवाफ़ (काबा की परिक्रमा) करना जायज़ (अनुमेय) है। वे सभी चीज़ें जो हैज़ (मासिक धर्म) के कारण शरीयत की दृष्टि से वर्जित (मना) थीं, वे अब जायज़ हैं। हालाँकि, नमाज़ के लिए कुछ विशेष नियम और शिष्टाचार निर्धारित हैं। <ul style="list-style-type: none"> • हर नमाज़ के लिए वजू करना लाज़िम है। [वजू से पहले (अपने) निजी अंगों की सफ़ाई करें]। • [नमाज़ों को] जमा (एक साथ) कर सकते हैं; जुहर को उसके आखिरी वक़्त में और असर को उसके अक्वल (शुरुआती) वक़्त में पढ़कर जमा कर लें। • हर नमाज़ के लिए वजू करें। [बुखारी: 328, मुस्लिम: 334] • इस्तहाज़ा (Istihaza) की हालत में वजू और नमाज़ पर असर नहीं पड़ता क्योंकि वह मज़बूर (विवश) है; यह खयाल रखें कि खून को फैलने से सुरक्षित रखें और एहतियात (सावधानी) बरतें।

- जिमा (वैवाहिक संबंध) के जायज़ होने पर अहले-इल्म (विद्वानों) और जम्हूर (बहुमत) ने इजाज़त दी है।⁴⁶

अगर आधुनिक उपकरणों के जरिए रहम (गर्भाशय) निकाल दिया गया हो और हैज़ (मासिक धर्म) की कोई संभावना न हो, तो वह खून 'बीमारी वाला खून' या 'फ़साद वाला खून' गिना जाएगा। लेकिन अगर हैज़ की संभावना हो, तो वह 'इस्तिहाज़ा' का खून माना जाएगा। (शेख़ इब्ने उथैमीन रहिमुल्लाह ने कहा है कि हर नमाज़ के लिए वज़ू करें)।

43. (सहीह अल-बुखारी, किताब अल-हैज़ (मासिक धर्म की पुस्तक), बाब अल-इस्तिहाज़ा (अनियमित रक्तस्राव का अध्याय), हदीस नंबर: 306- और सहीह मुस्लिम: 334 [760]- और सुनन अल-तिर्मिज़ी: 125- और सुनन अबू दाऊद: 282- और सुनन अल-नसाई: 351- और सुनन इब्न माजह: 626)

44. (अल-निहाया फ़ी ग़रीब अल-हदीथ वल-अथर, इब्न अल-अथीर: 1/469, प्रकाशक: अल-मकतबा अल-इल्मिया, बेरूत। और लिसान अल-अरब, इब्न मंज़ूर: 7/142-143, प्रकाशक: दार सादर, बेरूत)

45. (अल-क्रवानीन अल-फ़िक्हिया, इब्न जुज़ी अल-कल्बी, पृष्ठ: 32, "मुद्रित संस्करण के अनुसार पुस्तक का क्रमांकन - लेखक का पृष्ठ: इब्न जुज़ी अल-कल्बी")

प्रश्न 412	इस्तेहाज़ा (Istihaza) किसे कहते हैं?
उत्तर 412	<p>इस्तेहाज़ा उस बीमारी को कहते हैं जो हैज़ (Menstruation) के अलावा किसी और "Medical Reason" (चिकित्सा कारण) की वजह से हो।</p> <p>लफज़ "اِسْتَحَاضَ - يَسْتَحِضُ" यह 'बाब-ए-इस्तेफाल' का मस्तर (root word) है।</p> <p>((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ))</p> <p>फ़ातिमा बिनत अबी हुबैश (रज़िअल्लाहु अन्हा) कहती हैं कि उन्हें इस्तेहाज़ा का खून आता रहता था, तो अल्लाह के नबी ﷺ ने उनसे फ़रमाया: "हैज़ का खून काला होता है जो पहचान लिया जाता है, जब यह खून आए तो नमाज़ से रुक जाओ, और जब इसके अलावा (दूसरा) खून हो तो वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो, क्योंकि यह रग का खून है।"⁴⁷</p> <p>मस्तहाज़ा (इस्तेहाज़ा वाली) खवातीन रोज़ाह भी रखेंगी और नमाज़ भी अदा करेंगी। उबैद बिन आज़िब (रज़िअल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ﷺ ने मस्तहाज़ा के सिलसिले में फ़रमाया: वह उन दिनों में (नमाज़) छोड़ दे जिनमें उसे हैज़ आता हो, फिर वह गुस्ल करे, और इस्तेहाज़ा का खून आने पर हर नमाज़ के लिए वज़ू करे, रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े।⁴⁸</p>

निफ़ास (प्रसव के बाद का रक्तस्राव) के नियम और मसले

प्रश्न 413	निफ़ास (प्रसवोत्तर रक्तस्राव) की अधिकतम अवधि क्या है? ⁴⁹
उत्तर 413	अधिकतम 40 दिन। ⁵⁰ इमाम तिर्मिज़ी (رحمة الله عليه): विद्वानों (अहल-ए-इल्म) के बीच इस बात पर आम सहमति (इज्मा) है कि यदि स्त्री 40 दिन से पहले यह महसूस करे कि खून रुक गया है, तो वह गुस्ल (स्नान) करके नमाज़ शुरू कर दे। (सुनन तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 32 के बाद) आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान (Modern Medical Research): इससे पता चलता है कि निफ़ास का खून 40 दिन से आगे नहीं बढ़ता। (अबू उमर अल-दबयान) यदि निफ़ास का खून बिल्कुल न आए, तब भी नमाज़ शुरू कर दें।

प्रश्न 414	यदि 40 दिनों के भीतर निफ़ास (प्रसव के बाद का रक्त) रुक जाए और फिर दोबारा शुरू हो जाए, तो इस बारे में विभिन्न मत (कौल) क्या हैं?
उत्तर 414	इमाम इब्न कुदामा (رحمة الله عليه) का मत: इसे निफ़ास ही माना जाएगा; नमाज़ और रोज़ा छोड़ दें। यदि संदेह (शक) हो, तो नमाज़ पढ़ लें और रोज़ा रख लें, फिर एहतियातन (सावधानी के तौर पर) उस रोज़े की कज़ा करें। शेख़ इब्न उथैमीन (رحمة الله عليه) का मत: निर्णय साक्ष्यों (संकेतों) पर होगा; यदि स्त्री यह पाए कि वह रक्त निफ़ास की तरह ही है, तो वह निफ़ास के नियमों का पालन करे। ⁵¹

46: नील अल-औतार (356/1 :309-द)

47: सुनन अबू दाऊद, किताब-उत-तहारा, 'मुस्तहाज़ा के हैज़ के बयान' का अध्याय, हदीस नंबर: 286; शेख़ अल्बानी (رحمة الله عليه) ने इस हदीस को "हसन" कहा है।

48. (जामि' अत-तिर्मिज़ी, किताबुत तहारह, बाब: मुस्तहाज़ा औरत हर नमाज़ के लिए वुजू करे, हदीस नंबर: 126; इस हदीस को शेख़ अल्बानी रहिमहुल्लाह ने "सहीह" कहा है—और सुनन अबू दाऊद: 297, और सुनन इब्ने माजह: 625)

49. और जान लें कि निफ़ास (बच्चे के जन्म के बाद का रक्तस्राव) सभी मामलों में हैज़ (माहवारी) की तरह है—उन चीज़ों में जो हलाल हैं, जो हराम हैं, जो मकरूह हैं और जो मुस्तहब (पसंदीदा) हैं। और बेशक इमाम शौकानी

ने इस पर इजमा (सहमति) नक़ल किया है (248) 'अल-बहर' के हवाले से। और बेशक इस बात पर इजमा है कि हैज़ वाली औरत नमाज़ नहीं पढ़ेगी, तो इसी तरह निफ़ास वाली औरत भी नमाज़ नहीं पढ़ेगी। (अत-समर अल-मुस्तताब 1/45–50)

50. [सहीह अल-जामि': 311, हसन सहीह, इसे अल्बानी ने 'अल-इरवा' में हसन कहा है]

51. (अश-शर्ह अल-मुमति' 1/450)

प्रश्न 415	गर्भपात (miscarriage) के बाद निकलने वाले रक्त के बारे में वर्णन करें?
उत्तर 415	<ol style="list-style-type: none"> 1. यदि गर्भपात 40 दिन से पहले हो, तो वह रक्त 'दम-ए-फ़साद' (दूषित रक्त) है, 'निफ़ास' (प्रसव के बाद का रक्त) नहीं। 2. यदि वह 80 दिन के बाद का रक्त हो, तो वह 'निफ़ास' का रक्त है। 3. यदि गर्भपात 40 और 80 दिन के बीच में हो और बच्चे के अंग/आकृतियाँ दिखाई दे रही हों, तो वह 'निफ़ास' है, अन्यथा वह 'दम-ए-फ़साद' है। 4. शेख अल्बानी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने कहा है: गर्भपात के बाद जो रक्त निकलता है, उसे 'निफ़ास' के रक्त में ही गिना जाएगा, चाहे भ्रूण (fetus) किसी भी चरण में हो।

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक
1	कुरआन और तफ़सीर	—	—
2	हदीस और उसकी व्याख्याएँ	—	—
3	फ़िक्ह (इस्लामी न्यायशास्त्र) और उसकी व्याख्याएँ	—	—
4	मुवत्ता मालिक (रिवायत यहया बिन यहया)	इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह)	दार इहया अत-तुरास अल-अरबी, बेरुत, लेबनान (तहक़ीक़: अब्दुल बाक़ी)
5	सहीह अल-बुख़ारी	इमाम बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैह)	islamicurdubooks.com
6	सहीह मुस्लिम	इमाम मुस्लिम (रहमतुल्लाह अलैह)	islamicurdubooks.com
7	सुनन अत-तिर्मिज़ी	इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह)	islamicurdubooks.com
8	सुनन अबू दाऊद	इमाम अबू दाऊद (रहमतुल्लाह अलैह)	islamicurdubooks.com
9	सुनन अन-नसाई	इमाम नसाई (रहमतुल्लाह अलैह)	islamicurdubooks.com

10	सुनन इब्न माजह	इमाम इब्न माजह (रहमतुल्लाह अलैह)	islamicurdubooks.com
11	मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा	इमाम इब्न अबी शैबा (रह.)	दार अल-कुनूज़ अल-इशबीलिया, रियाद (मुहक्किक्कः अश-शत्री)
12	मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक	इमाम अब्दुर रज़ाक (रहमतुल्लाह अलैह)	दार अत-तासील
13	मुसनद अहमद इब्न हनबल	इमाम अहमद इब्न हनबल (रह.)	मुअस्सतुर रिसाला
14	मुसनद अल-हुमैदी	इमाम हुमैदी (रहमतुल्लाह अलैह)	दार अस-सक्का, दमिश्क
15	सहीह इब्न खुज़ैमा	इमाम इब्न खुज़ैमा (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-तसील
16	सुनन अद-दारकुतनी	इमाम दारकुतनी (रहिमहदुल्लाह)	मुअस्सासात अल-रिसाला
17	अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन	इमाम हाकिम (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-कुतुब अल-इल्मिया, बेरूत
18	सुनन अद-दारमी	इमाम दारमी (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-मुगनी प्रकाशन, सऊदी अरब
19	अल-तलीकात अल-हिसान अला सहीह इब्न हिब्बान	इमाम इब्न हिब्बान (रहिमहदुल्लाह)	दार बा वज़ीर प्रकाशन, जेद्दा
20	मआलिम अल-सुनन (सुनन अबू दाऊद की व्याख्या)	इमाम अल-खत्ताबी (रहिमहदुल्लाह)	मुद्रण: मुहम्मद रागिब अल-तब्बाख
21	सिलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा वल-दर्इफ़ा	शेख अल-अल्बानी (रहिमहदुल्लाह)	मकतबा अल-मआरिफ़, रियाद
22	सुनन अल-कुबरा अल-बैहकी	इमाम अल-बैहकी (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-कुतुब अल-इल्मिया, बेरूत
23	अल-जामि' लि-अहकाम अल-कुरआन	इमाम अल-कुर्तुबी (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-कुतुब अल-मिसरिया, काहिरा
24	तफ़्सीर अल-कुरआन अल-अज़ीम	इमाम इब्न कसीर (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-कुतुब अल-इल्मिया, बेरूत
25	अल-मुहल्ला बिल-असार	इमाम इब्न हज़म (रहिमहदुल्लाह)	दार अल-फ़िक्क
26	अल-तमहीद	इमाम इब्न अब्द अल-बर्र (रह.)	अल-फुरकान फाउंडेशन, लंदन
27	अल-काफी फी फिक्ह अहल अल-मदीना	इमाम इब्न अब्द अल-बर्र (रह.)	मकतबा अल-रियाद अल-हदीसा, रियाद
28	अल-मबस्तूत	अल्लामा अल-सरखसी (रह.)	मतबा अल-सादा, मिस्र

29	अल-शरह अल-मुमते' अला जाद अल-मुस्तकना	शेख इब्न उथैमीन (रह.)	दार इब्न अल-जौज़ी
30	अल-इज्मा'	इमाम इब्न अल-मुन्ज़िर (रह.)	दार अल-मुस्लिम
31	शरह मानी अल-अथार	अबू जाफर अल-तहावी (रह.)	आलम अल-कुतुब
32	शरह अल-सुन्ना लिल- बघवी	इमाम अल-बघवी (रह.)	अल-मकतब अल-इस्लामी, दमिश्क, बेरुत
33	मजमू' अल-फतावा	इमाम इब्न तैमिया (रह.)	किंग फहद कॉम्प्लेक्स, मदीना, सऊदी अरब
34	अल-मुगनी	इमाम इब्न कुदामा अल-मकदीसी (रह.)	दार अल-कुतुब, रियाद, सऊदी अरब
35	फतह अल-कादिर अला अल-हिदाया	अल्लामा इब्न अल-हुमाम (रह.)	मकतबा मुस्ताफा अल-बाबी अल-हलबी, मिस्र
36	बदाइ अल-सनाइ फी तरतीब अल शराए	अल्लामा अल-कासानी (रह.)	मतबा अल-जमलीया, मिस्र
37	तमाम अल-मिन्ना फि अल- ता'लीक 'अला फिक्ह अल- सुन्ना	शेख अल-अल्बानी (रह.)	दार अल-राया
38	शरह सहीह अल-बुखारी	इमाम इब्न बत्ताल (रह.)	मकतबा अल-रुशद, रियाद, सऊदी अरब
39	अल-मजमू' शरह अल- मुहज्जब	इमाम नववी (रह.)	इदारा अल-तिबा'आ अल- मुनीरिया, काहिरा
40	शरह अल-'उम्दा फि अल- फिक्ह	इमाम इब्न तैमिया (रह.)	मकतबा अल-ओबैकान, रियाद
41	अल-इख्तियारात अल- फिक्हिया	इमाम इब्न तैमिया (रह.)	दार 'अताअत अल-'इल्म (रियाद) / दार इब्न हज्म
42	जाद अल-म'आद फि हदी खैर अल-'इबाद	इमाम इब्न अल-कय्यिम (रह.)	मुअस्सासा अल-रिसाला (बेरुत) / मकतबा अल- मनार
43	अल-तारीख अल-कबीर (तारीख इब्न अबी खैथमा)	इमाम इब्न अबी खैथमा (रह.)	अल-फारूक अल-हदीसा पब्लिशिंग, काहिरा
44	सिलसिला अल-अहादीथ अल-द'ईफ़ा	शेख अल-अल्बानी (रह.)	मकतबा अल-म'आरिफ, रियाद
45	अल-जामि' अल-सहीह व ज़ियादातुह	शेख अल-अल्बानी (रह.)	अल-मकतब अल-इस्लामी

46	इरवा अल-गलील फि तखरीज अहादीथ मनार अल-सबील	शेख अल-अल्बानी (रह.)	अल-मकतब अल-इस्लामी, बेरुत
47	नैल अल-औतार	इमाम शौकानी (रह.)	दार अल-हदीथ, मिस्र
48	अल-मिन्हाज शरह सहीह मुस्लिम	इमाम नववी (रह.)	दार इहया अल-तुराथ अल-'अरबी, बेरुत
49	फतह अल-बारी शरह सही अल-बुखारी	इमाम इब्न हजर अकलानी (रह.)	दार अल-मारिफा, बेरुत
50	अल-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिन अल-मानी व अल-असानीद	इमाम इब्न अब्द अल-बर् (रह.)	मोरक्को का बंदोबस्ती और इस्लामी मामलों का मंत्रालय
51	मरातब अल-इज्मा फिल इबादत	इमाम इब्न हजम (रह.)	दार अल-कुतुब अल-इल्मिया, बेरुत
52	शरह बुलुग अल-मराम (उर्दू)	सफ़ी उर-रहमान मुबारकपुरी (रह.)	दारुस सलाम
53	शरह सुनन अन-नसाई	शेख अल-राजी	ऑडियो पाठ / इस्लाम वेब (लिप्यंतरण)
54	जाद अल-माद फ़ी हदी खयर अल-इबाद	इमाम इब्न अल-कय्यिम (रह.)	मुअस्ससत अल-रिसालाह (बेरुत) / मकतबा अल-मनार
55	मजमू फतावा व मकालात मुतनाव्वीअह	शेख इब्न बाज़ (रह.)	प्रेसीडेंसी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, सऊदी अरब
56	अल-सुन्ना	इमाम मरवाजी (रह.)	मुअस्ससत अल-कुतुब अल-सकाफिया, बेरुत
57	बुहूस व फतावा फिस-मसह अलल खुफ़ैन	शेख इब्न उथैमीन (रह.)	दार अल-वतन पब्लिशिंग
58	अल-तहारह	शेख मुहम्मद बिन अब्दुल वाहब	इमाम मुहम्मद बिन सऊद विश्वविद्यालय, रियाज़
59	अमल अल-यौम वल-लैला	इमाम इब्न अल-सुन्नी (रह.)	दार अल-क्रिब्ला / मुअस्ससा उलूम अल-कुरआन
60	औन अल-मअबूद	अल्लामा शरह उल-हक़ अज़ीम आबादी (रह.)	दार इब्न हजम
61	तुहफ़त अल-अहवज़ी	अल्लामा अब्दुर्रहमान अल-मुबारकी (रह.)	दार अल-कुतुब अल-इल्मिया, बेरुत

62	अल-अर्फ़ अल-शज़ी	अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.)	दार अल-तुराथ अल-अरबी, बेरुत
63	अद-दरारी अल-मुदिय्या	इमाम अल-शौकानी (रह.)	दार अल-कुतुब अल-इल्मिया
64	अल-सैल अल-जरर	इमाम अल-शौकानी (रह.)	दार इब्न हज़्म
65	नैल अल-औतार मिन असरार मुंतक्रा	इमाम अल-शौकानी (रह.)	दार इब्न अल-जौज़ी पब्लिशिंग, सऊदी अरब
66	मिशकात अल-मसाबीह	इमाम अल-खतीब अल-तबरीज़ी (रह.)	अल-मकतब अल-इस्लामी, बेरुत
67	मिरक्रात अल-मफ़ातीह	मुल्ला अली अल-क्रारी (रह.)	दार अल-फ़िक्र, बेरुत, लेबनान
68	मिरआतुल मफ़ातीह शरह	अबू अल-हसन उबैदुल्लाह	वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आह्वान विभाग
69	सुबुलुस सलाम	मोहम्मद बिन इस्माइल अल-सनआनी (रह.)	दार इब्न अल-जौज़ी पब्लिशिंग, सऊदी अरब
70	अर-रौज़तुल नदिय्या	अल्लामा सिद्दीक हसन ख़ान (रह.)	दार इब्न अल-क़य्यिम पब्लिशिंग, रियाद
71	मजमूअ फतावा व मक़ालात	शेख़ बिन बाज़ (रह.)	वैज्ञानिक अनुसंधान और इफ़ता प्रशासन, सऊदी अरब
72	फतावा नूरुन अलद-दरब	शेख़ बिन बाज़ (रह.)	सामान्य प्रेसीडेंसी - इस्लामी अनुसंधान पत्रिका, रियाद
73	मजमूअ फतावा व रसाईल	शेख़ इब्न अल-उठयमीन (रह.)	दार अल-वतन, दार अल-थुरय्या
74	फतावा नूरुन अलद-दरब (डिजिटल)	शेख़ इब्न अल-उठयमीन (रह.)	पुस्तक डिजिटल रूप से क्रमांकित है
75	लिक़ा अल-बाब अल-मफ़तूह	शेख़ इब्न अल-उठयमीन (रह.)	ऑडियो पाठ / इस्लाम वेब (लिप्यंतरण)
76	फतावा अल-लजना अद-दाइमा	संकलन: अहमद बिन अब्दुल रज्जाक	सामान्य प्रशासन विभाग (फतावा), रियाद
77	अल-इख़्तियारात अल-फ़िक्हिया लिल-अल्बानी	शेख़ इब्राहिम अबू शादी	दार अल-ग़द अल-जदीद
78	अल-मुलख़ख़स अल-फ़िक्ही	सालेह बिन फौजान अल-फौजान	दार अल-आसिमा, रियाद, सऊदी अरब
79	तस्हील अल-फ़िक्ह	अब्दुल्ला बिन जिबरीन	दार इब्न अल-जौज़ी, सऊदी अरब

80	शरह अल-मुख्तसरात	अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन जिबरीन	ऑडियो सबक / इस्लामवेब (लिखित रूप)
81	शरह उम्दत अल-अहकाम	अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन जिबरीन	ऑडियो सबक / इस्लामवेब (लिखित रूप)
82	अल-मौसूआ अल-फिक्हिया अल-मुयस्सरा	हुसैन औदा अल-अवैशा	दार ईलाफ अद-दवलिया
83	सहीह फिक्ह अस-सुन्नाह	अबू मलिक कमाल बिन अस-सय्यद सालिम	अल-मकतबा अत-तौफीकिया, काहिरा, मिस्र
84	अत-तरजीह फी मसाइल अत-तहारा	डॉ. मुहम्मद बिन उमर बिन सालिम बाज़मुल	दार अल-हिजरा, सऊदी अरब
85	अद-दुरर अस-सनिय्यह	शेख अल्वी बिन अब्दुल कादिर अस-सक्काफ	dorar.net
86	आस्क इस्लाम पीडिया	डॉ. हाफिज अरशद बशीर उमरी मदनी	askislampedia.com
87	अलुकह	साद बिन अब्दुल्लाह बिन अल-हुमय्यद	alukah.net
88	सैद अल-फवाइद	—	saaid.org